रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

B 22.8.84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1984/आषाढ़ 30, 1906
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1984/ASADHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1984

सा० का० नि० 765.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर अपील अधिकरण दूसरा संशोधन नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 में, नियम 7क के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"7ख ज्येष्ठ उपाध्यक्ष—केन्द्रीय सरकार, नियम 7क के अधीन अपील अधिकरण के एक उपाध्यक्ष को उसका ज्येष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी ।"

टिप्पण : मूल नियमों का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया —

(1) सा० का० नि० सं० 1864, तारीख 16-12-1965

(2) सा० का० नि० सं० 4, तारीख 6-12-1972

(3) सा० का० नि० सं० 576, तारीख 23-5-81

(4) सा० का० नि० 905, तारीख 16-9-81

(5) सा० का० नि० सं० तारीख 12-1-84

[सं० ए०-12018(1)/84-प्रशा० 3(वि०का०)]
पी० के० कर्या, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 24th May, 1984

G.S.R. 765.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Second Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, after rule 7A, the following shall be inserted, namely :—

"7B The Senior Vice-President. The Central Government may appoint one of the Vice-Presidents of the Appellate Tribunal appointed under rule 7A, to be the Senior Vice-President thereof."

"Notes :- The Principal rules have been amended vide

(i) G.S.R.No. 1864, dated 16. 12. 1965

(ii) G.S.R.No. 4, dated 26. 12. 1972

(iii) G.S.R.No. 576, dated 23.5.1981.

(iv) G.S.R.No. 905, dated 16.9.1981.

(v) G.S.R.No. dated 12.1.1984.

[No. A-12018(1)/84-Admn. III (LA)]

P. K. KARTHA, Joint Secy. and Legal Adviser

कम्पनि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 2 जुलाई 1984

सा० का० नि० 766.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा नियम 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा, नियम, 1965 की अनुसूची में, भाग ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'अनुसूची-1—भाग 'ख'

क्रम सं०	श्रेणी	वेतनमान	पद का नाम	पदों की संख्या					
				लेखा शाखा		विधि शाखा		योग	
				स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थाय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अतिकाल	श्रेणी	2000-2250	प्रादेशिक निदेशक निरीक्षण और अन्वेषण निदेशक निरीक्षण और अन्वेषण अपर निदेशक	—	—	—	—	6	—
2. श्रेणी	I	1500-2000	संयुक्त निदेशक (लेखा)	3	—	—	—	3	—
3. श्रेणी	I	1500-2000	संयुक्त निदेशक (विधि)	—	—	4	—	—	—
4. श्रेणी	I	1500-2000	कंपनियों का रजिस्ट्रार श्रेणी-I	3	—	1	—	4	—
5 श्रेणी	I	1500-2000	संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)	4	2	—	—	4	2
6 श्रेणी	I	1500-2000	शासकीय समापक श्रेणी-I	—	—	3	—	3	—
7 श्रेणी	II	1300-1700	उप-निदेशक (लेखा 3)	5	1	—	—	5	1
8. श्रेणी	II	1300-1700	उप-निदेशक (विधि)	—	—	2	—	2	—
9. श्रेणी	II	1300-1700	उप-निदेशक (निरीक्षण)	12	—	—	—	12	—
10 श्रेणी	II	1300-1700	उप-शासकीय समापक	—	—	2	—	2	—
11 श्रेणी	II	1300-1700 रु०	शासकीय समापक श्रेणी-II	—	—	—	1	—	1
12. श्रेणी	III	1300-1700	कंपनियों का रजिस्ट्रार श्रेणी-II	1	—	1	—	2	—
13. श्रेणी	III	1100-1600	कंपनी लेखापाल	2	2	—	—	2	2
14. श्रेणी	III	1190-1609	कंपनी अभियोजक श्रेणी-I	—	—	2	2	2	2
15. श्रेणी	III	1100-1600	कंपनियों का रजिस्ट्रार श्रेणी 111 और कंपनियों का अपर रजिस्ट्रार	4	6	3	—	7	6
16. श्रेणी	III	1100-1600	निरीक्षण अधिकारी	11	—	—	—	11	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. श्रेणी	III	1100-1600	सहायक शासकीय समापक (लेखा)	1	—	—	—	1	—
18. श्रेणी	III	1100-1600	सहायक शासकीय समापक (विधि)	—	—	1	—	1	—
19. श्रेणी	III	1100-1600	शासकीय समापक श्रेणी-III	—	—	1	—	1	—
20. श्रेणी	IV	700-1300	कंपनियों का रजिस्ट्रार श्रेणी-IV/और कंपनियों का सहायक रजिस्ट्रार	16	4	21	2	57	6
21. श्रेणी	IV	700-1300	सहायक निरीक्षण अधिकारी	15	—	—	—	15	—
22. श्रेणी	IV	700-1300	सहायक शासकीय सापक (लेखा)	3	—	—	—	3	—
23. श्रेणी	IV	700-1300	सहायक शासकीय समापक (विधि)	—	—	6	—	6	—
24. श्रेणी	IV	700-1300	शासकीय समापक श्रेणी-IV	—	6	—	1	6	1
			योग	80	15	53	6	339	21

[फा० सं० ए-42013/14/81-प्रशा०-II]
बी० पी० गुप्त, निदेशक प्रशासन

Department of Company Affairs

New Delhi, the 2nd July, 1984

G.S.R. 766— In exercise of the powers conferred by the previso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Company Law Service Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Company Law Service (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Company Law Service Rules, 1965, in Schedule I for Part B and the entries relating there under, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE 1 PART 'B'

Sl. No.	Grade	Pay Scale	Name of post	Number of posts					
				Accounts Branch		Legal Branch		Total	
				Permanent	Temporary	Permanent	Temorary	Permanent	Templorary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Super Time Grade.	2000-2250	Regional Director/Director of Inspection and Investigation/Addl. Director of Inspection and Investigation.	—	—	—	—	6	—
2.	Grade I	1500-2000	Joint Director (Accounts)	3	..	—	—	3	—
3.	Grade I	1500-2000	Joint Director (Legal)	—	—	4	—	4	—
4.	Grade I	1500-2000	Registrar of Companies Grade I	3	—	1	—	4	—
5.	Grade I	1500-2000	Joint Director (Inspection)	4	2	—	—	4	21
6.	Grade I	1500-2000	Official Liquidator Grade.	—	—	3	—	3	—
7.	Grade II	1300-1700	Deputy Director (Accounts)	5	1	—	—	5	
8.	Grade II	1300-1700	Deputy Director (Legal)	—	—	2	—	2	—
9.	Grade II	1300-1700	Deputy Director (Inspection)	12	—	—	—	12	—
10.	Grade II	1300-1700	Deputy Official Liquidator.	—	—	2	—	2	—
11.	Grade II	1300-1700	Official Liquidator	—	—	—	1	—	1
12.	Grade II	1300-1700	Registrar of Companies Grade II.	1	—	1	—	2	—
13.	Grade III	1100-1600	Company Accountant	2	2	—	—	2	2
14.	Grade III	1100-1600	Company Prosecutor Grade I.	—	—	2	2	2	2
15.	Grade III	1100-1600	Registrar of Companies Grade III and Addl. Registrar of Companies.	4	6	3	—	7	6
16.	Grade III	1100-1600	Inspecting Officer.	11	—	—	—	11	—
17.	Grade III	1100-1600	Asstt. Official Liquidator (Accounts)	1	—	—	—	1	—
18.	Grade III	1100-1600	Asstt. Official Liquidator (Legal)	—	—	1	—	1	—
19.	Grade III	1100-1600	Official Liquidator, Grade-II.	—	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Grade IV	700-1300	Registrar of Companies Grade IV and Asstt. Registrar of Companies.	16	4	21	2	37	6
21.	Grade IV	700-1300	Assistant Inspecting Officer.	15	—	—	—	15	—
22.	Grade IV	700-1300	Asstt. Official Liquidator (Accounts)	3	—	—	—	3	—
23.	Grade IV	700-1300	Assistant Official Liquidator (Legal)	—	—	6	—	6	—
24.	Grade IV	700-1300	Official Liquidator.	—	—	6	1	6	1
			TOTAL	80	15	53	6	139	21

[F.No.A42013/14/81-Admn.II]
V.P. GUPTA, Director (Administration)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् केबल और विद्युत् चालक) नियम, 1984

सा० का० नि० 767.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् केबल और विद्युत् चालक) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना—ये नियम लघु औद्योगिक एकक प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को छोड़कर, प्रत्येक ऐसी कंपनी को लागू है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रकार के विद्युत् केबल, विद्युत् चालक, तारों और पट्टियों के उत्पादन प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं, अर्थात् :—

(क) विद्युत् केबल (सभी प्रकार के—अर्थात् पी० आई० एल० सी० पी० वी० सी०, एक्स एल० पी० ई० आदि);

(ख) सभी प्रकार के वी० आई० आर० रबड़ चढ़े केबल और लचीले तार;

(ग) सभी प्रकार के पी० वी० सी० विद्युत् रोधी केबल और लचीले तार जिनके अन्तर्गत स्विचबोर्ड तार और केबल भी हैं;

(घ) इनेमल चढ़े तार और पट्टियां;

(ङ) कागज, ग्लास, रेशम और किसी अन्य प्रकार की विद्युत् रोधी सामग्री चढ़े हुए तार और पट्टियां

(च) ए० ए० सी०/ए० सी० एस० आर० विद्युत् चालक;

(छ) दूरसंचार केबल

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन के लिए, लघु औद्योगिक एकक से, राज्य सरकार के, यथास्थिति, उद्योग या लघु उद्योग निदेशालय में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है जिसका संयंत्र और मशीनरी में विनिधान मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

3. अभिलेख रखना :—(1) प्रत्येक कंपनी, जिसे ये नियम लागू है, इन नियमों के प्रारंभ को या उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत समुचित लेखा बहियां रखेगी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सामग्री, श्रम और लागत की अन्य मदों के उपयोग के संबंध में, जहां तक कि वे नियम 2 में निर्दिष्ट विद्युत् केबलों, विद्युत् चालकों, तारों और पट्टियों के बारे में है, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या यथासाध्य उसके निकटतम किसी प्ररूप में दी जाएंगी :

परन्तु यदि उक्त कंपनी नियम 2 में निर्दिष्ट मदों के अतिरिक्त अन्य उत्पाद का विनिर्माण कर रही है या अन्य क्रियाकलाप में लगी है तो अन्य मदों के उपयोग के संबंध में सामग्री, श्रम और लागत की विशिष्टियां, जहां तक कि वे ऐसे उत्पादों या क्रियाकलाप से संबंधित हैं, नियम 2 में निर्दिष्ट मदों की लागत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखाबहियां नियमित आधार पर ऐसे रखी जाएंगी कि उसमें प्रविष्ट की गई विशिष्टियों के आधार पर नियम 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्युत् केबलों, विद्युत् चालकों पट्टियों और तारों के प्रत्येक आकार और प्रकार की उत्पादन लागत और विक्रय लागत की संगणना, किसी वित्तीय वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत अवधि कहा गया है) के दौरान नियमित अन्तरालों पर, जो नब्बे दिन से कम का नहीं होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए सम्भव हो सके, और ऐसी प्रत्येक लेखाबही और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप, उस कंपनी के, जिससे वे संबंधित है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (6) और उपधारा (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी द्वारा इन, नियमों के उपनियम (1) और (2) के उपबंधों का उसी रीति से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी उचित कदम उठाए जिस रीति से वह उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के अधीन लेखा रखने के लिए बाधी है ।

(4) अनुसूची 1 और 2 के अनुसार रखे गए सांख्यकीय और अन्य अभिलेख ऐसे होंगे कि कंपनी, जहां तक हो सके, लागत में अधिकतम मितव्ययता बरतने की दृष्टि से विभिन्न संक्रियाओं और लागतों पर नियंत्रण रख सके और लागत संपरीक्षक द्वारा अपेक्षित आवश्यक आंकड़े दे सके, जिससे कि समय-समय पर यथासंशोधित लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) नियम, 1968 में निर्दिष्ट सभी विषयों पर वह उचित रिपोर्ट दे सके । ऐसे अभिलेखों का सामाधान उत्पाद-शुल्क विभाग और महानिदेशक, तकनीकी विकास को दी गई विधरणियों के साथ किया जाएगा ।

4. शास्ति :—यदि कोई कंपनी, नियम 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगी तो वह कंपनी और उसका प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी, जिसके अन्तर्गत नियम 3 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति भी है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अनुसूची-1

(नियम 3 देखें)

1. सामग्री :

1.1 प्रत्यक्ष सामग्री : नियम 2 के अधीन सूचीबद्ध प्रत्येक प्रवर्ग के विभिन्न प्रकार और आकार के विद्युत् केबलों, विद्युत् चालकों, तारों

और पट्टियों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित एलूमिनियम, तांबे, सीसा, सीसा मिश्र धातु, इस्पात तारों, इस्पात टेपों, कागज हेसियन टेपों, पी० वी० सी० रबरकृत, एक्स एल० पी० ई० यौगिक या पी० वी० सी० की सभी प्राप्तियों, निर्गमों और प्रतिशेषों की मात्रा और लागत दोनों का, पृथक-पृथक रूप मे, समुचित अभिलेख रखे जाएंगे । प्रत्यक्ष सामग्री के उक्त अभिलेखों में ऐसे ब्यौरे होंगे, कि कंपनी आयातित और देशी सामग्री की मात्रा, प्राप्तियों की लागत (जिसके अन्तर्गत संकर्म तक सभी सीधे प्रकार भी हैं), निर्गम और प्रतिशेष पृथक-पृथक अवधारित कर सके । आयातित सामग्री की दशा मे पोतपर्यन्त निःशुल्क कीमत, माल भाड़ा और बीमा प्रभार (लागत बीमा और भाड़ा मूल्य), सीमाशुल्क, पत्तन प्रभार, अन्तर्देशीय मालभाड़ा प्रभार के ब्यौरे पृथकतः अभिलिखित किए जाएंगे । वह आधार, जिस पर उक्त मात्राओं और निर्गमों तथा खपत की लागत संगणित की गई है, लागत अभिलेखों मे उपदर्शित किया जाएगा ।

1.2 प्रसंस्करण सामग्री . प्रसंस्करण सामग्री की प्रत्येक मद की प्राप्तियों, निर्गमों और प्रतिशेषों को, दर्शित करते हुए प्रत्येक मद की मात्रा और लागत, दोनों का समुचित लेखा रखा जाएगा। ऐसी प्रसंस्करण सामग्री की लागत के अन्तर्गत संकर्म तक के सभी सीधे प्रभार भी हैं । निर्गमों और खपत का मिलान विभागों, लागत केन्द्रो और विनिर्मित उत्पादो मे समुचित रूप मे किया जाएगा ।

1.3 शलाकाओ, तारों और संघटकों का विनिर्माण

1.3.1 एलमूनियम शलाकाएं, तांबा शलाकाएं और अन्य शलाकाएं : सिल्लियों, छड़ों या खुरचन से किसी कंपनी द्वारा विनिर्मित या किन्ही बाहरी अभिकरणों से प्रसस्कृत कराई गई एल्यूमिनियम या तांबे की शलाकाओं या अन्य शलाकाओं की दशा में पृथक अभिलेख रखें जाएंगे । इन अभिलेखों के विस्तृत ब्यौरों के साथ यह दर्शित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रकार की शलाकाओ की विनिर्माण लागत और बाहरी प्रसंस्करण प्रभार कितने हैं जिससे कि कंपनी अनुसूची 2 के प्रारूप "क" और "ख" मे या यथासाध्य उसके निकटतम प्ररूप मे आवश्यक विशिष्टियां दे सकें । यदि कंपनियां बाहर के पक्षकारों के लिए शलाकाएं प्रसंस्कृत करती है तो उनके लिए समुचित अभिलेख रखें जाएंगे जिनमें यह दर्शित किया जाएगा कि बाहर के पक्षकारों के लिए कितनी मात्रा प्रसंस्कृत की गई, उसमें कितना समय लगा और ऐसे पक्षकारो से कितना प्रसंस्करण प्रभार लिया गया ।

1.3.2 विद्युत्‌रोधी सामग्री : यदि कपनी सामग्रियों और रसायनों अथवा पी० वी० सी० यौगिक रबरकृत यौगिक, एक्स० एल पी० ई० यौगिक पोलिथिलिन यौगिक या किसी अन्य यौगिक जैसी विद्युत् का विनिर्माण करती है तो प्रत्येक ऐसी मद की विनिर्माण लागत का पृथक-पृथक अभिलेख, इस अनुसूची के उपाबंध 2 मे या यथासाध्य उसके निकटतम प्ररूप मे, रखा जाएगा । यदि उक्त यौगिकों का क्रय किया जाता है तो उसके लिए पृथक अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें प्रत्येक ऐसे विनिर्मित या प्रसंस्करण यौगिक की प्राप्तियो, निर्गमों और प्रतिशेष की मात्रा और मूल्य दोनों को दर्शित किया जाएगा ।

1.4 खपने वाले भण्डार, छोटे औजार, मशीनो के फालतू पुर्जे, डाई आदि :

1.4.1 खपने वाले भण्डारो, छोटे औजारों और मशीन के फालतू पुर्जों और डाइयों की प्रत्येक मद की प्राप्तियों, निर्गमों और प्रतिशेषों की मात्राओं और लागतों दोनो को दर्शित करते हुए, समुचित अभिलेख रखा जाएगा । दर्शित लागत में संकर्म तक के सभी प्रकार सम्मिलित हैं।

1.4.2 खपने वाले ऐसे भण्डारों और मशीनों के फालतू पुर्जों छोटे औजारो की दशा में, जिनकी लागत नगण्य है, कंपनी, यदि वह ऐसा करना चाहे तो, ऐसी मदों के मुख्य समूहों के लिए ही ऐसे अभिलेख रख सकती है ।

1.4.3 खपने वाले भण्डार, छोटे औजारों, मशीनों के फालतू पुर्जों और डाइयों की लागत जो कि वास्तविक निर्गमों पर आधारित होगी, सुसंगत लागत केंद्रों पर की जाएगी। जैसे भवनों, सयंत्रो और मशीनों तथा अन्य आस्तियों की वृद्धि जैसे पूंजी संकर्मों के लिए खपाई गई सामग्री, सुसगत पूंजी शीर्षों के अधीन दर्शित की जाएगी ।

1.5 सामग्री का बरबाद होना, खराब होना, अस्वीकृत किया जाना, हानि आदि .

1.5.1 विनिर्माण मे सामग्री, खपने वाले भण्डार, छोटे औजारों और मशीन के फालतू पुर्जों और डाइयो की, चाहे अभिवहन, भण्डारण, विनिर्माण के दौरान या चाहे किसी अन्य प्रक्रम पर, हुई बरबादी, खराबी, अस्वीकृति और हानि की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। बरबादी, खराबी, अस्वीकृति और हानि के लिए कारणों की उक्त हानियों के समायोजन के लिए अनुसरित रीति को लागत अभिलेख में दर्शित किया जाएगा ।

1.5.2 विभिन्न प्रकार की उत्पादित खुरचनो की मात्रा दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रखा जाएगा ।

1.5.3 यदि किसी खुरचन का पुनः चक्रण किया जाता है तो उसकी मात्रा और पुनः संस्करण प्रभारो की बाबत समुचित अभिलेख रखे जाएंगे ।

1.5.4 अस्वीकृत खुरचनो और बरबाद हुई सामग्रियो के निपटान से प्राप्त राशि तथा संस्करण में पुनः प्रयुक्त अस्वीकृत सामग्रियों के मूल्य पृथक-पृथक अभिलेख रखा जाएगा और उत्पादन लागत में उपरोक्त प्राप्तियों का समायोजन करने की रीति को लागत अभिलेख में दर्शित किया जाएगा ।

2 वेतन और मजदूरी :-

2.1 प्रत्येक लागत केन्द्र मे नियोजित सभी कर्मचारियो की उपस्थिति और उनके उपार्जनों को तथा उन कार्यों को जिन पर उन्हे नियोजित किया गया है दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे प्रत्येक लागत केन्द्र के अभिलेख में पृथक रूप से निम्नलिखित को भी उपदर्शित किया जाएगा :—

(क) उपार्जित मात्रानुपाती वर मजदूरी .

(ख) उत्पादन बोनस या उत्पादन पर आधारित किसी अन्य स्कीम के अधीन चाहे वैयक्तिक रूप में या चाहे सामूहिक रूप मे उपार्जित प्रोत्साहन मजदूरी,

(ग) उपार्जित अतिकाल मजदूरी,

(घ) नैमित्तिक श्रमिको के उपार्जन ।

2.2 निष्कार्य समय की प्रविष्टिया, उसके कारणो का उल्लेख करते हुए वर्गीकृत शीर्षों के अधीन पृथकतः अभिलिखित की जाएंगी । उत्पाद की लागत अवधारित करने के लिए निष्कार्य समय की बाबत किए गए संदायों की गणना करने में अपनाई गई पद्धति को लागत अभिलेखों में प्रकट किया जाएगा ।

2.3 सयंत्रो और मशीनों या अन्य स्थायी आस्तियों मे परिवर्धन जैसे पूंजी संकर्मों की आबंटित मजदूरी और वेतन का लेखा सुसंगत पूंजी-शीर्षों के अधीन किया जाएगा ।

3. सेवा विभाग व्यय .

प्रत्येक सेवा विभाग या सेवा लागत केन्द्र के लिए जिसके अन्तर्गत जल प्रदाय प्रयोगशाला, कल्याण, परिवहन और परीक्षण भी हैं उपगत व्ययों को उपदर्शित करने वाले ब्यौरेवार अभिलेख रखे जाएंगे । ये व्यय साम्यापूर्ण आधार पर अन्य सेवा और उत्पादन विभागों में प्रभारित किए जाएंगे और निरन्तर उन्ही पर प्रभार किए जाएंगे ।

3.2.1 विद्युत् : क्रय की गई विद्युत् की मात्रा और लागत के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। जहां कंपनी स्वयं विद्युत् का उत्पादन करती है वहां उत्पादित विद्युत् की लागत को दर्शित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। इस अनुसूची के उपाबंध 3 के अनुसार या यथासाध्य उससे निकटतम प्ररूप में विभिन्न लागत केन्द्रों में खपत को दर्शित करने के लिए आवश्यक अभिलेख रखे जाएंगे। लागत केन्द्रों और पृथक-पृथक उत्पादों को विद्युत् की लागत युक्तियुक्त आधार पर निकाली जाएगी और निरन्तर वही रहेगी।

3.2.2 जहां कंपनी के किसी अन्य एकक द्वारा विद्युत् उत्पादन किया जाता है और निर्देशाधीन उत्पादों के विनिर्माण को प्रदाय की जाती है वहां इस प्रकार प्रदाय की गई विद्युत् की मात्रा और लागत निर्धारित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। उस एकक द्वारा प्रभारित दर का आधार युक्तियुक्त होगा और निरन्तर वही रहेगा। विद्युत् केबल विद्युत् चालक तारों और पट्टियों के उत्पादन के लिए आबंटित विद्युत् लागत का आधार युक्तियुक्त होगा और निरन्तर वही रहेगा।

4. कर्मशाला मरम्मत और रख-रखाव :

4.1 कर्मशाला और मरम्मत तथा रखरखाव शाला द्वारा उपगत खर्चों को दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेखों में वे आधार भी दर्शित किए जाएंगे जिन पर विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों पर इन व्ययों का प्रभारण किया गया है।

4.2 ऐसे प्रमुख मरम्मत किया गया संकर्मों पर किया गया खर्च जिससे एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक फायदा होता है लागत अभिलेखों में सुसंगत अवधि के दौरान विनिर्मित विभिन्न उत्पादों की लागत अवधारित करने में उसके उपयोजन की रीति को उपदर्शित करते हुए पृथकतः उपदर्शित किए जाएंगे।

4.3 पूंजीगत प्रकार के संकर्मों पर उपगत व्यय पूंजीकृत किए जाएंगे। ऐसे कार्यों की लागत के अन्तर्गत सामग्री श्रम और उपरिव्ययों का सम्यक अंश भी है।

4.4 कंपनी के अन्य एककों की किसी अन्य कर्मशाला द्वारा या कंपनी के अन्य एककों के लिए और विलोमतः किए गए कार्यों को युक्तियुक्त रूप में प्रभारित किया जाएगा और वह रूप निरन्तर लागू किया जाएगा।

5. अवक्षयण :

5.1 जिन स्थिर आस्तियों की बाबत अवक्षयण की व्यवस्था की जाती है उनकी लागत और अन्य विशिष्टियों को दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इन अभिलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों की प्रत्येक मद की लागत जिसके अन्तर्गत संस्थापन प्रभार यदि कोई है भी हैं, संस्थापन की तारीख और अवक्षयण की दर तथा प्रत्येक आस्ति की अवस्थिति भी दर्शित की जाएगी। उन आस्तियों की जिन्हें अर्जन की मूल लागत अयुक्तियुक्त व्यय का विलम्ब किए बिना निश्चित नहीं की जा सकती है वही मान ली जाएगी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन के बहियों में दिखाए गए हैं। ऐसे किसी मूल्यांकन से ऐसी किसी आस्ति का वह पुनर्मूल्यांकन जो पूर्वोक्त तारीख से पहले किया गया है अपवर्जित हो जाएगा।

5.2 जिस आधार पर अवक्षयण की संगणना की जाती है और वह विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों को आबंटित/भारित किया जाता है तथा उत्पादों पर आमेलित किया जाता है वह अभिलेख में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा। विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों पर प्रभार्य अवक्षयण कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 205 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रभार्य अवक्षयण से कम नहीं होगा और वह ऐसे लागत केन्द्रों और विभागों में उपयोग में लाए गए मशीनरी और अन्य स्थिर आस्तियों से संबंधित होगा। यदि ऐसी आस्तियों या आस्ति-समूह की दशा में जिन पर अवक्षयण आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित रीति से भिन्न रीति से सुसंगत वर्ष में 100 % की दर से बट्टे खाते डाला जाता है तो वह अवक्षयण उतने वर्षों पर विस्तारित कर दिया जाएगा जितने वर्षों तक उस आस्ति या आस्ति-समूह से फायदा प्राप्त किया जाता है। यदि लागत अभिलेखों में किसी वित्तीय वर्ष में प्रभारित की गई रकम कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन प्रभार्य अवक्षयण की रकम से अधिक है तो इस प्रकार प्रभारित अधिक रकम को लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा किन्तु आस्तियों की किसी एक मद के संबंध में लागत अभिलेखों में भारित संचयी अवक्षयण प्रभार उस आस्ति की मूल लागत से अधिक नहीं होगा।

6. स्वामित्व तकनीकी ज्ञान फीस : स्वामित्व या अन्य आवर्ती या अनावर्ती संदायों का जो सहयोगियों या तकनीकी ज्ञान प्रदायकर्ता को, उनके साथ हुए करार के निबंधनों के अनुसार दिए जाते हैं, पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा। प्रत्येक पक्षकार की बाबत ऐसा अभिलेख पृथकतः रखा जाएगा। ऐसी रकम को, उत्पादों की बाबत लेखा प्रभारण, जिसके अन्तर्गत एक बार में चुकता करना भी है, का आधार लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा।

7. अन्य उपरिव्यय :

7.1 उपरिव्यय की विभिन्न मदों को दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इन व्ययों को सकर्म प्रशासन और विक्रय तथा वितरण उपरिव्यय के रूप में विश्लेषित, वर्गीकृत और समूहकृत किया जाएगा यदि उपरिव्यय के उपरोक्त प्रवर्गों में सम्मिलित किसी व्यय को किसी विशिष्ट क्रियाकलाप या उत्पाद की बाबत परिलक्षित किया जाता है तो ऐसे व्यय पृथक कर दिए जाएंगे और पृथकतः संबद्ध क्रियाकलाप या उत्पाद पर प्रभारित किए जाएंगे और तत्पश्चात् उपरिव्यय के उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन अतिशिष्ट सामान्य व्ययों को युक्तियुक्त और साम्यापूर्ण आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और निरन्तर वैसे ही किया जाता रहेगा। उपरोक्त प्रवर्गों के उपरिव्ययों को विभागों, लागत केन्द्रों और उत्पादों को आबंटन या आमेलित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति को, लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा।

7.2 यदि कंपनी नियम 2 में निर्दिष्ट उत्पादों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उत्पादों का विनिर्माण करती है तो सामान्य उपरिव्यय को, जिसके अन्तर्गत कंपनी के मुख्यालय के व्यय भी हैं, केबलों, विद्युत् चालकों, तारों या पट्टियों संबंधी क्रियाकलाप अन्य क्रियाकलाप और पूंजी संकर्मों पर उपरिव्यय प्रभाजित करने के लिए अपनाए गए आधार को अभिलेख में उपदर्शित किया जाएगा। उपरिव्ययों को प्रभाजित करने के लिए अपनाया गया आधार, युक्तियुक्त साम्यापूर्ण और संगत होगा। लागत केन्द्रों और उत्पादों के उपरिव्ययों को प्रभाजित या आमेलित करने के लिए आधारों को, लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा।

8. संपरिवर्तन लागत : अनुसूची 2 के सुसंगत प्ररूप को भरने के लिए संपरिवर्तन लागत (प्रत्यक्ष सामग्री की लागत को कम करके विनिर्माण की लागत) को नियत और परिवर्तनीय लागत विभाजित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।

9. ब्याज : ब्याज प्रभार दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। ब्याज की रकम, विद्युत केबलों, विद्युत् चालकों, तारों, पट्टियों और अन्य क्रियाकलाप को युक्तियुक्त और साम्यापूर्ण आधार पर आबंटित की जाएगी और उसका निरन्तर अनुसरण किया जाएगा। ऐसे आबंटन का आधार लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा। केबलों, विद्युत् चालकों, तारों और पट्टियों या उनके विभिन्न प्रकारों के लिए ब्याज के अंश के आगे प्रभाजन के लिए आधार युक्तियुक्त और साम्यापूर्ण होगा तथा उसका निरन्तर अनुसरण किया जाएगा।

10 निर्यात पर व्यय प्रोत्साहन

10 1 विद्युत् केबलो, विद्युत् चालका, तारो और पट्टियो के निर्यात पर यदि कोई है, उपगत व्यय को दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख पृथकतः रखे जाएगे जिससे कि निर्यात विक्रय की लागत सही रूप मे अवधारित की जा सके। निर्यात पर उपगत व्यय तथा उपार्जित कोई निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात विक्रयो से सबधित लागत विवरणियो मे स्पष्टत दर्शित किए जाएगे, निर्यात प्रोत्साहन को अन्य आय के रूप म माना जाएगा और वह लागत अभिलेखो मे उसी रूप म दर्शित किया जाएगा।

11 पैकिग

11 1 विभिन्न पैकिग सामग्री की अर्थात् काष्ठखण्ड जिनका उपयोग ड्रम बनाने और प्रयुक्त अन्य पैकिग सामग्री की मात्रा और लागत को दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएगे। यदि ऐसी पैकिग सामग्री कपनी द्वारा विनिर्मित की जाती है तो ऐसी मदो के उत्पादन की लागत के समुचित अभिलेख उपाबध 4 मे या यथासाध्य उससे निकटतम प्ररूप म रखा जाएगा, जिससे कि कपनी केबलो विद्युत् चालको, तारो या पट्टियो के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए जिन्हे नियम 2 के अधीन सूचीबद्ध किया गया ह प्रत्येक आकार प्रकार के पैकिग प्रभार की लागत का पता लगाया जा सके।

11 2 जहा पैकिग व्यय सामूहिक रूप से उपगत किए जाते हैं वहा विभिन्न प्रकार और आकार के केबलो, विद्युत् चालको, तारो और पट्टियो पर ऐसे व्ययो के प्रभाजन का आधार साम्यापूर्ण होगा और वह लागत अभिलेखो मे स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा तथा निरन्तर उसका अनुसरण किया जाएगा।

11 3 विभिन्न प्रकार और आकार के केबलो विद्युत चालका, तारो और पट्टियो की बाबत किसी निर्यात पैकिग पर उपगत विशेष व्ययो के, यदि कोई है, पृथक अभिलेख रखे जाएगे और वे निर्यात के सुसगत विक्रय लागत विवरणो मे दर्शित किए जाएगे।

12 चालू कार्य और तैयार माल का स्टाक चालू कार्य और माल के स्टाक की लागत के अवधारण के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति लागत अभिलेखो मे उपदर्शित की जाएगी जिससे कि लागत के उन तत्वो को परिकथित किया जा सके जो ऐसी सगणना मे सम्मिलित किए गए है। अपनाई गई पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाएगा। चालू कार्य का मूल्य और तैयार माल की मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाले काय अभिलेख अनुसूची के के प्ररूप ड ग रखे जाएगे।

13 अनुसधान और विकास व्यय

13 1 कपनी द्वारा विद्युत केबलो, विद्युत चालको तारो या पट्टियो के अनुसंधान और विकास पर हुए व्यय का, ऐसे अनुसधान विकास की प्रकृति के अनुसार अर्थात विद्यमान उत्पादो का विकास और नई सयंत्र सुविधाओ की डिजाईन और विकास विद्यमान और नए उत्पादो के लिए बाजार अनुसधान के अनुसार, ब्योरा का दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख पृथकतः रखे जाएगे।

13 2 किसी वर्ष के दौरान ऐसे उत्पादो की लागत की बाबत हुए इन व्ययो का प्रभारित करने की पद्धति, लागत अभिलेखो मे उपदर्शित की जाएगी। जहा ऐसे अनुसधान की उपयोगिता एक वित्तीय वर्ष म अधिक तक बनी रहती है, वहा ऐसे व्ययो को आस्थगित व्यय के रूप म माना जाएगा और किसी साम्यापूर्ण आधार पर उत्पादो की लागतो का प्रभारित किया जाएगा और निरन्तर उसी का अनुसरण किया जाएगा।

14 लागत विवरण

14 1 नियम 2 के अधीन सूचीबद्ध किए गए प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन प्रत्येक आकार और प्रकार के विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियो की उत्पादन लागत और विक्रय लागत को दर्शित करने वाले, लागत विवरण अनुसूची 2 के प्ररूप क से ञ तक मे पृथकतः रखे जाएगे विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियों की बाबत और तत्समान विभिन्न प्रकार और आकार के विनिर्देशो के लिए भी पृथक पृथक लागत विवरण रखे जाएगे।

14 2 यदि नियम 2 के अधीन सूचीबद्ध प्रत्येक प्रवर्ग के विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियों के सभी आकार और प्रकार के ऐसे आंकडो का सकलन करना सभव नहीं है तो नियम 2 के अधीन सूचीबद्ध किए गए प्रत्येक प्रवर्ग के विभिन्न आकार और प्रकार के विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियो की, जिनका प्रमुख रूप से उत्पादन किया गया है, उत्पादन लागत और विक्रय लागत को प्ररूप क से ञ तक मे रखा जाएगा। समग्र आधार पर ये आकडे प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन उत्पादित विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियो विक्रय के अनुसार कुल उत्पादन मूल्य औसत विक्रय कीमत की मात्रा से गुणा करके के कम से कम अस्सी प्रतिशत के बारे मे होगे।

परन्तु प्ररूप क से ञ तक भरे जाने के प्रयोजन के लिए ऐसी कोई मद अपवर्जित नहीं है जिसका उत्पादन मूल्य, कुल उत्पादन मूल्य के 5 प्रतिशत से कम नही है। यही आकडे, उत्पादित विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियो के बाकी प्रवर्गों की बाबत कुल व्ययो का समाधान करने के प्रयोजन के लिए प्ररूप ड के अनुसार दिए जाएगे प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विक्रय लागत और विक्रय प्राप्ति की कीमत के ब्योरे दर्शित करने के लिए कपनी समुचित अभिलेख रखेगी।

14 3 केबलो के निर्यात की बाबत सुसगत प्ररूप मे पृथक लागत विवरण दिए जाएगे और उसे उस लागत विवरण मे सम्मिलित नही किया जाएगा जो स्वदेश मे विक्रय के प्रयोजन के लिए है। निर्यात प्रोत्साहनो, यदि कोई है, के मूल्य को सबधित विक्रय लागत विवरण मे दर्शित किया जाएगा।

14 4 तैयार उत्पादो का अन्तरण जिसका निवेश पश्चात्वर्ती उत्पादो के विनिर्माण के लिए किया जाता है, ऐसे तैयार उत्पादो की उत्पादन कीमत पर किया जाएगा।

15 लागत और वित्तीय लेखाओ का मिलान

15 1 शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लागत अभिलेखो का मिलान, कालिक अर्थात तिमाही तौर पर तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय लेखा बहियों से किया जाएगा। यदि कोई अन्तर हो तो उसे प्रकटतः उपदर्शित किया जाएगा। और उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। मिलान ऐसी रीति से किया जाएगा कि निर्देशाधीन उत्पाद पर हुए फायदे को ठीक ढग से अधिनिर्णीत किया जा सके और उसका कपनी के समग्र फायदो से मिलान किया जा सके।

15 2 विभिन्न लेखा शीर्षो के अधीन कपनी द्वारा उपगत कुल व्यय और हुई कुल आय तथा विद्युत केबलो, विद्युत चालको, तारो या पट्टियो से संबधित अश दर्शाने के लिए एक विवरण, अनुसूची 2 के प्ररूप ञ मे रखा जाएगा और उसका मिलान संबधित अवधि के वित्तीय लेखाओ के साथ किया जाएगा।

16 लागत अन्तरो का समायोजन जहा कपनी लागत अभिलेख वास्तविकता से भिन्न किसी आधार पर रखती है, उदाहरणार्थ मानक लागत पद्धति पर रखती है, वहा कपनी द्वारा ऐसी पद्धति के अधीन उत्पादो की लागतो की सगणना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अभिलेखो मे उपदर्शित की जाएगी। उत्पाद की वास्तविक लागत के अवधारण मे, लागत अंतरो के समायोजन के लिए अपनाई गई पद्धति, लागत अभिलेखो मे स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी। लागत अन्तरो को, अनुसूची 2 के सबधित प्ररूप म सुसगत शीर्षो के सामने दर्शित किया जाएगा। बृहत्त मात्रा वाली सामग्री के सबध मे हुए अन्तरो के कारणो को अन्य बातो के साथ साथ, पृथकतः प्रस्तुत किया जाएगा। अन्तर विश्लेषण, प्रत्येक तीन मास मे एक बार किया जाएगा। अन्तर पडने के जो कारण हैं उनको लागत अभिलेखो मे ब्योरेवार दिया जाएगा।

17. स्टाक में रखी गई समस्त मदों के, जैसे कि कच्ची सामग्री, प्रक्रिया सामग्री पैकिंग सामग्री, खपन वाली सामग्री, मशीनों के फालतू पुर्जे, रसायन, ईंधन तैयार माल और स्थिर आस्तियों के भौतिक सत्यापन के, अभिलेख रखे जाएंगे। ऐसे सत्यापनों में प्रकट होने वाली कमियों या वृद्धियों के कारण और उत्पादों की लागत में उनके समायोजन के लिए अपनाई गई पद्धति, अभिलेखों में उपवर्णित की जाएगी।

18. अन्तरकंपनी सव्यवहार

किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्रित कंपनी या समनुषंगी कंपनी को या उसी प्रबंध के अधीन किसी ऐसी कंपनी को जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 370 (ख), में परिभाषित है, या ऐसी किसी कंपनी को, जिसमें उक्त कंपनी का ही निदेशक, एक निदेशक है पर स्थिति विलोमतः है किए गए प्रदायों या सेवाओं के संबंध में अभिलेख रखे जाएंगे जिसमें निम्नलिखित की बाबत की गई संविदाओं या करारों या समझौतों को दर्शित किया जाएगा :-

(क) कच्ची सामग्री और प्रक्रिया सामग्री, संघटकों, अस्वीकृत माल, जिसमें खुरचन सम्मिलित है तथा स्थिर आस्तियों का क्रय और विक्रय,

(ख) संयंत्र प्रसुविधाओं का उपयोग,

(ग) उपयोगी वस्तुओं का प्रदाय, और

(घ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय और अन्य परामर्शी सेवाएं।

इन अभिलेखों में वे आधार भी उपवर्णित किए जाएंगे जिनका अनुसरण उनके बीच प्रभारित दरों की संगणना के लिए किया गया है जिससे कि ऐसी सेवाओं के लिए प्रभारित या संदत्त दरों के औचित्य का अवधारण किया जा सके।

19. सांख्यिकीय अभिलेख :

19.1 विभिन्न उत्पादन विभागों में उपलब्ध और वस्तुत: उपयोजित मशीन घंटों प्रत्यक्ष श्रम घंटों की बाबत भी आंकड़े रखे जाएंगे और कमियों को उपयुक्त रूप में विश्लेषित किया जाएगा जितने समय मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है उसकी संगणना करने के लिए उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

19.2 ऐसे पर्याप्त अभिलेख भी रखे जाएंगे जिनके आधार पर कंपनी द्वारा नियम 2 के अधीन सूचीबद्ध विद्युत केबलों, विद्युत चालकों, तारों या पट्टियों या के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विद्युत चालकों और अन्य क्रियाकलापों के लिए लगाई गई पूंजी, शुद्ध स्थिर आस्तियों और कामकाज पूंजी को अलग अलग जाना जा सके। ऐसी स्थिर आस्तियों पर, जिनका सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, किए गए नए विनिधान को अभिलेख में उपदर्शित किया जाएगा इसके अतिरिक्त अभिलेख में विद्यमान क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रतिस्थापन और अभिवृद्धियां भी दर्शित की जाएंगी।

अनुसूची 11

(नियम 3 देखें)

उपाबंध 1

कंपनी का नाम ....

कारखाने का नाम और पता ....

.... वर्ष के दौरान क्रय और और खपत की गई एल्युमीनियम/तांबे/सीसे और अन्य प्रमुख आयातित सामग्री की लागत दर्शित करने वाला विवरण।

क्रम सं०	विशिष्टियां	मात्रा	कुल मूल्य रु०	प्रति टन लागत	
				चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1	आयातित				
	1. लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य				
	2 सीमा-शुल्क				
	3 पत्तन न्यास प्रभार				
	4 रेल/लारी/भाड़ा				
	5. अन्य प्रभार				
	6 योग (1 से 5 तक का)				
	7. जोड़ें: आदि स्टाक				
	8. घटाएं अंत स्टाक				
	9 खपत				
2.	स्वदेशी				
	1. आधारिक मूल्य				
	2. उत्पाद शुल्क				
	3 अन्य प्रभार				
	4 भाड़ा				
	5. योग-				
	जोड़े, आदि स्टाक				
	7 घटाएं अंत स्टाक				
	8. खपत				
3.	योग (1+2)				

टिप्पण—प्रत्येक धातु की सलाका/(सिल्ली)/प्रोपरजी छड़ों के लिए पृथक् विवरण तैयार किया जाएगा।

अनुसूची-1

(नियम 3 देखें)

उपाबंध-11

कंपनी का नाम——————————————————

कारखाने का नाम और पता——————————————————

——————————को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मिश्रण संयत्र में पी०वी०सी० यौगिक, रबड़ यौगिक एस० एन० वी० ई० यौगिक के उत्पादन की लागत को दर्शित करने वाला विवरण

		इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क	1 सम्थापित क्षमता			
	2. उत्पादन	टन		
		टन		
	3 उपयोग का प्रतिशत (1 की प्रतिशतता के रूप में 2)			
ख.	उपयोग किए गए अवयव			
ख	पी० वी० सी० रेसिन			
	(क)			
	(ख)			
	(ग)			
	2 प्लास्टिककारी			
	(क)			
	(ख)			
	(ग)			
	3. भरक			
	(क)			
	(ख)			
	(ग)			
	4 स्थायीकारी			
	(क)			
	(ख)			
	(ग)			
	5. योजक			
	(क)			
	(ख)			
	(ग)			
	6 अन्य (उपयोग की गई मदों को विनिर्दिष्ट करें)			
	7 कुल सामग्री लागत			
	8 प्रत्यक्ष मजदूरी			
	9 प्रत्यक्ष वेतन			
	10 खपत योग्य सामग्री			
	11. मरम्मत और रखरखाव			
	12 विद्युत			
	13 सकर्म उपरिव्यय			
	14. अवक्षयण			
	15 प्रशासन उपरिव्यय			
	16. योग (8 से 15 तक का)			
	(क) परिवर्तनीय			
	(ख) नियत			
	17. कुल लागत			
	18 प्राप्त खुरचन, यदि कोई है—घटाएं			

19 चालू कार्य को बंद करने और चालू करने के लिए समायोजन

20. विनिर्मित यौगिक की कुल लागत

(ग) 1 क्रय किए गए पी०वी०सी० (रबड़ यौगिक) एक्स० एल० पी० ई० यौगिक, यदि कोई है, (लागू होने वाली किस्म विनिर्दिष्ट करें)

(घ) 1. ख (20) + ग का योग

2. स्टाक के आदि/अंत अतिशेष के लिए समायोजन

3 खपत किया गया कुल पी०वी०सी०/रबड़ यौगिक/एक्स०एल०पी०ई० यौगिक

टिप्पण : 1. प्रत्येक किस्म के पी० वी० सी० (रबड़ यौगिक) एक्स० एल० पी० ई० यौगिक या किसी अन्य उत्पादित यौगिक के लिए पृथक् लागत अभिलेख रखा जाना चाहिए जो उपयोग किए गए रसिपी पर आधारित हो।

2 जो मद लागू न हो उसे काट दें।

अनुसूची 1

(नियम 3 देखें)

उपाबंध-III

कम्पनी का नाम—

कारखाने का नाम और पता —

——— को समाप्त होने वाली वर्ष के दौरान उत्पादित/क्रय की गई विद्युत की लागत तथा की गई विद्युत खपत को दर्शाने वाला विवरण --

संस्थापित क्षमता		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	उत्पादन उत्पादन यूनिटों की संख्या		
	क्रय किए गए यूनिटों की संख्या		किलोवाट
	विद्युत गृह में खपत जिसमें अन्य		किलोवाट
	हानियाँ भी सम्मिलित है		किलोवाट
	खपत किये गये शुद्ध यूनिट		किलोवाट

क्रम सं०	विशिष्टियाँ	खपत की गई मात्रा	प्रति युनिट दर रु०	कुल राशि रु०	प्रति किलोवाट लागत चालू वर्ष रु०	प्रति किलोवाट लागत पू० वर्ष रु०
क. 1	(क) ईंधन (तेल)					
	(ख) अन्य सामग्री, यदि कोई है (विनिर्दिष्ट करें)					
2	खपत योग्य सामग्री					
3	अन्य प्रभार (जैसे कि विद्युत शुल्क आदि)					
4.	वेतन और मजदूरी					
5.	मरम्मत और रख रखाव					
6.	उपरिव्यय					
7.	अवक्षयण					
8	अन्य (यदि कोई है)					
	कुल					
ख	क्रय की गई विद्युत वसूली, यदि कोई है, घटाए	योग (क+ख)—				
		योग				
	प्रति यूनिट लागत (क्रय की गई और उत्पादित)					

——————में खपत की गई	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
	यूनिट किलोवाट	राशि रु०	यूनिट किलोवाट	राशि रु०

——————2.

——————-मे खपत की गई	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
	यूनिट किलोवाट	राशि रु०	यूनिट किलोवाट	राशि रु०

3.
4
5. विभाग विनिर्दिष्ट करें
6.
7.

टिप्पण : 1. उत्पादित प्रति यूनिट लागत की संगणना, विद्युत ग्रह/स्व उत्पादन मे खपत की गई और अन्य हानियों को घटाने के पश्चात् प्रयोग के लिए उपलब्ध विद्युत का शुद्ध इकाइयों के प्रति निर्देश से की जाएगी।

2. जहां मीटर नहीं लगाए गए हैं वहां विद्युत की खपत का निर्धारण युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा और उसे समान रूप से लागू किया जाएगा।

3. कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, संदत्त उपदान, कानूनी उपदान के लिए उपबंध और उधारों पर, जिसमें डिबेंचर भी हैं, ब्याज प्रभार केवल प्ररूप छ मे दर्शित किए जाएंगे।

अनुसूची-1
(नियम 3 देखें)

उपाबंध-4

कंपनी का नाम——————————

कारखाने का नाम और पता——————————

——————को समाप्त हुए वर्ष में विनिर्मित लकड़ी के ड्रम की लागत को दर्शाने वाला विवरण

ड्रम का आकार

उत्पादित ड्रमों की संख्या

क्रम सं०	विशिष्टियां	इकाई	मात्रा	दर	कुल	प्रति ड्रम लागत	
					मूल्य रु०	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क.	1. लकड़ी						
	2. इस्पात की फिटिंग						
	3. अन्य——————						
	4. कुल सामग्री की लागत ——————						
	5. प्रत्यक्ष मजदूरी						
	6. प्रत्यक्ष वेतन						
	7. खपने वाली सामग्री						
	8. विद्युत ईंधन						
	9. अवक्षयण						
	10. अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)						
	11. संकर्म उपरिव्यय						
	12. प्रशासन उपरिव्यय						
	13. योग (5 से 12 तक)——————						
	(क) परिवर्तनीय						
	(ख) नियत						
	कुल लागत——————						

ख. वितरण

केबल/विद्युत चालक तार/पट्टियों की किस्म		मात्रा	मूल्य
1			
2.			
3.			
4.	योग——————		

टिप्पण : 1. प्रत्येक आकार के विनिर्मित ड्रमों के लिए पृथक लागत पत्र तैयार किया जाएगा।

2. कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, संदत्त उपदान, कानूनी उपदान के लिए उपबंध और उधारों पर, जिनमें डिबेंचर भी है, ब्याज प्रभार केवल प्ररूप छ में दर्शित किए जाएंगे।

अनुसूची-2

(नियम 3 देखें)

प्रारूप-क

कंपनी का नाम————————————

कारखाने का नाम और पता————————————

————————————————————————————————

————————को समाप्त हुए वर्ष में एल्युमीनियम /तांबा के बेल्लन/रूपान्तर लागत को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	विशिष्टियां	चालू वर्ष तांबा एल्युमिनियम अन्य		पूर्ववर्ती वर्ष तांबा एल्युमिनियम अन्य	
I.	क्षमता				
	1. अनुज्ञप्त	टन			
	2 संस्थापित क्षमता	टन			
	3. वास्तविक उत्पादन	टन			
	4 उपयोजन का प्रतिशत	%			
II.	धातुओं का कुल निवेश				
	स्व लेखा	टन			
	(क) सिल्ली	टन			
	(ख) शलाका	टन			
	(ग) प्रभारित खुरचन	टन			
2.	पक्षकार लेखा				
	(क) सिल्ली	टन			
	(ख) शलाका	टन			
	(ग) प्रभारित खुरचन	टन			
3.	योग				
	4 प्राप्त खुरचन को घटाएं				
	5. विधमन हानि				
	6. उत्पादन				
	7. प्राप्ति (उक्त मद 3 का प्रतिशत)				
III.	बेल्लन लागत	रु०	रु०	रु०	रु०
	1 प्रत्यक्ष मजदूरी				
	2 प्रत्यक्ष वेतन				
	3. खपत योग्य सामग्री छोटे औजार आदि				
	4 मरम्मत और रख रखाव				
	5. विद्युत				
	6 सकर्म उपरिव्यय				
	7. अवक्षयण				
	8. प्रशासनिक उपरिव्यय				
	9. कुल लागत	————			
IV.	प्रतिटन लागत				
	1. परिवर्तनीय				
	2 नियत				
	3 योग				
V.	विवरण				
	1. आबद्ध उपभोग के लिए बेल्लित				
	(क) मात्रा	टन			
	(ख) बेल्लन लागत	रु०			
	2. बाहरी पक्षकारों के लिए बेल्लित				
	(क) मात्रा	टन			
	(ख) बेल्लन लागत	रु०			
	(ग) वसूले गए प्रभार	रु०			

टिप्पण 1. यदि संस्थापित क्षमता सभी धातुओं के लिए सामान्य है तो बेल्लित विभिन्न धातुओं के लिए, जिनके लिए अलग-अलग बेल्लन समय अपेक्षित है, समुचित कारण दिया जाना चाहिए ।

2. कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, संदत्त उपदान, कानूनी उपदान के लिए उपबंध और उधारों पर ब्याज प्रभार, केवल प्ररूप छः में दर्शित किए जाएंगे ।

3. प्रत्येक किस्म की धातु के लिए पृथक विवरण तैयार किया जाना चाहिए ।

अनुसूची 2

(नियम 3 देखें)

प्ररूप ख

कम्पनी का नाम————————————————

कारखाने का नाम और पता————————————————

————————————————को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विनिर्मित/क्रय की गई एल्युमीनियम/तांबे की छड़ों की लागत को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	विनिर्दिष्टियां	इकाई	मात्रा	प्रति इकाई दर	कुल मूल्य	प्रति टन लागत चालू वर्ष	प्रति टन लागत पूर्ववर्ती वर्ष
क.	छड़ लागत (स्व)						
1	चार्ज की गई सामग्री						
	(क) सिल्लियां						
	(ख) शलाकाएं						
	(ग) चार्ज की गई खुरचन						
	(घ) घटाएं : खुरचन के लिए मुजरा						
	(ङ) शुद्ध सामग्री लागत						
2.	छड़ संपरिवर्तन लागत (जैसी प्ररूप क में है)						
3.	छड़ की कुल लागत (1+2)						
ख.	बाहरी पक्षकारों द्वारा प्रसंस्कृत छड़						
1.	प्रदत्त सिल्लियां/शलाकाएं						
2.	घटाएं : खुरचन हानि						
3	प्रसंस्कृत शुद्ध छड़						
4.	प्रसंस्करण प्रभार						
5	लदाई उतराई						
6	भाड़ा/ढुलाई भाड़ा						
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
8.	योग—ख						
ग	क्रय की गई छड़ें						
घ. 1	वर्ष के दौरान प्रसंस्कृत/क्रय की गई छड़ों की कुल लागत (योग (क+ख+ग)						
2.	स्टाक के आदि और अंत अतिशेष के बीच अंतर के समायोजन के लिए स्टाक समायोजन						
ङ	खपत की गई कुल छड़ें						
च.	वितरण :						
	केबल/विद्युत चालक/तार/पट्टियों की किस्म—मात्रा—मूल्य						
	1.						
	2.						
	3.						
	4 आदि						
	ङ के अनुसार योग						

टिप्पण : 1. जो मद लागू न हो उसे काट दें ।

2. कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, संदत्त उपदान, कानूनी उपदान के लिए उपबंध और उधारों पर ब्याज प्रभार, केवल प्ररूप छः में दर्शित किए जाएंगे ।

3 प्रत्येक किस्म की धातु के लिए पृथक विवरण तैयार किया जाएगा ।

अनुसूची 2

प्ररूप 'ग'

(नियम 3 देखें)

कारखाने का नाम————————

कारखाने का नाम और पता————————

————————वर्ष में लागत—केन्द्रवार संपरिवर्तन लागत को दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	विशिष्टियां	तार कर्षण	स्ट्रैंडिंग	विद्युत रोधन	भीतरी आच्छादन	पी सी कागजी टेप बिछाना	गुम्फन और अंतर्वेशन	सीमा आच्छादन	संस्करण और टेप लगाना	आर्मरिंग	बाहरी आच्छादन	परीक्षण	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	योग
		चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व	चा व पू व
क. 1	मशीनों की संख्या													
2	कितनी पारी कार्य किया गया													
3	उपलब्ध कुल मशीन चालन घंटे													
4.	कितने घंटे मशीन चलाई गई													
ख	व्यय													
1.	प्रत्यक्ष मजदूरी और वेतन :													
2	उपयोगी वस्तुएं :													
	(क) जल													
	(ख) विद्युत													
	(ग) अन्य वस्तुएं (विनिर्दिष्ट करें)													
3.	अन्य प्रत्यक्ष व्यय (विनिर्दिष्ट करें)													
4.	खपत योग्य सामग्री													
5.	मरम्मत और रख-रखाव													
6.	अवक्षयण													
7	संकर्म उपरिव्यय													
8.	प्रशासनिक उपरिव्यय													
9	अनुसंधान और विकास													
10	लागत में परिवर्तन के लिए समायोजन													
11.	कुल लागत													
12.	(क) परिवर्तनीय लागत													
	(ख) नियत लागत													
	(ग) कुल प्राप्ति इकाइयां													
	(घ) इकाई प्राप्ति दर													
	1. परिवर्तनीय लागत													
	2. नियत लागत													
	3 कुल इकाई लागत													

टिप्पण : 1. ऊपर उल्लिखित लागत केन्द्र केवल उदाहरण स्वरूप हैं

2 मद सं ख-10 उन कंपनियों को लागू है जो मानक लागत निर्धारण की बाबत लागत अभिलेख रखते हैं ।

3 कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, संदत्त उपदान, कानूनी उपदान के लिए उपबंध और ब्याज प्रभार, प्ररूप छ: में ही दर्शित किए जाएंगे ।

4 नियत लागत और परिवर्तनीय लागत का विस्तृत ब्यौरा लागत केन्द्रवार बनाए रखा जाएगा ।

5. चा व —चालू वर्ष
पू व —पूर्ववर्ती वर्ष

6. प्राप्ति के लिए इकाई, प्रत्येक लागत केन्द्र के लिए समुचित आधार पर आधारित होना चाहिए, जिसमें उत्पादित प्रवर्ग के केवल विद्युत चालक/तार। पट्टियों के आकार/किस्म के लिए लगाया गया प्रसंस्करण समय का भारण कारक हिसाब में लिया जाएगा ।

अनुसूची 2
(नियम 3 देखें)

प्ररूप 'ख'

कम्पनी का नाम——————————————

कारखाने का नाम और पता ——————————————

——————————को समाप्त हुए वर्ष में विभिन्न तैयार उत्पाद की रूपान्तरण लागत के आबंटन को दर्शित करने वाला विवरण

क्र०सं०	तैयार उत्पाद जिनकी विभिन्न किस्म आकार और विनिर्देश आदि है	तार कर्षण		स्ट्रैंडिंग		भीतरी आच्छाद		पी बी बी कागजी टेप बिछाना	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7 आदि									

शुष्कन और अंतर्वेशन		सीसा आच्छाद		सम्मरण और टेप लगाना		आर्मरिंग		बाहरी आच्छाद		परीक्षण		अन्य	
क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

कुल रु० 25

टिप्पण—(1) क—प्राप्ति इकाई

ख—रूपान्तरण, रुपयों में

(2) कृपया विस्तृत विनिर्देश और अन्य सुसंगत ब्यौरे दें, अर्थात्—

(1) वोल्टता (2) करेंट रेटिंग (3) एम्पियर (4) फज (5) आकार (6) कोर (7) क्रास सेक्शन क्षेत्र (8) तारों की सं० और नैमिक परिधि (9) विद्युत चालकों के बीच विद्युत रोधियों की मोटाई (10) विद्युत चालकों और आच्छादों की मोटाई (11) कुल परिधि (12) एल्युमीनियम/तांबे का भार————किग्रा०/किमी० (13) कुल भार———किग्रा०/किमी० ।

अनुसूची 2

(नियम 3 देखें)

प्ररूप "ग"

कम्पनी का नाम——————————————

कारखाने का नाम और पता——————————————

————————————को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विनिर्मित केबल/विद्युत चालक/तार/पट्टियों की लागत दर्शित करने वाला विवरण।

1. केबल/विद्युत चालक————————————/तार/पट्टी की किस्म

2 वोल्टता

2. करेंट रेटिंग

3. एम्पियर

4. फज

5 आकार

6 कोर

7 विद्युत चालक का क्रौस सेक्शनल क्षेत्र

8. तारों क० सं० और नैमिक परिधि

9. विद्युत चालकों के बीच विद्युत रोधकों की मोटाई

10. विद्युत चालक और आच्छाद के बीच विद्युत रोधी की मोटाई

11. कुल परिधि

12. एल्युमीनियम / तांबे का भार—किग्रा०/ कि मी

13 कुल भार

किग्रा०/किमी०

3. उत्पादन		चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष	
क्रम सं०	विशिष्टियां	इकाई	मात्रा	प्रति दर रु	कुल मूल्य रु	प्रति इकाई लागत
						चा व रु / पू व रु

3. क. प्रत्यक्ष सामग्री लागत

1. एल्युमीनियम छड़/तांबा छड़ (प्ररूप ख के अनुसार)
2. पी वी सी रोधी यौगिक
3. कागजी टेप
4. पटसन/काटन टेप
5. सीसा/सीसा मिश्र
6. इस्पात के तार/टेप
7. रबड़ यौगिक
8. अंतर्वेशन यौगिक
9. एक्स एल पी ई यौगिक
10. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
11. कुल सामग्री लागत
12. घटाएं : खुरचन (अस्वीकृत माल के लिए मुजरा
13. शुद्ध सामग्री लागत
14. प्राथमिक पैकिंग सामग्री
15. कुल सामग्री लागत

3. ख. रूपान्तरण लागत	मात्रा	राशि	प्रति इकाई लागत चा व	पू व

1. तार कर्षण :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
2. स्टैंडिंग
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
3. कोर रोधन :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
4. विद्युत रोधन :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
5. पी वी सी (कागजी टेप बिछाना :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
6. शुष्कन और अंतर्वेशन :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
7. सीसा आच्छादन :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
8. संस्तरण और टेप लगाना :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत
9. आर्मेरिंग :
   (क) परिवर्तनीय
   (ख) नियत

10 जांच
(क) परिवर्तनीय
(ख) नियत

11 पैक करना
(क) परिवर्तनीय
(ख) नियत

12 अन्य

13 कुल रूपान्तरण लागत
(क) परिवर्तनीय
(ख) नियत

III ग 1 कुल (क+ख)
2 चल रहे कार्य को आदि और अंत अतिशेष के बीच अंतर के लिए समायोजन।
3 लागत परिवर्तन के लिए समायोजन।
4 उत्पादन की कुल लागत

टिप्पण 1 प्रत्येक प्रवर्ग के विद्युत केबल/विद्युत चालक/तार–पट्टियों की प्रत्येक किस्म की बाबत नियम 2 में यथा सूचीबद्ध पृथक लागत विवरण रखा जाएगा।

2 कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस कानूनी उत्पादन के लिए उपबंध और ब्याज प्रभार, केवल प्ररूप छ में दर्शित किए जाएंगे।

3 जो मद लागू न हो उसे काट दें।

4 चा०व०—चालू वर्ष
पू०व०—पूर्ववर्ती वर्ष

5 प्रत्यक्ष सामग्री की लागत, प्रत्येक प्रवर्ग के विद्युत केबल/विद्युत चालक/तार/पट्टियों की प्रत्येक किस्म, नियम 2 में यथा सूचीबद्ध, के लिए वास्तविक खपत पर आधारित होगी। तथापि जहां ऐसा अभिलेख रखना अव्यावहारिक न हो वहां खपत तकनीकी प्राक्कलनों पर आधारित हो सकती है बशर्ते कि मदवार उपयोग की गई सामग्री की प्रत्येक किस्म का समग्र समन्वय भी बनाए रखा जाता है।

6 लागत पत्र प्रत्येक प्रवर्ग के विद्युत केबल / विद्युत चालक / तारों / पट्टियों आदि के प्रत्येक आकार और किस्म की बाबत, नियम 2 में यथा सूचीबद्ध बनाए रखा जाएगा जिससे कि मात्रा या मूल्य में उत्पादित विद्युत केबल / विद्युत चालक / तारों/पट्टियों के 80 प्रतिशत से अन्यून परिमाण को सम्मिलित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी, प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए प्रतिनिधि आकार के लिए आधारित लागत पत्र रख सकती है और उस समूह में सम्मिलित अन्य आकार के लिए भेदमूलक लागत का, तत्वों द्वारा जैसे प्रत्यक्ष सामग्री लागत सामग्रियों की प्रमुख मदों के लिए पृथक रूप से, रूपान्तरण लागत आदि द्वारा, वर्णित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि भेदमूलक लागत में प्रतिनिधि आकार से तुलना की जाने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो। प्रत्येक किस्म / आकार के विद्युत केबल / विद्युत चालक / तारों / पट्टियों के लिए तत्स्थानी औसत विक्रय प्राप्ति, प्ररूप छ में उपदर्शित की जाएगी।

अनुसूची 2

(नियम 3 देखें)

प्ररूप छ

कम्पनी का नाम और पता

को समाप्त हुए वर्ष में विक्रय लागत और विक्रय प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	केबल / चालक / तार / पटियों की किस्म	वर्ष के दौरान विक्रीत मात्रा	मूल्य प्ररूप 'च' के अनुसार	विक्रय और वितरण लागत: प्रत्यक्ष	विक्रय और वितरण लागत: अन्य	द्वितीय पैकिंग	कुल (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ब्याज	बोनस	अन्य मदें जिनकी गणना लागत में नहीं की गई है जो आय की नहीं हैं	विक्रय की कुल लागत (7 से 11 तक)	विक्रय प्राप्ति	मार्जिन (13-12)	इकाई लागत: चा० व०	इकाई लागत: पू० व०	प्रतिवर्ष अर्जित मार्जिन: चा० व०	प्रतिवर्ष अर्जित मार्जिन: पू० व०
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

टिप्पण 1:—केबल / चालक / तार / पट्टियों के पूर्ण ब्योरे, जैसे, आकार कोर, वोल्टता और अन्य सुसंगत ब्योरे, दिए जाने चाहिए।

2. निर्यातित प्रत्येक प्रवर्ग के विद्युत केबल/विद्युत चालक/तार/पट्टियों के प्रत्येक आकार और किस्मों की बाबत नियम 2 में यथा सूचीबद्ध, पृथक लागत विवरण (अपयुक्त उपान्तरण के साथ) रखा जाएगा। निर्यात पर उपगत व्यय और उन पर अर्जित प्रोत्साहन सुसंगत लागत विवरण में दर्शाया जाएगा।

3. विक्रय और वितरण और इस प्रयत्न में सम्मिलित अन्य व्ययों में परिवर्तन के लिए समायोजन किया जाएगा और ऐसा समायोजन, मानक लागत निर्धारण पर कंपनी लागत अभिलेख की बाबत पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

4. प्ररूप "घ" में पाठ टिप्पण 6 देखें।

अनुसूची 2

(नियम 3 देखें)

प्ररूप 'ज'

कम्पनी का नाम .....

कारखाने का नाम और पता .....

.....को समाप्त हुए वर्ष में प्रति इकाई (सी०के०एम० / कि० मी० टन) विद्युत केबल / चालक / तार / पट्टियों की उत्पादन लागत, विक्रय लागत, विक्रय प्राप्ति और अभिप्राप्त मार्जिन के संबंध को दर्शाने वाला विवरण

रु प्रति इकाई

केबल/तार/पट्टी	1	2	3	4
1. सामग्रियां				
(क) एल्युमिनियम				
(ख) तांबा				
(ग) अन्य				
(घ) योग				
2. घटाएं : खुरचन / अस्वीकृत माल के लिए मूल्य				
3. रूपांतरण लागत				
(क) परिवर्तनीय				
(ख) नियत				
(ग) योग				
4. चल रहे कार्य के आदि और अंत अतिशेष के लिए समायोजन				
5. लागत परिवर्तन के लिए समायोजन				
6. उत्पादन की कुल लागत				
7. स्टाक के आदि / अंत अतिशेष के लिए समायोजन				
8. विक्रय और वितरण				
9. द्वितीयक पैकिंग				
10. विक्रय की लागत				
11. अन्य व्यय				
(प्रकीर्ण आय की शुद्ध रकम)				
12. कुल लागत				
पू०व०				
13. औसत विक्रय प्राप्ति				
चा०व०				
पू०व०				

अनुसूची 2

(नियम 3 देखें)

प्ररूप झ

कम्पनी का नाम और पता .....

.....को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विद्युत केबल/विद्युत चालक, तार, पट्टी और अन्य क्रियाकलाप पर कम्पनी द्वारा उपगत कुल व्यय और कुल प्राप्त आय के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं	विशिष्टियां	कुल वास्तविक व्यय/आय	केबल/चालक/तार/पट्टियों को लागू योग्य अंश	अन्य क्रियाकलाप
1	2	3	4	5
1	खपत की गई कच्ची सामग्री			
2.	विद्युत रोधी सामग्री (पी वी सी यौगिक/रबड़ यौगिक टेप आदि विनिर्दिष्ट करें)			

1	2	3	4	5
3. पैकिंग सामग्री				
4 प्रत्यक्ष वेतन और मजदूरी				
5. उपयोगी वस्तुएं				
(क) विद्युत				
(ख) जल				
(ग) अन्य				
6. सामग्रियां और फालतू पुर्जे				
7. मरम्मत और रख रखाव				
8 अन्य आबंटित व्यय				
योग (1 से 8)				
उपरिव्यय				
9. प्रशासन उपरिव्यय				
(क) संकर्म				
(ख) प्रधान कार्यालय				
10 अवक्षयण				
कुल लागत :— .				
11. चल रहे कार्य के आदि और अंत अतिशेष के बीच अन्तर के लिए समायोजन				
12. प्राप्तियों के लिए मुजरा				
13. पैकिंग लागत				
14 स्टाक के आदि और अंत अतिशेष के बीच अंतर के लिए समायोजन।				
15 विक्रय और वितरण व्यय				
16. कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस।				
17. ब्याज प्रभार				
18. कानूनी उपदान के लिए उपबंध				
19. अन्य व्यय जो लागत मे सम्मिलित नहीं किए गए हैं (मदो को विनिर्दिष्ट करें)				
20 अन्य आय जो लागत के लिए हिसाब मे नहीं ली गई हैं (मदों को विनिर्दिष्ट करे)				
21 योग जिसमे उत्पाद शुल्क सम्मिलित नही है।				
22. घटाएं निर्यात फायदे, यदि कोई है				
23. शुद्ध				
24 शुद्ध विक्रय प्राप्ति				
25. मार्जिन				

टिप्पण :—इस प्ररूप में आय और व्यय की सभी मदों का मिलान सुसंगत अवधि के वित्तीय लेखाओं के साथ किया जाएगा।

[फा॰ स॰ 52/23/76-सा इ भो]
स॰ म॰ दूगड़, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 7th July, 1984

Cost accounting records (Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984

G.S.R. 767.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984.

(ii) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application.—They shall apply to every company, except those falling under the category of small scale industrial units, engaged in the production, processing or manufacturing of electrical cables, conductors, wires and strips of any type in the following categories namely :—

(a) Power cables (All types—namely : PILC, PVC, XLPE etc.);

(b) VIR/Rubber covered cables and flexible wires of all types;

(c) PVC Insulated Cables, Flexible wires of all types including switchboard wires and cables;

(d) Enamelled covered wires and strips;

(e) Wire and strips covered with paper, glass, silk and any other types of insulating materials;

(f) AAC/ACSR conductors;

(g) Telecommunication cables.

Explanation.—For the purpose of this rule, small scale industrial units means any industrial undertaking registered with the Directorate of Industries or Small Scale Industries, as the case may be, of the State Goevrnment in respect of which investment in plant and machinery is not in excess of twenty lakhs of rupees in value.

3. Maintenance of records.—(1) Every company to which these rules apply shall, in respect of each of its financial year commencing on or after the commencement of these rules, keep proper books of account containing, inter-alia, the particulars specified in Schedules I and II annexed to these rules or in a form as near thereto as practicable, relating to the utilisation of materials, labour and other items of cost in so far as they are applicable to electrical cables, conductors, wires and strips referred to in rule 2 :

Provided that if the said company is manufacturing any other product or engaged in other activities in addition to the items referred to in rule 2, the particulars relating to the utilisation of materials labour and other items of cost in so far as they are applicable to such other product or activities, shall not be included in the cost of the items referred to in rule 2.

(2) The books of account referred to in sub-rule (1) shall be kept on a regular basis in such a way as to make it possible to calculate the cost of production and cost of sales of each size and type of electrical cables, conductors, strips and wires under each category referred to in rule 2 at intervals of not less than ninety days during the financial year (hereinafter referred to as the relevant period) as well as for the Financial year as a whole, from the particulars entered therein and every such books of accounts and the proformae specified in Schedule II shall be completed not later than 90 days from the end of the financial year of the company to which they relate.

(3) It shall be the duty of every person referred to in sub-section (6) and sub-section (7) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the provisions of sub-rule (1) and (2) of these rules in the same manner as he is liable to maintain accounts required under sub-section (1) of section 209 of the said Act.

(4) Statistical and other records shall be maintained in accordance with the provisions of Schedules I and II which shall be such as to enable the company to exercise as far as possible, control over the various operations and costs with a view to achieve optimum economies in costs and provide the necessary data required by the cost auditor to suitably report on all the points referred to in the Cost Audit (Report) Rules, 1968 as amended from time to time. Such records shall be reconciled with the returns submitted to the Excise Department, and Director General of Technical Development.

4. Penalty.—If a company contravenes the provisions of rule 3, the company and every officer thereof who is in default including the persons referred to in sub-rule (3) of rule 3, shall, subject to the provision of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and, where contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first day during which such contravention continues.

SCHEDULE-I

(See Rule 3)

1. Materials :

1.1 Direct Materials.—Proper records shall be maintained showing separately all receipts, issues and balances both in quantities and cost of aluminium, copper, lead, lead alloy, steel wire, steel tape, paper, hessian tape, PVC rubberised XLPE compound or PVC required in the manufacture of different types and sizes of electrical cables, conductors, wires and strips under each category listed under rule 2. These records for direct material shall contain such details as to enable the company to determine the quantity, cost of receipts (including all direct charges upto the works), issues and balances of materials separately for imported and indigenous supplies. In case of imported materials details of F.O.B. price freight and insurance charges (CIF value), customs duty, port charges, inland freight charges paid shall be recorded separately. The basis on which the said quantities and costs of issues and consumption have been calculated shall be indicated in the cost records.

1.2 Process Materials.—Proper records shall be maintained to show the receipts, issues and balances, both in quantities and costs of each item of process materials. The costs of such process materials shall include all direct charges upto works. The issues and consumption shall be properly identified with the departments, cost centres and products manufactured.

1.3 Manufacture of Rods, Wires and Ingredients.—1.3.1.—Aluminium rods, copper rods and other rods.—In case of aluminium, copper and other rods manufactured by the company or got processed from outside agencies from ingots, bars or scrap, separate records shall be maintained showing the cost of manufacture, outside processing charges of each type of rod in such detail as may enable the company to fill up necessary particulars in proformae A and B of Schedule II or in a form as near thereto as practicable. In case where the companies are processing rods for outside parties, proper records shall be maintained showing the quantity processed, time utilised, and processing charges realised from the outside parties.

1.3.2 Insulating materials.—In case of other insulating materials and chemicals like PVC compound, rubberised compound XLPE compound, polyethylene compound or any other compound, if manufactured by the company, separate records shall be maintained showing the cost of manufacture of each of such items in Annexure II to this schedule or in a form as near thereto as practicable. If the above compounds are purchased, separate records shall be maintained showing all receipts, issues and balances both in quantity and value of each such compound manufactured or processed.

1.4 Consumable Stores, Small Tools, Machinery Spares, Dies etc.—1.4.1 Proper records shall be maintained to show the receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of consumable stores, small tools and machinery spares and dies. The costs shown shall include all direct charges upto the works.

1.4.2. In the case of consumable stores, small tools and machinery spares the costs of which are insignificant, the company may, if it is desires, maintain such records for the main groups of such items.

1.4.3 The costs of consumption of consumable stores, small tools, machinery spares and dies shall be charged to the relevant cost centres on the basis of actual issues. Materials consumed on capital works such as additions to buildings, plant and machinery and other assets shall be shown under relevant capital heads.

1.5 Wastages, Spoilages, Rejections, Losses, etc. of materials.—1.5.1 Proper records shall be maintained showing the quantity and value of wastages, spoilages, rejections and melting losses of materials in manufacture, consumable stores, small tools and machinery spares and dies whether in transit, storage, manufacture or at any other stage. The reasons for wastages, spoilages, rejections and losses and method followed for the adjustment of the above losses shall be indicated in the cost records.

1.5.2 Proper records shall be maintained showing the quantity of different kinds of scrap generated.

1.5.3. If any scrap is recycled, proper records in regard to quantity and reprocessing charges shall be maintained.

1.5.4. Records for the realisation derived from the disposal of scrap rejected and waste material and the value of rejected materials reused in process, shall be maintained separately and the method adopted for adjusting the aforesaid recoveries in the cost of production shall be indicated in the cost records.

2. Wages and Salaries.—2.1 Proper records shall be maintained to show the attendance and earnings of all employees in each cost centre and the work on which they are employed. The records shall also indicated separately for each cost centre :—

(a) Piece-rate wages earned;

(b) Incentive wages earned, either individually or collectively as production bonus or under any other scheme based on output;

(c) Overtime wages earned;

(d) Earnings of casual labour.

2.2 Idle time shall be separately recorded under classified headings indicating the reasons therefor. The methods followed for accounting of idle time payments in determining the cost of the product shall be disclosed in the cost records.

2.3 Any wages and salaries allocable to capital works such as additions to plant and machinery, buildings or other fixed assets shall be accounted for under the relevant capital heads.

3. Service Department Expenses.—3.1 Detailed records shall be maintained to indicate expenses incurred for each service department or service cost centre including water supply, laboratory, welfare, transport and testing. These expenses shall be apportioned to other services and production departments on equitable basis and applied consistently.

3.2.1 Power.—Proper records shall be maintained for the quantity and cost of power purchased. Where power is generated by the company itself, adquate records shall be maintained to show the cost of power generated. Necessary records shall also be maintained to show the consumption in different cost centres in accordance with Annexure III to this Schedule or in a form as near thereto as practicable. The cost of power allocated to the cost centres and further to individual products shall be on a reasonable basis and applied consistently.

3.2.2 Where power is generated and supplied by any other unit of the company for the manufacture of the products under reference, adequate records shall be maintained to assess the quantity and cost of power so supplied. The rate charged by that unit shall be on a reasonable basis and applied consistently. The cost of power allocated to production of electrical cables, conductors, wires and strips shall be on a reasonable basis and applied consistently.

4. Workshop, Repairs and Maintenance.—4.1 Proper records showing the expenditure incurred by the workshop and in repairs and maintenance shops shall be maintained. The records shall also indicate the basis of charging these expenses to different departments and cost centres.

4.2 Expenditure on major repair works from which benefit is likely to accrue for more than one financial year shall be shown separately in the cost records indicating the method of its treatment in determining the cost of the various products manufactured during the relevant period.

4.3 Expenditure incurred on works of a capital nature shall be capitalised. The cost of such jobs shall include the expenditure on materials, labour and due share of the overheads.

4.4 The jobs carried out by any other workshop of other units or for other units of the company and vice-versa shall be charged on a reasonable basis and applied consistently.

5. Depreciation.—5.1 Proper records shall be maintained showing the cost and other particulars of fixed assets in respect of which depreciation is to be provided. These records shall inter-alia, indicate the cost of each item of assets including installation charges, if any, the date of its installation and rate of depreciation and location of each asset. In respect of those assets, the original cost of acquisition of which cannot be ascertained without any unreasonable expenditure or delay, the valuation shown in the books on the first day of the financial year beginning on or after the commencement of these rules shall be taken as the cost. Such a valuation shall exclude revaluation of any asset that had been done prior to the aforesaid date.

5.2 The basis on which depreciation is calculated and allocated apportioned to the various departments and cost centres and absorbed on the products shall be clearly indicated in the records. Depreciation chargeable to the different departments and cost centres shall not be less than the amount of depreciation chargeable in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 205 of Companies Act, 1956 (1 of 1956) and shall relate to plant, machinery and other fixed assets utilised in such cost centres and departments. In the case of assets or group of assets on which depreciation is written off at the rate of 100 percent in the relevant year, otherwise than as provided for in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and the rules made thereunder, such depreciation shall be spread over the number of years during which benefit is derived from such assets or group of assets. In case the amount of depreciation charged in the cost accounts in any financial year is higher than the amount of depreciation chargeable under the aforesaid provisions of the Companies Act, (1 of 1956) the amount so charged in excess shall be indicated clearly in the cost records. The cumulative depreciation charged in the cost records against any individual item of asset shall not, however, exceed the original cost of the respective asset.

6. Royalty, Technical Know-how Fee.—Adequate records shall be maintained showing the royalty or other recurring or non-recurring payments made to collaborators or technology suppliers in terms of agreements entered into with them. Such records shall be kept separately in respect of each party. The basis of charging such amounts including one time payments, to the products shall be indicated in the cost records.

7. Other Overheads.—7.1 Proper records shall be maintained showing the various items of expenses comprising the overheads. These expenses shall be analysed, classified and grouped into works, administration and selling and distribution overheads. In case any expense included in the above categories of overheads can be identified with a particular activity or product, such expenses shall be segregated and charged to relevant activity or product at the first instance and thereafter the remaining common expenses under the above categories of overheads shall be apportioned on reasonable and equitable basis and applied consistently. The method followed for allocation or absorption of the above categories of overheads to the departments, cost centres or products shall be indicated in the cost records.

7.2 Where the company is engaged in the manufacture of any other products in addition to the products referred to in rule 2, the records shall clearly indicate the basis followed for apportionment of the common overheads including head office expenses of the company to the cables, conductors, wires and strips activities, other activities and capital works. The basis followed for apportionment of overheads shall be reasonable equitable and consistent. Basis of apportionment or absorption of overheads to the cost centres and products shall be indicated in the cost records.

8. Conversion Cost.—Proper records shall be maintained for splitting up of conversion cost (the cost of manufacture less direct material cost) into fixed and variable costs for filling the relevant proformae of Schedule II.

9. Interest.—Proper records shall be maintained showing interest charges. The amount of interest shall be allocated to electrical cables, conductors, wires, strips and other activities on a reasonable and equitable basis and followed consistently. The basis of such allocation shall be spelt out clearly in the cost records. Basis for further apportionment of the share of interest for cables, conductors, wires and strips of different types thereof, shall also be reasonable and equitable and the same shall be followed consistently.

10. Expenses/Incentives on export.—10.1 Proper records showing the expenses incurred on export of electrical cables, conductors, wires and strips, if any, shall be separately maintained so that the cost of export sales can be determined correctly. The expenses incurred on export as well as any export incentive earned, shall be reflected in the cost of sales statements relating to export sales. Export incentives shall be treated as other income and reflected in the cost records as such.

11. Packing.—11.1 Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of various packing materials such as wooden battens used for making drums and other packing materials used. If such packing materials are manufactured by the company, proper records showing the cost of production of such items shall be maintained in Annexure IV or as near thereto as practicable so as to enable the company to work out the cost of packing chargeable to each size/type of cable, conductor, wire or strip for each category as listed under rule 2.

11.2 Where packing expenses are incurred in common, the basis of apportionment of such expenses amongst different types and sizes of cables, conductors, wires and strips shall be equitable and clearly indicated in the cost records and applied consistently.

11.3 Separate records of special expenses incurred on export packing in respect of different types and sizes of cables, conductors, wires and strips, if any, shall be maintained followed for determining the cost of work-in-progress for exports.

12. Work in progress and Finished Goods Stock.—The method followed for determining the cost of work-in-progress and finished goods stock shall be indicated in the cost re-

cords so as to reveal the cost elements that have been taken into account in such computation. The method adopted shall be followd consistently. Records showing the value of work-in-progress and the quantites and value of finished goods shall be maintained in proforma 'F' of Schedule II.

13. Research and Development Expenses.—13.1 Propre records showing the details of expenses, if any, incurred by the company for the research and development for electrical cables, conductors, wires or strips according to the nature of such research namely development of products, existing and designs and development of new plant facilities, market research for the existing and new products shall be maintained separately.

13.2. The method of charging these expenses to the cost of the products during any year shall be indicated in the cost records. Where the utility of such research extends over more than one financial year such expenses shall be treated as deferred expenses and charged to the cost of products on some equitable basis and followed consistently.

14. Cost Statements.—14.1 Separate cost statements showing the cost of production and cost of sales of each size and type of electrical cables, conductors, wires or strips under each category as listed under rule 2 shall be maintained in Proformae A to H of Schedule II. The cost statement shall also be maintained separately in respect of each size of electrical cables, conductors, wires or strips corresponding to different specifications.

14.2 In case it is not possible to compile such data for all sizes and types of electrical cables, conductors, wires or strips for each category listed under rule 2, the cost of production and cost of sales in proformae A to H shall be maintained in respect of different sizes and types of electrical cables, conductors, wires or strips under each category as listed under rule 2 which are predominently produced. This data on an over all basis shall cover not less than eighty percent of total value of production (quantity multiplied by average sale price) of the electrical cables, conductors, wires or strips produced under each category, provided that no item constituting not less than 5 percent of the production value is excluded for the purpose of maintaining proformae A to H. The same data regarding the rest of categories of electrical cables, conductors, wires or strips produced shall be given in total in the above said proformae for the purpose of reconciling total expenses as per proforma I. The company shall keep adequate records showing the cost of sales and sales realisation for each category in detail.

14.3 Export of cables shall be covered by separate cost statements under the relevant proforma and the same shall be excluded from the cost statement meant for sale in the internal market. Value of export incentives if any, shall be shown in the respective cost of sales statement.

14.4. The transfer of finished products which forms the inputs for the manufacture of subsequent products shall be made at the cost of production of such finished products

15. Reconciliation of Cost and Financial Accounts.—15.1 The cost records shall be reconciled periodically, say quarterly, with the financial books of accounts as well as for the financial year as a whole so as to ensure accuracy. Variations, if any, shall be clearly indicated and explained. The reconciliation shall be done in such a manner that the profit of the product under reference can be correctly adjudged and reconciled with the overall profits of the company.

15.2 A statement showing the total expenses incurred and income received by the company under different heads of account and the share applicable to electrical cables, conductors, wires or strips shall be maintained in Proforma I of Schedule II and reconciled with the financial accounts for the period.

16. Adjustment of Cost Variances.—Where the company maintains cost records on any basis other than actuals such as standard costing, the records shall indicate the procedure followed by the company in working out the cost of the product under such system. The method followed for adjusting the cost variances in determining the actual cost of the product shall be indicated clearly in the cost records. The cost variances shall be shown against the relevant heads in the respective proformae of Schedule II. The reasons for variances in respect of materials shall inter-alia, be furnished separately for major materials. Variance analysis shall be made every three months. The reasons for the variances shall be detailed in the cost records.

17. Records of Physical verification shall be maintained in respect of all items held in stock such as raw materials, process materials, packing materials, consumable stores, machinery spares, chemicals, fuels, finished goods and fixed assets. Reasons for shortages for surpulses raising out of such verifications and the method followed for adjusting the same in the cost of the produced shall be indicated in the records.

18. Inter-Company Transactions.—In respect of supplies made or services rendered by a company to its holding company or a subsidiary or a company under the same management as defined in section 370 (1B) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a company in which a director of the company is also a director in such companies and vice-versa, records shall be maintained showing contracts entered into or agreements or understandings reached in respect of :

(a) the purchase and sale of raw materials and process materials, components, rejected goods including scrap and fixed assets;

(b) utilisation of plant facilities;

(c) supply of utilities and

(d) administrative, technical, managerial and any other consultancy services.

These records shall indicate the basis followed for arriving at the rates charged between them so as to enable the determination of the reasonableness of the rates charged or paid for such services.

19. Statistical Records.—19.1 Data regarding available machine hours/direct labour hours in different production departments and actually utilised shall also be maintained and shortfall suitably analysed. Suitable records for computation of idle time of machines shall be maintained.

19.2 Adequate records shall be maintained to enable the company to identify the capital employed, net fixed assets and working capital separately for each category of electrical cables, conductors, wires or strips as listed under rule 2 and other activities. Fresh investments on fixed assets that have not contributed to the production during the relevant period, shall be indicated in the records. The records shall in addition show assets added as replacement and that addd for increasing existing capacity.

SCHEDULE I

(See Rule-3)

Annexure—I

Name of the Company.....

Name and Address of the Factory.....

Statement showing the cost of Aluminium/Copper/Lead and any other major imported material purchased and consumed during the year ended.....

S. No.	Particulars	Qty	Total Value Rs	Cost Per Tonne	
				Current Year Rs	Previous Yea Rs
I.	IMPORTED				
1.	C I F Value				
2.	Customs Duty				
3.	Port Trust Charges				
4.	Railway/Lorry Freight				
5.	Other Charges				
6.	Total—(1 to 5)				
7.	Add Opening Stock				
8.	Less Closing Stock				
9.	Consumption				
II.	INDIGENOUS				
1.	Basic Price				
2.	Excise Duty				
3.	Other Charges				
4.	Freight				
5.	Total				
6.	Add Opening Stock				
7.	Less Closing Stock				
8.	Consumption				
III.	Total (I+II)				

Note : Separate statement shall be prepared for Bar/Ingots properzi rods of each metal

SCHEDULE-I
(See Rule 3)

Annexure—II

Name of the Company.....

Name and Address of the Factory.....

Statement showing the cost of production of PVC Compound, Rubber Compound, XLPE Compound at Mixing Plant, for the year ended

		Unit	Current Year	Previous Year
A.	1. Installed Capacity	Tonnes		
	2. Production :	"		
	3. % of Utilisation (2 as percentage of 1)	%		

S. No.	Particulars	Unit Qty.	Rate per Unit	Total Value	Cost per Tonne	
					Current Year Rs.	Previous Year Rs.
B.	Ingredients Used		Rs.	Rs.		
1.	P.V.C. Resin					
	(a)					
	(b)					
	(c)					
2.	Plasticiser					
	(a)					
	(b)					
	(c)					

3. Fillers
   (a)
   (b)
   (c)
4. Stabilizers
   (a)
   (b)
   (c)
5. Additives
   (a), (b) & (c)
6. Others (Specify the items used)

7. Total material cost

8. Direct wages
9. Direct salaries
10. Consumable Stores
11. Repair & Maintenance
12. Power
13. Works Overhead
14. Depreciation
15. Admn. Overhead
16. Total (8 to 15)
    (a) Variable
    (b) Fixed
17. Total Cost
18. Less scrap recovery, if any
19. Adjustment for Opening & Closing Work-in-Progress

20. Total cost of compound manufactured

C. 1. PVC/Rubber compound/XLPE compound purchased, if any (Specify the type applicable)

D. 1. Total B(20)+C
   2. Adjustment for opening/closing stock

3. Total PVC/Rubber compound/XLPE compound consumed.

Notes : 1. Separate cost records should be maintained for each type of PVC/Rubber compound/XLPE compound and any other compound produced based on recipe used.

2. Delete items not applicable.

3. Bonus to employees other than incentive bonus, gratuity paid, provision for statutory gratuity and interest shall be shown in Proforma 'G' only.

4. Overall capacity utilisation be computed by taking into account not only the weight of individual compounds produced but also appropriate weightage factor for each compound based on process time or other factors.

SCHEDULE—I

(See Rule—3)

Annexure—III

Name of the Company.....

Name and Address of the Factory .....

Statement showing the cost of power generated/purchased and consumed during the year ended.....

Installed (generation) capacity	Current Year	Prev. Year
No. of units generated		KWH
No. of units purchased		KWH
Consumption in Power House including other losses		KWH
Net units consumed		KWH

S. No.	Particulars	Qty. consumed	Rate per unit Rs.	Total Amount Rs.	Cost per KWH Current Year Rs.	Cost per KWH Previous Year Rs.
A.	1. (a) Fuel (Oil)					
	(b) Other material if any, (to be specified)					
	2. Consumable Stores					
	3. Other direct charges, (such as Electricity duty etc.)					
	4. Salaries & Wages					
	5. Repairs & Maintenance					
	6. Overheads					
	7. Depreciation					
	8. Other (if any)					
	Total					
B.	Power purchased					
	Total (A + B)					
	Less Recoveries, if any					
	Total					
	Cost per unit (Purchased & Generated)					

Consumed in	Current Year Unit KWH	Current Year Amount Rs.	Previous year Unit KWH	Previous year Amount Rs.
1 2 3 4 Specify the departments 5 6 7				

Notes : 1. Cost per unit generated shall be worked out with reference to the net units of power available for use after deducting consumption in the power house/own generation and other losses.

2. Where meters are not installed, consumption of power shall be assessed on a reasonable basis and applied consistently.

3. Bonus to employees other than incentive bonus, gratuity paid, provisions for statutory gratuity and interest charges on borrowings including debentures shall be shown in Proforma G only.

SCHEDULE—I

(See Rule 3)

Annexure—IV

Name of the Company.....

Name and Address of the Factory.....

Statement showing the cost of wooden drums manufactured for the year ended.....

Size of Drum

No. of Drums produced.

S. No.	Particulars	Unit	Qty.	Rate Rs.	Total Value Rs.	Cost per drum Current Year Rs.	Cost per drum Previous Year Rs.
A.	1. Wood						
	2. Steel Fittings						

3. Others

4. Total Material Cost

5. Direct wages
6. Direct salaries
7. Consumable Stores
8. Power Fuel
9. Depreciation
10. Others (To be specified)
11. Works Overheads
12. Admn. Overheads
13. Total (5 to 12)

(a) Variable
(b) Fixed

14. Total Cost

B. Distribution

Type of Cable/Conductor Wire/Strips	Quantity	Value
1		
2		
3		
4		
Total		

Notes : 1. Separate cost sheet be prepared for each size of drums manufactured.

2. Bonus to employees other than incentive bonus, gratuity paid, provision for statutory gratuity and interest charges on borrowings including debentures shall be shown in Proforma G only.

SCHEDULE-II

(See Rule 3)

PROFORMA-A

Name of the Company .....

Name and Address of the Factory.....

.....

Statement showing rolling/conversion cost of Aluminium/Copper for the year ended.....

S. No.	Particulars	Unit	Current Year			Previous Year		
			Copper	Aluminium	Others	Copper	Aluminium	Others.
I.	CAPACITY							
1.	Licensed	Tonnes						
2.	Installed Capacity	Tonnes						
3.	Actual Production	Tonnes						
4.	% of utilisation	%						
II	TOTAL INPUT OF METALS							
1	Own account	Tonnes						
	(a) Ingot	,,						
	(b) Bars	,,						
	(c) Scrap charged	,,						
2.	Party account							
	(a) Ingot	,,						
	(b) Bars	,,						
	(c) Scrap charged	,,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Total							
	4. Less Scrap recovered							
	5. Melting loss							
	6 Output							
	7 Recovery (6 as %age of 3)							
			Rs	Rs.	Rs.	Rs.	Rs	Rs.
III.	Rolling cost							
	1. Direct Wages							
	2. Direct Salaries							
	3 Consumable stores, small tools etc.							
	4 Repair & Maintenance							
	5. Power							
	6. Works Overheads							
	7. Depreciation							
	8. Administrative Overheads							
	9. Total Cost							
IV.	COST PER TONNE							
	1 Variable							
	2. Fixed							
	3 Total							
V	Distribution							
	1. Rolled for captive consumption							
	(a) Qty.	Tonne						
	(b) Rolling Cost Rs							
	2 Rolled for outside Parties							
	(a) Qty.	Tonne						
	(b) Rolling Cost	Rs.						
	(c) Charges recovered	Rs.						

Notes:—1. In case installed capacity is common for all metals, proper weightage should be given for different metals rolled requiring different rolling time.

2. Bonus to employees other than incentive bonus, gratuity paid, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in proforma G only.

3. Separate statement is to be prepared for each type of metal

SCHEDULE-II

(See Rule 3)

PROFORMA B

Name of the Company ....

Name and address of the Factory ....

....

Statement showing the cost of Aluminium/Copper rods manufactured/purchased during the year ended ....

S.No.	Particulars	Unit	Qty.	Rate per unit	Total Value	Cost per tone	
						Current Year	Previous year
A.	ROD COST (OWN)						
	1. Material charged						
	(a) Ingots						
	(b) Bars						
	(c) Scrap charged						
	(d) Less credit for scrap						
	(e) Net Material Cost						
	2 Rod Conversion Cost (as per Proforma A)						
	3. Total Rod Cost (1+2)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. ROD PROCESSED BY OUTSIDE PARTIES

1. Ingots/Bars supplied
2. Less Scrap Loss
3. Net Rod Processed
4. Processing Charges
5. Loading/Unloading
6. Freight/Cartage
7. Others (specify) .....
8. Total– B .....

C. RODS PURCHASED

D.1. Total Cost of Rods processed/purchased during the year Total (A+B+C)

2. Stock adjustment for difference between opening & closing stock.

E. Total Rods consumed

F. Distribution :

Type of cables/conductors/wire/strips	Quantity	Value
1.		
2.		
3.		
4. etc.		
Total as per E		

Notes . 1. Delete items not applicable.

2. Bonus to employees other than incentive bonus, gratuity paid, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma G only.

3. Separate statement is to be prepared for each type of metal.

SCHEDULE II

(See Rule 3)

PROFORMA 'C'

Name of the Company .....

Name and Address of the Factory .....

Statement showing Cost—Centrewise Conversion Cost for the year ended.....

S. No.	Particulars	Wire Drawing	Stranding	Insulation	Inner sheathing	PVC/ Paper Tape Laying	Drying & Impregnation	Lead Sheathing	Bedding & Taping	Armouring	Outer Sheathing	Testing	Others (to be specified)	Total
		CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY
A.	1. No. of machines													
	2. No. of shifts worked													
	3. Total machine hours available.													
	4. Meachine hours worked													

S. No.	Particulars	Wire Drawing	Stranding	Insulation	Inner sheathing	PVC/Paper Tape Laying	Drying & Impregnation	Lead Sheathing	Bedding & Taping	Armouring	Outer Sheathing	Testing	Others (to be specified)	Total
		CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY	CY PY
B.	Expenses (Rs.)													
1.	Direct Wages & Salaries:													
2.	Utilities:													
	(a) Water													
	(b) Power													
	(c) Others (to be specified)													
3.	Other direct expenses (to be specified)													
4.	Consumable stores													
5.	Repair & Maintenance													
6.	Depreciation													
7.	Works Overheads													
8.	Admn. Overheads													
9.	Research & Development													
10.	Adjustment for cost Variances													
11.	Total cost													
12.	(a) Variable Cost													
	(b) Fixed Cost													
	(c) Total Recovery Unit													
	(d) Unit Recovery Rate													
	1. Variable													
	2. Fixed cost													
	3. Total unit cost													

Notes:—1. Cost Centres mentioned above are illustrative only.

2. Item No. B-10 applicable to companies maintaining cost records on standard costing.

3. Bonus to employees other than incentive bonus, gratuity paid, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma 'G' only.

4. Detailed break up of Fixed Cost and Variable Cost shall be maintained cost centrewise.

5. CY—Current Year
PY—Previous year

6. The unit for recovery should be based on appropriate basis for each cost Centre taking into account weightage factor of process time involved for each size/type of cable/conductor/wire/strip of each category as listed in Rule 2, produced.

SCHEDULE-II

(See Rule 3)

PROFORMA-D

Name of the Company .....

Name & Address of the Factory .....

Statement showing allocation of Conversion cost to various finished products for the year ended .....

S. No.	Finished products by different types sizes specification etc	Wire Drawing		Stranding		Inner Sheathing		PVC/ Paper Tapolying		Drying & Impregnation		Lead Sheathing		Bedding & Taping		Armouring		Outer sheathing		Testing		Others		Total
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7	etc.																							
Total																								

Notes : (1) A=Recovery Units
B=Conversion Cost in Rupees

(2) Please give detailed specifications and other relevant details, e.g.
(1) Voltage
(2) Current rating
(3) Amphere
(4) Phase
(5) Size
(6) Core
(7) Cross Section Area
(8) No. and Nominal dia of wires
(9) Thickness of insulation between conductors
(10) Thickness of conductros and Sheath
(11) Overall diameter
(12) Weight of Aluminium/Copper Kg./Km.
(13) Overall weight Kg./Km.

SCHEDULE-II

(See Rule 3)

PROFORMA 'E'

Name of the Company .....

Name and Address of the factory .....

Statement showing cost of cables/conductor/wire/ strip/ manufactured during the year ended .....

I Type of cable/ conductor wire/strip .....

II. (1) Voltage .....(2) Current rating .....

(3) Amphere .....(4) Phase .....

(5) Size .....(6) Core .....

(7) Cross Sectional Area of Conductor .....(8) No. and Nominal dia of wires .....

(9) Thickness of insulation between conductors (10) Thickness of insulation between conductors and Sheath

(11) Overall diameter . . .. (12) Weight of Aluminium/Copper Kg./Km.

(13) Overall weight kg./km.

III	Production		Current year			Previous year	
S.No.	Particular	Unit	Qty.	Rate per unit Rs.	Total Value Rs.	Cost per Unit C. Yr. Rs.	P. Year Rs.
III	A. Direct Material Cost						
	1. Aluminium Rod/Copper Rod (as per proforma 'B')						
	2. PVC Insulation compound						
	3. Paper Tape						
	4. Jute/Cotton Tape						
	5. Lead/Lead Alloy						
	6. Steel Wires/tapes						
	7. Rubber Compound						
	8. Impregnation Compound						
	9. XLPE Compound						
	10. Others (Specify)						
	11. Total Material Cost.						
	12. Less Credit for scrap/rejection						
	13. Net Material cost						
	14. Primary packing material						
	15. Total Material Cost.						

III	B. Conversion Cost	Qty	Amount	Cost per unit C.Y.	P. Y.
	1. Wire Drawing				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	2. Stranding				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	3. Core Insulation				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	4. Insulation:				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	5. PVC/Paper Tape Laying				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	6. Drying & Impregnation :				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	7. Lead Sheathing:				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	8. Bedding & Tapping				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	9. Armouring				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				
	10. Testing:				
	(a) Variable				
	(b) Fixed				

III B Conversion Cost	Qty.	Amount	Cost per unit C.Y.	Cost per unit P.Y.
11. Packing: (a) Variable (b) Fixed				
12. Others				
13. Total Conversion Cost: (a) Variable (b) Fixed				
III—C 1. Total (A+B)				
2. Adjustment for difference in opening and closing work in progress.				
3. Adjustment for cost Variances.				
4. Total cost of production.				

Notes : 1. Separate Cost Statements shall be maintained in respect of each size and type of Electrical Cable/Conductors/Wires Strips of each category as listed in Rule 2.

2. Bonus to employees other than incentive bonus, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma G' only.

3. Delete items not applicable.

4. Cy—Current Year
PY—Previous year

5. The cost of direct material shall be based on actual consumption for each size and type of cables/conductors/wire/strips etc. of each category as listed in Rule 2. However in case it is impracticable to maintain such record, consumption can be based on technical estimates provided an overall reconciliation of each type of material used itemwiseis also maintained.

6. Cost Sheets shall be maintained in respect of each size and type of electrical cables conductors wires/strips of each category as listed in Rule 2 in order to cover not less than 80% of the electrical cables/conductors/wires/strips produced in quantity or value. For this purpose the company can maintain a basic cost sheet for a representative size in each product group and indicate the differential cost by elements, mainly direct material cost (for major items of material separately), conversion cost etc. in respect of other sizes included in the group, provided the differential cost is not at variance by more than 5% as compared to the representative size. Corresponding average sale realisation for each type/size of electrical cables/conductors/wires/strips shall be indicated in Proforma 'G'.

PROFORMA 'F

SCHEDULE II

(See Rule 3)

Name of the Company .....

Name & Address of the Factory .....

I Statement showing the value of work-in-progress at the end of the year .....

Particulars :

	This year Rs.	Previous Year Rs.
1 Opening work in progress at the beginning of the year		
2 Add expenses relating to production of Electric Cables/Conductors/Wires/Strips (including items covered by Proforma A to E of Schedule II)	Total	
3 Less cost of production of cables/conductors/wires/strips		
4 Closing work-in-progress at the end of the year		

II Statement showing the finished stock of cables/conductors/wires/strips

Type of production	Opening stock as on		Production during the year		Sold during the year		Physical stock adjustment if any		Closing Stock as on		Output lost included in Cols 8 and 9	
	Qty.	Cost	Qty.	Cost	Qty.	Cost	Qty.	Cost	Qty.	Cost	Qty.	Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												

Notes :—

1 Separate details both in quantity and value shall be maintained for opening work-in-p ogress and closing work-in-progress for each type of electrical cables, conductors, wires & strips.

2 Complete details in regard to type of cable/conductor/wires/strips viz. Amphere, phase, Cross sectional Area of conductor No and nominal dia of wires, thickness of insulation between conductor and sheath, overall diameters, weight of aluminium/ copper Kg./ KM and overall weight, and other relevant details shall be furnished. If codes are used, decoding list be attached giving all the above particulars.

3 Reasons for output lost to be specified.

PROFORMA 'G'

SCHEDULE II

(See Rule 3)

Name and Address of the Company.....

Statement showing Cost of Sales & Sales realisation for the year ended.....

Sl. No.	Types of Cables/Conductors/Wires/ Strips	Sold during the year		Selling & distribution cost		Secondary Packing	Total (4+5+6+ 7)	Interest
		Qty	Value	Direct	Other			
		(as per proforma 'F')						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total :								

Bonus	Other items not considered in cost Net of income	Total cost of sales (8 toll)	Sales realisation	Margin (13—12)	Unit Cost		Margin earned per unit	
					C.Y.	P.Y.	C.Y.	P.Y.
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Notes :—1 Complete details in regard to type of cable/conductors/wires/strips, viz size, cores, voltage and other relevant details shall be furnished

2 Separate cost statement (with suitable modification) shall be maintained in respect of each size and type of Electrical cables/ conductors/wires/strips of each category as listed in Rule 2, exported. Expenses incurred on export and incentives earned thereon shall be shown in the relevant Cost Statements.

3 Adjustment for variances in selling & distribution and other expenses included in this proforma shall be made and such adjustments shown separately in respect of companies cost records on standard costing

4 Refer foot note 6 in Proforma 'D'

SCHEDULE II

(See Rule 3)

PROFORMA 'H'

Name of the Company.....

Name & Address of the Factory.....

Statement showing the summary of Cost of Production, Cost of Sales, Sales Realisation and Margin obtained per unit (CKM/KM/Tonnes) Electrical Cables/Conductor/wire/strip for the year ended.. .....

.....Rs per unit.

Type of cable/wire/strip	I	II	III	IV
		(Specify the unit)		
1. Materials				
(a) Aluminium				
(b) Copper				
(c) Others				
(d) Total				
2. Less credit for scrap/rejection				
3. Conversion Cost				
(a) Variable				
(b) Fixed				
(c) Total				
4. Adjustment for opening & closing W.I.P.				
5. Adjustment for cost variance				
6. Total Cost of Production				
7. Adjustment for opening/closing stock				
8. Selling & Distribution				
9. Secondary packing				
10. Cost of Sales				
11. Other Expenses (Net of Misc. income)				
12. Total Cost cy				
py				
13. Average Sales Realisation				
cy				
py				
14. Margin cy				
py				
15. Contribution per unit of key material				
cy				
py				

Note : (1) cy—current year
py—previous year

SCHEDULE II

(See Rule 3)

PROFORMA I

Name and Address of the Company.....

Statement showing the allocation of total expenses incurred and incomes received by the company between Electrical Cables, conductors, wires & strips and other activities during the year ended.....

Sl. No.	Particulars	Total actual expenses/income	Share applicable Cables/conductors/wire/strips	Other activities
1	Raw material consumed			
2	Insulation material (PVC compound/Rubber compound/tape etc.) (to be specified)			
3	Packing material Total material			
4	Direct Salaries & Wages			
5	Utilities			
	(a) Power			
	(b) Water			
	(c) Others			
6	Stores & Spares			
7	Repairs & Maintenance			

Sl. No.	Particulars	Total actual expenses/income	Share applicable to Cables/conductors/wires.	Other activities.
8	Other allocated expenses Total (1 to 8)			
9	Overheads : (a) Admn. Overheads (b) Works (c) Head Office			
10	Depreciation Total Cost :—			
11	Adjustment for difference between opening & closing balance of work-in-progress			
12	Credit for recoveries			
13	Parking cost			
14	Stock adjustment for difference between opening & closing stock Total :			
15	Selling & Distribution expenses Total :			
16	Annual Bonus to employees other than their incentive Bonus.			
17	Interest Charges			
18	Provision for statutory gratuity			
19	Other expenses not included in cost (Items to be specified)			
20	Other incomes not considered in cost (Items to be specified)			
21	Total excluding excise duty			
22.	Deduct export benefits, if any.			
23	Net			
24	Net Sales realisation (excluding excise duty)			
25	Margin			

Note :—All items of income and expenditure in this proforma shall be reconciled with the financial accounts of the relevant period.

[No. 52/23/76-CAB]
S.M. DUGAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1984

सा०का०नि० 768 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समूह "ग" पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समूह "ग" पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समूह "ग" पद समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में क्रम सं० 35 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

पद का नाम	पद का संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
36 नक्शानवीस (ज्येष्ठ)	1* *कार्य-भार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय अराजपत्रित	425-15-500-द रो -560-20-700 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियो की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति -- ऐसा नक्शानवीस जिसने उस श्रेणी मे 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : ऐसे व्यक्तियो म मे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयो मे नक्शानवीस के सवृग/समतुल्य पद धारण किए हुए हों या 330-560 रु० के या समतुल्य वेतन मे ऐसे नक्शानवीस जिन्होंने उस श्रेणी मे 5 वर्ष सेवा की है (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	1 उप निदेशक --अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक --सदस्य 3 इस निदेशालय से बाहर का उप निदेशक की पंक्ति का कोई तकनीकी [अधिकारी	लागू नहीं होता

[स० ए-11016/2/81-प्रशा० डी सी पी डब्ल्यू/कामिक-1]
एस० एस० शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th July, 1984

G S R 765 —In exercise of the powers conferred by the p oviso to article 309 of the constitution the President hereby makes the following rules further to amend the group 'C' post [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962, namely:-

1 (1) These rules may be called the Group 'C' posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment (Amendment Rules, 1984

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Group 'C' posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment Rules 1962, after serial No 35 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely : —

Name of post	No of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules 1972	Age limit for direct rectt	Educational and orthe qualification required for direct rectts
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Draftsman (Senior)	1*	General Central Service Group 'C' Non-ministerial Non-Gazetted	Rs 425-15-500-EB-15-560-20-700	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
*Subject to variation dependent on work load							

Whether age and educational qualifications prescribed for direct rectts will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt whether by direct rectt or by promotion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If D P C exists what is its composition	Circumstances in which U P S C is to be consulted in making rectt
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	2 years	Promotion failing which by transfer on deputation	Promotion Draftsman with 5 years regular service in the grade Deputation From amongst persons ho d-ing analogous/equivalent posts of Draftsman in other Central Govt Offices or Draftsman in the scale of Rs 330-560/- or equivalent with five years service in the grade (period of deputation ordinarily not exceeding three years)	Promotion 1 Dy Director—Chairman 2 Asstt Director—Member 3 A technical officer of the rank of Dy Director from outside this Directorate	Not applicable

[No A-11016/2/81-Admn /DCP W/Pers I]
N S SHARMA, Under Secy

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 769.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (रेडियोग्राफर) भर्ती नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (रेडियोग्राफर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (रेडियोग्राफर) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में, स्तम्भ 11 और 12 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

स्तम्भ 11. "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"

स्तम्भ 12. "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अस्पतालों में सदृश/समतुल्य पद धारण किए हुए है ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) " ।

[संख्या 13019/13/82-प्रशि०-II]

श्रीमती पी० वी० वलसला जी० कुट्टी, अवर सचिव

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 7th July, 1984

G.S.R. 769.—in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Radiographer) Recruitment Rules, 1978 namely :—

1. (1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Radiographer) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Radiographer) Recruitment Rules, 1978, under columns 11 and 12, for the existing entries the following entries shall respectively be substituted namely :—

Column 11 "By transfer on deputation failing which by direct recruitment.",

Column 12 "For transfer on deputation.

Persons holding analogous/equivalent posts in Central Government or State Government Hospitals.

(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)".

[No. 13019/13/82-Trg.II]

Mrs. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 770.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, 1954 में —

(क) नियम 4 के उपनियम (1) में "एक हजार दो सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार आठ सौ" शब्द और "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे

(ख) नियम 4क में "चालीस रुपए प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "साठ रुपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 11058/1/84-अ० भा० से० -III]

श्रीमती अलका काला, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम राजपत्र सं० 158 तारीख 14-9-54 भाग 1, खण्ड (1) (असाधारण) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :—

क्रम सं०	सा०का०नि०	तारीख
1.	122	15-3-58
2.	765	6-9-58
3	208	25-2-61
4	1717	27-11-65
5.	1113	29-7-67
6	1448	21-1-69
7.	1595	5-7-69
8	49	9-1-71
9.	749	22-5-71
10	22(अ)	11-1-72
11	933	5-8-72
12	11	11-1-75
13	137	1-2-75
14	256	28-2-76
15	429	27-3-76
16.	939	23-7-77
17.	938	23-7-77
18.	1431	29-10-77
19.	1185	30-9-78
20.	880	23-10-82

New Delhi, the 7th July, 1984

G.S.R. 770.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Uniform) Rules, 1954 namely :—

1. (1) These Rules may be called the Indian Police Service (Uniform) Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Uniform) Rules, 1954 :—

(a) In rule 4, in sub-rule (1), for the words "One thousand two hundred" the words "One thousand eight hundred" and for the words "One thousand" the words "One thousand five hundred" shall be substituted ;

(b) In rule 4A, for the words "forty rupees per month", the words "sixty rupees per month" shall be substituted.

[No. 11058/1/84-AIS.III]

Smt. ALKA KALA, Dy. Secy.

Note :—Principal Rules were pubilshed vide Gazette No. 158 dated 14-9-1953 Part I Section (1) (Extraordinary) and were subsequently amended vide following notifications :—

1. GSR No. 122, Dated 15-3-1958.
2. GSR No. 765, Dated 6-9-1958.
3. GSR No. 208, Dated 25-2-1961.
4. GSR No. 1717, Dated 27-11-1965.
5. GSR No. 1113, Dated 29-7-1967.
6. GSR No. 1448, Dated 21-6-1969.
7. GSR No. 1595, Dated 5-7-1969.
8. GSR No. 49, Dated 9-1-1971.

9. 749	22 5 1971	15. 429	27.3 1976
10. 22 E	11.1.1972	16 939	23.7 1977
11 933	5.8 1972	17 938	23 7 1977
12. 11	11 1 1975	18 1431	29.10 1977
13 137	1 2 1975	19. 1185	30 9 1978
14 256	28 2 1976	20 880	23 10 1982

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1984

सा०का०नि० 771 —राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अन्तर्गत निदेशक, वृहत चारा बीज उत्पादन फार्म के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वृहत चारा बीज उत्पादन फार्म, भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो उन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं -- वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रयोजन से छूट दे सकेगी।

6 शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 व्यावृत्ति इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7(क)
निदेशक वृहत चारा-बीज उत्पादन फार्म	1 (1983)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	1300-50 1700 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से	हां

6
(उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों के दशा मे लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति । भर्ती सीधे होगी/या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता
7	8	9	10
अनिवार्य .— (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चारा उत्पादन और चारे के बीजों के उत्पादन की प्रोद्योगिकी मे विशेषज्ञता सहित सस्यविज्ञान मे स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य। (2) घास और चरागाहो से सम्बंधित वृहत फार्म मे चारा उगाने की आयोजना करने और सगठित करने या अनुसधान/विस्तार करने में पर्यवेक्षक की क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव। टिप्पण .1:— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2'—अनुभव सम्बंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियो के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध नही हो सकेंगे। वांछनीय :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सस्यविज्ञान मे डाक्टर की उपाधि या इसके समतुल्य।	लागू नही होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) केन्द्रीय/राज्य सरकारो /कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों/अर्धसरकारी/सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या,	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. पशुपालन आयुक्त —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. निदेशक (पशुपालन) —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से किया जाएगा।

11	12
(2) जिन्होंने 1100-1600 रु० या समतुल्य के वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिदिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	टिप्पण :— पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं० 19-40/77-एल० डी०-2]
टी० आर० तेहन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
New Delhi, the 29th June, 1984

G.S.R. 771.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Large Fodder Seed Production Farm, under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), namely :—

1. Short title and commencement.—(a) These rules may be called the Large Fodder Seed Production Farm, (Group A) Recruitment Rules, 1984.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules for the post of Director, Large Fodder Seed Production Farm in Ministry of Agriculture/Department of Agriculture & Cooperation.

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director, Large Fodder Seed Production Farm.	1* (1983)	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1300-50-1700.	Not applicable	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
6(a)	7	8	9	10
Yes	Essential : (i) Master's degree in Agronomy with specialisation in Forage Production and Fodder Seed Production Technology from a recognised University or equivalent. (ii) 10 years' experience in a supervisory capacity in planning and organising fodder farming or research/extension on a large farm connected with grasses and pasture. Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable :—Doctorate Degree in Agronomy from a recognised University or equivalent.	Not applicable	2 years	By transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Transfer on Deputation (including Short term contract Officers under the Central/State Governments/Agricultural Universities/Recognised Research Institutions or Councils/Semi Government Statutory or Autonomous Organisations. (a)(i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in the posts of the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for the direct recruits under Column 7 (The period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee : (for considering confirmation) 1. Animal Husbandry Commissioner—Chairman. 2. Joint Secretary (Administration)—Member. 3. Director (AH)—Member. Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval., If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 19-40-/77-LD-II]

T.R. TREHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1984

सा०का०नि० 772.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्तारी शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी (श्रेणी I और II पद) भर्ती नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्तारी शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी (श्रेणी-1 और 2 पद) भर्ती संशोधन नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तारी शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी (श्रेणी-1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1968 में :—

(क) श्रेणी 1 और श्रेणी 2 शब्द और संख्यांक के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं समूह क और "समूह ख" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे,

(ख) अनुसूची में —

(1) गृह विज्ञान-सह-क्षेत्रिय गृह अर्थशास्त्री (उत्तर) के प्राध्यापक का पद और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(2) स्तंभ 6 में, "सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे अर्थात :—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।"

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना सा० का० नि० सं० 56 तारीख 11-1-69 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनका संशोधन किया गया :—

क्रम सं०	सा०का०नि० सं०	प्रकाशन की तारीख
1.	1227	22-8-70
2	764	22-5-71
3.	280	11-3-72
4.	891	29-7-72
5.	210	23-2-74

[संख्या 29-10/84-फा० प्र०-4-13]

अरुणा बागची, उप सचिव

New Delhi, the 2nd July, 1984

G.S.R. 772.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Extension Education Institute, Nilokheri (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Extension Education Institute, Nilokheri (Class I and II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Extension Education Institute, Nilokheri (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968,—

(a) for the word and figure "Class I" and "Class II", wherever they occur, the word and letter "Group A" and "Group B" shall respectively be substituted;

(b) in the Schedule,

(i) the post of Lecturer in Home Science-cum-Regional Home Economist (North) and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in column 6, for the words "relaxable for Government servants" wherever they occur, the following words and brackets shall be substituted, namely :—

"Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)".

Foot Note :—The principal rules were pubilshed vide Notification GSR No. 56 dated 11-1-69, Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended by :—

1. G.S.R. No. 1227 Date of publication 22-8-70
2. G.S.R. No. 764 Date of publication 22-5-71
3. G.S.R. No. 280 Date of publication 11-3-72
4. G.S.R. No. 891 Date of publication 29-7-72
5. G.S.R. No. 210 Date of publication 23-2-74

[No. 29-10/84-CA.IV-13]
ARUNA BAGCHEE, Dy. Secy.

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1984

सा० का० नि० 773 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंचाई मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में आशुलिपिक, श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (आशुलिपिक श्रेणी-1) (समूह "ख" पद भर्ती नियम 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं लेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

सिंचाई मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना में आशुलिपिक श्रेणी 1 के पद के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक	2* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	550-25-750-ई. बी.-30-900 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 2 जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष-की नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (2) जिन्होंने 425-700/800 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में आशुलिपिक के रूप मे पांच वर्ष की सेवा की है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :— (1) निदेशक (सी) गंगा-बाढ़ नियन्त्रण आयोग—अध्यक्ष (2) प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य (3) अधीक्षक इंजीनियर (अनुश्रवण) सिचाई विभाग, बिहार —सदस्य (4) उपनिदेशक (सी) गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग —सदस्य (5) प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग —सदस्य	किसी अधिकारी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघलोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं० 47 (13)/81-बा० नि०]
पी० सी० जैन, उप सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 9th May, 1984

G.S.R. 773.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer, Grade-I in the Ganga Flood Control Commission under the Ministry of Irrigation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ganga Flood Control Commission (Stenographer, Grade-I) (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3 Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. *Disqualifications.—No person* :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recroded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
Stenographer Grade-I.	2 * (1983) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Non-selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Stenographers Grade II with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation. Officers under the Central Government:- (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service as Stenographer in the Scale of Rs. 425-700/800 or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years)	Group 'B' Departmental Promotion Committee. (1) Director (C) Ganga Flood Control Commission—Chairman. (2) Managing Director S/C & S/T Cooperative Development Corporation—Member (3) Superintending Engineer, (Monitoring) Irrigation Department, Bihar—Member (4) Deputy Director (C) Ganga Flood Control Commission—Member (5) Administrative Officer Ganga Flood Control Commission—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while selecting an officer for appointment to the post.

[No. 47 (13)/81-FC]
P. C. Jain, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 774 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग के आफ सैट मुद्रणालय में समूह "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग समूह "घ" भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1, में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदसंख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. जिल्द साजी सहायक	6 (छह)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह घ) अराजपत्रित	210-4-226-द.रो.-4-250 द.रो.-5-290 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष
2. परिचर	2 (दो)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह घ) अराजपत्रित	210-4-226-द. रो.-250-द. रो.-5-290 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष
3 विद्युत खलासी	1 (एक)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह घ) अराजपत्रित	196-3-220-द. रो.-3-232 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष
4. श्रमिक	3 (तीन)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह घ) अराजपत्रित	196-3-220-द. रो.-3-232 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।

टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ऐसे पदों की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में, वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
(1) मिडिल स्तर उत्तीर्ण (2) टांकने और सिलाई का ज्ञान और एक वर्ष का अनुभव ।	नहीं	2 वर्ष
(1) मिडिल स्तर उत्तीर्ण (2) आफसेट प्रेस में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।	नही	2 वर्ष
(1) मिडिल स्तर उत्तीर्ण (2) विद्युत प्रतिष्ठान कार्य में मददगार के रूप में अनुभव ।	लागू नही होता	2 वर्ष
वांछनीय अर्हताएं : प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण और मुद्रणालय में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नही होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
10	11
(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (2) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे वफ्तरी/पैकर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और टांकने तथा सिलाई में प्रवीण है ।
(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा } जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : 200-250 रु० वेतनमान में परिचर/(आफसेट मशीन) जिन्होंने उक्त श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।
सीधी भर्ती द्वारा	—
सीधी भर्ती द्वारा	—

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12		13
1. अवर सचिव (स्था०-दो), केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
2. अनुभाग अधिकारी (स्था०-VIII)	—सदस्य	
3. एक और अनुभाग अधिकारी	—सदस्य	
1. अवर सचिव (स्था०-दो) केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष	लागू नही होता
2 अनुभाग अधिकारी (स्था० VIII)	—सदस्य	
3. एक और अनुभाग अधिकारी	—सदस्य	
1. अवर सचिव (स्था०-दो) केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष	लागू नही होता
2. अनुभाग अधिकारी (स्था० VIII)	—सदस्य	
3. एक और अनुभाग अधिकारी	—सदस्य	
1. अवर सचिव (स्था०-दो) केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष	लागू नही होता
2. अनुभाग अधिकारी (स्था०-VIII)	—सदस्य	
3. एक और अनुभाग अधिकारी	—सदस्य	

[सं० 22/84/एफ० सं० 39/8/83-स्था०-1]

वी० के० साधु, अवर सचिव

New Delhi, the 5th July, 1984

G.S.R. 774.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'D' posts in the Off-set Press of Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water Commission, Group 'D' Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds of so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	(6)	(7)
1 Binding Assistant	6(Six)* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service (Group D) Non-Gazetted	Rs. 210-4-226-EB-4 250-EB-5-290.	Non-selection	18-25 years Relaxable upto 35 years in case of Government Servants in accordance with orders and instructions issued by the Central Government.	(i) Middle standard Pass (ii) Knowledge and experience for one year of stitching and sewin
2 Attendant	2(Two)* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service (Group D) Non-Gazetted.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-selection	18-25 years Relaxable upto 35 years in case of Government Servants in accordance with orders and instructions issued by the Central Government.	
3 Electrical Khalasi	1(One)* *Subject to variation depending on workload	General Central Service (Group D) Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable.	18-25 years Relaxable upto 35 years in case of Government Servants in accordance with orders and instructions issued by the Central Government.	(i) Middle standard Pass. (ii) Two years experience of handling work in Off-set press.
4 Labourer	3(Three)* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service (Group D) Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable.		

6	7
18-25 years Relaxable upto 35 years in case of Government Servants in accordance with orders and instructions issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date by which the Employment Exchange are asked to submit the names.	(i) Middle standard Pass. (ii) Two years experience of work as a helper in connection with Electrical installation Desirable qualifications : Primary standard pass and having one year experience of work in Press.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	(9)	10
No.	2 years	(i) 50 % by direct recruitment. (ii) 50% by promotion, failing which by direct recruitment.
No.	2 years	(i) 50% by promotion (ii) 50% by direct recruitment } failing which by direct recruitment.
Not applicable	2 years	By direct recruitment.
Not applicable.	2 years	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfers to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion . Deftry/Packer with 3 years regular service in the grade and having adequate proficiency in stitching and sewing.	1 Under Secretary (Establishment-II) Central Water Commission—Chairman. 2. Section Officer (Establishment-VIII) —Member. 3. One More Section Officer—Member.	Not applicable.
Promotion : Attendant Off-Set Machine in the scale of pay of Rs. 200-250 with minimum three years regular service in the grade,	1. Under Secretary (Establishment-II) Central Water Commission. —Chairman 2. Section Officer (Establishment-VIII) —Membe 3. One more Section Officer—Member.	Not applicable.
	1. Under Secretary (Establishment-II) Central Water Commission—Chairman. 2. Section Officer (Establishment-VIII) —Member. 3. One More Section Officer—Member.	Not applicable
	1. Under Secretary (Establishment-II) Central Water Commission—Chairman. 2. Section Officer (Establishment-VIII) —Member. 3. One more Section Officer—Member.	Not applicable.

[No. 22/84 F. No. 39/8/82-Estt.I]

V. K. SADHU, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 775.—मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है । इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर ऐसी तारीख से जिसको उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप संशोधन

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1984 है ।

2. मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1962 में :—

नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

(1) मिर्चों को पैक करने के लिए केवल साफ और मजबूत बोरियों या पोलीप्रोपिलेन के बुने हुए थैलों या किन्हीं अन्य उपयुक्त पैकिंग थैलों या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या ऐसा करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित पैकों का उपयोग किया जाएगा, जो भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार के द्वारा समय समय पर अनुमोदित रीति से सुरक्षापूर्वक बंद और मुहरबंद किए जाएंगे ।"

टिप्पणी :

1. मूल नियम भारत के राजपत्र, तारीख 14-7-62 के का आ 2160 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

2. प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, तारीख 17-10-1964 के का० आ० 3652 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

3. दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, तारीख 19-3-1966 के का०आ० 836, द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

4. तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र, तारीख 1-8-1970 के का०आ० 2579 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

[सं० 10-3/83-एम० 1]

बी० के० बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 2nd July, 1984

G.S.R. 775.—*The following draft rules further to amend the Chillies Grading and Marking Rules, 1962, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by the section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby pubilshed as required by the said section for the* information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestions which may be receivd from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT AMENDMENT

1. These rules may be called Chillies Grading and Marking (Amendment) Rules, 1984.

2. In the Chillies Grading and Marking Rules, 1962,—in rule 7, for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(i) Only clean and sound gunny bags or polypropelene woven bags or any other suitable packing bags or packs approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or the person authorised by him to do so shall be used for packing chillies which shall be securely closed and sealed in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India from time to time."

NOTE :

1. Principal rules pubilshed vide S.O. 2160 of the Gazette of India dated 14-7-1962.

2. Ist amendment pubilshed vide S.O. 3652 of the Gazette of India dated 17-10-1964.

3. 2nd amendment published vide S.O. 836 of the Gazette of India dated 19-3-1966.

4. 3rd amendment published vide S.O. 2579 of the Gazette of India, dated 1-8-1970.

[No. 10-3/83-M1]

B. K. BAJAJ, Under Secy.

पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जून, 1984

सा० का० नि० 776.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा नागर विमानन विभाग, वैमानिक संचार संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती नियमावली 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1 (1) इन नियमों को नागर विमानन विभाग, वैमानिक संचार संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1984 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नागर विमानन विभाग, वैमानिक संचार संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती नियमावली, 1974 की अनुसूची में :—

(क) बेतार मेकैनिक के पद से संबंधित क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
7 (क) बेतार मेकैनिक ग्रेड II	4 (*) : नोट : कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	रुपए 330-8-370-10-400-द.रो.-10-480.	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशो अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट)। नोट : —प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।	1. मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष अर्हता। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियो इंजीनियरी तथा सर्विस में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त हो। 3. रेडियो सर्विस का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। 4 ट्रेड में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नही होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	1. मुख्यालय के निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक रेडियो निर्माण और विकास एकक—सदस्य 3 रेडियो निर्माण और विकास एकक के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी।	लागू नही होता

1	2	3	4	5
17 (ख) बेतार मेकैनिक ग्रेड-1	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	रुपए 380-12-500-द.रो.-15-560	चयन

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नही होता	नही	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा।	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड II में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड परीक्षा पास करने पर की जाएगी।	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक रेडियो निर्माण और विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी.	लागू नहीं होता

(ख) उपकरण मेकैनिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

1	2	3	4	5
20 (क) उपकरण मेकैनिक ग्रेड-II	2(*)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	रुपए 260-6-290-द रो-6 326-8-366-द रो-8-390-10-400	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट)। नोट —प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।	1 मिडिल स्तर की परीक्षा पास की हो। 2 विद्युत उपकरण सहित आर एफ मीटर, बहुउद्देशीय परीक्षण उपकरण की मरम्मत करने का 3 वर्ष का अनुभव तथा साथ ही प्रारम्भिक विद्युत तथा विद्युत उपकरण के सिद्धान्तों का ज्ञान हो।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 2 उपनिदेशक, रेडियो निर्माण और विकास एकक—सदस्य 3 रेडियो निर्माण और विकास का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
20(ख) उपकरण मेकैनिक ग्रेड-1	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिक वर्गीय	रुपए 330-8-370-10-400-द रो.-10-480	चयन

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड 2 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड परीक्षा पास करने पर की जाएगी।	1 मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 2 उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3 रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

(ग) वैल्डर के पद से संबंधित क्रम सं० 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् --

1	2	3	4	5
21 (क) वैल्डर ग्रेड-2	1(X) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	रुपए 260-6-290-द रो-6-326-8-366-द रो-8-390-10 400	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट) नोट --प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।	अनिवार्य .-- (1) प्राइमरी परीक्षा पास की हो (2) विभिन्न प्रकार के इस्पात और ढलवा लोहे के गैस तथा विद्युत वैल्डिंग का 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय -- ऐलुमिनियम, जिंक तथा अन्य अलौह धातु मिश्रण की वैल्डिंग का ज्ञान।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण--अध्यक्ष 2 उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक--सदस्य 3 रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी--सदस्य 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
21 (ख) वैल्डर ग्रेड-1	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	रुपए 330-8-370-10-400-द रो-10-480	चयन

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड 2 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड परीक्षा पास करने पर की जाएगी।	1 मुख्यालय के निदेशक वैमानिक निरीक्षण --अध्यक्ष 2 उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक--सदस्य 3 रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी--सदस्य 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

(ब) कारपेन्टर के पद से संबंधित क्रम सं० 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात् —

1	2	3	4	5
22 (क) कार्पेन्टर	8 (रेडियो निर्माण एवं विकास एकक में) नोट —कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रुपए 260-6-326-द रो-8-350	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट) नोट —प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में (अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।	1 मिडिल परीक्षा पास की हो 2 भारतीय इमारती लकड़ी का ज्ञान तथा ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण—अध्यक्ष 2 उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3 रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
22 (ख) कारपेन्टर ग्रेड-2	1(—)रेडियो निर्माण एवं विकास एकक में) नोट —कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रुपए 260-6-290-द रो-6-326-8-366-द रो-8-390-10-400	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट) नोट —प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में (अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।	1 मिडिल परीक्षा पास की हो 2 भारतीय इमारती लकड़ी का ज्ञान तथा ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण—अध्यक्ष 2 उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3 रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
22 (ग) कारपेन्टर ग्रेड-1	1 (रेडियो निर्माण एवं विकास एकक में)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रुपए 330-8-370-10-400-द. रो.-10-480	चयन

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नही	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड 2 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड टैस्ट पास करने पर की जाएगी।	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

(ङ.) फिटर मेकैनिक ग्रेड 2, फिटर मेकैनिक ग्रेड 1 के पद से संबंधित क्रम सं० 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
24 (क) फिटर मेकैनिक ग्रेड-3	2(*) नोट-कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" —राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रुपए 260-6-290-द. रो.-6-326-8-366-द. रो.-8-390-10-400.	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट) नोट :-प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयुसीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में (अंडमान व निकोबार) द्वीप-समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित की गई है	1. मैट्रिक अथवा समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/संस्थान का ट्रेड में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र. 3. अंग्रेजी में कार्य करने का ज्ञान. 4. वर्कशाप में ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण—अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
24 (ख) फिटर मेकैनिक ग्रेड-2	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रुपए 330-8-370-10-400-द. रो.-10-480.	चयन

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नही	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा ।	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड 2 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड परीक्षा पास करने पर की जाएगी ।	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता .

1	2	3	4	5
24 (ग) फिटर मेकैनिक ग्रेड-1	8	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित-अनिपिकवर्गीय	रुपए 380-12-500-द. रो.-15-560.	चयन

6	7	8	9
लागू नही होता	लागू नहीं होता	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा ।	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड 2 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा अथवा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कुल 6 वर्ष की अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड परीक्षा पास करने पर की जाएगी ।	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी.	लागू नहीं होता.

(च) इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 के पद से संबंधित क्रम सं० 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
25 (क) इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-3	2(*) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनिपिकवर्गीय	रुपए 260-6-290-द. रो.-6-326-8-366-द. रो.-8-390-10-400.	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट) नोट : —प्रत्येक मामले में भर्ती नियमावली के खाना 6 में आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत मे (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । जिन पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम भेजने के लिए अंतिम तारीख के रूप मे निर्धारित की गई है ।	1. मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेड में प्रमाणपत्र 3. विद्युत मशीनों, स्विच बोर्डों, ट्रासफार्मर, आर्मेचर कुंडलन, संचालक बैटरी के तार लगाना, रख-रखाव तथा मरम्मत का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा.	लागू नही होना.	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण—अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
25 (ख) इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-2	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	रुपए 330-8-370-10-400-ई. रो.-10-480.	चयन

6	7	8	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में पदोन्नति ग्रेड 3 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड टैस्ट पास करने पर की जाएगी।	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण—अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
25 (ग) इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1	8	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	रुपए 380-12-500-500-ई. रो.-15-560.	लागू नहीं होता

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति ग्रेड 2 में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि की नियमित सेवा अथवा ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में कुल 6 वर्ष की अवधि की नियमित सेवा करने पर तथा विभागीय ट्रेड टैस्ट पास करने पर की जाएगी।	1. मुख्यालय का निदेशक वैमानिक निरीक्षण—अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक—सदस्य 3. रेडियो निर्माण एवं विकास एकक का वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह क/ख अधिकारी	लागू नहीं होता.

[सं० ए० 12018/1/82-ई डब्ल्यू (बीई/एसएफएस)]
एस० वेंकोबाचार, अवर सचिव

नोट :—मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 22-6-1974 की सा० सां० नि० 637 द्वारा अधिसूचित तथा तत्पश्चात दिनांक 31-1-1981 की सा० सां० नि० 126 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, 29th June, 1984

G.S.R. 776.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Civil Aviation Department, Aeronautical Communication Organisation, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (i) These rules may be called the Civil Aviation Department, Aeronautical Communication Organisation (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Civil Aviation Department, Aeronautical Communication Organisation (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1974 in the Schedule :—

(a) for Serial No. 17 relating to the posts of Wireless Mechanic and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
17(a) Wireless Mechanic Grade II	4 (*) : Note : Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services—Group 'C'—Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Not Applicable.

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note:—The crucial date for determining the age limit in Column 6 of the Recruitment Rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of the posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit in each case, will be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	1. Matriculation or equivalent qualification. 2. Should have Diploma or Certificate in Radio Engineering and Servicing from a recognised Institution. 3. One year's practical experience in Radio Servicing. 4. Should have atleast two years experience in Trade.	Not Applicable.	Two years.

10	11	12	13
By Direct Recruitment.	Not Applicable.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters— Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction & Development Units—Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units—Member. 4. A Group A/B Officer preferably belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Not Applicable.

1	2	3	4	5
17(b) Wireless Mechanic Grade I	3	General Central Services Group—'C'—Non-Gazette—Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Selection.

6	7	8	9
Not Applicable.	Not Applicable	No	Two years.

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade II to Grade I will be subject to a minimum period of three years of regular service in Grade IInd passing of a Departmental Trade Test.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction & Development Units—Member. 3. Senior Technical Officer, in Radio Construction and Development Units—Member. 4. A Group A/B Officer preferably belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Not Applicable.

(b) for Serial Number 20 relating to the post of Instrument Mechanic and the entries relating thereto, the following Serial Number and Entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"20(a) Instrument Mechanic Grade II	2(*) (*) Note:—Subject to variation dependent on workload.	"General Central Services Group 'C'—Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10 400.	Not Applicable.

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit in Column 6 of the Recruitment Rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of the post, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	1. Should have passed middle standard examination. 2. Should have knowledge of the principles of elementary electricity and electrical instruments combined with three years experience of repairing of electrical instruments including RF Metros, multi-purpose testing instruments.	Not Applicable	2 years.

10	11	12	13
By Direct Recruitment	Not Applicable	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units—Member 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units—Member 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe—Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
20(b) Instrument Mechanic Grade I	2	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted—Non-Ministerial.	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection

6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable	—No	Two years

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade II to Grade I will be subject to a minimum period of 3 years' regular service in Grade II and passing of a Departmental Trade Test.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units—Member 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units—Member 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe—Member	Not applicable"

(c) for Serial Number 21 relating to the post of Welder and the entries relating thereto the following Serial Number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"21(a) Welder Grade II	1 (*) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not Applicable.

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government Servants upto 35 years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit in column 6 of the Recruitment Rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of the posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : 1. Should have passed primary standard examination. 2. Should have 3 years' experience of gas and electric welding of different types of steel and cast iron Desirable : Knowledge of welding aluminium, zinc and other non-ferrous alloys.	Not Applicable	2 years

10	11	12	13
By Direct Recruitment	Not Applicable	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters —Chairman 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units —Member 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units —Member 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe. —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
21(b) Welder Grade I	1	General Central Services Group 'C' Non-Gazette — Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection.

6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable	No	2 Years.

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade II to grade I will be subject to a minimum period of three years regular service in Grade II and passing of a Departmental Trade Test	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters —Chairman 2. Deputy Director Radio Construction and Development Units —member 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units —Member. 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe. —Member	Not applicable"

(d) for Serial Number 22 relating to the post of Carpenter and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"22(a) : Carpenter	8* (in Radio Construction and Development Units) *Note : Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Not Applicable.

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Central Government). Note:—The crucial date for determining the age limit in column 6 of the Recruitment Rules, will in each, be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of the posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	1. Should have passed Middle Standard examination. 2. Should have three years' experience in the trade and knowledge of Indian Timber.	Not Applicable.	Not Applicable.

10	11	12	13
By Direct Recruitment	Not Applicable	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters —Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units —Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units —Member 4. A Group A/B Officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe. —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
22(b) Carpenter Grade II	1(*) (in Radio Construction and Development Units) *Note : Subject to variation dependent on work-load	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable.

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit in column 6 of the Recruitment	1. Should have passed Middle Standard Examination. 2. Should have three years' experience in the trade and knowledege of Indian Timber	Not Applicable	2 years.

6	7	8	9
Rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of the posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names).			

10	11	12	13
By Direct Recruitment.	Not Applicable.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters.— Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units. Member. 3. Senior Technical Officer, in Radio Construction and Development Units— Member. 4. A Group A/B Officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe	Not Applicable

1	2	3	4	5
22(c) Carpenter Grade I	1 (in Radio Construction and Development Units)	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection

6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable.	No	2 Years.

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade II to Grade I, will be subject to a minimum period of three years regular service in Grade II and passing of a Departmental Trade Test.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters.— Chairman 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units— Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units— Member. 4. A Group A/B Officer preferably belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Not Applicable.

(e) for serial number 24 relating to the post of Fitter Mechanic Grade II, Fitter Mechanic Grade I and the entries relating there to the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
24(a) Fitter Mechanic Grade III	2(*) Note : Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 200-6-260-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit in column 6 of the Recruitment Rules in each case will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of the posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit in each will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	1. Matric or Equivalent. 2. Diploma or Certificate in the Trade from a recognised School/Institute. 3. Working knowledge of English. 4. Should have three years experience in the trade in a workshop.	Not applicable	2 years

10	11	12	13
By direct Recruitment.	Not Applicable.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters —Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units—Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units—Member. 4. A Group A/B Officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.	Not applicable

1	2	3	4	5
24(b) Fitter Mechanic Grade II	4	General Central Services Group 'C'— Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection.

6	7	8	9
Not Applicable	Not applicable	No.	2 years.

10	11	12	13
By Promotion	Promotion from Grade III to Grade II will be subject to a minimum period of regular service of three years in the Grade III and passing a Departmental Trade Test.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units—Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units—Member. 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.	Not applicable

1	2	3	4	5
24 (c) Fitter Mechanic Grade I	8	General Central Services Group 'C' Non-gazetted—Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Selection

6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable	No	2 years.

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade II to Grade I will be subject to a minimum period of regular service of three years in Grade II or a total period of 6 years regular service in Grade III and Grade II and passing of a Departmental Trade Test.	1 Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman. 2. Deputy Director. Radio Construction and Development Units—Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development units—Member. 4 A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe	Not applicable.

(f) for serial number 25 relating to the post of Electrican Grade II, Electrician Grade I and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"25 (a) Electrician Grade III	2(*) : Note : Subject to variation dependant on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not Applicable

6	7	8	9
18 to 25 years (relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :— The crucial date for determining the age limit in column 6 of the Recruitment Rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) In respect of the posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	1. Matric or equivalent. 2 Certificate from a recognised Institute in the Trade. 3. One year pratical experience in wiring, maintenance and overhaul of electrical machines, switch board attendance, transformer and armature winding and storage battery practice	Not applicable	2 years

10	11	12	13
By Direct Recruitment	Not Applicable	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters —Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units—Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units—Member. 4. A group A/B officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe.	Not applicable

1	2	3	4	5
25(b) Electrician Grade II.	2	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection.

6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable	No	2 years

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade III to Grade II will be subject to a minimum period of regular service of three years in Grade III and passing of a Departmental Trade Test.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman. 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Unit —Member. 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units —Member. 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.	Not applicable

1	2	3	4	5
25(c) Electrician Grade I	8	General Central Services Group 'C'-Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Selection.

6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable	No	2 years

10	11	12	13
By Promotion.	Promotion from Grade II to Grade I will be subject to a minimum period of regular service of 3 years in Grade II or a total period of 6 years regular service in Grade III/Grade II and passing of a Departmental Trade Test.	1. Director of Aeronautical Inspection at Headquarters—Chairman 2. Deputy Director, Radio Construction and Development Units—Member 3. Senior Technical Officer in Radio Construction and Development Units —Member 4. A Group A/B officer preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.	Not applicable

Note :—Principal Recruitment Rules were notified in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) GSR 637, dated 22-6-197 and subsequently amended vide GSR 126, dated 31-1-1981.

[No. A. 12018/1/82-EW(VE/SFS)]
S. VENKOBACHAR, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 777 .—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 के अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2 ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पहले उक्त प्रारूप नियम की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 1984 है ।

2. वायुयान नियम 1937 की अनुसूची 1 में, मद सं० (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"क्षेत्र		प्रतिषेध का विस्तार	
(3) वह क्षेत्र जो निम्नलिखित समन्वय बिन्दुओं द्वारा आबद्ध है :			
2837	उ	771145 पू	
2837	उ	771230 पू	
283630	उ	771230 पू	पूर्ण
282630	उ	771140 पू	

इसका विस्तार भूतल से उर्ध्व की ओर प्रारंभ हो कर असीमित ऊंचाई तक है ।"

[फा० सं० ए० वी० 11012/10/82-ए]
नसीब सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किये गए थे । तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1567, तारीख 16 नवम्बर, 1962 और सा० का० नि० सं० 1665 तारीख 12 नवम्बर, 1964 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 4th July, 1984

G.S.R. 777.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules 1937 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act 1934 (22 of 1934) is hereby published as required by section 14 of the said Act for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration after a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1984.

2. In Schedule I to the Aircraft Rules 1937, after item No. (2), the following shall be inserted, namely :—

Area				Extent of prohibition
(3) The area bounded by following co—ordinates :				
2837	N	771145	E	
2837	N	771230	E	
283630	N	771230	E	Absolute
282630	N	771145	E	

Extending vertically from ground level to an unlimited upper level.

[File No. Av. 11012/10/82-A]
NASIB SINGH, Under Secy.

Note : Principal rules published vide Notification No. V-26 dated the 23rd March, 1937. Subsequently amended by Notification No. GSR 1567 dated 16th November, 1962 and GSR No. 1655 dated the 12th November, 1964.

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 778 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह "ख") पद भर्ती नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह "ख") पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह "ख") पद भर्ती नियम, 1969 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 4 के उप-टिप्पण (1) में, "(1)" कोष्ठक और अंक तथा उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, व्यावसायिक सहायक (जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक सहायक (फौरमैन) भी है, के पद से संबंधित स्तम्भ 6 के अन्तर्गत की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"30 वर्ष से अधिक नहीं ।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।"

साथ टिप्पण :—(1) मूल नियम पर्यटन और सागर विमानन मंत्रालय सं० 1-एम(8)/47 तारीख 16-1-1969 (सा० का० नि० 210) द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

(ii) संशोधन :—

(क) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए० 12018/2/73-एम, तारीख 22-1-1976 (सा०का० नि० 351)

(ख) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए० 12018/1/74-एम० तारीख 3-12-1976 (सा० का० नि० 1786)

(ग) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए०-12018/1/77-एम तारीख 6-10-1978 (सा० का० नि० 1270)

(घ) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए०-12018/1/77-एम तारीख 2-1-80 (सा० का० नि० 70)

(ङ) मौ० वि० म० नि० अधिसूचना सं० ई (2) 109/03 (एस०पी०ए०) एस० एफ० एस० 77 तारीख 18-2-1980 सा० का० नि० 250)

(च) मौ० वि० म० नि० अधिसूचना सं० ए०-12038(ए०एम०)/1/80 स्था०-1 तारीख 2-61982 (सा० का० नि० 546)

[फाइल सं० ए०12018/5/83-स्था० 1]
एस० के० दास, मौसम विज्ञान महानिदेशक

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 4th July, 1984

G.S.R. 778.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend India Meteorological Department (Group 'B') posts Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Group 'B') posts Recruitment (Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the India Meteorological Department (Group 'B') posts Recruitment Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), the brackets and figure "(1)" and sub-rule (2) shall be omitted.

3. In the Schedule to the said rules relating to the post of Professional Assistant (including Professional Assistant (Foreman), for the entry under column 6, the following shall be substituted namely :—

"Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

NOTE :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)".

FOOT NOTE :

(i) Principal rules were notified vide Ministry of Tourism & Civil Aviation No. 1-M(8)/47 dated 16-1-1969 (GSR 210).

(ii) Amendments :—

(a) Ministry of Tourism and Civil Aviation Notification No. A 12018/2/73-M dated 22-1-1976 (GSR 351).

(b) Ministry of Tourism & Civil Aviation Notification No. A-12018/1/74-M dated 3-12-1976 (GSR 1786).

(c) Ministry of Tourism & Civil Aviation No. A.12018/1/77-M dated 6-10-1978 (GSR 1270).

(d) Ministry of Tourism & Civil Aviation Notification No. A.12018/1/77-M dated 2-1-1980 (GSR 70).

(e) DGM Notification No. E(2)109/03/(SPA)/SFS-77 dated 18-2-1980 (GSR 250).

(f) DGM Notification No. A.12038(AM)/1/80-E.I dated 2-6-1982 GSR 546).

[File No. A.12018/5/83-E.I]

S. K. DAS, Director General of Meterology

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1984

सा० का० नि० 779 .—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन भण्डार अधिकारी (आयुर्वेदिक) के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : 1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली, भण्डार अधिकारी (आयुर्वेदिक) भर्ती नियम, 1984 होगा।

2. ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रयुक्त होगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदो की सख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगें जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 मे विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदो पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वे होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता . कोई व्यक्ति (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति मे विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु—केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5 छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां यह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

6. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय लिपिकीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत मान्य होगा
1	2	3	4	5	6	7
भण्डार अधिकारी (आयुर्वेदिक)	1* (1984) *कार्यभार के अनुसार इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	550-25-750-ई०बी०-30-900 रुपये	चयन	30 वर्ष से अधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय । नोट —प्रत्येक मामले में आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख यह होगी जिस अन्तिम तारीख तक भारत के उम्मीदवारों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप सह शामिल क्षेत्रों में रहते है) आवेदन मंगाए जाएंगे ।	नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो.	भर्ती की विधि सीधी या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
अनिवार्य : (1) भारतीय चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी सांविधिक बोर्ड/परिषद् संकाय से आयुर्वेद की डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा । (2) किसी आयुर्वेदिक संस्थान/औषधालय/अस्पताल में सामग्री खरीदने उसकी परिरक्षा करने और इसे संभालने का कार्य का दो वर्ष का अनुभव । नोट : 1. सुअर्हित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय है । नोट : 2 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय है यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह	नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके द्वारा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा इन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

8	9	10	11
विचार हो कि इन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए इन जातियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । वांछनीय : सामान का हिसाब रखने की जानकारी ।			

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होती तो वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
12	13	14
पदोन्नति : फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) फार्मासिस्ट तथा क्लर्क (आयुर्वेदिक) और स्टोर कीपर (आयुर्वेदिक) जिनकी अपने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के वे अधिकारी जो :— (क) (1) समान पदों पर काम कर रहे हों, या (2) 425-700 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों । (ख) सीधी भर्ती के लिए कालम 8 में निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से शीघ्र पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति 1. सहायक महानिदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या उनकी अनुपस्थिति में उप-निदेशक/सहायक महानिदेशक/ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली—अध्यक्ष 2. उप-निदेशक प्रशासन (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य 3 उप-सहायक निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य 4 प्रशासन अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना—सदस्य नोट — पुष्टि संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवृत्त संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा तथापि यदि यह कार्यवृत्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की नए सिरे से बैठक बुलाई जाएगी । जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी है ।

[सं० ए०-12018/1/82-सी० जी० एच० एस०-I/सी० जी० एच० एस० (पी०)]

हिम्मत सिंह धकालिया, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 30th June, 1984

G.S.R. 779.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Post of Stores Officer (Ayurvedic) under the Central Government Health Scheme, Delhi, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Government Health Scheme, Delhi, Stores Officer (Ayurvedic) Recruitment Rules, 1984.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay :—lication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, educational and other qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax, in consultation with the Union Public Service Commission, any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Stores Officer (Ayurvedic), Central Government Health Scheme, Delhi.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6	7
Stores Officer (Ayurvedic)	1* (1984)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.). NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	No.

*Subject to variation dependent on workload.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (i) A degree or equivalent diploma in Ayurvedic from a recognised University or a Statutory Board/Council/Faculty in Indian Medicine or equivalent. (ii) 2 years' experience in purchase, custody and handling of stores in an Ayurvedic institution/dispensary/hospital. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Working knowledge of stores accounting.	No.	2 years.	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both in direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Pharmacist (Ayurvedic), Pharmacist-cum-clerk (Ayurvedic) and Store Keeper (Ayurvedic) with 10 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers under the Central/State Governments :— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' serviccin posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalant, and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Assistant Director General (Central Government Health Scheme) Directorate General of Health Services or in his absence Deputy Director/Assistant Director General, Central Government Health Scheme, Delhi—Chairman. 2. Deputy Director Administration (Central Government Health Scheme) —Member. 3. Deputy Assistant Director (Central Government Health Scheme)—Member 4. Administrative Officer (Central Government Health Scheme—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointmtent on deputation.

[No. A-12018/1/82-CGHS.-I/CGHS (P)]

H. S. DHAKAALIA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1984

सा०का०नि० 780.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह 'ग') भर्ती नियम 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, अन्वेषक के पद से संबंधित क्रम सं० 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

आकाशवाणी और दूरदर्शन (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) में अन्वेषक के पद के भर्ती नियम

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
44.	अन्वेषक	54* *पदों की संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-ब०रो०-15-560-20-700 रु०	प्रोन्नति की दशा में अचयन	45 वर्ष से कम

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में उपाधि। (2) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन में क्षेत्र अन्वेषण या सांख्यिकीय जांच या अनुसंधान का कुछ अनुभव। वांछनीय : सांख्यिकी का ज्ञान।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : आकाशवाणी/दूरदर्शन (स्टेशन केन्द्र) में कार्यरत ऐसे सांख्यिकीय संगठकों में से जिन्होंने अपने-अपने जोन में उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रत्येक जोन के अन्तर्गत आने वाले राज्यों को पाद-टिप्पण में उपदर्शित किया गया है) पाद-टिप्पण : 1. पूर्वी जोन : पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम और सभी पूर्वोत्तर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप। 2. पश्चिमी जोन : महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, दमण और दीव। 3. उत्तरी जोन : उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। 4. दक्षिणी जोन : तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आन्ध्र प्रदेश तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह। (2) मेट्रो आकाशवाणी स्टेशन का प्रधान जोन प्रधान के रूप में कार्य करेगा।	1. जोन के मेट्रो स्टेशन का अध्यक्ष —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, दर्शक अनुसंधान—सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समुचित प्रास्थिति का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० 7/19/83-ए०आर० बी०ए०]
जगमोहन लाल माथुर, अवर सचिव

टिप्पण : —संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 नामक मूल नियम मा०का०नि० सं० 1176 तारीख 30-11-64 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं :—

1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी (ए) तारीख 9-8-1965
2. अधिसूचना संख्या 5/2/67-बी (ए) तारीख 20-3-1967
3. अधिसूचना संख्या 7/2/68-बी (ए) तारीख 14-6-1968
4. अधिसूचना संख्या 7/8/66-बी (ए) तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना संख्या 20/8/67-बी (ए) तारीख 24-2-1970
6. अधिसूचना संख्या 16/20/69-बी (ए) तारीख 30-3-1970
7. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए) तारीख 18-3-1971

8. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए) तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए) तारीख 2-2-1971
10. अधिसूचना संख्या 1/11 71-बी (ए) तारीख 5-5-1972
11. अधिसूचना संख्या 1/4/72-बी (ए) तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी (ए) तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना संख्या 1/6/73-बी (ए) तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना संख्या 1/11/73-बी (ए) तारीख 19-6-1973
15. अधिसूचना संख्या 1/5/73-बी (ए) तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए) तारीख 15-5-1973
17. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए) तारीख 8-8-1974
18. अधिसूचना संख्या 1/3/74-बी (ए) तारीख 21-5-1976
19. अधिसूचना संख्या 12019/1/78-बी (ए) तारीख 17-12-1980
20. अधिसूचना संख्या 12019/3/80-बी (ए) तारीख 27-4-1981
21. अधिसूचना संख्या 12019/8/81-बी (ए) तारीख 17-5-1982
(सा०का०नि० 526, तारीख 5-6-82)
22. अधिसूचना संख्या 12019/4/81-बी (ए) तारीख 11-4-1983
23. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी (ए) तारीख 19-9-83
24. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी (ए) तारीख 26-12-1983

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd July, 1984

G.S.R. 780 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group C) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, against serial number 44 relating to the post of Investigator and the entries relating there to the following entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Recruitment Rules for Investigator in the Directorate General of All India Radio & Doordarshan (Ministry of Information and Broadcasting).

S. No.	Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4	5
44.	Investigator	*54 *Note : Number of post is subject to variation depending upon work-load.	General Central Service Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial	Rs. 425–15–500–EB–15–560–20 700.

Whether Selection Post or Non-selection Post	it for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct recruits will apply in the case of Promotees.
6	7	8	9
Non-selection in case of promotion	Below 45 years	Essential : (i) A degree in Economics, Statistics, Sociology or any other Social Sciences. (ii) Some experience in Field Investigation or Statistical enquiries or research in Government or recognised Institute or Organisation. Desirable : Knowledge of Statistics.	No.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
10	11	12
Two years.	25% by Promotion and 75% by direct recruitment.	Promotion : From amongst Statistical Computers with 5 years regular service in the grade, working in All India Radio/Doordarshan (Station/Kendra) in the respective zones. (States which fall in such zone are indicated in the footnote).

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
13	14
1. Head of the metro Station of the Zone—Chairman. 2. Deputy Director, Audience Research—Member. 3. Senior Administrative Officer—Member. 4. An Officer of appropriate status preferably belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member. Foot Note :—(1) East Zone : West Bengal, Orissa, Assam, and all North Eastern States and Union Territories, Andaman & Nicobar Islands. (2) West Zone : Maharashtra, Gujarat, and Goa Daman and Diu. (3) North Zone : U.P., Bihar, M.P., H.P., J&K., Rajasthan, Haryana, Punjab and Union Territory of Delhi. (4) South Zone : Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh and Lakshdweep Islands. (ii) The Head of the Metro AIR Station will function as the Zonal Head.	Not applicable

[No. 7/19/83/AR/B(A)]
J.L. MATHUR, Under Secy.

NOTE :— Principal Rules called the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964 were notified vide GSR No. 1776, dated 30-11-64 and subsequently the following amendments have been notified :—

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated dated 9-8-1965.
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967.
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968.
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970.
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970.
6. Notification No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970.
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971.
8. Notification No. 1/8/81-B(A), dated 29-1-1972.
9. Notification No. 1/8/81-B(A), dated 2-2-1972.
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972.
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972.
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972.
13. Notification No. 1/6/73 B(A), dated 23-5-1973.
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973.
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973.
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974.
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974.
18. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976.
19. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980.
20. Notification No. 12019/3/80-B(A), dated 27-4-1981.
21. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982.
(GSR 526, dt. 5-6-82).
22. Notification No .12019(4/81/-B(A), dated 11-4-1983.
23. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 19-9-1983.
24. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 26-12-1983

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 30 जून, 1984

सा० का० नि० 781.—केन्द्रीय सरकार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ) और (ठ) के साथ पठित धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा (खान, खनिज कार्यकरण, और विहित पदार्थ उठाई-धराई नियम), 1984 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है, जिसके अंतर्गत उसके राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड भी हैं।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) अभिप्रेत है।

(ख) "पर्याप्त संरक्षण" से विकिरण और अन्य भौतिक और रसायनिक कर्मकों के विरुद्ध संरक्षण जिससे की विकिरण या संदूषण या रेडियो ऐक्टिव तथा रेडियो ऐक्टिव रहित विषैले पदार्थों के सांद्रण, के स्तरों की प्रचालन सीमाओं से अधिक न हो, अभिप्रेत है।

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "संदूषण" से ऐसे किसी स्थान में, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रेडियोऐक्टिवता का लेना अभिप्रेत है।

(ङ) "कर्मचारी" से खनन मिलिंग, प्रसंस्करण अनुतर/या विहित पदार्थों की उठाई-धराई के लिए नियोजित कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत ऐसा नियोजक भी है जो स्वनियोजित है, अभिप्रेत है।

(च) "नियोजक" से कोई ऐसा व्यक्ति जो नियोजन करता है, या जो स्वनियोजित के रूप में केवल कर्मचारी है, अभिप्रेत है।

(छ) "सुविधा" के अंतर्गत कोई युक्ति या कोई उपस्कर या प्रचालन का कोई स्थान आता है।

(ज) "कारखाना नियम" से परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम 1984 अभिप्रेत है।

(झ) "हैण्डल करना" के अंतर्गत विनिर्माण भंडारकरण, उपयोग, विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरण, निर्यात, आयात, परिवहन या व्ययन करना आता है।

(ञ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

(ट) "संस्थान" से कोई खान, मिल प्रसंस्करण संयंत्र या उठाई धराई सुविधा, जिसके अंतर्गत उसकी सभी आवश्यक सहायक सुविधाएं जिसके संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है, अभिप्रेत है।

(ठ) "अनुज्ञप्तिधारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन खनन, मिलिंग प्रसंस्करण और/या विहित पदार्थों की उठाई-धराई के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है।

(ड) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ढ) "मिलिंग" के अंतर्गत अयस्क या खनिज या विहित पदार्थों के रासायनिक सांद्रों का रासायनिक रूप से या अन्यथा पीसना, प्रेषण, छानना, प्रसंस्करण आता है।

(ण) "खान" का वही अर्थ है, जो उसका खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) में परिभाषित है।

(त) "उपजीविका जन्य परिसंकट" से जीविका में जोखिम अभिप्रेत है जो यदि नियंत्रित न किया जाए तो कर्मचारी के स्वास्थ्य सुरक्षा और उसकी भलाई को प्रभावित कर सकता है।

(थ) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई व्यष्टि नियम, व्यक्तियों का संगम चाहे निगमित हो या न हो, भागीदारी, सपदा, न्यास, प्राइवेट या लोक संस्था समूह सरकारी अभिकरण, या कोई राज्य या उसका कोई राजनैतिक उपखंड या राज्य के भीतर कोई राजनैतिक उपखंड या राज्य के भीतर कोई राजनैतिक अस्तित्व, कोई विदेशी सरकार या राष्ट्र या किसी ऐसी सरकार या राष्ट्र या अन्य अस्तित्व का कोई राजनैतिक उपखंड।

(ii) पूर्वगामी हर एक का कोई विधिक उत्तराधिकारी प्रतिनिधि और अभिकर्ता।

(द) "विकिरण मानिटर" से स्वास्थ्य संरक्षण के प्रयोजन के लिए विकिरण या संदूषण की मात्रा का आवधिक या निरन्तर निर्धारण अभिप्रेत है।

(ध) "सुरक्षा अधिकारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियमों के अधीन यथा विहित कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से अर्हित और नियोजित है।

(न) "विषैली गैस" से कोई ऐसी गैस अभिप्रेत है जिसके अन्तः श्वसन से स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है।

(प) "विषैला पदार्थ" से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जिसके अंतर्ग्रहण से स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है।

(फ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए है, किन्तु जो परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है वे ही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में है।

3 विहित पदार्थों के खनन, मिलिंग, प्रसंस्करण और/या उठाई-धराई के लिए अनुज्ञप्ति —(1) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी से प्ररूप ख में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना और ऐसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार के सिवाय किसी खनिज अयस्क या अन्य सामग्री की जिससे कोई एक या अधिक विहित पदार्थ निकाले जा सकते है न तो खुदाई करेगा न मिलिंग करेगा, न प्रसंस्करण करेगा और/या न हैंडल करेगा।

परन्तु कोई व्यक्ति जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय से ही विहित पदार्थों के खनन, मिलिंग, प्रसंस्करण और/या हैंडलिंग में लगा हुआ है, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपेक्षित अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप "क" में एक आवेदन करेगा।

परन्तु यह और कि आवेदक तब तक कार्य चालू रख सकेगा जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी उसके आवेदन पर विनिश्चय नहीं करता है और उसके पश्चात् वह विनिश्चय का पालन करेगा।

4 अनुज्ञप्ति दिए जाने की परिभाव्य शर्तें—(1) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक प्ररूप "क" में अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए विहित आवेदन करेगा।

(2) प्रत्येक आवेदन पांच सौ रुपए की फीस के साथ होगा, जो अप्रतिसंदेय होगी।

(3) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ आवेदक निम्नलिखित जानकारी, जो आशयित सक्रिया के लिए लागू और सुसंगत हो, देगा :—

(i) सक्रिया का प्रयोजन,

(ii) संगठनात्मक ढांचे का वर्णन,

(iii) सक्रिया से संबंधित स्थलाकृतिक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे —

(क) उस क्षेत्र का साधारण मानचित्र जिसका विस्तार स्थल के चारो ओर 30 कि०मी० के घेरे तक होगा (1: 63360) या कोई अन्य समुचित मापमान जिसमें प्राकृतिक आकृति, जैसाकि नदियाँ, सरिताएं, कुएं, प्राकृतिक चश्मे, गांव आदि दर्शित होंगे,

(ख) ब्यौरे सहित स्थल रेखाक जिसमें सक्रिया की सीमा के अन्दर आने वाला क्षेत्र होगा (1 : 500 या कोई अन्य समुचित मापमान), और

(ग) संस्थापन का रेखांक (1 : 50 या कोई अन्य समुचित मापमान),

(iv) सक्रिया के स्थल के चारों ओर 5 कि० मी० के घेरे के भीतर लगभग जनसंख्या सघनता, लोगों की साधारण उपजीविका, आदि देते हुए जननांकिकीय आंकड़े,

(v) क्षेत्र के कोई उपलब्ध भूकम्पीय आंकड़े,

(vi) क्षेत्र में 5 कि० मी० के घेरे के भीतर अन्य उद्योगों का अवस्थान, प्रकार और प्रकृति के ब्यौरे,

(vii) सक्रिया के आवश्यक ब्यौरे, जैसेकि खनन के ढंग, मिलिंग और सांद्रण की प्रक्रिया (चाहे भौतिक परिष्करण हो या रासायनिक निष्कर्षण/सांद्रता हो), प्रोसेस फ्लोशीट, और/या हैण्डलिंग प्रक्रियाएँ,

(viii) धूल, धूम, विषैली गैसें तरल विहिस्राव और ठोस अपशिष्टों जिसमें रेडियोऐक्टिव और/या विषैले पदार्थ हैं, उत्पन्न करने वाले स्थानो को दर्शित करते हुए, खान मिल/प्रसंस्करण संयंत्र/हैण्डलिंग सुविधा के अभिन्यास के ब्यौरे,

(ix) उपरोक्त नियम 4(3)(iii) (iv) और (vii) का ध्यान में रखते हुए संवातन प्रणाली के ब्यौरे साधारण और स्थानीय

(x) विहित पदार्थों के भंडाकरण के अवस्थान सुरक्षा हैण्डलिंग उपस्कर और संस्थापन के प्रत्येक क्षेत्र में संक्रिया की प्रकृति,

(xi) सरंध्रपम में धरातल के संदूषण को फैलने से रोकने और नियंत्रण के लिए उपलब्ध पद्धतियों और उपस्कर के ब्यौरे

(xii) संकटपूर्ण दुर्घटनाओं के निवारण, कर्मचारिवृन्द और क्षेत्र के संदूषण और कर्मचारिवृन्द की विकिरण उच्छन्नता को नियंत्रण के लिए उपस्कर और संस्थापन में सम्मिलित सुरक्षा युक्तियों के ब्यौरे,

(xiii) संदूषण और वायुवाहित विकिरण और विषैले पदार्थों के अन्तःश्वसन की जोखिम के निवारण/कमी करने के लिए उपलब्ध संरक्षात्मक वस्त्रों और औजारों के ब्यौरे,

(xiv) जहां कहीं भी संदूषण के जोखिम विद्यमान है वहां सुविधाओं और विसंदूषण संक्रियाओं के लिए अलग किए गए क्षेत्रों के ब्यौरे,

(xv) विकिरण उच्छन्नता और संदूषण के, जिसके अन्तर्गत प्रसामान्य और अप्रसामान्य या दुर्घटना की परिस्थितियों के अधीन कर्मचारिवृन्द का आन्तरिक संदूषण भी है, निर्धारण और नियंत्रण के लिए कर्मचारिवृन्द के लिए सुविधाओं, क्षेत्र और पर्यावरण संबंधी मानिटर करने के ब्यौरे,

(xvi) संस्थापन का पूरा सुरक्षा मूल्यांकन, जिसके अन्तर्गत संभाव्य दुर्घटनाओं का विश्लेषण, उनके निवारण के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय, और वे उपाय जो ऐसी दुर्घटनाओं की असंभावित घटना में किए जाएंगे,

(xvii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विहित पदार्थों से युक्त अपशिष्टों के संबंध में निस्सारण की प्रसामान्य संक्रिया सीमाएं समय समय पर यथा अभिकथित से अधिक न हों, संस्थानों में अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन की रीति और प्रबंध के ब्यौरे,

(xviii) तरल/ठोस अपशिष्टों के अल्पकालिक/दीर्घकालिक/स्थायी भंडारण के अवस्थानो के ब्यौरे—

(क) जहां शैल-समूह या मानवनिर्मित अवरोध पद्धति में अपशिष्ट का व्ययन/प्रतिधारण प्रकल्पित है, वहां ब्यौरों के अंतर्गत व्ययन/प्रतिधारण के प्रस्तावित स्थल की भौमिकीय और जल विज्ञान संबंधी विशेषता आती है। ब्यौरे के अंतर्गत रेखाक में संरोध पद्धति के विन्यास का रेखाकचित्र, सभी तटबंधों के विशिष्ट अनुप्रस्थ सेक्शन और अन्य प्रारंभिक डिजाइन के मानदंड और यदि लागू होते हैं तो पूर्वानुमानित विस्तार के ब्यौरे, आते है। तटबंध डिजाइन के ब्यौरे के अंतर्गत कटाव से तटबन्ध के तल की ऊंचाई, ऊपर की दीवार, पार्श्व ढलान, रिसन नियंत्रण और संरक्षण की जानकारी आती है।

(ख) जहां अंतिम निपटान के लंबित रहते सक्र समुचित धात्विक या अन्य आधान में जो धरातल पर या उसके नीचे हो, अल्पकालिक/दीर्घकालिक भंडारण की परिकल्पना की जाती है वहां डिजाइन के ब्यौरे में, आधान, पात्र, कोड की अपेक्षानुसार प्रतिबल विश्लेषण, विभाग, प्रस्तावित परिवहन, निरीक्षण और जांच, रिसन जांच और प्रमाणक निकर्ष सम्मिलित होगा।

(ग) आधान/भंडारण के सभी मामलों में ब्यौरे के अन्तर्गत प्रणालियों का सुरक्षा विश्लेषण, जिसमें उन दशाओं का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके कारण अपशिष्ट पदार्थ दुर्घटनावश बाहर निकल सकता है, इस प्रकार बाहर निकले पदार्थ का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और इस प्रकार की दुर्घटना के निवारण के लिए निरीक्षण और अनुरक्षण का प्रस्तावित कार्यक्रम और आपात प्रक्रिया जिसको सीमित या असीमित दुर्घटनावश बाहर निकलने की असभाव्य घटना में कर्मचारियों, जनता की सुरक्षा के लिए अपनाया जाएगा,

(xix) निम्नलिखित के लिए प्रपत्र—

(क) संस्थापन में विहित पदार्थों के लिए पूर्ण और अद्यतन तालिका बनाए रखना,

(ख) साधारण सक्रियाओं के दौरान विहित पदार्थों, के उत्पादन, खपत और हानि का पूर्ण अभिलेख बनाए रखना,

(ग) दुर्घटना या असाधारण घटनाओं से विहित पदार्थों की हानियों के अभिलेख का बनाए रखना,

(xx) कोई अन्य सुसंगत जानकारी या स्पष्टीकरण जिसकी अनुज्ञापन प्राधिकारी अपेक्षा करे।

(4) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदक लिखित रूप निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध करेगा :

(i) अपने संस्थापन की योजना, डिजाइन और प्रचालन की बाबत विकिरण और औद्योगिक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करना,

(ii) आपात स्थिति को छोड़कर अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थापन में कोई उपांतरण नहीं करना और आपात स्थिति में

ऐसे उपांतरण की संसूचना, अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसके विनिश्चय के लिए तुरंत दी जाएगी,

(iii) सभी संक्रियाओं को केवल अनुज्ञप्त संस्थापन/संस्थापनों तक सीमित रखना,

(iv) विहित पदार्थों के निपटान के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी से तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन और निदेश अभिप्राप्त करना,

(v) साधारण सुरक्षा संक्रियाएं करने डोज मूल्यांकन के लिए और विभव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए असाधारण घटनाएं घटित होने की दशा में पर्याप्त चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृन्द तथा अर्हित कार्मिकों को हर समय उपलब्ध कराना।

(vi) सम्यकतः अर्हित/अनुभवी सुरक्षा अधिकारी को और इसके अतिरिक्त रेडियो धर्मिता वाली संक्रियाओं के लिए सम्यकत. अर्हित/अनुभवी विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी नियोजित करना जैसा कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

5. स्थल का निरीक्षण :—अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसका प्रतिनिधि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित संक्रिया के स्थल का निरीक्षण कर सकेगा कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

6. कर्मचारिवृन्द की अर्हता :—(1) कोई भी नियोजक किसी व्यक्ति को विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव न हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में बुनियादी उपाधि,

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विकिरण चिकित्सात्मक भौतिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/उपाधि,

(iii) नियम 8 में उल्लिखित ड्यूटी और कृत्यों का, एक अनुप्रमाणित विकिरण चिकित्सालय सुरक्षा अधिकारी के अधीन निर्वहन करने का 5 वर्ष का अनुभव।

(iv) विकिरण चिकित्सालय सुरक्षा अधिकारी के रूप में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(2) कोई भी नियोजक किसी व्यक्ति को सुरक्षा अधिकारी के रूप मे तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव न हों :

(i) इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में उपाधि और किसी खान में पर्यवेक्षीय हैसियत में दो वर्ष से अन्यून अवधि का व्यावहारिक अनुभव, या

भौतिकी या रसायन शास्त्र में उपाधि अथवा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिप्लोमा और किसी खान में पर्यवेक्षीय हैसियत में पांच वर्ष से अन्यून अवधि का व्यावहारिक अनुभव, और

(ii) औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा।

7. अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य और दायित्व :—(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी संस्थापन में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

(ख) वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि संस्थापन की संक्रिया इस अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार चलाई जाती है।

(ग) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि विकिरण और औद्योगिक सुरक्षा की साधारण सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है।

(घ) वह अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना संस्थापन/प्रक्रिया/प्रवाह शीट में कोई उपांतरण नहीं करेगा।

(ङ) वह अपनी संक्रियाएं अनुज्ञप्त संस्थापन में सीमित रखेगा,

(च) वह साधारण संक्रिया की सुरक्षा के लिए, डोज मूल्यांकन के लिए, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए, यदि कोई हो, और कर्मचारियों की चिकित्सीय देखभाल के लिए हर समय पर्याप्त कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करेगा।

(छ) वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हर समय पर्याप्त संरक्षा की व्यवस्था की जाती है।

(ज) वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि संस्थापन और विकिरण कार्मिकों की नियमित विकिरण मानिटरिंग की जाती है और उसका अभिलेख बनाए रखा जाता है।

(झ) वह इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि संस्थापन में अनुज्ञेय सीमाओं से परे संक्रिया चलाए जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए पर्याप्त पूर्ण सावधानियां बरती जाती हैं जैसाकि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ञ) वह सभी कर्मचारियों को नियोजन पूर्व और सेवा समापन/निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था करेगा। विकिरण कार्मिकों और खान कार्मिकों की दशा में, नियोजन पूर्व चिकित्सा परीक्षा में, कर्मचारी बनने वाले व्यक्ति की चिकित्सीय इतिवृत्ति का विस्तारपूर्वक प्रलेखीकरण, पूर्ववर्ती नियोजन की इतिवृत्ति विकिरण प्रभावन और किसी विनिर्दिष्ट पर्यावरण यथा सिलिका धूल का विकिरण प्रभावन और दीर्घकालिक प्रभावन सम्मिलित होगा। किसी व्यक्ति को तभी नियोजित किया जाएगा जब उसकी नियोजन पूर्व चिकित्सा परीक्षा कर ली जाती है। और उसे नियोजन योग्य पाया जाता है। वह ऐसे कर्मकारों की उनकी सेवा के दौरान वार्षिक चिकित्सा परीक्षा करवाने की व्यवस्था करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, पांच वर्षों में कम से कम एक बार छाती का एक्स-रे साधारण प्रयोगशाला जांच जैसे खून, शरीर के उत्सर्ग की जांच और विशेष जांच जैसे चमड़े, हाथ, अंगुलियों जैसे अंगुलियों, के नाखूनों, कानों और आंखों की जांच।

(ट) वह विकिरण कर्मकारों और खान कर्मकारों का पूर्ण और अद्यतन व्यक्तिगत चिकित्सीय और वृत्तिक इतिवृत्ति का अभिलेख ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ठ) वह इस बात का सुनिश्चित करेगा सभी कर्मचारियों को उनके कार्य में आने वाले परिसंकटों के बारे में और उनकी सुरक्षा तथा उनके साथी कर्मकारों की रक्षा के लिए पूर्ण सावधानियों के बारे में उचित रूप से अनुदेश दे दिए जाते हैं। वह प्रत्येक यूनिट के लिए आवश्यक प्रचालन अनुदेश तैयार करेगा।

(ड) वह सुरक्षा अधिकारी और विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी के परामर्श से एक आपात योजना तैयार करेगा जिसमें आपातकाल और/या दुर्घटना की दशा में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश अधिकथित होंगे और वह उस योजना का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाएगा। वह कालिक रूप से प्रशिक्षण और कवायद यह सुनिश्चित करने के लिए करवाएगा कि सभी कर्मचारी आपात योजना से परिचित हैं। आपात योजना और कवायद के परिणाम का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(ढ) वह विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी से असामान्य घटनाओं और दुर्घटनाओं के विषय में रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और उन्हें इन नियमों में उपबंधित प्रकार से अनुज्ञापन प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(न) वह अपनी अभिरक्षा से किसी विहित पदार्थ की चोरी या क्षति के विषय में अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसका पता चलते ही अधिसूचित करेगा।

(थ) वह एक अर्हित सुरक्षा अधिकारी और एक विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी को नियोजित करेगा और वह कर्मचारिवृन्द तथा संस्थापन के संबंध में औद्योगिक और विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा के सभी विषयों में उनके द्वारा मार्ग दर्शित होगा। वह उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निभाने के लिए कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा। सुरक्षा अधिकारी और विकिरण सुरक्षा अधिकारी एक ही व्यक्ति हो सकता है यदि वह दोनों पदों के कर्तव्यों के निभाने के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता है।

(द) वह अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधियों को संस्थापन की कालिक जांच के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

8 विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व —विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारियों और संस्थापन के समीप निवास करने वाली जनता की सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर नियोजक को सलाह देगा और ऐसा करने में वह साधारणतया विकिरण सुरक्षा नियम, 1971 के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

9. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व :—(क) सुरक्षा अधिकारी औद्योगिक सुरक्षा और औद्योगिक स्वच्छता से संबंधित सभी विषयों पर नियोजक को सलाह देगा।

(ख) वह कार्यस्थल का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कालिक निरीक्षण करेगा कि अपस्कर पर्याप्त हैं और वे कार्यकरण की अच्छी दशा में है और यह कि कर्मचारियों द्वारा काम के दौरान निरापद प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। वह इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि कार्य के स्थान पर अनुरक्षित दशाएं विद्यमान नहीं है।

(ग) वह वैयक्तिक संरक्षण उपस्करों (जैसे दस्तानों, हेलमेट, गोगल्स आदि) का कालिक निरीक्षण इस बात को सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि वे उपयोग के लायक है।

(घ) वह आपात सुरक्षा किट्स का कालिक निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे आपातकाल में उपयोग के लायक हैं।

(ङ) वह सभी दुर्घटनाओं/दुर्घटना जैसी घटनाओं की, जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनमें कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, जांच करेगा और नियोजक को ऐसी घटनाओं के पुनः घटित न होने देने के लिए उपायों के विषय में सुझाव देगा।

(च) वह दुर्घटनाओं के संबंध में आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और संस्थापन की सुरक्षा प्रस्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए मानक प्रक्रिया के अनुसार उनका विश्लेषण करेगा।

(छ) वह संस्थापन में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कालिक सघातन सर्वेक्षण करेगा कि संवातन संतोषप्रद है।

(ज) वह ख स्तर सर्वेक्षण, प्रकाश सर्वेक्षण, वायु वाहित विषैले पदार्थों का सर्वेक्षण और औद्योगिक स्वच्छता से संबंधित अन्य सर्वेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी सुरक्षित वातावरण में काम करते है।

(झ) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1984 का अनुपालन किया जाता है।

10. प्रतिकर :—यदि किसी कर्मकार को विहित पदार्थ के खनन, मिलिंग, प्रसंस्करण या कर्षण के कारण कोई क्षति, बीमारी या निशक्तता हो जाती है तो नियोजक, कर्मकारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1976 (1976 का 65) के उपबंधों के अनुसार और उस सीमा तक प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा।

11. जानकारी देने पर निर्बंधन :—कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को मौखिक रूप से या किसी दस्तावेज, ड्राइंग, फोटोग्राफ, रेखांक, नमूनों के माध्यम से या अन्यथा कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा जो विहित पदार्थों के खनन/मिलिंग/प्रसंस्करण और/या कर्षण के विषय में कोई बात प्रकट करे, उसका वर्णन करे, निरूपण करे या दृष्टांत दे।

12. निलम्बन/रद्दकरण :—यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में कोई अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उसमें लापरवाही करता है तो, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को एक लिखित सूचना जारी करने के पश्चात जिसमें उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह इस बात के लिए कारण बताए कि अनुज्ञप्ति क्यों न निलंबित या रद्द कर दी जाए, और अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार कर लेने के बाद और कारणों को लेखबद्ध कर लेने के बाद अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा। ऐसे निलंबन या रद्दकरण से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13 अपील :—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति लगी होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। अपील, उक्त आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

[सं० ए०ई०ए०/14/1/83-बाह्य संपर्क]

प्ररूप क

परमाणु ऊर्जा विभाग

विहित पदार्थों वाले खनिजों का खनन और मिलिंग करने और ऐसे पदार्थों की उठाई-धराई करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

*1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पता

3. वह संस्थापन जिसके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है

4. संस्थापन के प्रधान का नाम और पदनाम

5. उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें संस्थापन में विकिरण से संरक्षण और औद्योगिक सुरक्षा का काम सौंपा गया है

6. संक्रियाएं शुरू करने की प्रस्तावित तारीख

7. क्या कर्मकारों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई है :

(i) वाह्य मानीटरिंग

(ii) आन्तरिक डासीमीटरी

*आवेदक और संस्थापन का पूरा पता और टेलीफोन नंबर (कार्यालय समय और उसके बाद), तार का पता तथा टेलेक्स नंबर यदि कोई हो, नीचे दिए गए स्थान में दिया जाना चाहिए :

(iii) औद्योगिक स्वच्छता और सुरक्षा

(iv) चिकित्सीय निगरानी

8 विहित पदार्थों वाली संक्रियाओं के भारसाधक व्यक्तियों की अर्हताओं, प्रशिक्षण और अनुभव का, यदि कोई हो, ब्यौरा दें (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कागज लगाएं)

विभाग	भारसाधक व्यक्ति का नाम	शैक्षिक अर्हताएं	प्रशिक्षण का प्रकार और अनुभव	कब और कहां प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त किया गया	प्रशिक्षण और अनुभव की अवधि	अभी तक उठाई धराई किए गए विहित पदार्थों की अधिकतम मात्रा
1	2	3	4	5	6	7

9 (क) उन संक्रियाओं की विशिष्टियां जिनके लिए यह आवेदन किया जा रहा है (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें)।

क्रम सं०	विहित पदार्थों वाली संक्रियाओं का प्रकार	विहित पदार्थों की प्राक्कलित रिजर्व (खनन संक्रियाओं की दशा में)	प्रारंभिक सामग्री की भौतिक और रासायनिक आकृति	अंतिम उत्पाद की भौतिक और रासायनिक आकृति	भरण सामग्री में विहित पदार्थ का सांद्रण	विहित पदार्थ की प्रतिशत पुन: प्राप्ति	वार्षिक उत्पादन प्रतिशत उठाई धराई की गई सामग्री की मात्रा	वह प्रयोजन जिसके लिए विहित पदार्थ की पुन: प्राप्ति की जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9 (ख) उत्पादित पछोड़न और बहिस्राव की विशिष्टियां (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें)

प्रतिवर्ष उत्पादित पछोड़न का प्राक्कलन	पछोड़न के अभिक्रियान्वयन की पद्धति	पछोड़न के अवस्थान और अंतिम निपटान की पद्धति	प्रतिवर्ष उत्पादित बहिस्राव की मात्रा का प्राक्कलन (बहिस्राव का वर्णन करें)	बहिस्राव के अभिक्रियान्वयन की पद्धति	बहिस्राव के अवस्थान और अंतिम निपटान की पद्धति	पछोड़न का मानिटर करने की पद्धति जो पथा में उपबंधित है।	बहिस्राव
1	2	3	4	5	6	7	8

10 विभिन्न विभागों में जिसमें सुरक्षा और चिकित्सा विभाग सम्मिलित हैं उपलब्ध कर्मचारिवृन्द का ब्यौरा

	कर्मचारिवृन्द की संख्या		
विभाग	तकनीकी	कुशल	अर्धकुशल

11 (क) यदि किसी संयंत्र में संक्रियाएं की जानी हैं तो यह ठीक-ठीक बताएं कि—

(i) संयंत्र का निर्माण अभी किया जाना है।

(ii) संयंत्र का निर्माण हो चुका है और उपकरण लगाए जा चुके हैं।

(iii) विद्यमान संयंत्र के संलग्न ब्यौरे के अनुसार रूपांतरण किया जाना है।

(ख) यदि खनन संक्रियाएं की जानी हैं तो खनन के प्रकार का उल्लेख करें। विवृत खान/भूमिगत

*12 चालू संक्रियाओं की बाबत सुसंगत पृष्ठभूमि जानकारी
(जब इस आवेदन द्वारा विद्यमान संक्रियाओं के नियमित किया जाना हो)

*13. प्रस्तावित संक्रियाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी (नए आवेदक)

(क) संक्रिया स्थल, उनके पर्यावरण की जानकारी और अन्य सुसंगत ब्यौरे।

(ख) खनिजों और विहित पदार्थों वाली सामग्रियों के खनन, मिलिंग और/या उठाई-धराई के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया और संक्रिया का ब्यौरा।

(ग) संस्थापन में रखे गए सुरक्षा और मानिटर करने के उपस्कर का ब्यौरा (तकनीकी विशिष्टियों का ब्यौरा दें जिसमें सुवाह्य उपस्करों की विशिष्टियां भी सम्मिलित हैं)।

(घ) विहित पदार्थों के एक संक्रिया स्थल के दूसरे संक्रिया स्थल तक परिवहन की बाबत जानकारी।

(i) आधानों का ब्यौरा

(ii) परिवहन की रीति

(ङ) साधारण संक्रिया के दौरान स्थानीय जन समुदाय को विकिरण और अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के मूल्यांकन और परिसंकट को मानिटर करने और उस पर नियंत्रण करने के ब्यौरे।

(च) किसी दुर्घटना की दशा में स्थानीय जन समुदाय को वास्तव में हो सकने वाले अधिकतम परिसंकट का संक्षिप्त मूल्यांकन और प्रस्तावित उपचार।

*14. उपस्करों की सूची (उनके विनिर्देशों के साथ) जो उस सहयुक्त प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है जहाँ विहित पदार्थों की सम्हलाई की जाती है)। कृपया प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन उपस्करों का ब्यौरा दें।

(क) सम्हलाई उपस्कर: (यथा सुदूर नियंत्रण टोंग, पिपेट आदि)

(ख) संरक्षण युक्तियां (यथा सीसे की ईंट, रबड़ के दस्ताने सम्मिलित आदि)

(ग) प्रयोगशाला उपसाधन (यथा जंगरोधी इस्पात के ट्रे/एक पैर से चलने वाले वेस्ट बाक्स, फ्यूम हुड, ग्लोव बाक्स आदि)

(घ) विकिरण का पता लगाने/माप उपस्कर (यथा इलाका सर्वेक्षण मीटर, दूषण मानिटर, वायु सैंपलर कार्उंटर्स आदि)।

(ङ) विहित पदार्थों के लिए उपबंधित भंडारण सुविधा का ब्यौरा

(च) संस्थापन में उपबंधित संवातन सुविधा का ब्यौरा

15. रेडियोएक्टिव और अन्य परिसंकटमय अपशिष्ट (ठोस द्रव या गैस) के अभिक्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया

16. कार्य के समापन के समय किए जाने वाले विकिरण सुरक्षोपाय।

(i) कार्य पूरा होने की प्रस्तावित तारीख

(ii) वे कदम जो संक्रियाओं के समापन पर स्थल पर सामान्य दशा पुनः स्थापित करने के लिए उठाए जाएंगे।

17. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें।

(i) क्षेत्र का स्थलाकृति नक्शा
(1.63360 स्केल) जो स्थल के चारों ओर 30 किलोमीटर की परिधि में विस्तारित हो, जिसमें प्राकृतिक विशिष्टियां, वास स्थान की प्रकृति और उस क्षेत्र में भूमि का उपयोग।

(ii) संस्थापन का स्थल रेखांक (1.500 स्केल)

(iii) भवन निर्माण संबंधी ब्लूप्रिंट (1.50 का स्केल) जिसमें अलग-अलग भवनों में उपस्कर और संसाधन का ले आउट वर्णित हो)

18. कोई ऐसी अतिरिक्त सुसंगत जानकारी जो आवेदक अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता हो।

19. मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि—

(क) ऊपर दिए गए सभी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(ख) कोई भी संक्रिया, इस प्ररूप की मद 9 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी।

(ग) विहित पदार्थ, प्राधिकृत स्थान से अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं हटाया जाएगा।

(घ) विहित पदार्थ, सुसंगत सुरक्षा विनियमों के अनुसार ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को संस्थापन का किसी समय निरीक्षण करने के लिए हमारे द्वारा पूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी।

(च) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित, विकिरण कार्य में लगे हुए सभी व्यक्तियों की विकिरण निगरानी और चिकित्सीय निगरानी सम्यकत् की जाएगी।

(छ) विहित पदार्थों को सक्षम प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा, किराए पर नहीं दिया जाएगा या अंतरित नहीं किया जाएगा।

(ज) विकिरण सुरक्षोपाय की बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई अनुशंसाओं को सम्यक् रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

*यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग पृष्ठों पर ब्यौरा दें।

(झ) संक्रियाएं शुरू करने से पहले सम्यक् रूप से अर्हित/अनुभवी सुरक्षा अधिकारी/विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी ।

(ञ) यदि इस आवेदन-पत्र में सूचीबद्ध कार्मिकों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर

तारीख----------

संस्था और मुद्रा

प्ररूप ख

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

विहित पदार्थों वाले खनिजों के खनन और मिलिंग और ऐसे पदार्थों की उठाई-धराई के लिए अनुज्ञप्ति

श्री/सर्वश्री जो----------

---------- के है,

परमाणु ऊर्जा (खान , खनिज कायकरण और विहित पदार्थ उठाई धराई) नियम, 1984 में विहित शर्तों का और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचनबंध करने पर तथा विहित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में यथा वांछित विहित पदार्थों के खनन/मिलिंग/उठाई-धराई के लिए प्राधिकृत किया जाता है/किए जाते है ।

यह अनुज्ञप्ति तारीख ----------को जारी की जाती है और पिछले पृष्ठ पर दी गई शर्तों के अधीन तारीख ---------- तक वैध होगी ।

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)

कार्यालय की मुद्रा

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति उस दशा में निलंबित या रद्द की जा सकेगी जब आवेदन पत्र में की गई घोषणा या दी गई जानकारी गलत पाई जाती है या ऐसे आवेदन पत्र में दिया गया वचन-बंध कार्यान्वित नहीं किया जाता ।
2. आवेदन पत्र की मद 9 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कोई भी संक्रिया नहीं चलाई जाएंगी ।
3. विहित पदार्थ प्राधिकृत संस्थापन से, अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं ले जाए जाएंगे ।
4. विहित पदार्थ, सुसंगत सुरक्षा विनियमों के अनुसार ही परिवहित किए जाएंगे ।
5. अनुज्ञापन प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, संस्थापन का किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए पूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी ।
6. विहित पदार्थों को अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा, किराए पर नहीं दिया जाएगा, या अंतरित नहीं किया जाएगा ।
7. संक्रियाओं को प्रारंभ करने से पहले सम्यक रूप से अर्हित/अनुभवी सुरक्षा अधिकारी और विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ।
8. इस आवेदन पत्र में सूचीबद्ध कार्मिकों में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी ।
9. संस्थापन में कोई भी रूपांतरण, अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।
10. चिकित्सीय और विकिरण निगरानी का प्रबंध कर्मचारियों के लिए किया जाएगा ।
11. विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।
12. असामान्य घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त भेजी जाएगी ।
13. संक्रियाओं, विहित पदार्थों की तालिका और अपशिष्ट पदार्थों की नैत्यिक निगरानी और निपटान का समुचित अभिलेख बनाए रखा जाएगा ।
14. विहित पदार्थों के खनन, मिलिंग या अन्यथा उठाई-धराई के बारे में जानकारी किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को नहीं दी जाएगी ।
15. आवेदन पत्र में यथाविनिर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देश और प्रचालन स्थितियों को सामान्य परिस्थितियों में बनाए रखा जाएगा ।
16. संलग्नक सं० 1 से ..... के रूप में इस अनुज्ञप्ति से संलग्न शर्तें, अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होंगी ।
17. अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी ।

प्ररूप ग

अनुज्ञापन प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को असामान्य घटनाओं या दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने का प्ररूप

1. संस्थापन का नाम और पता.
2. असामान्य घटना का स्थल :
3. विकिरण संस्थापन का नाम :
4. घटना की तारीख और समय :
5. सूचना प्राप्त करने की तारीख और समय (वि० चि० सु० अ० /सु० अ० द्वारा)
6. वि० चि०सु०अ०/सु०अ० द्वारा घटना स्थल पर जाने की तारीख/तारीखें
7. घटना की प्रकृति, अंतर्ग्रस्त उपस्कर और परिसंकट की सीमा का विस्तृत ब्यौरा
8. स्थल पर की गई कार्रवाई और परिणाम
9. अंतर्ग्रस्त क्षेत्र में पाया गया अधिकतम विकिरण और दूषण का स्तर :
10. अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम और उनके द्वारा प्राप्त संभावित प्रभाव और दूषण (जिसमें वे अधिकारी भी सम्मिलित है जो घटना का अन्वेषण कर रहे हैं, जिसके संबंध में कार्य कर रहे है)

व्यक्ति का नाम	वार्षिक घटना से पूर्व संचयी डोज	घटना के बाद संचयी डोज

वि० चि० सु० अ०/सु० अ० के हस्ताक्षर
(वि० चि० सु० अ०/सु० अ० का नाम)

नियोजक का हस्ताक्षर
(नियोजक का नाम)
कार्यालय की मुद्रा

11. तुरंत दी गई चिकित्सा सहायता और उपचार का ब्यौरा
12. यदि दुर्घटना के कारण कोई ऐसी क्षति हुई हो जिससे निशक्तता हो गई हो तो ऐसे व्यक्ति का नाम दें ।
13. असामान्य घटना पर अन्वेषण
14. यदि जनता, संयंत्र या पर्यावरण को गंभीर परिसंकट उत्पन्न हो गया हो तो यह बताएं कि ऐसे परिसंकट से बचने और भविष्य में उसके निवारण के लिए क्या कदम उठाए जाने की सिफारिश की जा रही है ।
15. साधारण संप्रेक्षण

विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

(वि० चि० सु० अ०/सु० अ० का नाम)

नियोजक के हस्ताक्षर
(नियोजक का नाम)
कार्यालय की मुद्रा

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 30th June, 1984

G.S.R. 781.—In exercise of the powers conferred by Section 14 read with clauses (e), (g) and (l) of sub-section (2) of Section 30 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called Atomic Energy (Working of the Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substance) Rules, 1984.

(2) These rules extent to the whole of India including her territorial waters.

(3) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Atomic Energy Act, 1962 (Act 33 of 1962).

(b) "adequate protection" means protection against radiation and other physical and chemical agents, such that the operational limits of levels of radiation or contamination or concentration of radioactive as well as non-radioactive toxic substances are not exceeded.

(c) "competent authority" means any officer or authority appointed by the Central Government by notification for the purpose of these rules.

(d) "contamination" means the presence of radioactivity at any place that may be specified by the competent authority by notification for the purposes of these rules.

(e) "employee" means any person employed, including an employer who is self employed, for carrying on the mining, milling, processing and/or handling of prescribed substances.

(f) "employer" means any person who employs or who is self-employed as the only employee.

(g) "facility" includes a device or an equipment or a place or operation.

(h) "Factories Rules" means the Atomic Energy (Factories) Rules, 1984.

(i) "handle" includes manufacture, possess, store, use, transfer by sale or otherwise, export, import transport or dispose of.

(j) "Form" means the form annexed to these rules.

(k) "Installation" means any mine mill, processing plant or handling facility including all necessary auxiliary facilities thereof in respect of which a licence has been issued by the Licensing Authority.

(l) "licence" means any person who has been granted a licence for mining, milling, processing and/or handling of prescribed substances, under the Act or Rules made thereunder.

(m) "licensing authority" means an officer or authority appointed by the Central Government by notification for the purposes of these rules.

(n) "milling" includes crushing, pulverising, sieving, processing chemically or otherwise of the ores or minerals or chemical concentracts of prescribed substances.

(o) "mino" has the same meaning as defined in the Mines Act (XXXV of 1952).

(p) "occupational hazard" means the risk in the occupation which, if not controlled, may affect the health safety and well being of the employees.

(q) "person" includes—

(i) any individual, corporation, association of persons whether incorporated or not, partnership estate trust, private or public institution, group government agency or any state or any political subdivision thereof or any political entity within the state, any foreign government or any political subpolitical sub-division of any such government or nation or other entity ;

(ii) any legal successor, representative and agent of such of the foregoing ;

(r) "radiation monitoring" means periodic or continuous determination of the amount of radiation or contamination for the purpose of health protection.

(s) "safety officer" means any person duly qualified and employed for the purpose of carrying out duties as prescribed under these rules.

(t) "toxic gas" means any gas the inhalation of which may result in adverse health conditions.

(u) "toxic substance" means any substance the intake of which may result in adverse health conditions.

(v) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Licence for mining, milling, processing and/or handling of prescribed substance.—No person shall mine, mill, process and/or handle any ore mineral or other material from which any one or more of the prescribed substances can be extracted, without obtaining a licence in Form B from the Licensing Authority and except in accordance with the terms and conditions of such licence :

Provided that, any person already engaged in mining, milling processing and/or handling prescribed substances at the time these rules came into force, shall within a period of six months from the date of these rules coming into force, make an application in Form "A" to the Licensing Authority for the issue of the requisite licence ;

Provided further that the applicant may continue the operations until the Licensing Authority takes a decision on his application and thereafter he shall abide by the decision.

4. Conditions precedent to the issue of a licence.—(1) An applicant for a licence shall make a written application for the issue of a licence in the Form A.

(2) Every application shall be accompanied with a fee of rupees five hundred which will be non-refundable.

(3) Alongwith the application for licence, the applicant shall furnish the following information as may be applicable and relevant to the operation intended :—

(i) the purpose of the operation ;

(ii) a description of the organisational set up ,

(iii) topographic details pertaining to the operation including,—

(a) a general map of the region, extending to a radius of 30 km. around the site (1 : 63360 or any other appropriate scale) showing therein the natural features such as rivers, streams, wells, natural springs, villages, fields, etc.

(b) a site plan in detail covering the area within the boundary of the operation (1 : 500 or any other appropriate scale) ; and

(c) a plan of the installation (1 : 50 or any other appropriate scale) ;

(iv) demographic data giving the approximate population density, general occupation of the people, etc. around the site of operation within a redius of 5 km.

(v) any available seismic data of the region ;

(vi) details of location, type and nature of other industries in the region, within a radius of 5 km ;

(vii) essential details of operation such as mining methods; milling and concentrating procedures (whether physical beneficiation or chemical extraction/concentration), process flow sheet, and/or handling procedures;

(viii) details of the layout of the mine/mill/processing plant/handling facility, showing points of generation of dest, fumes, toxic gases, liquid effluents and solid wastes, which contains radioative and/or toxic substances ;

(ix) details of the ventilation system-general as well as local, keeping in view rule 4(3) (iii), (iv) and (vii) above ;

(x) locations of storage of prescribed substances, details of major handling equipment and nature of operations in each area of the installation ;

(xi) details of methods and equipment available to contain and control the spread of surface contamination in the installation ;

(xii) details of safety devices incorporated in the equipment and installation for prevention of criticality accidents, control of contamination of personnel and area and radiation exposure of personnel ;

(xiii) details of protective clothing and appliance available for preventing/minimising risks of contaminaion and inhalation of airborne activity and toxic substances;

(xiv) details of facilities and areas set apart for decontamination operations, wherever risk of contamination exists.

(xv) details of facilities for personnel, area and environmental monitoring for assessment and control of radiation exposure and contamination/including internal contamination of personnel under normal as well as abnormal or accident conditions ;

(xvi) a complete safety evaluation of the installation including an analysis of potential accidents, measures proposed to be taken for their prevention, and measures that will be taken in the unlikely event of such accidents ;

(xvii) details of methods of treatment and management of wastes from the installations to ensure that normal operational limits of discharge in respect of wastes containing prescribed substances as may be laid down from time to time are not exceeded ;

(xviii) details of locations of short term/long term/permanent storage of liquid/solid wastes,—

(a) Where disposal/retention of wastes in geological formations or man made impoundment system is envisaged, the details shall include the geological and hydrological characteristics of the proposed sites of disposal/retention. Details shall also include drawings of layout of containment system in plan, typical cross sections of all embankments and other pertinent design criteria and if applicable, details of anticipated extension. Details of embankment design shall include information on height, top walk, side slope, seepage control and protection of embankment surface from erosion ;

(b) Where short term/long term storage in appropriate metallic or other containers either on surface or underground, pending final disposal, is envisaged the details of design shall include, the type of containment vessel, stress analysis as per code requirements, dimensions, proposed additions, inspection and testing, leak test and proof tests ;

(c) In all cases of containment/storage, the details shall include a safety analysis of the systems, giving an evaluation of conditions that might lead to an accidental release of wastes, the probable environmental impact of such release and proposed programme of inspection and maintenance to prevent such accidental occurrence and emergency procedures which will be adopted for the protection of the employees/public in the unlikely event of acciednital releases whether limited or extensive ;

(xix) performac for,—

(a) maintaining full and uptodate inventory of prescribed substances in the installation ;

(b) maintaning complete records of production, consumption and loss of prescribed substances in normal operations ;

(c) maintaining records of losses of prescribed substances arising out of accidents or abnormal incidents ;

(xx) any other relevant information/clarification the Licensing Authority may require.

(4) Along with the application for licence, the applicant shall undertake in writing, to—

(i) satisfy the requirements of radiation and industrial safety regarding planning, design and operation of his installation ;

(ii) not to modify the installation without prior approval of the Licensing Authority except in an emergency in which case such modifications shall be communicated to the Licensing Authority immediately for his decision ;

(iii) confine all the operations only to the licensed installation/s ;

(iv) obtain prior permission and directions from the Licensing Authority for disposal of prescribed substances and from the Competent Authority for disposal of radioactive waste.

(v) make available adequate staff and qualified personnel at all times to perform the normal operations safely, for dose evaluation and for management of potential accidents and in the events of abnormal occurrences, for adequate medical supervision of staff.

(vi) employ duly qualified/experienced Safety Officer and in addition for operations involving radioactivity a duly qualified/experienced Radiological Safety Officer as specified in these rules.

5. Inspection of site.—The Licensing Authority or his representative/s may inspect the site of proposed operation in order to ascertain that the information furnished by the applicant is correct and complete.

6. Qualification of the staff.—(1) No employer shall appoint any person as the Radiological Safety Officer, unless he possesses the following qualifications and experience :

(i) a basic degree in Physics from a recognised university;

(ii) a postgraduate diploma/degree in radiological physics from a recognised institution ;

(iii) an experience of 5 years of discharging under a certified Radiological Safety Officer the duties and functions outlined in Rule 8;

(iv) a certificate from the Competent Authority as Radiological Safety Officer.

(2) No employer shall appoint any person as the Safety Officer unless he possess the following qualifications and experience :

(i) a degree in any branch of engineering or technology, and practical experience of working in any mine in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years, or

a degree in physics or chemistry or a diploma in any branch of engineering or technology with a practical experience of working in any mine in supervisory capacity for a period of not less than 5 years; and

(ii) a diploma in industrial safety.

7. Duties and responsibilities of the Licensee.—(a) A licensee shall not employ any person under the age 18 years in an installation.

(b) He shall ensure that the operation of the installation is carried out strictly in accordance with the terms and conditions of the licence.

(c) He shall ensure that the general requirements of radiation and industrial safety are complied with.

(d) He shall not modify the installation/process/flow sheet without prior approval from the Licensing Authority.

(e) He shall confine his operations only to the licensed installation.

(f) He shall provide adequate staff at all time in order to ensure safety of normal operations, for dose evaluation, for management of accidents, if any, and or medical care and attention of the employees.

(g) He shall ensure that adequate protection is provided at all time to safeguard the health and safety of the employees.

(h) He shall ensure that regular radiation monitoring of the installation as well as of radiation workers is carried out and their records maintained.

(i) He shall ensure that adequate precautions are taken to prevent environmental pollution due to the operation of the installation, beyond permissible limits as may be specified by the Licensing Authority from time to time.

(j) He shall arrange for preemployment and post-termination/retirement medical examination of all employees. The preemployment medical examination in the case of radiation workers and workers in mine shall include a comprehensive documentation of the prospective employee's medical history, history of previous employment, radiation exposure and chronic exposure to any specific environment such as silica dust. A person shall be employed only after such preemployment medical examination and after being found fit for the employment. He shall arrange for annual medical examination of such workers during their service which shall include chest X-ray atleast once in five years, general laboratory investigations such as examination of blood and excreta, and special investigation such as examination of skin, hands, fingers, finger nails, ears and eyes.

(k) He shall maintain complete and uptodate records of personal, medical and occupational histories of radiation workers and workers in mines in such form as may be prescribed by the Competent Authority.

(l) He shall send relevant excerpts from the records maintained by him on demand, to the Licensing Authority in a form as may be specified by the Licensing Authority.

(m) He shall ensure that all employees are properly instructed as to the hazards involved in their work and the precautions to be taken by them for their safety and the safety of their fellow workers. He shall prepare necessary operating instructions for each unit.

(n) He shall in consultation with the Safety Officer and the Radiological Safety Officer chalk out an emergency plan which will lay down instructions for the guidance of the employees in the event of emergency and/or accident conditions and shall get the plan approved by the Competent Authority. He shall conduct periodic training and drills to ensure that all employees are familiar with the emergency plan. The emergency plan and the result of the drills shall be reviewed from time to time.

(o) He shall obtain reports on unusual occurrences and accidents from the radiological safety officer and the safety officer and send them to the Licensing Authority and the Competent Authority in Form C appended to these rules.

(p) He shall notify any theft or loss of prescribed substances from his custody to the Licensing Authority as soon as the loss is discovered.

(q) He shall employ a qualified Safety Officer and a Radiological Safety Officer and be guided by them in all matters of industrial and radiological safety of the staff and the installation. He shall provide them with staff and facilities to carry out their duties effectively. The safety officer and radiological safety officer may be one and the same person, if he possesses the required qualifications to carry out the duties of both the posts.

(r) He shall provide the facility of periodic inspection of the installation to the Licensing Authority or his representatives.

8. Duties and Responsibilities of the Radiological Safety Officer.—The Radiological Safety Officer shall advise the employer on all matters conducted with radiological safety of the employee, and the public residing in the vicinity of the installation, and in doing so he shall be guided, in general, by the provisions of the Radioation Protection Rules 1971.

9. Duties and Responsibilities of the Safety Officer :—

(a) The Safety Officer shall advise the employer on all matters conducted with industrial safety and industrial hygiene.

(b) He shall periodically inspect the places of work to ensure that the equipment are adequate and in good working order and that safe procedures are adopted by the employees during work. He shall ensure that unsafe conditions do not prevail in the places of work.

(c) He shall periodically inspect personal protective equipment (like hand gloves, helmets, goggles etc.) to ensure that they are fit for use

(d) He shall periodically inspect emergency safety kits and ensure that they are fit for use in an emergency.

(e) He shall investigate all accidents rear accidents including those in which no person is involved, and recommend to the employer, measures of preventing recurrence of such accidents.

(f) He shall collect accident statistions and analyse them according to standard procedures, for reviewing the safety status of the installation.

(g) He shall conduct periodic ventilation survey in the installation to ensure that the ventilation is satisfactory.

(h) He shall carry out noise level survey, illumination survey, survey for airborne toxic substances and any other survey relating to industrial hygiene and ensure that the employees work in a safe atmosphere.

(i) He shall ensure that the provisions of Atomic Energy (Factories) Rules, 1984 are completed with.

10. Compensation.—If any employee suffers an injury, disease or disablement arising out of the mining willing, processing or handling of prescribed substances, the employer shall be liable for the payment of compensation in accordance with and to the extent of the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1976 (No. 65 of 76).

11. Restriction on Disclosure of Information :—No person shall without the permission in writing of the Licensing Authority or an officer authorised by the Licensing Authority communicate to any person orally or by means of any document, drawing, photograph, plan, model, or atherwise any information whatsoever, that discloses, describes, represents or illustrates the mining|milling|processing and|or handling of prescribed substances.

12. Suspension/Cancellation.—If in the opinion of the Licensing Authority, a licence fails or neglects to comply with the provisions of these rules and the terms and conditions of the licence, the Licensing Authority may, after issuing to the licencee a notice in writing requiring him to show cause why his licence my not be suspended|or cancelled and after considering the representation, if any of the licencee, and after recording reasons may suspend or cancell the licence. Such suspension or cancellation shall be without prejudice to any other action that may be taken, against the licencee under the provisions of the Act or rules framed thereunder.

13. Appeals :—(1) An appeal shall be lie against any order of suspension or cancellation of a licence by the Licensing Authority to the Central Government.

(2) Every appeal shall be in writing and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and shall be presented within thirty days of the communication of the said order.

[No. AEA/14/1/83-ER]

FORM A

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Application for licence for mining & milling of minerals containing prescribed substances and for handling suc substances :—

* 1. Name of the applicant.

2. Address of the applicant.

3. Installation for which licence is being applied for.

4. Name and designation of the Head of the Installation.

5. Names of the individuals who are entrusted with administration of radiation protection and industrial safety at the installations.

6. Proposed date of starting the operations.

7. Are the workers provided with facilities of :—
   (i) External Monitoring ;
   (ii) Internal Dosimetry ;
   (iii) Industrial hygiene and safety ; and
   (iv) Medical surveillance.

*Complete addressee of the applicant and the installation with Telephone numbers (during and outside office hours), telegraphic address and telex numbers, if any, may please be furnished in the space provided below :—

8. Give details of the qualifications, training and experience, if any, of the persons in charge of the operations involving prescribed substances (Use additional sheet if necessary).

Department	Name of the person in-charge	Academic qualifications	Type of training or experience	When and where the training and experience were gained	Duration of training and experience	Maximum amount of prescribed substances handled so far
1	2	3	4	5	6	7

9. (A) Particulars of operations for which this application is made (add extra pages, if necessary)

Sr. No.	Type of operations involving prescribed substances	Estimated reserves of prescribed substances (in case of mining operations)	Physical and Chemical form of the initial material	Physical and Chemical form of end product	Concentration of prescribed substance in the feed material	Percentage recovery of prescribed substance	Annual Production/ quantity handled per year	Purpose for which prescribed substance is to be recovered
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. (B) Particulars of tailings and effluents generated (add extra pages, if necessary)

Estimate of tailings produced annually	Method of treatment of the tailings	Method and location of final disposal of the tailings	Estimate of volume of effluents produced annually (describe effluents)	Method of treatment of the effluents	Method and location of final disposal of effluents	Monitoring systems provided in the pathways of	
						Tailings	effluents
1	2	3	4	5	6	7	8

10. Details of staff available in various departments including the safety and medical departments:—

Department	STAFF STRENGTH		
	Technical	Skilled	Unskilled

11. A. If operations are to be carried out in a plant, please indicate as appropriate:—

(i) The Plant is yet to be built

(ii) Plant is already built and equipped

(iii) Existing plant is to be modified as per details enclosed.

B. If mining operations are to be carried out please indicate type of mining Opencast/underground

*12. Relevant background information pertaining to the current operations (when existing operations are to be regularised by this application)

*13. Detailed information relating to proposed operations (new applicants):—

(a) Information on operation sites, their environment and other relevant details.

(b) Details of procedures and processess that will be used for mining, milling and/or for handling the mi nerals and materials containing the prescribed substances.

(c) Details of safety and monitoring equipment provided in the installation (furnish details and technical specifications including those of portable instruments).

(d) Information regarding transport of prescribed substances from one site of operation to another site.—
(i) Container details

(ii) Mode of transport.

(e) Details of assessment of radiation and other health hazard to the local population during normal operations and methods for monitoring and controlling such hazards.

(f) Brief assessment of maximum credible hazard to local population in the event of an accident and proposed remedial action.

*14. List of equipment (along with their specifications) available with the associated laboratories where the prescribed substances will be handled. (Please give details of equipment under each category)

A. Handling Equipment : (e.g. remote control tongs, pipetts, etc.)

B. Protection Devices : (i.e. lead bricks, rubber gloves, respirators etc.)

C. Laboratory Accessories : (e.g. stainless steel trays/sinks, foot operated waste bins, fume hoods, gloved boxes, etc.)

D. Radiation Detection/Measurement Equipment (e.g. area survey-moters, contamination monitors, air samplers, counters etc.

E. Details of storage facilities provided for the prescribed substances.

F. Details of ventilation facilities incorporated in the installation.

*Kindly furnish details on a separate sheet, if necessary.

15. Proposed procedures for treatment and disposal of radioactive and other hazardous wastes (solid, liquid and gases)

16. Radiation safety measures which will be taken at the time of termination of work :—

(i) Proposed date of completion of work,

(ii) Steps that will be taken to restore normal conditions at site, on termination of operations.

17. Please enclose—

(i) TOPOGRAPHICAL MAP of the area (1 : 63360 scale) extending to a radius of 30 Km all around the site, showing the natural features, nature of habta ion and land utilization in the area.

(ii) A SITE PLAN of the installatoin (1 = 500 scale)

(iii) ARCHITECTURAL BLUEPRINTS (1 :50 scale) showing the layout of equipment and processes in the individual buildings.

18. Any additional relevant information which the applicant may like to furnish in support of his application.

19. I hereby certify that,—

(a) all the statements made above are correct to the best of my knowledge and belief.

(b) no operations will be carried out for purposes other than those specified under item 9 of this form.

(c) prescribed substances will not be moved from the authorised place without prior approval of the Licensing Authority.

(d) prescribed substances will be transported only in accordance with the relevant safety regulations.

(e) full facilities will be accorded by us to any authorised representative of the Competent Authority or the Licensing Authority to inspect the installtions at any time.

(f) radiation surveillance and medical surveillance of all persons engaged in radiation work, as required by the Competent Authority will be duly carried out.

(g) the prescribed substances will not be sold, rented or transferred to any other person, without prior approval of the Competent Authority and the Licensing Authority.

(h) all recommendations that may be made from time to time by the Competent Authority in respect of radiation safety measures will be duly implemented.

(i) duly qualified/experienced safety officer/Radiological Safety Officer will be appointed before the commencement of the operations.

(j) any changes in the personnel listed in this application will be intimated forthwith to the Licensing Authority.

Date :.....

.....
Signature of the applicant
Institution & Seal

FORM B

GOVERNMENT OF INDIA

Department of Atomic Energy

Licence for Mining & Milling of Minerals containing Prescribed Substance and for Handling such Substances

Mr./Messrs. .....
of .....
.....
.....

having undertaken to comply with the conditions prescribed in the Atomic Energy (Working of the Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances) Rules, 1984 and any orders issued thereunder and having paid the prescribed licence fee is/are hereby authorised for mining/milling/handling of prescribed substances as described in the application for licence.

This licence is issued on.....and shall be valid upto.....subject to the conditions printed overleaf.

Licensing Authority

(Seal of Office)

CONDITIONS OF LICENCE

1. This licence may be suspended or cancelled, if any declaration made or information given in the application therefor is found to be false or if any undertaking given in such application is not carried out.
2. No operations shall be carried out for purposes other than those specified under item 9 of the application form.
3. Prescribed substances will not be moved from the authorised installation without prior approval of the Licensing Authority.
4. Prescribed substances shall be transported only in accordance with the relevant safety regulations.
5. Full facilities shall be accorded to any authorised representative of the Licensing Authority to inspect the installation at any time.
6. The prescribed substances shall not be sold, rented or transferred to any other person, without prior approval of the Licensing Authority.
7. Duly qualified/experienced Safety Officer and Radiological Safety Officer shall be appointed before the commencement of the operations.
8. Any changes in the personnel listed in this application shall be intimated forthwith to the Licensing Authority.
9. No modifications in the installation shall be made without prior approval of the Licensing Authoity.
10. Medical and radiation suveillance shall be provided for the employees.
11. The radiological safety officer and the safety officer shall be provided with requisite facilities to discharge their duties and functions.
12. Information on unusual incidents and accidents shall be sent to the Licensing Authority forthwith.
13. Appropriate records of operations, inventory of prescribed substances and of routine surveillance and disposal of wastes shall be maintained.
14. Information pertaining to operations of mining, milling or otherwise handling of prescribed substances shall not be transferred to any unauthorised person.
15. The technical specifications and the operating conditions as described in the application, shall be maintained under all normal conditions.
16. The conditions attached to this licence as attachments No. 1 to No.....shall be binding on the licence.
17. A licence shall be valid for a period of three years from the date of issue of the licence.

FORM C

Format for Reporting to the Licensing Authority/Competent Authority Unsusual Occurrences and Accidents

1. Name and address of the Installation:
2. Site of unusual occurrence:
3. Type of radiation installation:
4. Date and time of occurrence:
5. Date and time of receiving information (by R.S.O./S.O.):
6. Date(s) of visit of R S.O./S.O. to the site of occurrence:
7. Detailed account of the nature of occurrence, equipment involved and extent of hazard:
8. Action taken on site and result:
9. Maximum radiations and contamination levels found in the area involved:

10. Names of the individuals involved and the details of exposures/contamination received by them (including the officers) investigating the occurrence and attending to the incident)

Name of the person	(Annual) cumulative dose before the incident	Cumulative dose after the incident

Signature of R.S.O./S.O. :
(Name of R.S.O./S.O.)

Signature of Employer .....
(Name of Employer)

(Seal of Office)

11. Details of immediate medical aid and treatment provided:

12. If the accident involved any disabling injuries, give the names of such individuals :

13. Comments and recommendations by the investigating officers on the unusual occurrence:

14. If potential hazards to the public, plant or environment are involved, state what steps are recommended to avoid such hazards and to prevent recurrence in future:

15. General observations

Signature of Radiological Safety Officer/
Safety Officer
(Name of H.S.O./S.O.)

Signature of Employer:
(Name of Employer)
Seal of office

सा. का. नि. 782.—केन्द्रीय सरकार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन निम्नलिखित नियम बनाती है ।

अध्याय I प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम 1984 है ।

(2) इनका विस्तार केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रयोजनों का कार्यान्वित करने में लगे सभी कारखानों पर होगा ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से कारखाना अधिनियम 1948 अभिप्रेत है ।

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी ।

(ग) "सक्षम व्यक्ति" से अनुसूची "क" में वर्णित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

(घ) "निरीक्षक" से इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है ।

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. रेखाकों का अनुमोदन.—(1) ऐसे स्थल के लिए जिस पर कारखाने की स्थापना किया जाना है और किसी कारखाने के विस्तार के संनिर्माण के लिए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा ।

ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :—

(क) विनिर्माण प्रक्रिया का एक अनुक्रम चार्ट, जिसमें प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन उसके विभिन्न प्रक्रमों पर दिया हो;

(ख) स्केल से बनाए गए दो प्रतियों में रेखांक जिसमें निम्नलिखित दिखाया गया हो :—

(1) कारखाने का स्थल और संलग्न परिवेश, जिसके अन्तर्गत लगे हुए भवन और अन्य संरचनाएं सड़कें, नालियां आदि हैं ;

(2) प्राकृतिक प्रकाश, संवातन और आग लगने की दशा में निकलने के साधन से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे अपदर्शित करते हुए रेखांक, खड़ा नक्शा और विभिन्न भवनों के आवश्यक अनुप्रस्थ काटा रेखांकों में संयंत्र और मशीनरी, पार्श्वभीतियों और मार्गों का स्थान भी स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा;

(ग) निर्वातक संवातन और गैसीय मोचन के ब्यौरे,

(घ) बहिस्रावी उपचार और द्रव बहिस्रावी विसर्जन के ब्यौरे; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो सक्षम प्राधिकारी अपेक्षा करे।

4. अनुमोदन के बिना परिसर के कारखाने के रूप में उपयोग पर प्रतिषेध—किसी कारखाने का कोई अधिभोगी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी परिसर को कारखाने के रूप में उपयोग नहीं करेगा।

अध्याय 2. निरीक्षण कर्मचारिवृन्द

5. निरीक्षकों की नियुक्ति इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अपनी नियुक्ति के समय ऐसे निरीक्षकों के लिए विहित अर्हता न हो।

6. निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं विहित कर सकेगा।

7. निरीक्षकों की शक्तियां: इन नियमों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए निरीक्षक को निम्नलिखित सभी बातें या इनमें से कोई करने की शक्तियां होंगी:

(क) किसी कर्मकार का फोटो लेना, यथास्थिति, किसी भवन या कक्ष, किसी संयंत्र मशीनरी, साधित्र या यंत्र किसी रजिस्टर या दस्तावेज या कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, व्यवस्था की गई किसी बात का निरीक्षण करना, परीक्षा करना, माप करना, प्रतिलिपि करना, फोटो लेना, स्केच बनाना या जांच करना।

(ख) ऐसी चिकित्सीय परीक्षाएं करना जो अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(ग) आपाधिक घटनाओं से संबंधित सुरक्षा की जांच करना।

(घ) असुरक्षित कार्यों और चलनों के संबंध में कारखाने के प्रधान या प्रबंधक को सलाह देना और कारखाने में असुरक्षित दशाओं, यदि कोई हों को बताना।

(ङ) किसी कारखाने में विद्यमान किन्हीं असुरक्षित दशाओं या चलनों के बारे में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।

(8) चिकित्सीय परीक्षा. किसी कारखाने के हर कर्मकार की परीक्षा वर्ष में एक बार प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा की जाएगी, और यदि कोई कर्मकार कारखाने में काम करने के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्य नहीं पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट उनके द्वारा कारखाने के प्रधान या प्रबन्धक को और सक्षम प्राधिकारी को की जाएगी, जो कारखाने के ऐसे प्रधान या प्रबन्धक से ऐसे व्यक्ति को कारखाने में ऐसे समय या अवधि के लिए जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, नियोजित न करने के लिए कह सकेगा। ऐसे समय या अवधि के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, कारखाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। यदि वह कारखाने में नियोजित किए जाने के प्रधान या प्रबन्धक से ऐसे कर्मकार की परीक्षा प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा करवाने के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्य पाया जाता है तो प्रमाणकर्ता सर्जन इस आशय का एक प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो कारखाने के प्रधान या प्रबन्धक को उसे कारखाने में पुनर्नियोजित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा।

अध्याय 3. सुरक्षा

9. प्रक्रिया और कार्य स्थलों की योजना: (1) साधारण: सुरक्षा और अग्नि परित्राण व्यवस्थाएं निर्माणों के सभी रेखांकों, डिजाइनों और अभिन्यासों में सम्मिलित की जाएंगी। राष्ट्रीय निर्माण संहिता (आई एस आई) का पालन निर्माण के सभी रेखांकों, डिजाइनों और अभिन्यासों के लिए किया जाएगा। संपत्तियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए संभव खतरों का कच्ची सामग्रियों और परिष्कृत उत्पादों के रखरखाव और भंडारकरण में तथा विभिन्न कार्यचालन प्रक्रमों पर दौरान पूर्वानुमान किया जाएगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुधार उपाय सभी कार्यचालन प्रक्रमों पर किए जाएंगे।

(2) संरचनात्मक सुरक्षा

(क) सभी निर्माण, स्थायी या अस्थायी संरचनात्मक सुरक्षित और ठोस होंगे जिससे कि गिरने की जोखिम का निवारण हो सके।

(ख) नीवों और सभी तल क्षेत्रफलों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वे पूर्वानुमानित भार सहन करने के योग्य हों।

(3) अवस्थान और अलगाव परिसंकटतम सामग्री के भंडारकरण के लिए भवन अन्य भवनों और मुख्य सड़कों से दूर अवस्थित किया जाएगा या उसे यथोचित रूप में घेर दिया जाएगा। परिसंकट उपदर्शित करते हुए उपयुक्त साइनबोर्ड आसपास प्रदर्शित किए जाएंगे।

(4) सड़कों और पार्श्व पथों का अभिन्यास: (क) परिसरों में सड़कों और पार्श्व पथों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि पूर्वानुमानित यातायात से सड़कों पर भीड़भाड़ न हो और पैदल चलने वालों के लिए पार्श्वपथों पर काफी स्थान हो। जहां तक संभव हो, सड़कें सीधी और काफी चौड़ी होंगी जिससे कि यानों, उपस्कर के ले आने ले जाने के लिए अबाध मार्ग मिल सके।

(ख) महत्वपूर्ण अब स्थानों पर यानों की गति को नियंत्रण करने के लिए गति विरामकों की व्यवस्था की जाएगी। पैदल चलने वालों के लिए पारपथों को चिन्हित किया जाएगा।

(ग) अधिकतम, अनुज्ञात गति और यातायात परिसंकटों के संबंध में सूचना देने के लिए साइनबोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे।

(5) बहिस्राव नियंत्रण विनिर्माण प्रक्रियाओं से पैदा होने वाले द्रव और गैसीय बहिस्रावों को उनके पैदा होने वाले स्थानों से दूर ले जाया जाएगा और उनका सुरक्षित रूप में तथा यदि आवश्यक हो तो, उपचार के पश्चात् निपटान किया जाएगा।

(6) स्थान संबंधी अपेक्षाएं

(क) भवनों के फर्श स्थान को सामग्री/मशीनरी से खचाखच नहीं भरा जाएगा। पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि प्रत्येक आपरेटर अन्य कर्मकारों/मशीनों को बाधा पहुंचाए बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।

(ख) पर्याप्त पार्श्ववीथी स्थान की व्यवस्था की जाएगी और कर्मशाला मंजिलों और संयंत्रों के बीच आन्तरिक परिवहन और कार्मिक संचलन को सुकर बनाने के लिए स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में उपयुक्त गलियारे स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

(7) विवृत/ऊंचे स्थानों का संरक्षण

(क) सभी विवृत स्थानों का जैसे कूपकों, विपाट द्वारा रोक और प्रवेश छिद्रों का जिनमें व्यक्ति घटनावश गिर सकता है, उपयुक्त रूप से संरक्षण किया जाएगा।

(ख) संरक्षण के लिए स्थानान्तरणीय स्थायी रेलिंगों का उपयोग किया जाएगा। मानक रेलिंगों की ऊंचाई तल स्तर से उपरि शलाके की उच्चतर सतह तक कम से कम 105 सें० मी० होगी और उनके स्तंभ अलग-अलग 2 मी० से अनधिक के होंगे तथा मध्य का शलाका तल और उपरि शलाके के बीच बीचों बीच होगा।

(ग) वस्तुओं को निचले तल पर गिरने और दुर्घटनाएं होने से रोकने के लिए कम से कम 15 से० मी० ऊंचाई वाले टो बोर्डों की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) ऊंचे स्थानों का जैसे चबूतरों, बारजों और जीना पेड़ियों का जहां से व्यक्ति घटनावश गिर सकता है प्राकार प्राचीर जिसकी ऊंचाई कम से कम 105 सें० मी० होगी या तो बोर्ड संरक्षण सहित मानक रेलिंग की व्यवस्था करके प्रभावी रूप से संरक्षण किया जाएगा।

(8) ऊंचे क्षेत्रों के लिए सुरक्षित मार्ग

(क) भवन के सभी ऊंचे मानो के लिए, जैसे छतो और चबूतरों, ऊंचाई मे स्थित क्रेन कैबिनों, क्रेन मार्गों और पुलों, टंकियों और बायलरों के शीर्षों, उत्थापक मशीन कक्षों, मध्यतल फ्लोरों और अन्य समरूप अवस्थानों के लिए, सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था सीढ़ियों या स्थिर सोपानों के माध्यम से की जाएगी।

(ख) सभी सीढ़ियों और पौड़िया पर्याप्त सामर्थ्य की होगी जिससे के वे चार की सुरक्षा के साधन सहित कम से कम 300 कि० ग्रा०/एम^2 का वास्तविक भार सहन कर सकें।

(ग) किसी सीढ़ी मार्ग का ढालान क्षतिज से 30-350 के बीच होगा। प्रत्येक सीढ़ी मार्ग पर पावड़ी और आरोह एक समान चौड़ाई और ऊंचाई के होंगे।

(घ) पावड़ियां, गोल किनारों या उभरे भागों को छोड़कर चौड़ाई में 24 सें० मी० से कम की नहीं होगी। अफिसलन प्रकार (2.5 सें० मी० चौड़ा) के गोल किनारे की व्यवस्था की जाएगी। ऊंचाई में आरोह 20 सें० मी० से अधिक नही होगे न ही 13 सें० मी० से कम होंगे।

(ङ) चार या उससे अधिक आरोह वाले सीधे जीनों के लिए एक रेलिंग होगी जिसकी उर्ध्व ऊंचाई पावड़ी स्तर से ऊपरी अलोक की उच्चतर सतह तक 90 सें० मी० होगी। हर दस से बारह पावड़ियों के पश्चात् एक पेड़ी की व्यवस्था की जाएगी।

(च) स्थिर सोपान ठोस सामग्री के होंगे और उनकी रूपरेखा पांच की सुरक्षा के साधन सहित लगभग 90 कि० ग्रा० वजन के केन्द्रित वास्तविक भार के लिए होगी। सोपानों की सुस्थित कम से कम छह मास में एक बार सुनिश्चित की जाएगी।

(छ) स्थिर सोपानों को क्षतिज से 75० से 90० के बीच कोण बनाकर संस्थापित किया जाएगा। सोपान के डण्डों की व्यवस्था 30 सें० मी० के एक समान अन्तराल पर की जाएगी। वे उपयुक्त व्यास के होंगे।

(ज) सोपान के पीछे 18 सें० मी० के अन्यून का स्थान होगा। सोपान के डण्डों के अग्र भाग से उसके चढ़ने वाले भाग की ओर निकटतम स्थायी वस्तुओं तक की दूरी 75 सें० मी० से कम नहीं होगी।

(झ) सोपान से एक सुरक्षा चढ़ाई युक्ति या 65 सें०मी० चौड़ा और 65 से०मी० गहरा जो तल भूतल से 2.2 मी० पर आरम्भ होगी, एक पिंजर की व्यवस्था होगी।

(9) ढलवां मार्ग : ढलवां मार्ग ऐसे बनाए जायेंगे जिनमें कम से कम ढलान हो और 15० से अधिक न हो। ढलवां मार्गों की एसी सतह फिनिश दी जाएगी जिसमे फिसलन नही होगा।

(10) चिन्ह : जहां तल स्तरों में भिन्नता हो वहां व्यक्तियों को यात्रा करने से रोकने के लिए चेतावनी के रूप मे पीली और काली तिर्यक पट्टि या अन्तरापृष्ठ पर सहजदृश्य रूप से अंकित की जाएंगी। विभाजकों/दरवाजों के रूप में प्रयुक्त बड़े कांचों को व्यक्तियों द्वारा उन्हें तोड़ने से रोकने के लिए सहज दृश्य रूप से सूचकों सहित चिन्हित किया जाएगा।

(11) कृत्रिम छत : जहां-जहां व्यक्ति कृत्रिम छतो पर पहुच सकते हैं वहां-वहां कृत्रिम छत के डिजाइन मे अनुरक्षण कार्मिक के उपयोग के लिए पर्याप्त सामर्थ्य का एक मार्ग सम्मिलित होगा। यह नाजुक छत सामग्री से स्पष्ट रूप से सुभिन्न होगा।

(12) पाइप लाइनों के लिए वर्ण कोड : प्रमुख और संयंत्र पाइपलाइनों को अनुसूची 'ख' में अधिकथित वर्ण कोड़ों के अनुसार पेन्ट किया जाएगा।

(13) संवातन : सभी बन्दकृत क्षेत्रों तथा कार्य संस्थानों के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां परिसंकटमय सामग्री संचित की हुई है यथोचित संवातन की व्यवस्था की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर उतनी संख्या में वायु परिवर्तन प्राधिकृत कर सकेगा जितनी विभिन्न क्षेत्रों/संक्रियाओं के लिए व्यवस्था की जाने के लिए अपेक्षित हो।

(14) प्रकाश व्यवस्था. यथोचित प्रकाश व्यवस्था की जाएगी जिससे कि सभी कार्य सुरक्षित रूप से और आखों पर अनावश्यक जोर डाले बिना किए जाएं। दीपो का प्रकार और तीव्रता की जाने वाली संक्रिया की प्रकृति पर आधारित होगी। सक्षम प्राधिकारी समय समय-पर प्रकाश व्यवस्था के ऐसे मानक स्तर नियत करेगा जो विभिन्न अधिभोगों/संक्रियाओं के लिए अपेक्षित हो।

(15) तड़ित संरक्षण : सामरिक महत्व के सभी भवनों और खड़ी संरचनाओं के लिए तड़ित संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह ऐसे भवनों के लिए जिनमे खतरनाक संक्रियाएं की जाती हैं, ज्वलनशील सामग्री विनिर्मित संचित की जाती है संभाली जाती हैं या उनका उपयोग किया जाता है तेलों, पेंटों या अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त संग्रह टंकियों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

10. भवन निर्माण और अनुरक्षण .

(1) उत्खनन :

(क) भूमिगत उपयोगी वस्तुओं को, जैसे जल प्रणाली और केबलों को उत्खनन के दौरान जमाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा।

(ख) कर्मकारों के उत्खनन के अन्दर जाने और बाहर जाने के लिए यथोचित व्यवस्थाए की जाएगी।

(ग) सोपानों या क्रमिक फिसलरियों की व्यवस्था के रूप में उत्खनन सतहों को यथोचित रूप से ढलवां बनाया जाएगा। जहां यह संभव नहीं है, यथोचित टेक-मंडियों और अवलंबों की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) खाइयों और अन्य उत्खननों के किनारों के तलोच्छिन से बचा जाएगा। यह सतह के ऊपर मिट्टी के काम पर भी लागू होगा।

(ङ) सामग्री के खाई से फिसल कर जाने से रोकने के लिए उत्खात सामग्रियो को खाई के किनारे से दूर एकत्र किया जाएगा।

(च) उत्खननों को व्यक्तियों और पशुओं के उनमें गिरने से संरक्षित करने के लिए समुचित रूप से बाड़ लगायी जाएगी। रात के समय चेतावनी के लिए बाड़ों पर लाल बत्तियों की व्यवस्था की जाएगी।

(छ) उत्खनन की खाइयों में पानी जमा नही होने दिया जाएगा।

(2) मचान और मंच :

(क) मचान और उनके भाग जैसे अवलंब और मंच उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वे अभिप्रेत हैं ठोस संनिर्माण ठोस सामग्री के और पर्याप्त सामर्थ्य के होंगे : उनके सतत सुस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित रूप से अनुरक्षित रखा जाएगा।

(ख) कोई भी पट्टा ढीला नही रखा जाएगा जिससे कि चलते समय पट्टे का एक सिरा ऊपर न उठ सके। मचानो, मंच और अवलंबों के संनिर्माण मे प्रयुक्त कीले बृहत आकार और प्रत्येक जोड़ पर पर्याप्त संख्या मे होंगे। कीले आधार टुकड़े में कील के व्यास के कम से कम बारह गुना गहराई तक अन्दर प्रवेश करेंगे।

(ग) मचान पर पहुचने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साधन की व्यवस्था की जाएगी। पहुंचने के साधन युक्त सोपान, ढलवां मार्ग या सीढ़ी मार्ग होगा।

(घ) सभी मंच, मार्गवीथी, आदि अनावश्यक बाधा, सामग्री कूड़े और निकले हुए कीलों से मुक्त होंगे। इन्हे सदा अफिसलन दशा में बनाए रखा जाएगा।

(ङ) मचानों के किनारों पर रक्षी शलाकों की सदैव व्यवस्था की जाएगी। रक्षी शलाकें ऊंचाई में 3-6 मी० से अधिक नहीं होंगे। यह ऊंचाई अवलम्बन क्षेत्र के तल से मापी जाएगी।

(च) मचानों पर उपयोग किए गए पट्टे, उपयोग किए गए पटरों की मोटाई के चार गुने से अधिक दूरी पर अंतिम अवलंबों से अधिक निकले नहीं होंगे।

(3) सुवाह्य सोपान :

(क) सोपान उसके आशयित उपयोग के लिए यथोचित ठोस सन्निर्माण और सामर्थ्य का होगा। डण्डे समान्तर, समतल और 30 से० मी० के अंतराल पर एक सा होंगे।

(ख) सोपानों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा, और जब इस प्रकार बताया जाए तब उनकी तुरन्त मरम्मत की जाएगी। काष्ठ के सोपानों को पेंट नहीं किया जाएगा। सामग्री के क्षय होने से परिरक्षित रखने के लिए पतले बीज तेल या साफ वार्निश का उपयोग किया जाएगा।

(ग) विस्तारी आधारों सहित सभी सोपानों को, जैसे पैडी और थूनी सोपानों को उनके असमय खुलने या बंद होने के लिए दृढ़ विस्तार को या अन्य साधनों से सुसज्जित किया जाएगा।

(घ) सुवाह्य सोपानों का उपयोग ऐसे अंतराल से किया जाएगा कि दीवाल से सीढ़ी के पाद तक का क्षेतिज अन्तर बहुत कम होगा किन्तु अवलंबों के बीच की सीढ़ी की लंबाई के एक चौथाई से अधिक नहीं होगा।

(ङ) लंबाई में 9 मी० से अधिक वाले एकल सुवाह्य सोपानों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(च) धातु के सोपानों का उपयोग विद्युत लाइनों के आसपास या ऐसे स्थानों में जहां वे ऐसे तारों के संपर्क में आ सकते हैं, प्रतिषिद्ध होगा।

(4) क्रेन :

(क) क्रेनों का प्रचालन केवल ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो सुप्रशिक्षित और अनुभवी हों। आपरेटर क्रेन को प्रचालन में लाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सुरक्षित युक्तियां उचित रूप से कार्य कर रही है।

(ख) एक चल क्रेन प्रचालित किया जाएगा जिससे कि उसका कोई भी भाग 3 मी० से कम निकट वाली सक्रिय विद्युत लाइनों तक न पहुंच सके। भार उठाते समय ऐसा क्रेन समतल भूमि पर अवस्थित किया जाएगा।

(ग) मानक संकेतिक का उपयोग किया जाएगा और आपरेटर, क्रेन प्रचालन के दौरान केवल एक व्यक्ति से संकेत ग्रहण करेगा। संभाव्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिगनल वाले भरावों, खदानों, गर्तों, प्रतिच्छेदनों या किसी ऐसे अन्य स्थान जहाँ आवश्यक हो, में उपस्कर संचलन के लिए निदेश देंगे।

(घ) भारों पर स्लिंग ग्रंथियां अनुभवी व्यक्तियों के पर्यवेक्षण के अधीन की जाएंगी।

(ङ) किसी भी व्यक्ति को किसी भार के नीचे काम करने या चलने की अनुज्ञा नहीं की जाएगी।

(च) किसी क्रेन का पूरा निरीक्षण और भार परीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार किया जाएगा। परीक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला भार निम्नलिखित रूप से होगा :—

सुरक्षित कार्यकरण भार	परीक्षण भार
20 टन तक	25 प्रतिशत से अधिक
20-50 टन	5 टन से अधिक
50 टन से अधिक	10 प्रतिशत से अधिक

(5) कंकरीट भरना और सीमेंट लगाना :

(क) सभी प्रकार के उत्थापन और शटरिंग, उचित पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किए जायेंगे। किसी ऊंचाई पर काम करते समय कर्मकार उपयुक्त सुरक्षा पेटियों का उपयोग करेंगे।

(ख) शटरिंग और अवलंबी संरचनाएं पर्याप्त सामर्थ्य की होंगी। कंकरीट डालने से पहले इसको सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

(ग) सीमेंट या कंकरीट का व्यवहार करने वाले कर्मकार अपने पैरों और हाथों को सीमेंट के प्रभावन से संरक्षित करेंगे।

(घ) मिश्रक गियरों, जंजीरों और रोलरों पर समुचित गार्डों और आच्छादनों की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) गाद को ले जाने के लिए प्रयुक्त सभी पाइपें और होजें पर्याप्त सामर्थ्य की होंगी जिससे कि वे उस अधिकतम दाब को, जो संक्रियाओं के दौरान पहुंचने की संभावना हो सहन कर सकें।

(6) वैल्डन और कर्तन :

(क) वैल्डन और गैस कर्तन वहां नहीं किया जाएगा जहां ज्वलनशील सामग्री के जलने या विस्फोट होने का खतरा है।

(ख) वैल्डन और गैस कर्तन केवल प्राधिकृत और अर्हित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

(ग) परिरुद्ध स्थानों में वेल्डन करते समय या जस्ता, पीतल काट्य जस्ती या सीसा लेपित सामग्री का भ्रेजन, कर्तन या वल्डन करते समय यथोचित संवातन की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) वल्डन या कर्तन के लिए त्रुटिपूर्ण टार्च या होज का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी क्षरण की ज्वाला के जाने के पूर्व जांच की जाएगी।

(ङ) टार्च को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि गैसों को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया हो। यह नियामक या अन्य उपस्कर में वहां निरुद्ध नहीं किया जाएगा जहां यह गैस सिलिण्डरों के पार्श्व के संपर्क में आ सकता हो।

(च) वैल्डन करते समय वल्डकों द्वारा उपयुक्त संरक्षण अवरक पहने जायेंगे। क्षतिकर किरणें अन्य व्यक्तियों को संरक्षण करने के लिए रोधों का निर्माण किया जाएगा। वैल्डकों की सहायता करने वाले व्यक्ति बड़े चश्मों का उपयोग करेंगे।

(छ) वैल्डन या कर्तन करते समय लोहे के दस्ताने पहने जाएंगे। बाह्य पोशाकें तेल और ग्रीज से मुक्त होंगी।

(ज) आक्सी एसिटिलीन वैल्डन में, तेल या ग्रीज को गैस सिलिण्डर के नियामकों या गैस वैल्डन उपस्कर के संबंधनों के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा। रंगहीन गैस वाले सिलिण्डरों को खड़े रखे जायेंगे। सिलिण्डरों को सीधे सूर्य के प्रकाश से संरक्षित किया जाएगा।

(झ) गैस प्रदाय का प्रयोग तब ही किया जाएगा जब उसे जलाने के लिए व्यक्ति तैयार हो।

(ञ) उच्च स्थानों में वैल्डन या कर्तन किया जाए तब, व्यक्तियों या ज्वलनशील सामग्री पर चिनगारियों या तप्त धातु गिरने से रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

(ट) जब विद्युत वैल्डन ज्वलनशील वस्तु ले जाने वाली पाइप लाइनों के निकट किया जाए तब ऐसी पाइप लाइनों का उपयोग भू-चालक के भाग के रूप में नहीं किया जाएगा, किन्तु एक पृथक भू-चालक कार्य से सीधे मशीन में जोड़ा जाएगा।

(ठ) इलक्ट्रोड या विद्युत वैल्डन उपस्कर के अन्य सक्रिय भागों के साथ वैयक्तिक संपर्क से बचा जाएगा।

(ड) भूमि से इलैक्ट्रोड का आकस्मिक संपर्क रोकने के लिए अधिकतम सावधानी बरती जाएगी।

(ढ) धातु मल काटते समय उपयुक्त बड़े चश्मे पहने जाएंगे।

(7) उपरि विस्तारों की सफाई : भवनों के उपरि विस्तारों पर भीतर और बाहर दोनों पर सफाई सक्रियाएं करने के लिए प्रक्रिया व्यक्तियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही से तय कर ली जाएंगी।

(8) अधिक ऊंचाई वाले स्थानों का अनुरक्षण : सीमित पहुंच वाले ऊंचे स्थानों पर अनुरक्षण कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य के लिए सुरक्षित प्रक्रियाएं पहले ही से अधिकथित की जाएंगी।

(9) रंग रोगन :

(क) ऊंचाई पर कार्य करने वाले व्यक्ति सुरक्षा पट्टियों का उपयोग तब तक करेंगे जब तक कि वे पिंजरों में सुरक्षित रूप से लटक नहीं जाते।

(ख) नेत्र संरक्षण के लिए बड़े चश्मे वहां पहने जायेंगे जहां पपड़ियां और जंग उतारे जाते हों।

(ग) उस समय पर्याप्त चेतावनी और खतरा संकेत लगाए जायेंगे जब आदमी ऊंचाई पर काम कर रहे हों। जब ऊंचाई पर काम किया जाता है तब सामग्री गिराते समय समुचित पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

(घ) बड़ी वस्तुओं के जैसे टंकियों के फुहार रंग रोगन में लगे हुए पेंटर, फुहार पेंट करने के लिए दैशिक वायु का इस्तेमाल करेगा। यदि प्राकृतिक संवातन अपर्याप्त है तो वायु चोकनियों का उपयोग किया जाएगा अन्यथा पेंटरों द्वारा उपयुक्त प्रकार का श्वसन संरक्षण पहना जाएगा।

(ङ) रंगरोगन के दौरान धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा। तरल द्रावक और पेंट मुद्राबंद आधानों में रखे जायेंगे।

11. सामग्री का भंडारण :

(1) साधारण :

(क) परिसंकटमय सामग्रियों की प्रत्येक मद को उसके गुणधर्मों के सुउपयुक्त पर्यावरण में संग्रह किया जाएगा। सामग्रियों को समूहबद्ध किया जाएगा जो पारस्परिक योग्यता पर इस प्रकार आधारित होगा कि सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध स्थान का उचित उपयोग किया जाए। अन्य कानूनी उपबंधों का जैसे भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 का जहां-जहां वे लागू हों अनुपालन किया जाएगा।

(ख) भंडारकरण क्षेत्र में परिसंकटमय सामग्रियों के भंडारकरण के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संवर्तन उपलब्ध किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पील/जी०आई० जाल के आच्छादनों सहित आर०सी०सी० रोशनदानों की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि रोशनदान वर्षा के जल के प्रवेश करने से रोकें और जाल जन्तुओं का प्रवेश करने से रोकें।

(ग) उपयुक्त प्रकार की ज्वाला/विस्फोट सह विद्युत फिटिंगों की ऐसे क्षेत्रों में व्यवस्था की जाएगी जहां तक अधिक मात्रा में ज्वलनशील सामग्री संग्रह की गई है। ऐसे क्षेत्रों में जहां संक्षारक रसायन संग्रह किए गए हैं विद्युत फिटिंगों संक्षारक सह होंगी।

(घ) भंडारकरण क्षेत्र में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिषिद्ध होगा। पदार्थ पर प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक शक्ति उत्पन्न करने वाले खुले ज्वाल या कोई चिंगारी भंडारकरण क्षेत्र में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(2) ज्वलनशील द्रव :

(क) अधिक मात्रा में ज्वलनशील द्रवों के लिए भंडारकरण क्षेत्र को अंतराल देकर अलग कर दिया जाएगा जिससे कि वहां आग लग जाने पर उससे महत्वपूर्ण भवनों को खतरा न हो।

(ख) अधिक मात्रा में अति ज्वलनशील द्रवों का भंडारकरण केवल अनुमोदित सन्निर्माण की टंकियों में किया जाएगा। टंकियों को भरते समय पर्याप्त खाली स्थान रखा जाएगा। वाष्पों के निकलने के लिए उपयुक्त छिद्रों की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) अधिक मात्रा में द्रवों वाली संग्रह टंकियों का स्तर सूचित करने के लिए उपयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) खुले आधानों में ज्वलनशील द्रवों का भंडारकरण प्रतिषिद्ध होगा। ज्वलनशील द्रवों के लिए पीपों और आधानों को हर बार इस्तेमाल के पश्चात और वे जब खाली हों तब, मुद्रा बंद कर दिया जाएगा।

(ङ) ज्वलनशील द्रवों को 1.9 मीटर से अनधिक ऊंचे इस्पात के रैकों पर बिल्कुल नए आधानों में संग्रह किया जाएगा। निम्न भाग और फर्श के बीच कम से कम 30 सें०मी० का अन्तर बनाए रखा जाएगा। ज्वलनशील द्रव का कुल 190 लीटर से अनधिक संग्रह करने के लिए अलमारियों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी उपधान की धारिता क्षमता 20 लीटर से अधिक नहीं होगी।

(च) छोटे आधानों के लिए अनुमोदित भंडारकरण क्षेत्रों में उपयुक्त हौजों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे कि द्रव, जब वह छलके, भंडारकरण रैकों के नीचे न फैले। ज्वलनशील द्रवों का वितरण भंडारों के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) भंडारकरण क्षेत्र में प्राकृतिक संवातन के लिए यथोचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। विलायक वाष्पों की, जो सामान्यतः वायु से अधिक भारी होते हैं, शीघ्र निकासी करवाने के लिए फर्श और छत-स्तर दोनों पर रोशनदानों की व्यवस्था की जाएगी।

(ज) किसी पोषण को ग्रहण करने के पूर्व उसकी जांच की जाएगी कि क्या भंडारकरण के लिए आधान अच्छी दशा में है और त्रुटिपूर्ण आधानों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(झ) धूम्रपान और माचिसों, लाइटरों और चिनगारी उत्पन्न करने वाली युक्तियों का भंडारकण क्षेत्र के भीतर ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।

(3) क्षारीय धातुएं :

(क) अधिक मात्रा में क्षारीय धातुओं के लिए भंडारकरण क्षेत्र को अंतराल देकर अलग कर दिया जाएगा जिससे कि वहां विस्फोट हो जाने पर उससे महत्वपूर्ण भवन प्रभावित न हों।

(ख) भंडारकरण क्षेत्र ठोस सन्निर्माण के होंगे। उचित अवस्थान द्वारा और उठे हुए फर्शों की व्यवस्था करके बाढ़ की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

(ग) इन सामग्रियों के भंडारकरण के लिए अभिप्रेत भवनों के सन्निर्माण के दौरान वर्षा के जल को घुसने की संभावना से बचने के के लिए विशिष्ट सावधानी बरती जाएंगी। ढलवां छत की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि जल रिसाव से बचा जाए।

(घ) कक्ष में भंडारकरण आयतन के 1 एम^2/15 एम^3 के अनुपात में एक विस्फोटक निकास की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) क्षारीय धातु आधानों को सीमेंट खंडों या ऊंचे मंचों पर संग्रह किया जाएगा। क्षारीय धातुओं के आधानों को संक्षारक वातावरण में संग्रह नहीं किया जाएगा।

(च) जल कनेक्शन भवन में उपलब्ध नहीं होगा।

(छ) "धूम्रपान निषेध" चेतावनी के अलावा जल का उपयोग प्रतिषिद्ध करते हुए उपयुक्त चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी।

(ज) शुष्क रसायन पाउडर प्रकार के अग्निशामक भंडारकरण क्षेत्र में उपलब्ध होंगे।

(झ) अधिक मात्रा वाले भंडारकरण क्षेत्र से लगे हुए एक ऐसे विसरण क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी जो ऐसी सब अपेक्षा सहित जो अधिक मात्रा वाले भंडारकरण क्षेत्रों को लागू है, होगा। विसरण क्षेत्र को एक ठोस दीवाल द्वारा भंडारकरण क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

(ञ) क्षारीय धातुओं के बिल्कुल नए आधानों की किसी त्रुटि संक्षारण के लिए कालिकत जांच की जाएगी और विकृत आधानों को तुरन्त बदल दिया जाएगा।

(4) संक्षारक और जारण रसायन

(क) अम्ल भंडारकरण क्षेत्र में फर्श पर बिछायी जाने वाली वस्तु अम्लसह होगी।

(ख) संक्षारक बाष्पों को हटाने के लिए निर्वातिक संवातन की व्यवस्थाएं की जाएंगी।

(ग) अम्ल वेष्टकृपिया (कारबायस), जहां तक संभव हो, फर्श पर दिए गए कम से कम 7.5 से०मी० मोटे बालू के तह पर या सीमेंट के दराजों में रखी जाएंगी।

(घ) क्षारीय पदार्थों की दशा में, प्रत्येक मद को अलग-अलग संग्रह किया जाएगा। 2 से अधिक की ऊंचाई पर कम संग्रह नहीं किए जायेंगे। एक मीटर से अधिक की ऊंचाई पर थैले संग्रह नहीं किए जायेंगे।

(ङ) कोई आधान ग्रहण करने के पूर्व उसकी जांच की जाएगी कि क्या भंडारकरण के लिए यह अच्छी दशा में है और त्रुटिपूर्ण आधानों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) जारण कर्मकों को 1.9 मी० से अधिक ऊंचे इस्पात के रैकों पर बिल्कुल नए आधानों में संग्रह किया जाएगा। कोई भी ज्वलनशील सामग्री जारण कर्मकों के निकट नहीं लायी जाएगी या छोड़ी जाएगी।

(छ) जहां (जहां संक्षारक सामग्री संग्रह की/संभाली जाती है आपात फुहारों की व्यवस्था की जाएगी। वे बड़े आकार के होंगे, ऊपर से सीधे कम बेग से गिरेंगे जिससे कि कोई व्यक्ति पूर्णतः और सतत भीग सके। इस लाईन में केवल कार्य करने वाले वाल्व का उपयोग किया जाएगा।

(ज) संक्षारक और जारण रसायनों के आधानों की किसी त्रुटि के संक्षारण के लिए कालिकतः जांच की जाएगी और विकृत आधानों को तुरन्त बदल दिया जाएगा।

(5) विषैली सामग्री

(क) सभी विषैले पदार्थ 1.9 मी० ऊंचे मानक रैकों पर बिल्कुल नए आधानों में ही संग्रह किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेबिल अक्षुण्ण है और उनमें सभी सुसंगत जानकारी है।

(ख) विषैली सामग्री को अलग-अलग और अन्यत्र आग लगने पर उससे उन्हें बचाने के लिए अन्य भंडारकरण क्षेत्र से दूर संग्रह किया जाएगा। इन सामग्रियों के स्टाक पर उचित प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(6) विस्फोटक

(क) विस्फोटकों और अग्निस्फोटप्रेरकों को, भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के अधीन अनुमोदित प्रकार के अग्निसह और मौसमसह मैगजीनों में अलग-अलग संग्रह किया जाएगा।

(ख) मैगजीनों के अवस्थान मुख्य सड़कों और अन्य भवनों से दूर होंगे।

12. अग्नि परित्राण

(1) साधारण

(क) किसी भी भवन का डिजाईन इस प्रकार का होगा और उसके संनिर्माण में उपयोग की गई सामग्रियों का प्रकार ऐसा चुना जाएगा कि भवन अग्निरोधी हो और अग्नि धूम या वाष्पों का फैलाव न हो। सुसंगत अग्नि सुरक्षा नियमों और विनियमों के उपबंध लागू किए जाएंगे।

(ख) भवनों के संनिर्माण में उपयोग की गई ज्वलनशील वस्तुओं की मात्रा कम से कम होगी। दीवार और छतों पर ज्वलनशील मलह फिनिशों का उपयोग आग के शीघ्र फैलाने में सहायक बन सकता है। अतः उनका उपयोग सावधानी पूर्वक नियन्त्रित किया जाएगा।

(ग) भवनों के संरचनात्मक संघटक, जहां तक संभव हो अग्निरोधी होंगे, उनका अग्नि निर्धारण इस उपयोग पर आधारित होगा जिसके लिए संरचना काम में लायी जाएगी।

(घ) वातानुकूलन और संवातन तन्त्र का संस्थापन इस प्रकार किया जाएगा कि अग्नि धूम्र या वाष्पों के एक फ्लोर या अग्नि क्षेत्र से दूसरे में फैलने का खतरा कम से कम हो।

(ङ) कार्यशाला क्षेत्रों में, ज्वलनशील वस्तुओं की मात्रा कार्य अपेक्षाओं के अनुरूप कम से कम रखी जाएगी, अधिक मात्रा पृथक भंडारकरण क्षेत्रों में रखी जाएगी।

(च) माचिसों, सिगरेट लाईटरों या ज्वाला उत्पन्न करने वाली अन्य वस्तुओं का ऐसे सभी स्थानों में ले जाना प्रतिषिद्ध होगा जहां विस्फोटक, ज्वलनशील या अति ज्वलनशील सामग्री संग्रह की या संभाली जाती है। धूम्रपान भी प्रतिषिद्ध होगा और "धूम्रपान निषेध" का संकेत प्रदर्शित किया जाएगा।

(छ) आग या अन्य कोई बुरी घटना का शीघ्र पता चलाने में सहायता करने के प्रयोगशालाओं सर्वरों आदि के सभी द्वारों पर अवलोकन खिड़कियों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) आग का पता चलाना और उसे बुझाना

(क) सभी कार्यकरण क्षेत्रों में आग के खतरे के संकेतों की व्यवस्था सुविधाजनक आस्थानों पर की जाएगी जिससे कि आग को बुझाने में तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

(ख) अति और सामान्य अग्नि परिसंकट से सहयुक्त सभी क्षेत्रों को पर्याप्त क्षमता और सामर्थ्य से शीघ्र आग का पता चलाने और आग के खतरे का संकेत से संबंधित तन्त्रों से लैस किया जाएगा। संकेतक भवनों में के सभी व्यक्तियों के स्पष्टतः सुन सकने के योग्य होंगे, जब कभी भी खतरे का संकेत उसके किसी भाग में ध्वनित किया जाए।

(ग) प्रत्येक कार्य एककक द्वारा अपेक्षित अग्निशामक उपस्कर की संख्या और प्रकार अग्नि सेवा कार्मिकों के परामर्श से निश्चित किया जाएगा। सुवाह्य या प्राथमिक उपचार अग्निशामक जल सेचक तन्त्र जहां-जहां प्रस्तावित किया जाए, संस्थापित किए जाएंगे।

(घ) आग के बुझाने के लिए पूर्वअवधारित दाब सहित यथोचित जल प्रदाय सब समय बनाए रखा जाएगा।

(ङ) अग्नि बम्बे उपलब्ध रहेंगे और उन्हें इस प्रकार अवस्थित या संरक्षित किया जाएगा कि यानों के चलने फिरने से उन्हें नुकसान न होने पाए।

(च) ऐसे गोदों, मलों, जो अन्यथा इकट्ठे हो गए हों, हटाने के लिए निरन्तर अंतरालों पर भम्बों और प्रवाय पाईपों को पानी से साफ कर दिया जाएगा। उनकी तीन मास में कम से कम एक बार जांच की जाएगी।

(छ) संस्थापित करने से पहले आग का पता चलाने वाले अग्निशामक उपस्कर की कालिकत: जांच की जाएगी जिससे कि वे सब समय कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

(ज) सभी सुवाह्य अग्निशामक और अन्य माभिन्न कार्यकरण क्षेत्र मे ज्वलनशील सामग्री की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक रूप से और सहजदृश्य रूप में अवस्थित किए जाएंगे।

(3) आग का नियंत्रण

(क) प्रत्येक कार्यकक्ष या क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों के आकार और संख्या के संबंध में वहां यथोचित संख्या में अग्नि निकासों की व्यवस्था की जाएगी। अग्नि जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए, जैसे अधिक ऊंचे फ्लेटों में कार्यकक्षों के लिए जहां बीस से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे है या जहां ज्वलनशील सामग्री संग्रह की जाती हैं, कम से कम दो निकासों की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) अग्नि निकासों के द्वार बाहर की ओर से खुलेंगे।

(ग) कोई भी अग्नि निकास चौड़ाई में 90 सें० मी० से कम नहीं होगा और न ही ऊंचाई में 200 से मी० से कम होगा।

(घ) अग्नि बचाव सीढ़ी उस फ्लोर के जहां से वह बाहर निकले जाने के लिए अभिप्रेत है किसी भाग से विचरण की सीमा के साथ-साथ 22 मी० के भीतर होगी। बचाव सीढ़ी ठोस संनिर्माण की और अग्निरोधी सामग्रियों में बनी होगी।

(ङ) कोई भी अग्नि बचाव सीढ़ी क्षितिज से 45 से अधिक कोण पर संनिर्मित नहीं की जाएगी। ऐसे हर सीढ़ी मार्ग में जो अग्नि की दशा में बाहर निकल जाने के साधन प्रदान करता है पर्याप्त हस्त शलाके की व्यवस्था की जाएगी जो यदि सीढ़ी मार्ग में कोई खुला सिरा हो तो, उस तरफ होगा और यदि सीढ़ी मार्ग में दो खुले सिरे हों तो ऐसे हस्त-शलाकों की व्यवस्था दोनों तरफ होगी।

(च) आपात प्रकाश व्यवस्था सहित अग्नि बचाव सीढ़ी की व्यवस्था की जाएगी। इसका संनिर्माण ऐसा होगा कि किसी अग्नि घटना के दौरान वह धूंए से भरी नहीं होगी।

(छ) धूम्र निर्गमन सुविधाएं, जहां जहां खिड़की रहित भवनों, भूमिगत सरचनाओं और बड़े कार्यकरण क्षेत्रों में निकासों के सुरक्षित उपयोग के लिए अपेक्षित हों, स्वत: कार्य करेंगी।

13 मशीन संरक्षण और प्रचालन :

(1) साधारण

(क) मशीनरी के सभी चल मार्गों को, जब कभी ऐसी गति से कार्मिकों के लिए परिसंकट उत्पन्न हो, सुरक्षित किया जाएगा। ऐसा सभी पटियों, चिरणियों, गियरों शाफ्टों, क्लचों, ड्रमों, चक्रों, घिरियों और फर्श या प्रचालन मंच के 2.1 मी० के भीतर ऐसे अन्य सभी घूमने वाले या आगे पीछे चलने वाले भागों से यही अर्थ लगाया जाएगा कि वे कार्मिकों के लिए परिसंकट उत्पन्न करते हैं।

(ख) काष्ठ या अन्य उपयुक्त सामग्री के बने संरक्षण साधन का उपयोग वहां किया जाएगा जहां किसी धातु का संरक्षण साधन परिसंकट उत्पन्न करे।

(ग) हर मशीन पर प्रभावशाली रोक और आरम्भण युक्ति की व्यवस्था की जाएगी इस युक्ति का नियंत्रण ऐसे स्थान पर होगा जिससे कि मशीन का भारसाधक व्यक्ति तुरन्त और सुविधाजनक रूप से प्रचालित कर सके।

(घ) मशीन प्रचालकों और सेवा कार्मिकों द्वारा चुस्त फिटिंग के पोशाकों का उपयोग करवाया जाएगा ढीलाढाला वस्त्र झूलते हुए, कफ, जेवर आदि पहनना प्रतिषिद्ध होंगे। परिक्रामी मशीनरी पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए उपयुक्त टोपियों की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) मशीनों को बिना देखरेख चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से स्वत: प्रचालन के लिए नहीं किया गया हो। किसी मशीन के आघात पार्श्ववीथी स्थानों में विस्तारित नहीं होंगे।

(च) सामग्री का केवल न्यूनतम स्टाक किसी कर्मशाला में संग्रह किया जाएगा। हर चलायमान मशीन के आसपास का स्थान आधाररहित रखा जाएगा।

(छ) हर मशीन के आसपास का फर्श अच्छी और समतल दशा में बनाए रखा जाएगा और उसे फिसलाऊ नहीं होने दिया जाएगा। किसी मशीन कर्मशाला का फर्श टुकड़ों या अन्य खुली हुई सामग्री से मुक्त रखा जाएगा।

(ज) सारे कर्मशाला में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होगी। कार्य की प्रकृति और प्रत्येक मशीन की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकाश-व्यवस्था को स्थानीय प्रकाश-अवस्था करके सुधारा जाएगा।

(झ) रद्दी सामग्रियाँ विनिर्दिष्ट भाधानों में रखी जाएंगी और उनके बाहर निकलने के पहले उन्हें तुरन्त हटा दिया जाएगा।

(ञ) किसी भी व्यक्ति को किसी मशीन पर तब तक काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस कार्य के मशीन के कार्यकरण में उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित न हुआ हो, या वह ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसे उसके कार्यकरण का पूरा ज्ञान है उपयुक्त पर्यवेक्षण के अधीन काम किया हो।

(ट) अप्राधिकृत व्यक्तियों को मशीनों पर काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) मूल गति उत्पादक और संचारण मशीनरी :

(क) मूल गति उत्पादकों और संचारण मशीनरी का प्रचालन ऐसा होगा कि वे कार्मिक के लिए कोई परिसंकट उत्पन्न न करें।

(ख) चक्के, उन चक्कों की गति से जो किसी कारण से निर्दिष्ट की गई है, अधिक गति पर प्रचालित नहीं किए जाएंगे।

(ग) पट्टियों का निरीक्षण एक निश्चित समय पर किया जाएगा और इसका उचित अभिलेख रखा जाएगा।

(घ) निरीक्षण के अन्तर्गत कटावों, गदगी या ग्रीज के एकत्रीकरण, अत्यधिक ढीलापन या तनाव असंरेखण या खिसकने संबंधी जांच होगी। पट्टी बंधन और जकड़नी का भी निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यक संप्रेक्षण यह अवधारित करने के लिए किया जाएगा कि उन पर असम्यक दबाव न डाला जाए।

(ङ) आकार, प्रकार या अवस्थान को विचार में लाए बिना सभी गियरों का संरक्षण पूर्णत: घेर कर दिया जाएगा।

(च) सभी शैफ्ट युग्मन इस प्रकार संनिर्मित होंगे कि उनका कोई निर्गत या अतिरिक्त भाग न हो। वे सुरक्षा खोलों से आच्छादित होंगे।

(3) आरा :

(क) चक्र रेंजें स्प्रिंग भारित या उपयोग के पूर्ण उनकी बिलगता सुनिश्चित करने के लिए अन्यथा डिजाइन किए हुए होंगे।

(ख) चक्र या खराद कांटे के आसपास यदि वह बाहर निकला हुआ है जो चोट पहुंचा सकता है तो वृत्ताकार आड़ संस्थापित किए जाएंगे।

(ग) जब इस्पात और ऐसी अन्य सामग्री खरादों पर घुमाई जाती हों तब क्षति से बचने के लिए उचित चिप ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा।

(घ) गति में रहने के दौरान खरादों की सफाई नहीं की जाएगी। छीलनों को हटाने के लिए उचित ब्रुश का उपयोग किया जाएगा।

(4) पेषण मशीनें :

(क) पेषण मशीनों में कर्तक के ऊपर उसके साथ आकस्मिक संपर्क रोकने और चिप गार्ड के रूप में भी काम करने के प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी धातु या पारदर्शक गार्ड की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) औजार के भाग कार्य से हटाए जाने पर स्नेहक लगाया जाएगा।

(5) वृत्ताकार आरे :

(क) ठंडी धातु काटने वाले वृत्ताकार आरों पर एक ऐसा उपयुक्त गार्ड होगा जो काटे जाने वाली वस्तु की मोटाई के अनुसार स्वतः समायोजित कर देगा।

(ख) टेबल के नीचे वाले आरे के भाग को क्षेप्य धातु के संग्रहण के लिए व्यवस्था करके पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाएगा।

(ग) पहिए पर सततरूपेण चलने वाले गोल आरों के ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र धातु चादर या सख्त जाली के पर्दों से पूर्णतः घिरे होंगे।

(घ) ऊपर के चक्र और आरा टेबल के बीच का आरा-फलक का भाग, गाइड से संलग्न एक सरकवां फिक्सचर से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। खुले फलक की लंबाई किसी भी समय काटी जाने वस्तु की मोटाई से 9 मि० मी० से अधिक बड़ी नहीं होगी।

(6) घर्षण मशीनें।

(क) अपघर्षी डिस्कों और चक्रों को किसी ऐसे शुष्क क्षेत्र में, जो अत्यधिक तापमान से प्रभावित न हो, संग्रह किया जाएगा। पातन या उच्छालन को रोकने के लिए अपघर्षी डिस्कों और चक्रों को सावधानीपूर्वक संभालना अपेक्षित है।

(ख) हर घर्षण को सावधानीपूर्वक मशीन शैफ्ट से फिट किया जाएगा। चक्र और फलेंज के बीच प्रत्येक पार्श्व पर एक सुरक्षित वाशर लगा या जाएगा जो ठीक आकार का हो।

(ग) मशीन की प्रचालन गति को यह निश्चित करने के लिए जांचा जाएगा कि यह चक्र की अधिकतम अभिकल्प गति से अधिक न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए मशीन पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित एक सूचना होगी जिसमें हर सान या अपघर्षी चक्र की अधिकतम सुरक्षित कार्यकरण परिधीय गति शैफ्ट या स्पिंडल की, जिस पर चक्र चढ़ाया जाता है, गति और ऐसी सुरक्षित कार्यकरण परिधीय गति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऐसे शैफ्ट या स्पिंडल पर की घिरनी का व्यास उपदर्शित होंगे।

(घ) अपघर्षीय मशीन को तब तक प्रचालित नहीं किया जाएगा जब तक उसमें एक गार्ड की व्यवस्था न की गई हो।

(ङ) कार्य-अवलंब को उपयुक्त रूप से संनिर्मित किया जाएगा और चक्र के पृष्ठभाग से 3 मि० मी० से अधिक पर दृढ़तापूर्वक कसा जाएगा।

(च) किसी घर्षक को प्रचालित करते समय उचित नेत्र संरक्षण उपस्कर पहना जाएगा।

(7) काष्ठकर्म मशीनरी।

(क) हर वृत्ताकार टेबल आरा में एक प्रसारक, एक स्वयं व्यवस्थायी हुड और हुड (शीर्ष गार्ड) पर अटकी हुए एक उपावप्रहार (ननकिक बैक) युक्ति की व्यवस्था की जाएगी। आरा-टेबल के नीचे आरा फलक के भाग को पूर्ण रूप से घेर दिया जाएगा।

(ख) अनावश्यक जोखिम उठाए बिना काम करने में समर्थ होने के लिए उपयोग के लिए एक दाब चप्टि या अन्य उपयुक्त साधित्र की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) पहिए पर सततरूपेण चलने वाले गोल आरे के सभी भागों को, फलक के काम करने वाले भाग को छोड़कर घेर दिया जाएगा।

(घ) पहिए पर सततरूपेण चलने वाले गोल आरे के चक्रों को पूर्ण रूप से घेर दिया जाएगा।

(8) मर्सन मशीन :

(क) फलक के अग्र और पृष्ठ भाग पर स्थिर या स्वयं व्यवस्थायी रोक संस्थापित किए जाएंगे। टेबल और फलक से प्रत्येक रोक के निचले सिरे का अंतर 11 मि० मी० से अधिक नहीं होगा।

(ख) मशीन के खुले सिरों और पृष्ठ भाग पर शलाके संस्थापित किए जाएंगे।

(9) शक्ति चालित मुद्रणालय :

(क) ऐसे शक्तिचालित मुद्रणालयों को, जो पूर्णतः स्वचालित भरण से सुसज्जित नहीं हैं, अपुनरावृत्ति युक्ति से सुसज्जित किया जाएगा।

(ख) जहां पूर्णतः स्वचालित या अर्द्ध-संचालित भरण का उपयोग किया जाता है वहां रैम को पूर्णतः बंद या उसका आयात 11 मि० मी० तक सीमित कर दिया जाएगा या एक द्वारा गार्ड संस्थापित किया जाएगा।

(ग) किसी हस्तचालित मुद्रणालय को निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसी एक या उससे अधिक द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा।

(i) बाड़े के तल और कार्य के बीच 11 मि० मी० अनधिक अनुज्ञात करते हुए रैम को पूरी तरह से घेरा जाना।

(ii) रैम आपात की परिसीमा 11 मि० मी० से अधिक न हो।

(iii) द्वार गार्ड नियंत्रण युक्ति से अंतर्गथित होंगे।

(iv) द्विभागी घरकती युक्ति।

(v) एक मार्जन गार्ड।

(vi) विशेष रूप से डिजाइन किए गए हस्त-औजार और हस्तचालित गार्ड

(घ) जहां स्वचालित या पूर्ण भार निष्कासन की व्यवस्था नहीं की गई है वहां मुद्रणालय से सामग्री के सुरक्षित निष्कासन किए जाने के लिए स्ट्रिपरो, वाक-आउट, किक आउट संपीडित वायु जैटों या विशेष हस्ता-औजारों की व्यवस्था की जाएगी।

14. विद्युत उपस्कर :

(1) साधारण :

(क) विद्युत संस्थापनों पर केवल प्रशिक्षित और प्राधिकृत व्यक्तियों को काम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) भीगे फर्श पर खड़ा होने पर या हाथ भीगे होने पर विद्युत् उपस्कर के प्रचालन से बचा जाएगा :

(ग) जहां जहां संभव हो, परिपथों या नियंत्रण युक्तियों पर कार्य करते समय केवल एक कर्मचारी का उपयोग किया जाएगा।

(घ) विद्युत उपस्कर पर या प्रबल अभिप्रेरित क्षेत्रों के आसपास काम करते समय अंगूठियों, धात्विक घड़ी पट्टियों आदि के पहनने से बचा जाएगा।

(ङ) जब कोई व्यक्ति ऊर्जा पूरित उपस्कर पर काम कर रहा हो तब आपातकाल में उसकी मदद करने में समर्थ एक दूसरा व्यक्ति अवश्य उपस्थित होना चाहिए।

(च) साकेटों में नंगी तारें घुसा कर विद्युत संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्लगों का उपयोग किया जाएगा।

(छ) विद्युत संस्थापनों पर कालिक विद्युतरोधी परीक्षण (मैगर परीक्षण) किया जाएगा। असाधारण रूप से निम्न पठनों या आकस्मिक परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अन्वेषण किया जाएगा जब परीक्षण किए जाएंगे तब, विद्युत उपस्कर को शक्ति के सभी स्रोतों से पृथक कर दिया जाएगा और टर्मिनलों का पथ लघु कर दिया जाएगा तथा सभी अवशिष्ट विद्युत आवेशों को अपवाहित करने के लिए प्रत्येक परीक्षण के पूर्व और पश्चात् पृथ्वी से संबद्ध कर दिया जाएगा।

(ज) विद्युत उपस्कर के संस्थापन, प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन सभी कानूनी अपेक्षाओं और उनके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण किया जाएगा।

(2) संस्थापन.

(क) सभी विद्युत उपस्कर और संस्थापन ऐसे संनिर्माण के होंगे और इस प्रकार संस्थापित और अनुरक्षित किए जाएंगे जिससे कि वे दोनों सक्रिय चालकों के संपर्क और अग्नि के खतरे को रोक सकें।

(ख) सभी विद्युत उपस्कर के लिए सामग्री का चयन कार्यकरण तनाव, भार का और उपयोग के किसी विशेष अवस्था का सम्यक् ध्यान रखते हुए किया जाएगा।

(ग) नई विद्युत पद्धतियों के संस्थापन के पश्चात् या विद्यमान, संस्थापनों में व्यापक परिवर्तन के पश्चात् जो पर्यवेक्षक की अनुज्ञप्ति सहित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कार्य में संलग्न व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न हो नई पद्धति या नए विस्तार को काम में लाने के पूर्व निरीक्षण किया जाएगा।

(घ) जहां विद्युत परिपथों के बंद करना या 50 वोल्ट या उससे अधिक की प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से प्रभावित होने वाले विद्युत उपस्कर के धारा वहन करने वाले भागों को भूसंपर्कित करना असमर्थ या असाध्य हो वहां परिपथ या उपस्कर संस्थापित करके व्यक्तियों या वस्तुओं द्वारा आकस्मिक संपर्क को रोका जाएगा :

(i) ऐसे कक्षों या अहातों में, जिन्हें प्रभावी रूप से भूसंपर्कित किया गया है और केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश योग्य हो, या

(ii) इस प्रकार ऊंचे और व्यवस्थित किए गए वारजो गलियारों या मंचों पर जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच न हो सके।

(ङ) ऐसे विद्युत उपस्कर को, जो प्रचालन के दौरान समायोजन या परीक्षा के लिए अपेक्षित है, इस प्रकार संस्थापित किया जाएगा कि निर्विघ्न आधार सहित तुरंत पहुंच योग्य और पर्याप्त कार्यकरण स्थान की सब आवश्यक स्थलों पर व्यवस्था हो सके और उसे बनाए रखा जा सके।

(च) जहां विद्युत ट्रांसफार्मरों, संधारित्रों या अन्य उपस्कर में प्रति टंकी, कक्ष या चैम्बर 5000 लीटर से अधिक तेल है वहां ऐसे उपस्कर को जिसमें तेल है,

(i) औद्योगिक भवनों के बाहर स्थित किया जाएगा, और

(ii) गर्तों नालियों या हौजों के ऊपर इस प्रकार परिनिर्मित किया जाएगा कि आधानों के किसी एक की समस्त अन्तर्वस्तु उसमें एकत्रित हो जाएगी।

(3) भूसंपर्कित किया जाना :

(क) विद्युत केबलों, धातु नलिकाओं और उनके फिटिंगों धात्विक, सुरक्षागार्डों और उपयोग उपस्कर के धाराइतर वहन करने वाले अन्य भागों के कवच और आवरक को प्रभावी रूप से भूसंपर्कित किया जाएगा।

(ख) भूसंपर्कित किए जाने वाले चालक धारा के उस अधिकतम बहाव को जिसके परिणामस्वरूप संरक्षित किया जाने वाले उपस्कर का विद्युत् रोधन भंग हो सकता है सुरक्षित रूप से वहन करने के लिए निम्न प्रतिरोध के और पर्याप्त क्षमता के होंगे।

(ग) जहां अनावृत धातु भागों सहित सुवाह्य विद्युत उपस्कर का उपयोग किया जाता है वहां, विद्युत प्रदाय की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा पद्धतियों पर प्रचालित उपस्कर के अनावृत्त धातु फ्रेमों को प्रभावी रूप से भूसंपर्कित किया जाएगा।

(घ) जब उपस्कर या चालकों पर मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करना हो तब प्रदाय स्रोत से विद्युत उपस्कर या चालकों से संबंध विच्छेद करने के लिए पृथक्कारी स्विचों की व्यवस्था की जाएगी। जब उपस्कर या चालकों को इस प्रकार पृथक कर दिया जाता है तब उन्हें प्रभावी रूप से भूसंपर्कित किया जाएगा और जहां आवश्यक हो, उनका परिपथ लघु कर दिया जाएगा।

(ङ) सभी सुवाह्य विद्युत औजारों और उपस्कर में तीन क्रोड केबलों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें से एक भू तार है। औजारों/उपस्कर के लिए विद्युत प्रदाय अच्छी क्वालिटी के केवल तीन-पिन प्लगों का उपयोग करके किया जाएगा।

(4) सक्रिय भागों का संरक्षण.

(क) विद्युत कार्य के संबंध में प्रयुक्त प्लास, पेचकस, फ्यूजतार, कर्षक और समरूप हस्त औजार यथोचित रूप से विद्युतरोधी होंगे।

(ख) विद्युत उपस्कर के आसपास प्रयुक्त तेल कनस्तरों और झाड़नों ब्रुशों और अन्य सफाई युक्तियों के हैंडल असवाही सामग्री के होंगे।

(ग) आर्क वेल्डर या कर्तन मशीनों में मोटर जनित्रों, परिष्कारकों या ट्रांसफार्मरों और धारा वहन करने वाले सभी भागों को आकस्मिक संपर्क मद्दे विद्युतरोधी न किए गए सक्रिय भागों से संरक्षित किया जाएगा।

(5) अग्निशमन.

(क) विद्युत उपस्कर में लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय वहां के जहां अग्नि शमन के प्रयोजनों के लिए इसमशान बन गए हों और जहां आग अन्यथा नियंत्रण योग्य न हो। पश्चात्वर्ती मामले में उपयोग के पूर्व विद्युत संपर्क मद्दे पूर्वविधानियां बरती जाएंगी।

(ख) विद्युत संस्थापनों में उपयोग के लिए CO_2 गैस प्रकार के शामकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत या अन्य असवाही सामग्रियों का शामकों के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(6) वैयक्तिक संरक्षण पोशाक.

(क) सक्रिय विद्युत परिपथों या उपस्कर पर या उनके निकट कार्य करते समय कर्मकार—

(i) चुस्त फिटिंग वाला पोशाक पहनेंगे उनमें धात्विक बटन या कफ नहीं होंगे।

(ii) अनावश्यक धातु वस्तु जैसे, अगूठी चाबी या घड़ी चैन नही पहनेंगे।

(7) स्थैतिक विद्युत :

(क) जहां स्थैतिक चार्जों का खतरनाक सचयन, पट्टी और घिरनी अंतनेदि द्वारा कारित हो वहां, शैफ्टों और बेयरिंगों, दोनों का भूसंपर्कित किया जाएगा।

(ख) जहां पट्टी और घिरनी के बीच चिनगारी इस प्रकार उत्पन्न हो कि कर्मकारों के लिए जोखिम कारित करे वहां, स्थैतिक चार्जों का सचयन भूमि से जोड़े गए धात्विक काम्ब के द्वारा कम कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो, उन्हें उस स्थल पर जहां वे घिरनियों को खींचते जाते हैं, पट्टियों के जितना संभव हो उतना निकट, दोनों तरफ लगा दिए जाएंगे।

(8) परिसंकटमय अवस्थान :

ऐसे स्थानों में, जहां ज्वलनशील गैस या वाष्प सम्मिश्रण से विस्फोट का खतरा है, सस्थापित विद्युत उपस्कर, जैसे मोटर, स्विच और प्रकाश व्यवस्था फिक्सचर, अनुमोदित विस्फोट सह प्रकार के होंगे।

15. हस्त-औजारों और सुवाह्य विद्युत औजारें·

(1) हस्त-औजारे :

(क) हस्त-औजारें अच्छी क्वालिटी सामग्री के और उस कार्य के लिए जिसके लिए उनका उपयोग किया जाएगा, उपयुक्त होंगे।

(ख) हस्त-औजारों का केवल उन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं, उपयोग किया जाएगा। उनके हैंडल ग्रीज तेल, आदि से मुक्त होंगे।

(ग) हस्त-औजारों के काष्ठ हैंडल अच्छी क्वालिटी ऋजुतन्तु सामग्री के होंगे। वे चिकने होंगे और खण्डित या तेज धार वाले नही होंगे।

(घ) जहां चिनगारियों द्वारा ज्वलित किए जाने पर विस्फोटक वातावरण की कोई जोखिम हो वहां, उपमें प्रयुक्त हस्त-औजारे चिनगारीहीन प्रकार के होंगे।

(ङ) रवड़ औजारों के सीखों पर, जैसे ही वे फैलना या विदीर्ण करना आरम्भ करें, पट्टी बांध दी जाएगी या उन्हें किनारों पर उपयुक्त वक्रता की दशा में भूमि पर रखा दिया जाएगा।

(च) हस्त औजारों को केवल अर्हित व्यक्तियों द्वारा टेंपर, परिष्कृत और मरम्मत किया जाएगा।

(छ) ऊंचे स्थानों पर कार्य करते समय हस्त औजारों को फर्शों पर, गलियारों, आदि में नहीं छोड़ा जाएगा हस्त औजारों को पट्टियों या अन्य उपस्कर/संरचनाओं से उचित रूप से बांध दिया जाएगा जिससे कि वे नीचे व्यक्तियों पर न गिरें।

(ज) हस्त औजारों के सुरक्षित उपयोग के लिए कर्मकारों को समुचित रूप से अनुदेश दिया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा।

(झ) ऐसी संक्रियाओं में, जिनमें नेत्र को क्षति की जोखिम अन्तर्वलित हो, फोनादी छेनी या छेनी कर्तकों का उपयोग करते हुए कर्मकारों के लिए उपयुक्त नेत्र संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

(ञ) छल्ला और पट्टी से जड़े ठोस हैंडलो वाले रेतियो का उपयो किया जायेगा

(ट) हथौड़ों और मुग्दरों के हैंडलों को दृढ़तापूर्वक फिट किया जाएगा।

(ठ) डिबरियों को कसने या ढीला करने के लिए रेंचों के स्थान पर प्लासों का अनुकल्प के रूप में उपयोग नही किया जाएगा।

(ड) पेचकसो की धारें को उचित रूप से ग्रोउंड कर दिया जाएगा जिससे कि वे पेचों के सुराख में फिट हो सकें।

(ढ) खोलने के लिए या छेनी के रूप में पेचकसों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ण) रेंचो या स्पेनरों पर पाइप या अन्य विस्तारण तब तक अनुज्ञात नही किए जाएंगे जब तक कि औजारों का इस रीति से उपयोग करने के लिए डिजाइन नही किया गया हो।

(त) रेंचों और स्पेनरों का हथौड़ों के रूप में उपयोग नही किया जाएगा।

(थ) हेकसा ब्लेडों को उनके फ्रेमो में कस कर लगाने जाएंगे और दृढ़ आघातों के साथ सीधी लाइन में प्रचालित किए जाएंगे जिससे कि ब्लेडो को टूटने और यथासंभव हाथों को क्षति होने से बचाया जा सके।

(2) सुवाह्य विद्युत् औजारे.

(क) ज्वलनशील वाष्पों, गैसों और गर्द की उपस्थिति में सुवाह्य विद्युत औजारों का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे उपयोगों के लिए औजार को विशेष रूप से डिजाइन नहीं किया गया हो।

(ख) सभी विद्युत प्रचालित औजारों में, एक त्रि-क्रोड केवल का उपयोग किया जाएगा और औजार के बाडी से समुचित रूप से जोड़े गए तार को भूसपर्कित किया जाएगा। (नियम 12(3)(ङ) भी देखिए)

(ग) शक्तियुक्त औजारों पर स्विचों को एसी रीति से व्यवस्था की जाएगी कि आकस्मिक आरम्भण की संभावना कम से कम हो।

(घ) सुवाह्य विद्युत औजारों और उनके उपसाधनों का एक निश्चित अवधि पर बार-बार और पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा तथा ऐसे सभी निरीक्षणों का अभिलेख बनाए रखा जाएगा

(ङ) विद्युत चालित औजार केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रचालित किए जाएंगे जिन्हें ऐसे औजारों को उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया है और अनुदेश दिया गया है।

(च) सुवाह्य पेषण-यंत्रों में, चक्र को ऐसे सुरक्षित वाशरों और फ्लेंजों, जो संस्थापित चक्र के ऐसे प्रकार के लिए वाशरो और फ्लेंजों से काफी बड़े होंगे, के साथ उचित रूप से बनाया जाएगा।

(छ) पेषण कार्य करते समय बड़े चश्मे/चेहरा आवरण पहने जाएंगे पहना जाएगा।

(ज) सुवाह्य विद्युत बरमा का उपयोग करते समय छिद्रित की जाने वाली सामग्री को उपयुक्त रूप से जकड़ कर रखा जाएगा।

(झ) जब ऊंचे स्थानो में विद्युत औजारों का उपयोग किया जाए तब आपरेटर सुरक्षा पट्टा पहनेगा जिससे कि यदि औजार अचानक टूट जाए या आपरेटर को विद्युत आघात लगे तो गिरने का खतरा कम कम हो।

(ञ) शुष्क सक्रियाओं के लिए जैसे चफ करने, पेषण करने और रेत डालने के लिए, जिसे हानिकारक गर्द पर्याप्त रूप में उत्पादित होता है, प्रभावी स्थानिक दिर्वातक संवातन की व्यवस्था की जाएगी।

(ट) वायु संचालित औजार की दशा में, उसे खिंच जाने से रोकने लिए वायु नम्य नाल से एक लघु जंजीर दृढ़ता से संलग्न किया जायेगा

16. दाब पात्र और संयंत्र (1) साधारण :

(क) किसी ऐसे पात्र से, जो भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की परिधि मे आता है, भिन्न हर दाब पात्र संयंत्र और दाब के अधीन और वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित दाब गैसों या विघटित गैसो के भंडारकण या परिवहन के लिए प्रयुक्त सिलिंडरों को धातु बोतल—

(i) ठोस बनावट, ठोस सामग्री, पर्याप्त सामर्थ्य के और किसी प्रत्यक्ष त्रुटि से मुक्त होगे; और

(ii) किसी सुरक्षित दशा में उचित रूप से अनुरक्षित किए जाएंगे।

(ख) किसी भी नए दाब पात्र का किसी कारखाने में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका द्रवस्थैतिक परीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा डिजाइन दाब से कम से कम 1.3 गुने के दाब पर न कर लिया गया हो, और किसी ऐसे दाब पात्र या संयंत्र को, जिसका उपयोग पहले किया गया है या जो दो मास से अधिक अवधि के लिए बिलग या पड़ा रहा है या जिसमें परिवर्तन या मरम्मत की गई है, किसी कारखाने में तब तक उपयोग नही किया जाएगा जब तक कि उसकी परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा बाहर और भीतर, यदि साध्य हो, से पूरी तरह से न कर ली गई हो, और उसकी द्रव स्थैतिक परीक्षण सक्षम व्यक्ति द्वारा ऐसे दाब पर जो अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब 1.5 गुना होगा, किया गया हो।

(ग) किसी भी दाब पात्र संयंत्र को किसी कारखाने में तब तक उपयोग नही किया जायेगा जब तक कि डिजाइन दाब या उसका अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब विनिर्दिष्ट करते हुए और परीक्षण के उस प्रकृति को, जिसके अधीन दाब पात्र/संयंत्र और उसकी फिटिंगें (यदि कोई हो) को रखा गया है, कथित करते हुए एक प्रमाण पत्र दाब पात्र संयंत्र के विनिर्माता से या सक्षम व्यक्ति से प्राप्त न कर लिया गया हो और इस प्रकार प्रयुक्त हर दाब पात्र/संयंत्र चिह्नित किया जाएगा जिससे कि ऐसे दाब पात्र/संयंत्र जिससे वह प्रमाणपत्र संबंधित है, पहचाना जा सके और प्रमाणपत्र को निरीक्षक द्वारा अवलोकन के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी प्रतिकारी पात्रों और सहयुक्त उच्च दाब पाइपिंग और संघटकों के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं नियत करेगा।

(2) सुरक्षा फिटिंगें : हर दाब पात्र/संयंत्र में—

(i) एक उपयुक्त सुरक्षा वाल्व या पर्याप्त क्षमता की अन्य प्रभावी दाब मोचन युक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए फिट की जाएगी कि दाब पात्र/संयंत्र का अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब अधिक न हो। उसे अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब से अनधिक दाब पर प्रचालित करने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा।

(ii) अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब के 1.5 गुने से अन्यून डायल रेंज के साथ एक उपयुक्त दाब प्रभायी फिट किया जाएगा। यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होगा और सब समय ठीक आन्तरिक दाब दिखाने के लिए डिजाइन किया गया होगा और दाब पात्र के अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब पर सुस्पष्ट लाल चिह्न से चिह्नित किया होगा।

(iii) एक उपयुक्त रोक वाल्व या वाल्वें फिट किये जाएंगे जिनके द्वारा दाब पात्र को अन्य दाबपात्रों/संयंत्र या दाब के प्रदाय के स्रोत से पृथक किया जा सकता है। ऐसा कोई रोक वाल्व या वाल्वें जितना संभव हो उतना दाब पात्र के निकट अवस्थित किए जाएंगे और आसानी से पहुंच योग्य होंगे ; और

(iv) द्रव या अन्य पदार्थों में, जो दाब पात्र में इकटठे हो जाएं; निकालने के लिए दाब पात्र के सबसे निचले भाग पर एक उपयुक्त रोधनी या वाल्व फिट किया जाएगा।

(3) दाब अपचायक युक्तियां : (क) ऐसे हर दाब पात्र में, जिसे प्रदाय स्रोत पर दाब से कम या उस दाब से कम, जो किसी अन्य प्रदाय स्रोत के साथ दाब पात्र को जोड़ने वाली पाइप में प्राप्त किया जा सकता है, कार्यकरण दाब के लिए डिजाइन किया गया है, एक उपयुक्त दाब उपचायक वाल्व या अन्य उपयुक्त स्वचालित युक्ति, जो अधिकतम अनुज्ञेय दाब को अधिक होने से रोकेगी, फिट की जाएगी।

(ख) अपचायक वाल्व या युक्ति के विफलन की दशा में, दाब पात्र के और संरक्षण के लिए कम से कम एक ऐसा सुरक्षा वाल्व, जिसकी क्षमता सब प्रवाष्प वाष्प या गैस को प्रदाय-स्रोत और प्रदाय स्रोत से जोड़ने वाली पाइप के आमाप पर दाब द्वारा यथा अवधारित असम्यक दाब उत्थान के बिना मोचन करने के लिए पर्याप्त हो, अपचायक वाल्व के निम्न दाब पार्श्व पर फिट किया जाएगा।

(4) सेवा परीक्षा और परीक्षाएं : (क) किसी भी नए दाब पात्र को किसी कारखाने में तब तक उपयोग नही किया जाएगा जब तक कि उसका द्रव स्थैतिक परीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा डिजाइन दाब के कम से कम 1.3 गुने के दाब पर न कर लिया गया हो, और किसी ऐसे दाब पात्र संयंत्र को, जिसका उपयोग पहले किया गया हो या जो दो मास से अधिक अवधि के लिए बिलग या पड़ा रहा है या जिसमें परिवर्तन या मरम्मत की गई है, किसी कारखाने में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा बाहर और भीतर, यदि साध्य हो, से पूरी तरह से न कर ली गई हो, और उसका द्रव स्थैतिक परीक्षण, सक्षम व्यक्ति द्वारा ऐसे दाब पर, जो अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब से 1.5 गुना होगा, किया गया हो।

(ख) किसी भी दाब पात्र संयंत्र को किसी कारखाने में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि डिजाइन दाब या उसका अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब विनिर्दिष्ट करते हुए और परीक्षण के उस प्रकृति को, जिसके अधीन दाब पात्र/संयंत्र और उसकी फिटिंगों (यदि कोई हो) को रखा गया है, कथित करते हुए एक प्रमाण पत्र दाब पात्र/संयंत्र के विनिर्माता से या सक्षम व्यक्ति से प्राप्त न कर लिया गया हो और इस प्रकार प्रयुक्त हर दाब पात्र/संयंत्र चिह्नित किया जाएगा जिससे कि ऐसा दाब पात्र/संयंत्र जिससे वह प्रमाणपत्र संबंधित है, पहचाना जा सके और प्रमाणपत्र को निरीक्षक द्वारा अवलोकन के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।

(ग) सेवा में हर दाब पात्र/संयंत्र की किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से परीक्षा की जाएगी :

(i) बाहरी, हर छ : मास की अवधि में एक बार,

(ii) भीतरी, हर बारह मास की अवधि में एक बार।

परन्तु किसी दाब पात्र की बनावट के कारण परीक्षा के स्थान पर द्रव स्थैतिक परीक्षण किया जा सकेगा जो हर दो वर्ष की अवधि में एक बार किया जाएगा।

(iii) प्रवस्थैतिक परीक्षण, हर चार वर्ष की अवधि में एक बार।

(iv) परन्तु यदि दाब पात्र/संयंत्र की बनावट और उपयोग के कारण हर चार वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार ऊपर उपखंड

(ii) और (iii) में यथा अपेक्षित उसका द्रवस्थैतिक परीक्षा नहीं किया जा सकता है तो धातु की मोटाई या सभी भागों की अन्य त्रुटियों के लिए, जिनकी विफलता से दाब पात्र/संयंत्र में संभावित भंग हो सकता है, पराश्रव्य परीक्षण जैसे नियमित अनाशक परीक्षण किया जाएगा।

(घ) इस उपनियम के प्रयोजन के लिए किया जाने वाला द्रवस्थैतिक परीक्षण का दाब डिजाइन दाब के 1.25 गुना या अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब के 1.5 गुना दोनों में से जो भी कम हो, होगा।

(5) परीक्षण की रिपोर्ट : (क) यदि किसी परीक्षा के दौरान दाब पात्र/संयंत्र की अगली विहित परीक्षा होने तक सुरक्षित रूप से कार्य करने की क्षमता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो सक्षम व्यक्ति कारण सहित अन्य सुसंगत टिप्पणी के साथ अपने विचार निष्कर्ष और परिणाम अभिलिखित करेगा और अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब को कम करने के या बहुधा विशेष परीक्षा या परीक्षा के अधीन रहते हुए या इन दोनों शर्तों के अधीन रहते हुए दाब पात्र का उपयोग किए और प्रचालन में रखे जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा

(ख) इस नियम के अधीन किसी परीक्षा की रिपोर्ट करने वाला सक्षम व्यक्ति परीक्षा की समाप्ति के सात दिन के भीतर इस मामले में, जहां अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण दाब को कम कर दिया है या परीक्षा से यह पता चलता है कि दाब पात्र/संयंत्र या उसका कोई भाग सुरक्षा के साथ तब तक नहीं चल सकता है जब तक कि उसकी मरम्मत नहीं की जाती या जब तक कि कोई अन्य सुरक्षा उपाय नहीं किया जाता, रिपोर्ट की प्रति निरीक्षक को भेजेगा।

17. संपीड़ित गैस सिलिन्डर : (1) भंडारकरण :—

(क) संपीड़ित गैस सिलिंडरों के मिल जाने से बचने के लिए और किसी संभाव्य परिसंकटमय स्थिति को रोकने के लिए सिलिंडरों विभिन्न गैस वालों को अलग-अलग संचित किया जाएगा।

(ख) यदि बड़ी संख्या में गैस सिलिंडरों को संचित किया जाना है तो, निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत पृथक भंडारकरण सुविधा की व्यवस्था की जाएगी :

(i) अक्रिय गैस (अर्थात आर्गान, हीलियम आदि) और आक्सीजन

(ii) विषैली किन्तु अज्वलनशील गैस (अर्थात क्लोरीन, सल्फर डायआक्साईड, आदि)

(iii) ज्वलनशील गैसें दोनों विषैली और अविषैली (अर्थात, ऐसीटिलीन कार्बन-मोनो आक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि)

(ग) यदि प्रमुख रूप से संचित किए जाने वाले सिलिंडरों की संख्या कम है तो केवल एक छोटे भंडार की व्यवस्था की जा सकेगी: किन्तु व्यवस्था तीन वर्गों में के सिलिंडरों से अलग की जाएगी।

(घ) सिलिंडर किसी ठंडे शुष्क और सुसंवातित स्थान में संचित किए जाएंगे। सामयिक उपयोग के लिए खुले में रखे गए सिलिंडरों को वर्षा और धूप से सुरक्षित किया जाएगा। सिलिंडरों को उनकी संरक्षण टोपियों सहित संचित किया जाएगा।

(ङ) संचित की गई गैसों के नाम और संचित किए जाने के लिए अनुज्ञात परिणाम उपदर्शित करते हुए एक सूचना भंडारों के प्रवेश-द्वार पर लगाई जाएगी।

(च) गोल तल वाले सिलिंडरों को फर्श पर रखा जाएगा और प्रत्येक और तल स्तर को अनुरक्षित करते हुए पर्याप्त काष्ठ-टेक सहित 4 ऊंचे से अनधिक मीनार पद्धति पर अम्बार लगाया जाएगा। निकास वाल्वों का रुख पूर्णतया उसी तरफ होगा।

(छ) चौरस या नतोदर तल वाले सिलिंडरों को सीधा खड़ा रूप में संचित किया जा सकेगा किन्तु वे तब किसी ऐसे स्थान से होंगे जिससे कि उन्हें अकस्मात ठोकर न लगे या उन्हें उचित जंकिर व्यवस्था के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जकड़ कर रखा जाएगा।

(ज) ऐसीटिलीन और द्रावित गैसों के सिलिंडरों को द्रव के क्षरण की संभावना से बचने के लिए सीधा खड़ा रूप में संचित किया जाएगा।

(झ) धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा, विशिष्टतः वहां जहां ज्वलनशील गैसें संचित की जाती रही हैं : "धूम्रपान निषेध" चिन्ह भंडारों में और उसके बाहर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ञ) खुले ज्वालों चिनगारी उत्पन्न करने वाले कारकों या तप्त काम, जैसे वेल्डन का उपयोग, ऐसे भंडारों में प्रतिषिद्ध होगा, जहां ज्वलनशील गैसे रखी गई हैं।

(ट) ज्वलनशील सामग्री (अर्थात तेल) चिथड़े, कागज काष्ठ, पेंट, आदि (भंडारों) में नहीं रखी जाएंगी।

(ठ) भरे हुए और खाली सिलिंडर अलग-अलग रखे जाएंगे और "भरा हुआ" तथा "खाली" संबंधी सूचनाएं उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ड) गसें भंडारों में रखे गए संपीड़ित गैस सिलिंडरों से नहीं निकाली जाएंगी।

(ढ) गैस सिलिंडर नियम, 1981 के अधीन अधिकथित कानूनी अपेक्षाओं का उपर्युक्त उपनियमों के अतिरिक्त पालन किया जाएगा।

(2) प्रबंध और उपयोग : (क) सिलिंडरों के, चाहे वे भरे हुए या खाली परिवहन करने के दौरान उनकी संरक्षण टोपियां लगी रहेंगी।

(ख) जब सिलिंडरों का ट्रकों में परिवहन किया जाएगा तब उन्हें अम्बार लगाकर रखा जाएगा जिससे कि वे ट्रकों के किनारों से बाहर न निकल सकें।

(ग) सिलिंडरों को ट्रक से गिरने से और अनियंत्रित ढंग, अत्यधिक टक्कर या दबाव रोकने के लिए यथोचित पूर्वाधानियां बरती जाएंगी।

(घ) संपीडित गैस सिलिंडर के परिवहन करने वाले ट्रकों के चालक लदाई परिवहन और उतराई में आवश्यक सावधानी बरतेंगे।

(ङ) ट्रकों पर विषैली और ज्वलनशील गैस वाले सिलिंडरों के परिवहन की दशा में, ट्रकों के चालकों को क्रियाकलाप का निदेश देने वाले व्यक्तियों द्वारा सिलिंडरों की अन्तर्वस्तु की ओर ध्यान दिलाएगा और लदाई, परिवहन तथा उतराई में आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहेगा।

(च) भरे हुए सिलिंडरों से लदे ट्रकों को सार्वजनिक स्थानों में देखरेख के बिना नहीं छोड़ा जाएगा।

(छ) सिलिंडरों की लदाई या उतराई में उत्थापन चुम्बकों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ज) जब सिलिंडरों की लदाई या उतराई क्रेन से की जाए तब समुचित रूप से डिजाइन किए गए क्रेडल का उपयोग किया जाएगा।

(झ) किसी संयंत्र/प्रयोगशाला के भीतर सिलिंडर परिवहन करने के लिए, उपयुक्त हस्त-ट्राली का उपयोग किया जाएगा। ऐसे हस्त-ट्राली में सिलिंडर को बांधने के लिए एक जंजीर की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यदि हस्तट्राली किसी उभाड़ पर से गुजरे तो वह गिर न सके।

(ञ) सिलिंडरों के लुढ़कने, खींचने और ढलकने से बचा जाएगा।

(ट) जब सिलिंडर को संयंत्र/प्रयोगशाला में उसके उपयोग स्थान पर लाया जाए तब उसे अधिमानतः किसी दीवाल, बेंच या किसी अन्य दृढ़ आधार से बांध दिया जाएगा :

(ठ) सिलिंडरों को ऊष्मा, स्रोत, जैसे भट्टियों, रेडिएटरों वाष्प पाइपों, चूल्हों के पास नहीं रखा जाएगा। यह विशिष्ट रूप से द्रवित गैसों के सिलिंडरों की दशा में महत्वपूर्ण है।

(ड) सिलिंडर वाल्वों को, सिवाय उस समय के जब गैस वस्तुतः ली जाती है, सब समय बंद रखा जाएगा।

(ढ) वाल्व स्पिंडल प्रचालित करने के लिए केवल मानक कुंजी का उपयोग किया जाएगा। किन्हीं साधनों द्वारा उत्तोलक शक्ति को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए न ही अत्यधिक शक्ति अर्थात् घनताड़न का उपयोग किया जाना चाहिए।

(ण) सिलिंडर वाल्वों को साफ रखा जाएगा। रेगुलेटर फिट करने के पूर्व वाल्व साकेट के भीतर पड़ी हुई किसी ऐसी धूल को जो जमी हुई न हो वाल्व का चटका कर हटा दिया जाएगा।

(त) गैस प्रदायक से विनिर्दिष्ट सलाह के बिना सिलिंडर वाल्व और फिटिंगों को स्नेहन नहीं किया जाएगा। आग या विस्फोट की जोखिम के कारण किसी भी मद्दे आक्सीजन सिलिंडरों पर तेल या ग्रीज का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(थ) खाली सिलिंडरों को उतना ही सावधानी से संभारण जाएगा जितनी भरे हुए सिलिंडरों को संभारण जाता है।

18. परिसंकटमय सामग्री का प्रबन्ध :—(1) साधारण :

(क) सभी परिसंकटमय सामग्रियों का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि वैयक्तिक क्षति न हो। इसकी योजना में उपस्कर/पद्धतियों का उचित डिजाइन और अनुरक्षण सम्मिलित है।

(ख) परिसंकटमय सामग्रियों की उठाई धराई करने के समय उचित वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) ऐसे कार्मिक जिनसे परिसंकटमय सामग्री संभालने की अपेक्षा की जाती है, उनके खतरनाक गुणधर्मो संभालने के समय बरती जाने वाली पूर्वावधानियों ऐसे प्राथमिक उपचार और अग्नि शामक पद्धतियों, जिनकी, उत्पन्न हो सकने वाली आपात स्थिति के मामलों में अपेक्षा की जाए, के बारे में सुपरिचित होंगे।

(घ) सभी छलकें पदार्थों का निपटान शीघ्रता और सुरक्षित रूप से कर दिया जाएगा। उसके लिए उचित प्रक्रिया अधिकथित की जाएगी और उन्हें प्रबन्ध-क्षेत्रों में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(ङ) प्रबन्ध-क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी। उपयुक्त अनुदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। अग्नि सेवा कार्मिक को आग बुझाने के प्रयास करने के पूर्व जलने वाली सामग्री के प्रकार और सामना किए जाने वाले धूमों के अपेक्षित परिसंकट के संबंध में जानकारी होगी।

(च) परिसंकट सामग्री का प्रबन्ध करने वाले क्षेत्रों में खाना, पीना और धूम्रपान करना सर्वथा प्रतिसिद्ध होगा।

(2) ज्वलनशील द्रव. (क) जहां ज्वलनशील द्रव संभाले जाते हैं वहां कोई खुले ज्वाले या ज्वलन के अन्य स्रोत जिनमें चिनगारी स्रोत सम्मिलित हैं, नहीं होंगे।

(ख) आधान या टंकियों पर उपयोजित वातीय दाब के द्वारा ज्वलनशील द्रवों का अंतरण तब तक प्रतिसिद्ध होगा जब तक कि इस प्रयोजन के लिए आधान या टंकी का डिजाइन नहीं किया जाता और उसकी कालिकतः जांच नहीं की जाती और उसे काफी ठोस नहीं पाया जाता उन्हें अन्य पाइपिंग पद्धति के द्वारा, अधिमानतः गुरुत्व का उपयोग करके और अनुमोदित स्वतः बंद होने वाले वाल्व का प्रयोग करके निर्माण के भीतर ही पात्रों आधानों या सुवाह्य टंकियों से या उनमें अंतरित करके निकाला जाएगा।

(ग) जहां वाष्पशील द्रव टैंकरों या सड़क यानों से अन्तरित किए जाते है वहां भूसंपर्करण पद्धति के धातु कर्म को टैंकर या सड़क यान में धातु कर्म से और भूमि से भी जोड़ा जाएगा।

(घ) 20 लीटर तक ज्वलनशील द्रवों के स्थानान्तरण और संभालने के लिए अनुमोदित सुरक्षा कनस्तरों का उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा कनस्तरों में निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टताएं होंगी।

1. वे क्षरणरोधी होंगे,

2. संघिदारण (या आग लगने की दशा में विस्फोट) रोकने के लिए उनमें 0.3 कि० ग्रा०/से० मी० जेज आन्तरिक दाब पर स्वतः निकास वाष्प होगा,

3. ज्वाला का ज्वलनशील अन्तर्वस्तुओं तक पहुंचने से रोकने के लिए उनमें ज्वाला अग्राहक होगा,

4. वे भरे जाने या निकाले जाने के पश्चात् स्वतः बंद हो जाएंगे।

(ङ) स्थैतिक विद्युत विरचन से बचने के लिए ज्वलनशील द्रवों के प्रवाह के वेग को अधिक से अधिक 1 मीटर/सेकेण्ड तक निर्बंधित किया जाएगा।

(च) उपशिष्ट ज्वलनशील द्रवों को दृढ़तापूर्वक फिटिंग वाले ढक्कनों सहित आधानों में एकत्रित अंतरित और संचित किया जाएगा जब भरण संक्रियाओं के संबंध में कतरन या चिथड़ों का उपयोग किया जाए तब दृढ़तापूर्वक फिटिंग वाले ढक्कनों सहित धातु के खाली कनस्तरों की व्यवस्था की जाएगी और सभी ससिक्त चिथड़ों या कतरन को उपयोग के पश्चात् उनमें तुरंत जमा कर दिया जाएगा। रद्दी वाले कनस्तर का अन्तर्वस्तु को, जैसे ही और जब वह भर जाए समुचित रूप से नष्ट कर दिया जाएगा।

(छ) किन्हीं भी परिस्थितियों में छलके हुए ज्वलन शील द्रवों के निपटान के लिए सामान्य नाली का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) क्षारीय धातुएं (क) क्षारीय धातुओं का प्रबंध क्षेत्र नलों और पाइपों से बिल्कुल खाली रहेगा।

(ख) क्षारीय धातुओं के संभालने में प्रयुक्त उपस्कर और पद्धतियों का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। द्रवित धातु के छलकाव को रोकने के लिए सभी उपस्करों के नीचे डिप ट्रे और वाल्व होंगे।

(ग) क्षारीय धातु का प्रबंध करने वाले क्षेत्रों में प्रयुक्त सभी औजारें शुष्क होंगे। क्षारीय धातुओं वाले धातु द्रवों को खोलने से सैवव अनालाप औजारों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) क्षारीय धातुओं के संभालने में अपेक्षित संरक्षण पोशाक की कोटि धातु की उस मात्रा पर जिस तक कोई कर्मकार प्रभाव्य है और धातु के तापमान पर निर्भर होगी। एप्रनों टंगावरणों सिर आवरणों, दस्तानों और चेहरा संरक्षण का उपयोग अवश्यनियों पर निर्भर रहते हुए किया जाएगा।

(ङ) द्रवित क्षारीय धातुओं को अक्रिय गैस की आड़ में या आग की संभावना को कम से कम करके निम्नतम संभव तापमान और दाब पर निर्वात के अधीन अन्तरित किया जाएगा :

(च) जहां क्षारीय धातुओं को सम्भाला जाता है वहां वेल्डन गैस वर्तन, पात्र उपस्कर आदि जैसी सामग्री से भरा जाएगा ।

(छ) द्रव धातु उठाई धराई प्रणाली में एक शीघ्र कार्यकारी नाली प्रणाली सम्मिलित की जाएगी जिससे कि द्रव धातु अनुषंगी संशोधन प्रणाली में अपवाहित हो सके ।

(ज) दाब या निर्वात के लिए इस प्रणाली की कालिकत: यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि सुरक्षा खतरे में नहीं है और जांच का अभिलेख बनाए रखा जाएगा ।

(झ) वायु और जल लाइनों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस पाइपिंग से, जो द्रव धातु संचालित करता है, नहीं जोड़ा जाएगा ।

(ञ) ऐसी सभी मशीनरी और पाइप लाइनों को जिन पर स्थैतिक विद्युत के संचय होने की संभावना है, प्रभावी भूसंपर्कित किया जाएगा ।

(ट) अन्तर्वलित खतरों और की जाने वाले सुरक्षा उपायों को उपदर्शित करते हुए उपयुक्त सूचनाएं परिवहन के लिए प्रयुक्त बैरलों या टैंकरों पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(ठ) प्रयोगशाला में छलकी हुई क्षारीय धातुओं की थोड़ी मात्रा को सोडाक्षार की परत से ढक दिया जाएगा और इसके बाद किसी निर्दिष्ट स्थान पर तुरन्त निपटान के लिए उन्हें खुरच लिया जाएगा । क्षारीय धातुओं की अधिक मात्राओं के लिए निपटान की उपर्युक्त पद्धतियों की योजना बनाई जाएगी ।

(4) संक्षारक : (क) संक्षारक सामग्रियों के आधान उपयुक्त प्रकार और ठोस सामग्री के होंगे ।

(ख) कर्मकारों द्वारा वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर, जैसे रसायन के बड़े चश्मे एप्रन और रबड़ के जूते उस समय पहने जाएंगे जब वे संरक्षक सामग्रियों की उठाई धराई करते है ।

(ग) आधान या टंकी पर उपयोजित वातीय दाब के द्वारा संक्षारक द्रवों का अंतरण तब तक प्रतिषिद्ध होगा जब तक कि प्रयोजन के लिए आधान या टंकी को डिजाइन नहीं किया जाता और उसकी कालिकत: जांच नहीं की जाती तथा उसे काफी ठोस नहीं पाया जाता ।

(घ) जहां जहां बड़ी मात्रा में संक्षारक सामग्री सम्भाली जाती हैं, उसके पास काफी जल उपलब्ध रहेगा । इसके अतिरिक्त एक सुरक्षा फुहार और नेत्र साफ करने के लिए झरना होगा ।

(ङ) संक्षारक सामग्री का प्रबंध करने वाले क्षेत्र का फर्श संक्षारण रोधी होगी ।

(च) ऐसे क्षेत्रों की जहां संक्षारक सामग्री का प्रबंध किया जाता है, निकास लाइन संक्षारणरोधी होगी ।

(5) विषैली सामग्री : (क) विषैली सामग्रियों के भंडारकरण और उपयोग पर चुस्त प्रशासनिक नियंत्रण होगा । वे उत्तरदायी व्यक्तियों के भारसाधन में होंगे और उन्हें केवल तब जारी किया जाएगा जब वे विनिर्दिष्ट प्रयोगों/प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित हों ।

(ख) विषैली सामग्री के प्रबंध में नियोजित व्यक्तियों के लिए आवश्यक वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी ।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में, जहां विषैली सामग्रियों का प्रबंध किया जाता है, कार्य कर रहे व्यक्तियों पूर्णत: निर्धारित वैयक्तिक आरोग्य विज्ञान का पालन करेंगे ।

(घ) विषैली सामग्रियों से युक्त सभी अपशिष्टों को सुरक्षापूर्वक निपटान कर दिया जाएगा ।

19. प्रबंध पद्धतियां : (1) हस्त प्रबंध

(क) भारी वस्तुओं के हस्त-प्रबंध से, जहां तक संभव हो, बचा जाएगा । इसके बदले में उन्हें उठाने और ढोने के लिए यांत्रिक साधियों की व्यवस्था की जाएगी और उनका उपयोग किया जाएगा ।

(ख) ऐसे कर्मकारों को, जिन्हें सामग्री का प्रबंध करने के लिए सौंपा गया है, इस संबंध में अनुदेश दिए जाएंगे । कि सामग्रियों का सुरक्षापूर्वक कैसे उठाया और ढोया जाए ।

(ग) जहां दो या अधिक कर्मकारों द्वारा भारी वस्तुएं उठाई या ढोयी जाती है वहां भारत के उठाए और नीचे किए जाने को कार्य की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए भली भांति समझे जाने वाले संकेतों द्वारा शामिल किया जाएगा ।

(घ) जहां भारी वस्तुएं, जैसे भारित ड्रम या टंकी, किसी भी दिशा में आनतियों पर सम्भाली जाती है वहां:—

(i) रोक या फन्नी का उपयोग करने के अतिरिक्त उनकी गति को नियन्त्रण करने के लिए रस्सों और टेकल का उपयोग किया जाएगा ; और

(ii) कर्मकारों का नीचे की ओर खड़ा होना प्रतिषिद्ध होगा ।

(ङ) जहां भारी वस्तुएं रोलर के द्वारा हटाई जाती हैं वहां, गति में रहने के दौरान रोलरों की दिशा परिवर्तन करने के लिए हाथ या पांव के बदले शलाकाओं या स्लेजों का उपयोग किया जाएगा ।

(च) तेल धार, फिनों, स्लिवरों, खड़ों या समरूप खतरनाक निकले हुए भागों वाली वस्तुओं का प्रबंध करने वाले यातप्त, दाहक या संक्षारक सामग्रियों का प्रबंध करने वाले कर्मकार उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर का उपयोग करेंगे ।

(छ) सामग्रियों का ढेर इस प्रकार लगाया जाएगा जिससे कि ढेर से निम्नलिखित में बाधा न पड़े ;

(i) प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश के यथोचित वितरण में,

(ii) मशीनों या अन्य उपस्कर के उचित प्रचालन में

(iii) गलियारों या आवागमन वीथिकाओं के बेरोक उपयोग में ; और

(iv) रोधक प्रणाली के रक्षतापूर्ण कार्य या अन्य अग्निशामक उपस्कर के उपयोग में

(ज) सामग्रियों का ढेर भवनों के विभाजनों या दीवारों के पास तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि यह ज्ञात न हो विभाजन या दीवार बल सहन करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य की है ।

(झ) अधिकतम भार, जो किसी एक वयस्क पुरुष या महिला द्वारा हाथ से या सिर पर उठाए ढोए, या हटाए जाने के लिए अनुज्ञात किए जा सकते है, क्रमश: 50 कि० ग्राम और 30 कि. ग्रा. होंगे ।

(ञ) वह मार्ग, जिससे किसी वस्तु को ढोया या हटाया जाता है, पहले से हर सभी बाधाओं या अन्य परिसंकटमय स्थितियों से मुक्त होगा ।

(ट) हस्त-ठेलों और चक्र गाड़ियों को धातु निर्मित गार्डों से लैस किया जाएगा । कीलकों के स्थान पर कीलों तार के टुकड़ों और अन्य अनुकल्पों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(ठ) जब किसी ट्रक पर लदाई की जाए तब उतराई की पद्धति पर विचार किया जाएगा । भारों के नीचे गुटक रखे जाएंगे जिससे कि यदि उतराई केन्द्र पर यांत्रिक उपस्कर का उपयोग किया जाता है तो सिंगलों को आसानी से अकड़ा जा सके ।

(ड) सामग्री की उठाई धराई करने वाले उपस्करों का कालिकत: निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें ठीक मरम्मत में रखा जाएगा । अनुरक्षण का अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाना चाहिए ।

(ढ) जब वे उपयोग में हों तब ट्रकों को निर्दिष्ट स्थानों पर ही खड़ा किया जाएगा ।

(2) यांत्रिक प्रबंध

(क) औद्योगिक शक्ति चालित ट्रकें

(i) उपकरण ऐसे प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही प्रचालित किए जाएंगे जिन्हें उनके सुरक्षित प्रचालन के लिए विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ii) भारों का परिवहन ऐसी रीति से किया जाएगा जिससे कि आपरेटर के लिए अधिक से अधिक स्पष्ट अवलोकशक्ति उपलब्ध हो सके ;

(iii) उपस्कर के प्रत्येक भाग पर सुरक्षित भार क्षमता और प्रचालन गति उपदर्शित की जाएंगी ;

(iv) व्यक्तियों का भारों या उपस्कर पर चढ़ना प्रतिषिद्ध होगा ;

(v) औद्योगिक ट्रकों पर पीली और काली धारियां पेंट की जाएंगी जिससे कि वे व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ें ।

(ख) उत्थापक मशीनें :—

(1) व्यक्तियों को भार या क्रेन हुकों पर चढ़ने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(2) भारों को व्यक्तियों के उनके नीचे काम करने के दौरान क्रेन पर नहीं ढोया जाएगा। जब क्रेन गति में हो तब तब घण्टे या भोंपू का सदा उपयोग किया जाएगा;

(3) स्लिंगों, जंजीरों, आदि को खींचा नहीं जाएगा। भार को उतारने के पश्चात क्रेन को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि हुक को नीचे नहीं कर दिया जाता और स्लिंग या जंजीर को हुक से अलग नहीं कर दिया जाता;

(4) क्रेन पर के किसी भार को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि फ्लोर से दिए गए संकेतों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ लिया जाता;

(5) भार को झुलने नहीं दिया जाएगा;

(6) किसी भार को उठाते या नीचे गिराते समय इस बात की जांच कर ली जाएगी यह पार्श्ववर्ती वस्तु के ढेर या मशीनरी को सुरक्षित रूप से बिना स्पर्श किए पार कर जाएगा ;

(7) क्रेन की सुरक्षित भार क्षमता किसी भी समय पार नहीं करेगी ।

(ग) संवाहक :—

(1) सभी शक्ति चालित संवाहक ठोस बनावट के होंगे और उन्हें कर्मकारों को गतिशील भागों पर पकड़े जाने से या सामग्री गिरने से क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए बाड़ा लगाकर या शलाका के संरक्षित किया जाएगा। सभी गतिशील पट्टियों, गियरों, स्प्राकेटों, घिरनियों, शैफ्टों और जंजीरों को प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाएगा ।

(2) शक्ति चालित संवाहकों में उपयुक्त रूप से अवस्थित आपात नियंत्रण युक्ति की व्यवस्था की जाएगी। जहां-जहां आरपार मार्गों की व्यवस्था की जानी है, वे समुचित डिजाइन के होंगे;

(3) सुवाह्य गुरुत्व शूट, रालर और पट्टी, जब उनका उपयोग सामग्री के प्रबंध में किया जाए तब, ठोस बनावट के होंगे और उनमें प्रत्येक खंड में प्रमाणित अभिबंधी युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) सभी उपरि संवाहकों के किनारों के साथ-साथ और कोनों और घुमावों पर साइड बोर्ड संस्थापित किए जाएंगे। और उनके नीचे कर्मकारों को सामग्री के गिरने से संरक्षित करने के लिए स्क्रीन गार्ड लगाए जाएंगे ;

(5) व्यक्तियों का संवाहकों पर चढ़ना प्रतिषिद्ध होगा ।

20. उत्तोलन साधित्र (1) साधारण :

(क) क्रेनों, उत्तोलकों, डेरिकों और समरूप उपस्कर के संबंध में प्रयुक्त सभी स्लिंगें, जंजीरें और अन्य गियर प्राधिकृत व्यक्तियों के पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे और उनके द्वारा अनुरक्षित किए जाएंगे ।

(ख) अनुरक्षण और निरीक्षण के अभिलेख रखे जाएंगें ।

(ग) सभी उत्तोलन साधित्र हुकों या रेकों पर रखे जाएंगे जिससे कि उन्हें भंडारकरण के दौरान नुकसान न हो ।

(2) घिरनी आलंब : (क) आलंबों की उत्थापक क्षमता प्रत्येक आलंबन पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी ।

(ख) उपरिस्थित आलंब का बंधन पर्याप्त सामर्थ्य का होगा । यह उस अधिकतम भार के, जो आलंब द्वारा उत्तोलित किया जाए पांच गुने भार को अवलंब देने के योग्य होगा ।

(ग) खुरदरे तंतु रज्जु या जंग लगे तार रज्जु का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(घ) आलंबों की कालिकतः परीक्षा की जाएगी और उन्हें प्रचालन दशाओं में बनाए रखा जाएगा ।

(3) हुकें । (क) हुकों के प्रकार का चयन संभाली जाने वाली सामग्री के आकार और प्रकार के अनुसार किया जाएगा । हुक के किसी भाग पर अत्याधिक भार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) हुकों का यनर्माण फोर्जित या परतजार स्पात से किया जाएगा।

(ग) ऐसे हुकों की, जो अतिभराई के कारण विरूपित हो गए हैं, मरम्मत नहीं की जाएगी या उन्ह दुबारा काम में नहीं लगाया जाएगा ।

(घ) हुकों को ऐसी रीति से तप्त नहीं किया जाएगा या उनका अन्यथा उपचार नहीं किया जाएगा जिससे कि उसकी अनुज्ञात क्षमता प्रभावित हो ।

(ङ) हुकों को, जहां तक संभव हो, सुरक्षा अर्गला बन्द से लैस किया जाएगा ।

(4) रज्जू : (क) तंतु रज्जु :

(i) उपयोग के लिए केवल अच्छे क्वालिटी के मनीला या संश्लिष्ट तंतु रज्जु को चुना जाएगा। ऐसे रज्जुओं पर उपयोजित किए जाने वाले भार निम्नतम विभंजन सामर्थ्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(ii) सभी रज्जुओं की कालिकतः परीक्षा की जाएगी । बाह्य निरीक्षण खरोंचों, विभंज तंतुओं, कटावों, घिसावों या अन्य अन्य त्रुटियों के लिए किया जाएगा । ऐसे निरीक्षण और परीक्षा के अधीन पाई गई त्रुटियों वाले तंतु रज्जुओं को काम से हटा लिया जाएगा ।

(iii) रज्जुओं को सुसंवातित कक्षों में उपलब्ध किए गए हुकों या रैकों पर रखा जाएगा । उन्हें आर्द्र और संक्षारक वातावरणों तथा चरम तापमानों से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा ।

(ख) तार रज्जु : (i) हर तार रज्जु का उपयोग और अनुरक्षण, सर्वथा विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा । तार रज्जुओं पर उपयोजित भार निम्नतम विभंजन सामर्थ्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(ii) रज्जुओं का निरीक्षण संस्थापन के समय और उसके पश्चात जब वे उपयोग में हों तब हर सप्ताह में एक बार किया जाएगा ।

(iii) किसी ऐसे रज्जु का, जो तीन मास या अधिक तक उपयोग में नहीं रहा है और जल, आर्द्रता, सीलन, आदि से प्रभावित होता रहा है, उसके पश्चातवर्ती उपयोग के पूर्व ,संरक्षण

के लिए निरीक्षण किया जाएगा । यदि सुस्पष्ट संक्षारण पाया जाता है तो, उसे उत्तोलन या भार वहन करने वाले काम से हटा लिया जाएगा तार रज्जुओं को भार वहन करने वाले काम से उस दशा में हटा लिया जाएगा जब ऐसे रज्जुओं में समाविष्ट तारों की कुल संख्या के 4 प्रतिशत विभंज पाए जाते हैं ।

(iv) तार रज्जुओं को विनिर्माताओं द्वारा की गई सिफारिशों के रूप में किसी स्नेहक से स्नेहन किया जाएगा । तार रज्जु के विकुंचन और अध्यावर्तन से बचा जाएगा । किसी विकुंचित तार पर भार का अपयोजन नहीं किया जाएगा ।

(v) टाइप रज्जु क्लेम्पों को संलग्न करने में "V" के बंद या वक्र सिरे को रज्जु के लघु या अंतिम सिरे के संपर्क में रखा जाएगा और थिम्बिलों का उपयोग फंदों के छिद्रों में किया जाएगा । क्लेम्प पर की ढिबरियों का निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें प्रचालनों के दौरान बार बार कसा जाएगा ।

(5) जंजीरें : (क) हर जंजीर का उपयोग और अनुरक्षा, सर्वथा विनिर्माता की सिफारिश के अनुसार किया जाएगा । जंजीरों पर उपयोजित भार निम्नतम विभंजन सामर्थ्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(ख) जब वह लगातार उपयोग में हो तब, उत्तोलन जंजीर का किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा ।

(ग) जंजीरों को दो कड़ियों के बीच कीलें या पेच लगा कर छोटा नहीं किया जाएगा या जोड़ा नहीं जाएगा न ही किसी जंजीर में गांठ लगाई जाएगी । जंजीर की त्रुटिपूर्ण कड़ियों या भागों का जंजीरों के विनिर्माता द्वारा दी गई कड़ियों या सेक्शनों द्वारा ही बदला जाएगा ।

(6) स्लिंगें : (क) स्लिंगों के सिरों को फंदे बनाने के लिए उचित रूप से बांधा जाएगा ।

(ख) कटाव, अत्यधिक घिसाई या अन्य क्षति का लक्षण दिखाने वाले तंतु (मनीला या संश्लिष्ट) रज्जुओं को हटा दिया जाएगा । काम में लाने के पश्चात् रज्जुओं का निरीक्षण सामान्य दशाओं के अधीन हर 30 दिन पर और उस दशा में हर 7 दिन पर जब उनका उपयोग उस पाड़ को, जिस पर आदमी काम करते हैं, अवलम्ब देने के लिए किया जाए, किया जाएगा । यदि वे अम्लों या दाहकों से प्रभावित होते हों तो उनका निरीक्षण प्रतिदिन किया जाएगा । तंतु रज्जु स्लिंगों का उपयोग द्रवित धातुओं या तप्त वस्तुओं के उठाने के लिए नहीं किया जाएगा ।

(ग) तार रज्जु और जंजीर स्लिंगों का बार बार निरीक्षण और स्नेहन किया जाएगा ।

(घ) अधिक झुकने से स्लिंग का संरक्षण करने के लिए भार के किनारों पर गुटकों या अधिक मात्रा में पैड का उपयोग किया जाएगा । जब एकल या बहुस्लिंगों का उपयोग किया जाए तब, भार को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि दबाव रज्जुओं के बीच बराबर हो ।

(ङ) लम्बी सामग्रियों की उठाई धराई करने वाले स्लिंगों के संबंध में विस्तारकों का उपयोग किया जाएगा ।

21 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान : (1) साधारण :

(क) कार्यकरण पर्यावरण में मौजूद कर्मकों का, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक का, पता लगाया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा और नियंत्रण किया जाएगा जिससे कि कर्मकारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(ख) जब कर्मकारों को किसी योजनाबद्ध संक्रिया के दौरान अनुज्ञेय मान से अधिक स्तरों पर प्रभाव्य होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तब एक चिकित्सक हाजिर रहेगा ।

(2) भौतिक कर्मक : (क) उष्मा प्रतिबल :

(1) उच्च ताप पर द्रवों के संचित करने या अन्तर्विष्ट करने वाले पात्रों, पाइपों या फ्लूज को पर्याप्त रोधी सामग्री से आच्छादित किया जाएगा ।

(2) कार्यकरण क्षेत्र में रोधी सामग्रियों, उष्मा परिरक्षकों की व्यवस्था करके, शीतल वायु का प्रदाय करके और/या वायु परिसंचरण करके उष्मा प्रतिबल को कम करने का हर प्रयास किया जाएगा । जहां उष्मा प्रतिबल इन पद्धतियों द्वारा अनुज्ञेय मान के नीचे तक कम नहीं हो सकता है वहां, प्रभावन को तप्त पर्यावरण में काम के क्षणों के बीच (शीतल क्षेत्रों में) विराम अन्तरालों की व्यवस्था करके और/या संरक्षण सूटों जैसे वैयक्तिक नियंत्रण उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

(ख) अनायनकारी विकिरण :

(i) सभी विद्युत आर्क संक्रियाओं को आसपास के कर्मकारों की नेत्र-क्षति रोकने के लिए यथोचित रूप से आवरण दिया जाएगा । वेल्डक उपयुक्त हुड पहनेंगे जो नेत्रों और गर्दन-त्वचा तथा चेहरे का संरक्षण करेंगे और उन्हें उपयुक्त फिल्टर कांच से लैस किया जाएगा ।

(ii) ऐसी संक्रियाओं के जिन से विकिरण की उच्च तीव्रता का उदय होता है, और जिन्हें आवरण नहीं दिया गया है, आसपास काम करने वाले वेल्डकों के मददगार या अन्य पार्श्व परिरक्षकों सहित उपयुक्त बड़े चश्मे पहनेंगे ।

(iii) अवरक्त/पराबैंगनी विकिरणों के व्यक्तियों पर प्रभावन को उपयुक्त परिरक्षकों का उपयोग करके या सुरक्षित दूरियों पर काम करके सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाएगा । उसी प्रकार सूक्ष्म तरंग विकिरण के प्रभावनों को अनुज्ञेय स्तरों के भीतर नियंत्रित किया जाएगा ।

(iv) संबद्ध ऊर्जा लेसर के प्रभावनों को मुख्य रूप से नियंत्रण उपाय करके और वैयक्तिक तथा चिकित्सा नियंत्रण पद्धतियों द्वारा अनुपूर्ति करके कम से कम रखा जाएगा । विनिर्दिष्टतः लेसर किरण पुंजों को सीधे अवलोकन करना प्रतिषिद्ध होगा ।

(ग) रव : कार्यकरण पर्यावरण में रव का उपयुक्त इंजीनियरी नियंत्रण उपायों द्वारा अनुज्ञेय मान के नीचे रखा जाएगा । जहां इनके द्वारा स्तरों में पर्याप्त प्राप्त न हो वहां, प्रभावन की अवधि को नियंत्रित किया जाएगा या कर्मकारों के लिए उपयुक्त कर्ण मफों की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) रासायनिक कर्मक : (क) किसी भी कार्य-स्थान में, जहां वायु को प्रक्रियाओं या संक्रियाओं द्वारा जनित धूलों, धूमिकाओं, धूमों, वाष्पों या धोमों द्वारा संदूषित होने की संभावना हो, वहां उनकी सांद्रता उपयुक्त देहली सीमा मान (दे० सी० मा०) के ठीक भीतर रखी जाएगी ।

(ख) वायु का प्रतिचयन और विश्लेषण किया जाएगा और परिणामों का निर्वचन प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाएगा ।

(ग) श्वसन संरक्षण को विषैली सामग्रियों के मुकाबले केवल अस्थायी संरक्षण के रूप में समझा जाएगा । किसी स्थायी संक्रिया से सहयुक्त स्वास्थ्य परिसंकटों के नियंत्रण के लिए यथोचित संवातन या अन्य पर्यावरण संबंधी इंजीनियरी नियंत्रण उपायों की व्यवस्था की जाएगी ।

(घ) कुछ विषैली गैसें और वाष्प शरीर में त्वचा के माध्यम से और निश्वसन द्वारा प्रवेश कर सकते हैं । ऐसे मामलों में त्वचा के माध्यम से सामग्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरती जाएंगी ।

(ङ) किन्हीं संक्षारक रसायनों जैसे, अम्लों, क्षारों आदि और निर्विसीकरण कर्मकों जैसे कार्बनिक विलायक के साथ सीधे संपर्क से बचने के लिए हर पूर्वावधानी बरती जाएगी ।

(च) प्रयोगशालाओं/संयंत्रों में केवल संक्रियात्मक अपेक्षाओं से संगत परिसंकटमय रसायनों की कम से कम मात्राएं होंगी।

(छ) महत्वपूर्ण रूप से लगाए गए किसी लेबल/प्रतीक के द्वारा किसी पाइपलाइन, पात्र या आधान के भीतर किसी परिसंकटमय सामग्री को अभिनिर्धारित करना संभव होगा।

(ज) रसायनों का ऐसे आधानों, में जो असंगत न हों, संचित और संभाला जाएगा।

(झ) रसायनों, जैसे अस्थायी यौगिक संक्षारणों, विलायकों और क्षति-विदैनी सामग्रियों से काम करते समय विशेष सावधानी बरती जाएगी।

(4) जैविक कर्मक : (क) सभी सूक्ष्मजीवों को उसी प्रकार संभाला जाएगा मानो वे रोगजनक हों। पूतिहीन के सिद्धांत को समझा जाएगा और उसे सभी संवर्धनों तथा सूक्ष्मजीवों से युक्त उपस्कर के संभालने के दौरान लागू किया जाएगा।

(ख) पशु अभिरक्षक और अनुसंधान कार्मिक ऐसे तकनीकों और पर्यावरण नियंत्रण उपायों के प्रति जो पशु क्वार्टरों में पशु से पशु तक या पशु से आदमी तक संक्रम के फैलाव को सीमित करेंगे, सतत् जागरूक रहेंगे और उनका उपयोग करेंगे।

(ग) स्वास्थ्यकर पर्यावरण संबंधी दशा बनाए रखने में ऐसे पहलुओं पर ऐसे यांत्रिक जन्तु नियंत्रण पशु अपशिष्टों के हटाए जाने स्वच्छ पिंजर और सुविधाएं तथा संतोषजनक वायु बनाए रखने पर विचार किया जाएगा।

22. वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर :—(1) साधारण :

(क) कार्य संबंधी पोशाकों का चयन करते समय उन परिसंकटों पर विचार किया जाएगा जिनसे पहनने वाला प्रभावित हो सकेगा और ऐसे प्रकारों का चयन किया जाएगा जो परिसंकटों के प्रभाव को कम से कम करें।

(ख) कार्य संबंधी पोशाक बिल्कुल फिट आएंगे, उनका कोई भी पल्ला या बन्द ढीला नहीं होगा। अनावश्यक रूप से जेब नहीं दी जाएंगी। ये जितनी अपेक्षा की जाती है उससे बड़े नहीं होंगे।

(ग) मशीनों पर कार्य करते समय ढीले फटे या जीर्ण शीर्ण वस्त्र पूरी बांह वाली कमीजें, नकटाइयां और कुंजी या घड़ी की जंजीर नहीं पहनी जाएंगी।

(घ) वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर, क्वालिटी सामग्री के होंगे और जहां उपलब्ध हों, भारतीय मानक संस्था के विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

(ङ) कारखाना, जहां-जहां आवश्यक हो, वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर की व्यवस्था करेगा और जब कभी उपयोजित हों कर्मचारी उनका उपयोग करेंगे।

(2) श्वसन संरक्षण : (क) श्वसन संरक्षण उपस्कर का चयन करने में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाएगा :

(i) प्रक्रिया और दशाओं पर जो प्रभावन का सृजन करते हैं,

(ii) रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों पर तथा उस पदार्थ की विषालुता पर जिससे संरक्षण अपेक्षित है,

(iii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो उपस्कर धारण करते हैं निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति पर और कार्यकरण क्षेत्र में संचलन पर अनुरोध या निर्बन्धन पर जो वह सृजन करें; और

(iv) संरक्षण देखभाल और उपयोग संबंधी पर्यवेक्षण के लिए सुविधाओं पर।

(ख) क्षरण की गुंजाइश किए बिना आनन आकृति के विभिन्न प्रकारों की फिटिंग के लिए श्वसन संरक्षण उपस्कर उपयुक्त होंगे।

(ग) किसी भी परिस्थिति में विनाशक वाष्पों विषैली गैसों से संरक्षण के लिए या आक्सीजन की कमी वाले वातावरणों में यांत्रिक फिल्टर श्वसित्रों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) जब श्वसन प्रतिरोध किसी पूर्वस्थापित मान से अधिक हो जाए, तब फिल्टर बदल दिए जाएंगे।

(ङ) किसी परिरुद्ध स्थान में या किसी ऐसे अन्य स्थान में जो अच्छी तरह से संवातित न हो, या आक्सीजन की कमी वाले वातावरणों में कार्ट्रिज प्रकार के श्वसित्र और कनिस्टर मास्क नहीं पहने जाएंगे। इसके बदले स्वतः पर्याप्त श्वसन साधित्र पहना जाएगा।

(च) कनिस्टर मास्कों को विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार बदला जाएगा।

(छ) संधारित वायु श्वसित्रों या होज मास्कों का

(1) ऐसे सभी मामलों में जहां काम किसी ऐसी प्रकृति का है और ऐसे स्थानों में किया जाता है कि ताजा वायु का प्रदाय सुरक्षित रूप से बनाए रखा जा सकता है, खतरनाक वातावरणों में काम के लिए उपयोग किया जाएगा; और

(2) ऐसे वातावरण में जिनमें खतरनाक गैस या वाष्प की सांद्रता कनिस्टर मास्कों या कार्ट्रिज श्वसित्रों की सुरक्षित उपयोग के लिए बहुत अधिक है आपातकालिक संक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ज) किसी मास्क या श्वसित्र को वायु का प्रदाय 1.75 कि० ग्रा० से मी² (25 पौंड प्र० इं०) से अधिक दाब पर नहीं किया जाएगा।

(झ) स्वतः पर्याप्त श्वसन साधित्र को पहले से ही इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही पहना जाएगा।

(ञ) एक मास से अनधिक के अन्तरालों पर हर श्वसन साधित्र की उसकी साधारण दशा की बाबत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किन्हीं सूक्ष्म भागों के प्रति विशिष्ट ध्यान देकर सावधानीपूर्वक परीक्षा की जाएगी और क्षरण के लिए जांच की जाएगी।

(ट) स्वतः पर्याप्त श्वसन साधित्र पर के सेवा की हर छह मास में कम से कम एक बार जांच की जाएगी। ऐसी परीक्षा और जांच का अभिलेख रखा जाएगा।

(3) सिर संरक्षण : (क) गिरने वाली या झूलने वाली वस्तुओं और सर पर

(ख) दृढ़ टोप ऐसी अज्वलनशील सामग्रियों के बने होंगे जो विद्युत अचालक हों।

(ग) सिर चेहरा और गर्दन के पिछले भाग को संरक्षण देने के लिए दृढ़ टोपों में चारों तरफ उभड़ा हुआ भाग होगा।

(घ) शक्तियुक्त दो पहिए वाली गाड़ियों पर चलने वाले व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के क्रैश हैलमेट पहनेंगे। यह अगले और पिछले दोनों सवारों को लागू होता है। किन्तु सिख धर्म के अनुयाईयों को जो पगड़ी बांधते हैं छूट प्राप्त है।

(4) कर्ण संरक्षण : ऐसे व्यक्ति जो अति शोरवाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उपयुक्त कर्ण मफ पहनेंगे (कर्ण प्लगों को अधिमानता नहीं दी गई है क्योंकि उनसे ठीक फिटिंग न होने की समस्याएं पैदा होती हैं)।

(5) नेत्र संरक्षण : (क) किसी ऐसी प्रक्रिया या जो कर्मकारों के नेत्रों को संकटापन्न कर, निष्पादित करने वाले सभी कर्मकार उपयुक्त नेत्र संरक्षण का उपयोग करेंगे।

(ख) अपघर्षण, रिपिट लगाने, छीलने, शुष्क पेषण और समरूप संक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के लिए बड़े चश्मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत मानक सामर्थ्य के अनुरूप होंगे।

(ग) ऐसे धूमों से जो पहनने वाले के नेत्रों को क्षतिकारित करे या पीड़ा दे, चश्मे से प्रभाव्य कर्मकारों के लिए नेत्र चक्षु होंगे जो अग्रभाग पर पूर्णतः फिट हों और उनमें कोई संवातन छिद्र न हो।

(घ) जहां कहीं भी अपस्फुरण रसायनों की संभावना हो, उनके हानिकारक प्रभाव से नेत्रों की संरक्षा करने के लिए रासायनिक बड़े चश्मे का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) जब उपयोग में न हों तब बड़े चश्मा और चेहरा मास्कों को यांत्रिक नुकसान और तेल ग्रीज तथा अन्य सामग्रियों द्वारा संदूषण से उनकी संरक्षा के लिए विशेष बंद आधानों में रखा जाएगा।

(च) अवरक्त और पराबैंगनी विकिरणों से प्रभाव्य कर्मकारों (ऐसे प्रयोगशालाओं में जहां पराबैंगनी दीपों का उपयोग किया जाता है पट्टी कर्मकारों, काच धमनियों आदि) के लिए बड़े चश्मों की व्यवस्था की जाएगी।

(6) शरीर संरक्षण : (क) ऐसे व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में संक्षारक रसायनों से काम कर रहे हों उपयुक्त संरक्षण एप्रन पहनेंगे।

(ख) शाट-स्फोटन संक्रियाओं में नियोजित व्यक्ति उपयुक्त संरक्षण हुड एप्रन आदि पहनेंगे।

(ग) घूर्णमान या प्रत्यागामी मशीन भागों के निकट एप्रन नहीं पहने जाएंगे।

(7) हस्त संरक्षण : (क) हाथों और अग्रबाहुओं के संरक्षण के लिए दस्ताने पहने जाएंगे।

(ख) दस्तानों का प्रकार प्रभावी संरक्षण प्रदान करेगा और काम के लिए उपयुक्त होगा। दस्तानों की सामग्री संभाले गए रसायनों सामग्रियों के अनुरूप होगी।

(8) पाद संरक्षण : (क) ऐसी संक्रियाओं में जहां भारी सामग्री संभाली जा रही हो, सुरक्षा जूते पहने जाएंगे।

(ख) संक्षारक द्रवों को, जैसे अम्लों और दाहक को, संभालने वाले कर्मकारों के लिए जूते रबड़, नियोप्रीन या अन्य उपयुक्त संक्षारण-रोधी सामग्री के बने होंगे।

(ग) विद्युत कर्मकारों के लिए जूते धातु फिटिंगों से मुक्त होंगे।

(घ) ऐसे कामों पर जिनमें व्यक्तियों से ज्वालों और भट्टों ऐस्बेस्टास के निकट काम करने की अपेक्षा की जाती है जूतों का उपयोग किया जाएगा।

(9) सुरक्षा पट्टियां : (क) ऊंचाई से गिरने की जोखिम से प्रभाव्य सभी कर्मकारों, जैसे भूमि के ऊपर या अस्थायी या स्थायी फ्लोर या मंच के ऊपर 4.5 मी. से अधिक ऊंचाई पर कार्य करने वाले गवाक्ष क्लीनरों, स्टेक आरोहियों और रज्जुकों पेंटरों के लिए सुरक्षा पट्टियों की व्यवस्था की जाएगी और उनके द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा।

(ख) सुरक्षा पट्टियां और हार्नेस संपूर्णतः क्रोम शोधित चर्म, नाइलान भी सूती जालन या अन्य उपयुक्त सामग्री के बने होंगे।

(ग) सभी पट्टियों और उनकी फिटिंगों की निरन्तर अन्तरालों पर परीक्षा की जाएगी और त्रुटिपूर्ण भाग बदल दिए जाएंगे।

(घ) किसी सुरक्षा पट्टी की सभी फिटिंगें और बंधन कम से कम पट्टी के लिए विनिर्दिष्ट अन्तिम विभंजन सामर्थ्य के बराबर किसी भार का प्रतिरोध करने में समर्थ होंगे।

(10) विद्युत कार्य के लिए संरक्षण उपस्कर (क) विद्युत कर्मकारों के लिए दस्ताने और रबड़ के जूते रबड़ या अन्य उपयुक्त सामग्रियों के बने होंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य मानक के अनुरूप होंगे।

(ख) विद्युत कर्मकारों के लिए जूते धातु फिटिंगों से मुक्त होंगे।

(11) देखरेख और अनुरक्षण (क) वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर को स्वच्छ दशा में अनुरक्षित किया जाएगा विशिष्टतः शरीर से सीधे सम्पर्क में आने वाले भागों को पूर्ण स्वच्छ दशा में रखा जाएगा।

(ख) उन संरक्षण उपस्करों को जैसे श्वसित्रों, हेल्मटों और कर्ण मफों को जिन्हें कर्मकारों को अलग अलग नहीं जारी किया गया है, कर्मचारियों के बीच तब तक अदला-बदली नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी सफाई नहीं कर दी गई हो और उन्हें रोगाणुरहित न कर दिया गया हो।

(ग) श्वसित्र संरक्षण उपस्कर की उपांग सामग्री, जैसे वाल्वों और डायाफ्राम, के उचित कृत्य करने के लिए कालिकतः जांच की जाएगी और उपयोगिता के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

(घ) सभी श्वसित्रों और मास्कों का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा कि वे चालू हालत में हैं। किन्हीं भग्न बेरी तरह से फटे हुए या विकृत भागों को तुरन्त बदल दिया जाएगा। ऐसे बड़े चश्मा और चेहरा परिरक्षकों को जो खुरच गए हैं अपारदर्शी हो गए हैं या उनका अन्यथा प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है हटा दिया जाएगा। दस्तानों की कालिकतः जांच की जाएगी और त्रुटिपूर्ण दस्तानों को हटा दिया जाएगा। वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर के संबंध में किए गए सभी निरीक्षणों और की गई मरम्मतों के उचित अभिलेख बनाए रखे जाएंगे।

23. चिकित्सीय नियंत्रण : (1) साधारण :

(क) किसी कारखाने या संस्थापन में सभी व्यक्तियों के लिए आपात प्राथमिक उपचार चिकित्सा उपलब्ध रहेगा। इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) विषैलों या संक्षारक सामग्रियों विषैले पदार्थों से आकस्मिक प्रभावन की दशा में या उपघाती क्षतियों की दशा में किसी चिकित्सक की सेवाएं अविलम्ब उपलब्ध होंगी। उसे दुर्घटना की प्रकृति परिसंकटमय दशा में। अन्तर्वलित पदार्थ और प्रभावन विस्तार के संबंध में पूर्णतः जानकारी दी जाएगी।

(ग) चिकित्सा एकक का आकार और अवस्थान सेवा किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या, परिसंकटमय संक्रियाओं के अवस्थान से दूरी और दुर्घटनाओं के कारण पूर्वानुमानित भार द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

(2) नियारक चिकित्सा सेवाएं

(क) नियोजन के लिए सभी आवेदकों का पूर्व वर्गीकरण चिकित्सा परीक्षाएं, कार्य के संबंध में उनका निरन्तर अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और उनके स्वयं तथा उनके सहयोगी कर्मचारियों का अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कार्य अपेक्षाओं के संबंध में उनकी शारीरिक और शारीरिक क्रियात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए की जाएंगी।

(ख) स्वास्थ्य परिसंकटों से प्रभाव्य कर्मचारियों की कालिक परीक्षा ऐसे कालकम पर और ऐसी रीति से की जाएगी जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए और या जैसी अत्यावश्यकताएं हों।

(ग) परिसंकटमय क्षेत्रों/सक्रियाओं में काम से अवमुक्त किए जाने के पूर्व व्यक्तियों की पूर्ण चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।

24. प्रशिक्षण :

(1) सुरक्षा शिक्षा :

(क) स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक शिक्षा कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा और उसे नियमित आधार पर संचालित किया जाएगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम के संपूर्ण उद्देश्य सुविदित और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराके असुरक्षित कार्यों और दशाओं को दूर करने होंगे ।

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित मदें होंगी :

1. विभिन्न सक्रियाओं में सुरक्षित पद्धतियां;
2. प्राथमिक उपचार अग्नि शामकों का अवस्थान और उपयोग;
3. विभिन्न अवस्थितियों में प्राथमिक उपचार चिकित्सा करना;
4. संकट सूचना देने की पद्धति आरम्भ करना और आपात स्थितियों की रिपोर्ट करना;
5. आपात निष्क्रमण प्रक्रियाएं;
6. दुर्घटनाओं का अन्वेषण और असुरक्षित दशाओं के बारे में रिपोर्ट करना;
7. वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर का उपयोग;
8. सुरक्षा पोस्टरों और चिन्हों का सहजदृश्य प्रदर्शन ।

(2) बचाव और प्राथमिक उपचार :

(क) जब व्यक्ति ऐसी स्थितियों में अन्तर्ग्रस्त हो जाते हैं जो जीवन के लिए संकटपूर्ण हों, जैसे विषैली गैसों/वाष्पों से ग्रस्त हों, विद्युत् परिपथों के संपर्क में हों और आग वाले अवस्थानों में फंसे हों, तब, बचाने वाले को खतरे में डाले बिना, उन्हें बचाने के उपाय किए जाएंगे ।

(ख) किसी संभावित आपातस्थिति के दौरान तत्परता से बचाव कार्य को सुकर बनाने के लिए किसी परिसंकटमय क्षेत्र के निकट किसी सुरक्षित अवस्थान में एक आपात अग्रमार्ग की व्यवस्था की जाएगी । उसे स्पष्टतः चिन्हित किया जाएगा और उसमें ऐसे उपस्कर होंगे जो किसी प्रत्याशित आपात से सामना करने के लिए अपेक्षित हों । बड़े जलाशयों के निकट रक्षा बोया/बार जाकेटों की व्यवस्था की जाएगी । इन उपस्करों की उपयोगिता के लिए इनकी कालिकत जांच की जाएगी ।

(ग) यथेष्ठ व्यक्ति प्रत्येक संयंत्र या प्रयोगशाला में प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किए जाएंगे । ऐसे कारखाने में, जिनमें कार्य की दशाएं ऐसी हैं जिनमें श्वासा रोध, बेहोशी या विद्युत्घात की जोखिम अन्तर्वलित हो, बचाव उपस्कर होगा जिसमें पुनरुज्जीवन साधित्र सम्मिलित होगा । कार्मिक को उसके प्रचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और वे कृत्रिम श्वासन की प्रक्रियाओं से परिचित होंगे ।

(घ) व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के भारसाधक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उनके अवस्थानों के बारे में जानकारी दी जाएगी ।

(3) अग्निदल प्रत्येक कार्य क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें अग्नि दल बनाने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें अग्निशमन या आपात अपेक्षाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा । इस प्रकार, अग्नि-दल को प्राथमिक उपचार अग्निशामक से लैस किया जाएगा और वे प्रभावित व्यक्तियों के आपात निष्क्रमण में मदद करेंगे ।

25. विशेष कार्य अनुज्ञापत्र हर कारखाने में परिसंकटमय कार्यों का निष्पादन विनियमित करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष ध्यान इनको करने वाले कार्मिक की सुरक्षा पर दिए जाएं, विशेष कार्य अनुज्ञापत्र कारखाने के प्रधान या प्रबंधक द्वारा या इस बाबत उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ।

26. परिरुद्ध स्थानों में प्रवेश : (क) किसी परिरुद्ध स्थान, जैसे किसी पात्र, टंकी, चिमनी, में प्रवेश करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि भीतर का वातावरण कार्मिक के लिए खतरनाक नहीं होगा ।

(ख) संबंधित स्थान को शेष प्रणाली से पृथक कर दिया जाएगा । पाइपों को कब्जा द्वारा आच्छादित कर दिया जाएगा और पृथककारी वाल्वों को बंद कर दिया जाएगा तथा उपयुक्त रूप से टैग कर दिया जाएगा

(ग) ऐसे उपस्कर/स्थानों को, जिन्हें मूलतः विषैली, संक्षारक और ज्वलनशील सामग्रियों या श्वासरोधों से भरा गया है, भीतर से उनकी अन्तर्वस्तुओं को हटाने के लिए शुद्ध किया जाएगा । शुद्धकरण जल, वाष्प या वायु, जो उपयुक्त पाया जाए, से किया जाएगा, परन्तु यदि कीच पात्र की, आदि के भीतर मौजूद हो तो, वायु से शुद्ध करना पर्याप्त नहीं माना जाएगा ।

(घ) सभी प्रवेशछिद्रों और निरीक्षण द्वारों को खुला रखा जाएगा और सावधानी बरती जाएगी कि विषैली गैसों या वाष्पों का पार्श्वस्थ उपस्कर से क्षरण न हो सके । यदि अवस्थान बाहर का हो तो, विद्यमान वायु दिशा का फायदा ऐसी गैसों के जो क्षरण करें कम करने में लिया जाएगा ।

(ङ) शुद्ध करने का काम पूरा होने और उपस्कर/स्थान का पर्याप्त संवातित करने के पश्चात् स्थान के भीतर के वातावरण की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि विषैली गैस या श्वासरोध की सांद्रता तदविषयी टी एल वी से कम है । कार्मिक को प्रवेश की अनुज्ञा देने के पूर्व आक्सीजन सांद्रता की जांच (आयतन द्वारा) 16 प्रतिशत से अधिक पर की जाएगी । कार्य के दौरान ताजा वायु से शुद्धिकरण चालू रहेगा ।

(च) यदि किसी व्यक्ति को जांच करने के लिए स्थान में प्रवेश करना है तो उसे स्वतः पर्याप्त श्वसन साधित्र और एक ऐसे रस्से से, जिसका खुला सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा गया हो, संलग्न सुरक्षा पट्टी या हार्नेस उपलब्ध कराया जाएगा ।

27. ऊंचाई पर कार्य : (क) ऐसे व्यक्ति जिनसे ऊंचाई पर काम करने की अपेक्षा की जाती है, उस कार्य के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्य होंगे ।

(ख) ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो किसी स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं सुरक्षा पट्टियां उपलब्ध करायी जाएंगी ।

(ग) व्यक्तियों को सुरक्षा पट्टियों के उचित उपयोग में यथोचित रूप से अनुदेश दिए जाएंगे । सुरक्षा पट्टियां को साफ रखा जाएगा, उनका बारबार निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा ।

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो बाहर से, जहां उसके खड़े होने और काम करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, गवाक्षों की सफाई में नियोजित हैं, सुरक्षा पट्टियां उपलब्ध कराई जाएंगी । ऐसे स्थानों में, जहां सुरक्षा पट्टियों का उपयोग असाध्य है, पर्याप्त अवलंबों से बंधा हुआ पर्याप्त सामर्थ्य का उपयुक्त जाल लगाया जाएगा ।

(ङ) ऊंचाई पर काम में नियोजित व्यक्ति द्वारा पहने गए जूते अफिसलन प्रकार के होंगे ।

(च) कम से कम एक व्यक्ति को उनकी सहायता के लिए, जो ऊपर चढ़ते हैं, धरातल पर रखा जाएगा ।

(छ) ऊंचाई पर अनुरक्षण का काम दिन के पर्याप्त प्रकाश में, अधिमानतः उस समय जब प्रचण्ड हवाएं और वर्षा विद्यमान न हों, किया जाएगा ।

28. विद्युत् वियोजन : (क) जब किसी मशीन या परिपथकी के विद्युत् का स्रोत काटना आवश्यक हो तो, ऐसे वियोजन किसी प्रभावी रीति से किए जाएंगे ।

(ख) जब कि निम्न वोल्टता परिपथों से फ्यूजें हटा दी जाएंगी, उच्च वोल्टता प्रणालियों से परिपथ विच्छेदक पृथक कर दिए जाएंगे ।

(ग) जहां तक संभव हो, स्विचों को खुले स्थान में ताला लगा कर बंद कर दिया जाएगा और कर्मकार अपने साथ कुंजी ले जाएंगे । अन्यथा, स्विचों को चेतावनी सूचनाओं सहित टैग कर दिया जाएगा ।

(घ) केवल प्राधिकृत व्यक्ति, अनुरक्षण कार्य के पूरा होने पर, स्विचों को खोलेगा, और तब ही चेतावनी सूचनाओं को हटाया जाएगा ।

29. विशेष संक्रियाएं (1) साधारण

(क) जैसा कि विनिर्दिष्ट परिसंकट कुछ विशेष संक्रियाओं में अन्तर्वलित हैं, उन्हें उपयुक्त पूर्वावधानियों सहित किया जाएगा । नीचे अधिसूचित विशिष्ट संक्रियाओं में, पूर्वावधानियां उपदर्शित रूप में बरती जाएंगी ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी किन्हीं अन्य कार्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसी विशेष पूर्वावधानियां, जो बरती जाने के लिए अपेक्षित हों, उपदर्शित कर सकेगा ।

(2) संधानशाला

(क) संधानशाला तली फर्श का प्रचालन व्यवस्था के लिए और दुर्घटनाओं को, विशेष रूप से उनको जो गलित धातु के छलकावों और बाहर निकलने से कारित हों, रोकने के लिए प्रबंध किया जायेगा ।

(ख) फर्शों को बहुधा साफ रखा जाएगा और अच्छी दशा में, दृढ़ और समतल रखा जाएगा । घर्षित स्थानों, छिद्रों और अन्य त्रुटियों के बारे में रिपोर्ट की जाएगी तथा उनकी तुरन्त मरम्मत की जायेगी ।

(ग) स्थानिक और साधारण निर्वातक संवातन की ऐसी विभिन्न संक्रियाओं पर, जो की जाती हैं, विचार करते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाएगी ।

(घ) सुखदपूर्ण परिवेश ताप, संधानशाला के ऐसी सभी भागों में जहां कर्मकार से काम करने की अपेक्षा की जाती है, बनाए रखा जाएगा ।

(ङ) संधानशालाओं में बड़ी वस्तुओं के संभालने के दौरान सतर्क योजना और सुरक्षित पद्धतियां अपनाई जायेंगी ।

(च) सफाई के किसी भी प्रकार के लिए संपीडित वायु का अंतिम युक्ति के रूप में के सिवाय उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल तब जब दाब 2 कि० ग्रा० से० मी० (30 पी एस आई) से कम न हो गया हो और उचित वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर का उपयोग किया जाता हो ।

(छ) अग्नि परित्राण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा । मासिक अग्नि निरीक्षण किया जायेगा ।

(3) विद्युत्लेपन संक्रियाएं :

(क) सभी लेपन सुविधाओं की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाएगी और परिकल्पना की जाएगी क्योंकि साधारणतः इनमें स्वास्थ्य परिसंकट सहयुक्त होते हैं ।

(ख) विद्युत्लेपन टंकियों में एक स्थानिक निर्वातक प्रणाली की, अधिमानतः टंकियों की चौड़ाई के साथ-साथ खांचेदार प्रकार की व्यवस्था की जायेगी । निर्वातक प्रणाली संक्षारक रोधी सामग्रियों की बनी होगी ।

(ग) सब विद्युत्लेपन सुविधा के फर्श क्षेत्रों को अम्ल सह बनाया जाएगा । फर्श की बार-बार सफाई की जायेगी और उसे अच्छी दशा में रखा जाएगा ।

(घ) जैसा कि लेपन संक्रियाओं में ऐसे प्रबल रसायनों के, जो गंभीर दाह उत्पन्न कर सकते हैं, संपर्क में आने की जोखिम अन्तर्वलित है, वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर जैसे रबड़ बूटों, दस्तानों और एप्रनों, का उपयोग अनिवार्य बनाया जाएगा ।

(ङ) विशेष रूप से क्रोमियम और निकेल लवण के साथ विद्युत् अपघट्यों के कारण डर्मेटाइटिस की उच्च संभावना को देखते हुए, अपघट्यों से त्वचा के संपर्क होने से बचा जाएगा ।

(च) सायनाइड लवणों को सभी अम्लों के संपर्क से दूर रखा जायगा। सायनाइड लवणों और विद्युत् अपघट्यों के स्टाक पर कड़ा नियंत्रण रखा जाएगा । यह किसी उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में होगा और जब यह विनिर्दिष्ट संक्रियाओं के लिए अपेक्षित हो केवल तब उसे जारी किया जाएगा और तब भी केवल तुरन्त अपेक्षित मात्राओं में ।

(छ) सायनाइड अपशिष्टों को ऐसे जल निकास मार्गों से होकर, जो अम्ल स्रोत प्राप्त करें, नहीं बहने दिया जाएगा । सायनाइडों की अपशिष्ट मात्राओं का निपटान किसी सुरक्षित रीति से किया जाएगा ।

(ज) कर्मकारों को उच्च कोटि के वैयक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता के बारे में ज्ञान कराया जाएगा । जहां ये संक्रियाएं संचालित की जाती हैं वहां खाद्य वस्तुओं का कदापि संचित नहीं किया जाएगा, तैयार नहीं किया जाएगा या खाया नहीं जायेगा ।

(झ) लेपन कार्य, विशेष रूप से क्रोमियम और निकेल के साथ, करने वाले कर्मकार नियमित चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन होंगे ।

(ञ) उस क्षेत्र में पावन फुहारे और नेत्र धोने के झरने की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) बेरिलियम संक्रियाएं

(क) ऐसे बेरिलियम और उसके सम्मिश्रणों पर, जिनमें वायु संदूषण की जोखिम अन्तर्वलित है, काम विशेष रूप से परिकल्पित किसी सुविधा में किया जाएगा । बेरिलियम कक्षों का उपयोग एकमात्र रूप से बेरिलियम काम तक निर्बन्धित होगा । अप्राधिकृत कार्मिक का प्रवेश प्रतिषिद्ध करते हुए एक उपयुक्त सूचना प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(ख) बेरिलियम और उसके सम्मिश्रणों के सभी स्टाक अग्नि सह भंडार में रखे जाएंगे ।

(ग) बेरिलियम और उसके सम्मिश्रणों से शारीरिक संपर्क से बचा जाएगा । इन पर कार्य करते समय दस्ताने पहने जाएंगे । बेरिलियम क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान प्रयोगशाला कोट और ऊपरी जूते पहने जाएंगे ।

(घ) संयंत्र/प्रयोगशाला के अन्दर और बाहर दोनों जगहों पर नियमित अन्तरालों पर वायु प्रतिचयन किया जाएगा । सतह/उपस्कर संदूषण स्वाब्स लेने के लिए अवधारित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो क्षेत्र या उपस्कर को सक्षम पर्यवेक्षण के अधीन समुचित रूप से विसंदूषित कर दिया जाएगा ।

(ङ) कार्यकरण क्षेत्र में पूर्ण खानादारी दिनचर्या बनाए रखी जाएगी। दीवारों, फर्शों और अन्य सतहों को "टियोल" और जल का उपयोग करके विसंदूषित किया जाएगा ।

(च) उस क्षेत्र में धूम्रपान और खानपान प्रतिषिद्ध होगा । बेरिलियम क्षेत्र के निकट फुहारों के साथ पोशाक बदलने के कक्ष की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी ।

(छ) सभी बेरिलियम कर्मकारों पर कड़ा चिकित्सा पर्यवेक्षण रखा जाएगा । सभी कर्मकारों के संबंध में पूर्व-नियोजन परीक्षा और कालिक चिकित्सीय परीक्षाएं अधिमान्यतः छह मास पर, की जाएंगी ।

(5) जर्कोनियम संक्रियाएं :

(क) ऐसे जर्कोनियम और उसके सम्मिश्रणों पर, जिनमें अग्नि की जोखिम अन्तर्वलित है, काम विशेष रूप से परिकल्पित किसी सुविधा में किया जाएगा । ऐसी सुविधाओं का उपयोग केवल जर्कोनियम काम तक निर्बन्धित होगा । अप्राधिकृत कार्मिक का प्रवेश प्रतिषिद्ध करते हुए एक उपयुक्त सूचना प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(ख) संयंत्र/प्रयोगशालाओं की सतह और भंडार का डिजाइन ऐसा होगा जो जर्कोनियम पाउडर के संचयन को रोके।

(ग) ज्वलन के स्रोत को जर्कोनियम प्रबंध क्षेत्रों से बाहर हटा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के डिजाइन के अन्तर्गत तड़ित संरक्षण और स्थैतिक विद्युत् चार्ज के संचयन को रोकने के लिए साधन है।

(घ) इन क्षेत्रों में संस्थापित विद्युत् उपस्कर अनुमोदित विस्फोट सह प्रकार के होंगे।

(ङ) जहां जहां जर्कोनियम पाउडर बने, एक स्थानिक निर्वातक प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। वाहिनी, जहां तक संभव हो, छोटी होगी उसमें अधिक झुकाव और निष्प्रवाह स्थान नहीं होंगे तथा निरीक्षण और सफाई के लिए प्रवेश के उचित साधन होंगे।

(च) जर्कोनियम प्रबंध क्षेत्रों के प्रत्येक भाग में सफाई का उच्च स्तर बनाए रखा जाएगा। सफाई के लिए भीगी कूची अपनाई जाएगी। सफाई के लिए प्रयुक्त कूचिया को सदा जल में रखा जाएगा।

(छ) संयंत्र/प्रयोगशालाओं का डिजाइन ऐसा बनाया जाएगा कि उसमें जर्कोनियम पाउडर, स्वापकों, स्पंजों या उच्छिष्टों के सुरक्षित भंडारकरण के लिए यथोचित उपबंध हों।

(ज) उच्छिष्ट या अपशिष्ट के लिए आधान धात्विक होंगे और उन पर ढक्कन लगे होंगे। वे अधिकतम तापमान से प्रभाव्य नहीं होंगे।

(झ) स्वापकों, स्पंज या उच्छिष्ट से युक्त जर्कोनियम अपशिष्टों का किसी अन्य अपशिष्ट सामग्री से पृथक संग्रह किया जायेगा। उन्हें जल (निम्नतम 15 सें० मी०) के अधीन संग्रह किया जाएगा। सामग्री की स्वतः ज्वलनशीलता को ध्यान में रखते हुए संग्रहण, परिवहन, भंडारकरण और निपटान के लिए सुरक्षित प्रक्रियाएं बनाई जाएंगी।

(ञ) पाउडर अपशिष्ट का निपटान इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी उपयुक्त स्थान पर प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा नियंत्रित दशाओं के अधीन भस्मीकरण द्वारा किया जाएगा।

(ट) विसर्जन से पूर्व, निलंबन में जर्कोनियम से युक्त अपशिष्ट द्रव का किसी ऐसी प्रक्रिया द्वारा उपचार किया जाएगा जो निलंबित जर्कोनियम का निराकरण करे।

(ठ) सभी क्षेत्रों में अग्निशामक साधित्रों की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी संक्रियाओं को, जिनमें जर्कोनियम अन्तर्वलित है, अरक्षित कभी नहीं छोड़ा जाएगा।

अध्याय 4 : कल्याण

30. पोशाक बदलने का कक्ष और कपड़ा का कक्ष

(1) कर्मचारियों के लिए धुलाई के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। जब वे ऐसी संक्रिया/प्रक्रिया में जिसमें विषैली धूल धूम्र या आर्द्र सामग्रियां अन्तर्वलित हों, नियोजित हैं, तब पर्याप्त पोशाक बदलने का कक्ष और फुहारा सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी।

(2) जब महिलाएं नियोजित हों, तब, उनके लिए पृथक धुलाई और फुहारा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इन्हें सम्यक रूप से उपदर्शित किया जाएगा।

(3) मार्जन और अन्य सफाई करने वाले कर्मकों की धुलाई-कक्षों में व्यवस्था की जाएगी।

(4) ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए, जिनके काम में पोशाक बदलने की अपेक्षा की जाती है, सुविधाजनक अवस्थानों पर लाकर कक्षों की व्यवस्था की जाएगी।

(5) पोशाक बदलने वाले कक्षों में उपयुक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे कि कर्मकार अभिहित अवधि/समय के दौरान विश्राम करने में समर्थ हो सकें।

(6) पोशाक बदलने का कक्ष और कपड़ा धोने का कक्ष सुसंवातित और प्रकाशमान् होगा।

31. प्राथमिक उपचार साधित्र :

(1) कार्य-स्थान में सुविधाजनक अवस्थानों पर प्राथमिक उपचार पेटिकाओं की व्यवस्था की जाएगी और इन्हें स्पष्टतः चिह्नित किया जाएगा।

(2) प्राथमिक उपचार पेटिकाओं में ऐसे उपस्कर और औषधियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो कारखाना के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवधारित किए जाएं।

(3) ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिक उपचार के भार साधक के रूप में पदाभिहित किए जाएंगे, इन पेटिकाओं की अन्तर्वस्तुओं को जब कभी वे समाप्त हो जाएं, फिर से भरने के लिए व्यवस्था करेंगे।

32. प्राथमिक उपचार के संबंध में सूचना :—कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्तियों के, जो प्राथमिक उपचार चिकित्सा में प्रशिक्षित हैं और जो प्राथमिक उपचार पेटिकाओं के भारसाधक हैं, नाम से युक्त सूचना हर कारखाने में किसी सहजदृश्य स्थान और प्रत्येक ऐसी पेटिका के निकट चिपकाई जाएगी। सूचना में वह कार्य कक्ष भी, जहां उक्त व्यक्ति उपलब्ध होगा, उपदर्शित किया जायेगा। निकटतम अस्पताल का नाम और उसका दूरभाष संख्यांक भी उक्त सूचना में प्रमुख रूप से उल्लिखित किया जाएगा।

33. एम्बुलेंस कमरा/औषधालय :—(1) एम्बुलेंस कमरा या औषधालय एक अर्हित चिकित्सा अधिकारी के भारसाधन में होगा, जिसकी सहायता कम से कम एक अर्हित नर्स और उपयुक्त अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द द्वारा की जाएगी।

(2) एम्बुलेंस कमरा या औषधालय में भारसाधक चिकित्सा अधिकारी का नाम, पता और दूरभाष संख्यांक देते हुए एक सूचना प्रदर्शित की जायेगी। निकटतम अस्पताल का नाम और उसका दूरभाष संख्यांक भी उक्त सूचना में प्रमुख रूप से उल्लिखित किया जाएगा।

(3) एम्बुलेंस कमरा या औषधालय शेष कारखाने से पृथक होगा और उसका उपयोग केवल प्राथमिक उपचार चिकित्सा और विश्राम के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। एम्बुलेंस कमरा या औषधालय का आकार और निम्नतम सुविधाएं जो उसमें अपेक्षित हैं, वे होंगी जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

34. कैन्टीन :—(1) कारखाना परिसर में यथोचित कैन्टीन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

(2) कैन्टीन की प्रसीमाओं को साफ और स्वच्छ दशा में बनाए रखा जाएगा। कूड़े के संग्रहण और निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।

(3) कैन्टीन का प्रबंध अधिमानतः कर्मचारियों द्वारा बनाई गई किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि स्वास्थ्यप्रद खाद्य, कर्मकारों को उचित दर पर उपलब्ध हो।

(4) कैन्टीन कर्मचारिवृन्द के ऐसे हर सदस्य की, जो खाद्य पदार्थ का प्रबंध करते हैं, नियुक्ति के समय चिकित्सक दृष्ट्या परीक्षा की जायेगी और उसके पश्चात् कालिकतः कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

35. शिशु कक्ष :—(1) शिशु कक्ष को यथोचित रूप से सुसज्जित किया जाएगा और शिशुओं के लिए खिलौनों, खटोला या पालना, बिछौना और माओं के लिए, जब वे अपने शिशुओं को खिला रही हों या उनकी परिचर्या में हों, बैठने की सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा।

(2) कुछ बड़े शिशुओं के लिए उपयुक्त रूप से बाड़ लगे और छायादार खुला क्रीड़ास्थल की व्यवस्था की जायेगी।

(3) स्वयं शिशुओं और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए शिशु कक्ष से लगे हुए एक कपड़ा धोने के कक्ष की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक ऐसे शिशु के लिए जब वह शिशुकक्ष में हो, साफ पोशाकों, तौलियों और साबुन का पर्याप्त प्रदाय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) शिशुकक्ष में आवासित प्रत्येक कुछ बड़े शिशु के लिए प्रतिदिन कम से कम 300 मिली शुद्ध दूध उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यप्रद जलपान के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था की जाएगी।

(6) किसी अल्पायु शिशु की मां को उसके दैनिक कार्य के दौरान शिशु को खिलाने के लिए 15 मि० के दो अन्तराल अनुज्ञात किए जाएंगे।

(7) शिशुकक्ष में कर्तव्य पर रहने के दौरान उपयोग के लिए, उपयुक्त साफ पोशाकों सहित शिशुकक्ष कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था की जाएगी।

[सं० एडीए/-3/1/93—खाद्य मंत्री]

ना० जयरामन, संयुक्त सचिव

अनुसूची "क"

[नियम 2 (ग) देखिए]

सक्षम व्यक्ति (1) उप नियम 8(4) (च) के प्रयोजनों के लिए कारखाने के प्रधान/प्रबंधक द्वारा पदाभिहित उत्तरदायी ओहदे पर 5 वर्ष सहित यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक या समतुल्य होगा। (2) नियम 14 के प्रयोजनों के लिये कारखाने के प्रधान/प्रबन्धक द्वारा पदाभिहित उत्तरदायी ओहदे पर 5 वर्ष सहित रसायन इंजीनियरी/यांत्रिक इंजीनियरी या समतुल्य होगा।

अनुसूची "ख"

[नियम 9 (12) देखिए]

जल	घास हरित (218)
हिमजल	सामयिक एकल श्वेत धारियों सहित घास हरित (218)
समुद्री जल	आरिएण्टल नीला (174)
विखनिजित जल	फ्रेंच नीला 174
एकल आसुत जल	सामयिक एकल श्वेत धारियों सहित फ्रेंच नीला (166)
द्वि आसुत जल	सामयिक दोहरे श्वेत धारियों सहित फ्रेंच नीला (166)
स्राव	आसमानी
वाष्प	सामयिक एकल लाल (538) धारियों सहित एल्यूमिनियम
संपीडित वायु	श्वेत
अपवाह तंत्र	काला
विद्युत् नलिकाएं और केबलें एक कलीय	सामयिक एकल श्वेत धारियों सहित टेरा कोटा (444)
विद्युत नलिकाएं और केबलें-3 कलीय विद्युत् पेनलें, विद्युत् स्विचें और ट्रान्सफार्मर	केवल टेरा कोटा (144)
	वायुयान धूसर (693)
एच 2	लाल (537) धारियों सहित श्वेत
एन 2	निम्बू पीत (355) धारियों सहित श्वेत
एच 2 और एन 2	लाल (537) और पीत (355) धारियों सहित श्वेत।
सी ओ 2	स्वर्ण-भूरा (411) धारियों सहित श्वेत
एच एफ	हल्का नारंगी (557) धारियों सहित श्वेत
आर्गान	आरिएण्टल नीला (174) धारियों सहित श्वेत
हेलियम	सेब हरित (291) धारियों सहित श्वेत
निर्वात	काला धारियों सहित श्वेत
उच्च वेग डीजल तेल	हल्का भूरा (410)
भट्टी तेल	मध्यम भूरा (411)
कच्चा तेल	गहरा भूरा (412)
निकास लाइनें	सैमन गुलाबी (143)
हैवी वाटर	बैंगनी (796)
फायर लाइनें	सकल लाल (537)
इस्पात संरचनाएं	मृ डि नील (216)
रेलिंग	ऊपरी काला शेष-मृ डि नील (216)

क. संकेतन होगा। चार परिसीमित पाइपों को केवल वर्ण धारियां सहित पेंट किया जाएगा।

ख. किसी भजनशील पाइप पर भी उसके साथ सम्बद्ध में कोड म उसके लिए विहित प्रमुख में से किसी एक से पेंट किया हुए एक धारी होगा।

ग. सभी पाइपों को प्रवेश या काले में (तत्स्थानी प्रक्रम चित्रों पर दिखाए गए कोड संख्याकों के साथ अधिक से अधिक विपर्यास देने के लिए) चिह्नित किया जाएगा।

प्रवाह की दिशा प्रवेश या काले में वाण द्वारा दिखाया जाएगा।

ङ. सभी उपस्कर (टंकियां, ऊष्मा विनियमक आदि) वायुयान धूसर (693) में पेंट किए जाएंगे।

च. प्राथमिक शीतलन कुल, समुद्री जल संपीडित वायु, नालियां, निकास और वितरण जल का मुख्य संभरण तत्संबंधी प्रणालियों के वर्ण कोडों का अनुसरण करेंगे। अन्य सभी जल पाइपिंग को वितरण जल के वर्ण-घास हरित (218) में निम्नलिखित परिवर्धनों सहित पेंट किया जाएगा :

पाइपों पर सुविधाजनक अन्तरालों पर उसी वर्ण में धारियों पेंट किए जाएंगे जैसा वातानुकूलन आरेखी पैनलों पर ये है। कोड संख्यांक और प्रवाह-दिशा उस वर्ण में दिखाए जाएंगे जैसा अन्य सभी प्रणालियों में है।

वातानुकूलन में सभी बहिर्गामी वायु स्पेक्ट्रम रेखाओं पर वही वर्ण होगा जो निकास लाइनों पर है—अर्थात् सेमन गुलाबी (443)। सभी अन्तर्गामी वायु स्पेक्ट्रम रेखाओं या फिल्टरित वायु संभरण लाइनों के लिए, वर्ण, वास्तुविद् द्वारा अवधारित किया जाएगा, जो प्रश्नगत कक्ष में अपनाई गई वर्ण स्कीम पर निर्भर करेगा।

छ. जब विभिन्न वर्ण के धारियों सहित किसी प्रणाली का कोडन किया जाए तब, धारियां, उस पाइप पर जहां वह किसी दीवार फर्श या छत में प्रवेश करती है या उससे होकर जाती है, उपस्कर, वाल्वों या पाइपों के अन्य शाखाओं से जुड़ती है, धारियां पेंट किए जाएंगे। धारियां एक रूप में 5 सेमी० चौड़े होंगे और उन्हें जहां साध्य हो, दीवार, फर्श या छत और उपस्कर या वाल्वों, आदि से लगभग 15 सें० मी० के अन्तर पर रखा जाएगा।

ज. वाल्व भागों पर उसी वर्ण से पेंट किया जाएगा जैसा उस कोडित लाइन का है जिससे वे जुड़े हुए हैं, किन्तु हैंडल चक्र उसी वर्ण से पेंट किया जाएगा जैसा उस लाइन के लिए अभिनिर्धारण धारी का है।

झ. अन्तिमवर्ण के पेंट किए जाने के पूर्व, अभिनिर्धारण लेबलों की समंगत प्रक्रम चित्र और इस वर्ण कोड से चेक किया जाएगा।

G.S.R. 782.—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Atomic Energy Act, 1962 (Act 33 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules :—

CHAPTER : INTRODUCTION

1. Short title, Application and Commencement.—(i) These rules may be called the Atomic Energy (Factories) Rules, 1984.

(ii) They shall extend to all the factories owned by the Central Government and engaged in carrying out the purposes of the Atomic Energy Act, 1962.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'Act' means the Factories Act, 1948.

(b) 'Competent Authority' means any officer or authority appointed by the Central Government by notification for the purposes of these rules.

(c) 'Competent Person' means an officer described in Schedule 'A'.

(d) 'Inspector' means an inspector appointed by the Competent Authority under these rules.

(e) 'Schedule' means a Schedule annexed to these rules.

3. Approval of plans.—(1) An application for obtaining previous permission for the site on which the factory is to be situated and for the construction of extension of a factory shall be made to the Competent Authority.

Application for such permission shall be accompanied by the following documents :—

(a) a flow chart of the manufacturing process supplemented by a brief description of the process in its various stages;

(b) plans in duplicate drawn to scale showing—

(1) the site of the factory and immediate surroundings including adjacent buildings and other structures, roads, drains, etc;

(2) the plan, elevation and necessary cross-sections of the various buildings, indicating all relevant details relating to natural lighting, ventilation and means of escape in case of fire. The plans shall also clearly indicate the position of the plant and machinery, aisles and passage ways;

(c) details of exhaust ventilation and control of gaseous releases;

(d) details of effluent treatment and liquid effluent discharges; and

(e) such other particulars as the Competent Authority may require :

4. Prohibition of use of premisese as factory without approval.—No occupier of a factory shall use any premises as a factory except with the approval of the Competent Authority.

CHAPTER II : THE INSPECTING STAFF

5 Appointment of Inspectors.—No person shall be appointed as inspector for the purposes of these rules, unless he possesses the qualification prescribed for such inspectors at the time of his appointment.

6. Qualification for Appointment as Inspectors.—The Competent Authority may prescribe necessary qualifications for appointment of inspectors for the purpose of these rules.

7. Powers of the Inspectors.—An inspector shall, for the purpose of the execution of these rules, have powers to do all or any of the following things;

(a) To photograph any worker to inspect, examine, measure, copy, photograph, sketch or test, as the case may be, any building or room, any plant, machinery, appliances or apparatus, any register or document or anything provided for the purpose of securing the health, safety or welfare of the workers employed in the factory.

(b) To carry out such medical examination as may be necessary for the purpose of the Act.

(c) To enquire into safety related unsual occurrences.

(d) To advise the Head or Manager of the Factory against unsafe acts and practices and to point out unsafe conditions, if any, in the factory.

(e) To report any unsafe conditions or practices existing in a factory to the Competent Authority.

8. Medical Examination.—Every worker of a factory shall be examined by certifying surgeons once in a year, and if any worker is found to be no longer medically ill to work in the factory, report thereof, shall be made by them to the Head of the Manager of the factory and the Competent Authority, who may ask such Head or the Manager of the factory not to employ such person in the factory for such time or period as the Competent Authority might deem necessary. After such time or period, the Competent Authority may require the Head or the Manager of the Factory to get such worker re-examined by certifying surgeons. If he is found medically fit to be employed in the factory, a certificate to this effect shall be forwarded by the certifying surgeons to the Competent Authority, who may permit the Head or Manager of the factory to re-employ him in the factory.

CHAPTER III : SAFETY

9. Planning of process and work places :

(1) General.—Safety and fire protection provisions shall be incorporated in all plans, designs and layouts of buildings. The National Building Code (ISI) shall be followed for all plans, designs and layouts of buildings. Possible dangers to properties and to health and safety of employees shall be anticipated in the handling and storage of raw materials and finished products and during different operational stages. Appropriate corrective measures shall be incorporated in all the operational stages to ensure safety.

(2) Structural safety.—(a) All buildings, permanent or temporary, shall be structurally safe and sound so as to prevent risk of collapse.

(b) Foundations and all floor areas shall be so constructed that they are able to withstand the anticipated loads.

(3) Location and spacing.—Building for storing hazardous materials shall be located away from other buildings and main roads or shall be suitably barricaded. Suitable sign boards indicating the hazards shall be displayed in the vicinity.

(4) Layout of roads and side-walks :

(a) Roads and side-walks shall be so arranged in the premises that the anticipated traffic will not congest the roads and pedestrains will have enough space on the side-walks. As far as possible, the roads shall be straight and wide enough to allow free passage of moving vehicles/equipment.

(b) Speed breakers shall be provided at strategic locations to control the speed of vehicles. Pedestrain crossing shall be marked.

(c) Sign boards shall be displayed to give information on the maximum permitted speed and traffic hazards.

(5) Effluent control.—Liquid and gaseous effluents originating from manufacturing processes shall be taken away from their places of origin and disposed of safety and, if necessary, after treatment.

(6) Space requirements.—(a) Floor space in building shall not be crowded with materials/machinery. Adequate space shall be provided so that each operator can perform his duties without interfering with other workmen/machines.

(b) Adequate aisle space shall be provided and clearly demarcated in shop floors and plants to facilitate internal transportation and personnel movement. Appropriate corridor space shall be provided in other areas.

(7) Guarding of openings/elevated places.—(a) All openings such as shafts, hatch-way, cut out and manholes into which persons may fall accidentally shall be guarded suitably.

(b) Removable permanent rallings shall be used for guarding. Standard rallings shall have a height of at least 105 cm from floor level to upper surface of the top rall and shall have posts not more than 2 m apart and an intermediate rail halfway between the floor and the top rail.

(c) The boards atleast 15 cm in height shall be provided to prevent objects from falling down to a lower level and causing accidents.

(d) Elevated places such as terraces, balconies and staircase landings from where persons may fall accidentally shall be effecively guarded by providing a parapet wall of height atleast 105 cm or standard railing with toe board protection.

(8) Safe access to elevated areas.—(a) Safe access shall be provided to all elevated parts of buildings such as roofs and terraces, overhead crane cabins, crane ways and bridges, tops of tanks and boilers, elevator machine rooms, mezzanine floors and other similar locations. This shall be achieved by means of stairs or fixed ladders.

(b) All stairs and landings shall be of sufficient strength so as to sustain a live load of not less than 300 kg/m^2 with a factor of safety of four.

(c) The slope of stairway shall be between 30°-35° from the horizontal. Treads and risers on each stairway shall be of uniform width and height.

(d) The treads shall be no less than 24 cm in width exclusive of nosings or projections. A nosing of non-slip type (2.5 cm wide) shall be provided. The risers shall be not more than 20 cm nor less than 13 cm in height.

(e) A flight of stairs having four or more risers shall have a railing of vertical height 90 cm from the level of the tread to upper surface of the top rail. A landing shall be provided after every ten to twelve treads.

(f) Fixed ladders shall be of sound material and designed for a concentrated live load of about 90 kg wt. with a safety factor of five. The integrity of the ladders shall be ensured at least once in six months.

(g) A fixed ladder shall be installed making an angle between 75° to 90° with the horizontal. The rungs shall be of provided at uniform spacing of 30 cm. They shall be of appropriate diameter.

(h) There shall be clearance of not less than 18 cm at the back of the ladder. Distance from front of rungs to nearest permanent objects on the climbing side of the ladder shall not be less than 75 cm.

(i) The ladder shall be provided with a safety climb device or with a cage 65 cm wide and 65 cm deep, starting 2.2 m from the floor/ground level.

(9) Ramps.—Ramps shall be built with least practicable slope but not more than 15°. The ramps shall be given a non-slip surface finish.

(10) Markings.—Where there is a difference in floor levels, oblique yellow and black stripes shall be painted conspicuously at the interface as warning to prevent tripping of persons. Big glazings used as partitions/doors shall be conspicuously marked with indicators to prevent persons from breaking through.

(11) False ceiling.—Wherever persons can gain access over false ceilings, the design for the false ceiling shall include a passage way of adequate strength for use of maintenance personnel. It shall be clearly distinguishable from the fragile ceiling material.

(12) Colour codes for pipelines.—Service and plant pipelines shall be painted as per colour codes laid down in Schedule 'B'.

(13) Ventilation.—Adequate ventilation shall be provided for all occupied areas and work spaces, as well as for the areas where hazardous materials are stored. Competent Authority shall, from time to time, authorise the number of air changes that are required to be provided for different areas/operations.

(14) Illumination.—Adequate illumination shall be provided so that at work may be carried on safety and without undue strain to the eyes. Specific care shall be taken to avoid glare. The type and intensify of lamps shall be based upon nature of operation to be performed. Competent authority shall, from time to time fix the standard levels of illumination that are required for different occupancies/operations.

(15) Lightning protection.—Protection against lightning shall be provided for all the buildings of strategic importance and tall structures. It shall also be provided for buildings in which dangerous operations are carried out; flammable materials are manufactured, stored, handled or used; for storage tanks containing oils, paints or other flammable liquids.

10. Building construction and maintenance :

(1) Excavations :

(a) Underground utilities such as water mains and cables shall be located and protected during excavation.

(b) Adequate provisions shall be made for workers to get in and out of an excavation.

(c) Adequate slopes shall be given to the excavated sides by way of provision of steps or gradual slopes. Where this is not possible, adequate shorings and bracings shall be provided.

(d) Undercutting of banks of trenches and other excavations shall be avoided. This shall apply to earth work above surface also.

(e) Excavated materials shall be dumped away from the edge of the trench to avoid slipping of the material into the trench.

(f) Excavations shall be properly fenced to protect persons and animals from falling into them. Warning red lights shall be provided on the fence during night time.

(g) Trenches under excavation shall be kept free of water.

(2) Scaffolds and platforms.—(a) Scaffolds and their parts such as supports and platforms, shall be of good construction, sound material and of adequate strength for the purpose for which they are meant. They shall be properly maintained to ensure their continued integrity.

(b) No plank shall be kept loose so that levering up of one end of the plank hile walking is avoided. Nails used in the construction of scaffolds, staging and supports shall be of ample size and in sufficient numbers at each connection. Nails shall penetrate to the holding piece to a depth of at least 12 times the diameter of nail.

(c) A safe and convenient means of access shall be provided to the scaffold. Means of access shall be portable ladder, ramp or a stairway.

(d) All platforms, gangways, etc., shall be free from any uncessary obstruction, matrial, rubbish and projecting nails. These shall be maintained always in a non-slippery condition.

(e) Guard rails shall be always provided at the edges of scaffolds which are more than 3.6 m in height, measured from the ground of supporting area.

(f) On platforms the planks used shall not project beyond the end supports to a distance exceeding four times the thickness of the planks used.

(3) Portable ladders.—(a) Ladder shall be of good construction and of strength adequate for the intended use of the ladder. Rungs shall be parallel, level and uniformly spaced at 30 cm.

(b) Ladders shall be inspected regularly, and repaired immediately when so indicated. Wooden ladders shall not be painted. For preserving the material from deterioration linseed oil or clear varnish shall be used.

(c) All ladders with spreading bases, such as step and frestile ladders shall be equipped with right spreaders or other means to prevet their premature opening or closing.

(d) Portable ladders shall be used a pitch such that the horizontal distance from the wall to the foot of the ladder shall approximate, but not exceed one fourth of the length of the ladder between supports.

(e) Single portable ladders over 9 m in length shall not be used.

(f) The use of metal ladders around electrical lines or in places where they may come in contact with such wires shall be prohibited.

(4) Cranes.—(a) Cranes shall be operated only by authorised persons who are well trained and experienced. Operators shall ensure that all safety devices are functioning properly before crane is put into operation.

(b) A mobile crane shall be operated so that none of its parts can approach live electric lines closer than 3 m. While lifting loads such a crane shall be located on level ground.

(c) Standard signals shall be used and operators shall recognise signals from only one person during crane operation. Signal men shall direct equipment movement at fills, quarries, pits, intersections or any other place where necessary to prevent possible accidents.

(d) Sling hitches on loads shall be made under the supervision of experienced persons.

(e) No person shall be permitted to work or walk under a load.

(f) Thorough inspection and load testing of a crane shall be done by a competent person atleast once every 12 months. The load to be used for the purpose of testing shall be as follows :

Safe working load	Test load
Upto 20 tons	25% in excess
20—50 tons	5 tons in excess
Over 50 tons	10% in excess

(5) Concreting and cementing.—(a) All form raising and deshuttering shall be conducted under proper supervision. While working at a height, the workers shall use appropriate safety belts.

(b) Shuttering and spporting structures shall be of adequate strength. This shall be ensured before concrete is poured.

(c) Workers handling cement or concrete shall protect their legs and hands from the exposure to cement.

(d) Proper guards and covers shall be provided on mixer gears, chains and rollers.

(e) All pipes and hoses used to convey grout shall be of sufficient strength to withstand the maximum pressure that is likely to be reached during the operations.

(6) Welding and cutting.—(a) Welding or gas cutting shall not be carried out where there is danger of burning combustible materials or causing explosion.

(b) Welding and gas cutting shall be done only by authorised and qualified persons.

(c) Adequate ventilation shall be provided while welding in confined spaces, or while brazing, cutting or welding zinc, brass, bronze, galvanized or lead coated material.

(d) Defective torch or hose shall not be used for welding of cutting. Any leakage shall be checked for before lighting the flame.

(e) Torch shall not be put down until the gases have been completely shut off. It shall not be suspended from a regulator or other equipment where it can come in contract with the sides of gas cylinders.

(f) Suitable protective shields shall be worn by welders while welding. Barriers shall be erected to protect other persons from harmful rays. The persons who assist the welders shall use suitable goggles.

(g) Gauntlet gloves shall be worn while welding or cutting. Outer clothes shall be free oil and grease.

(h) In oxyacetylene welding, oil or grease shall not be allowed to come in contact with gas cylinder regulators or connections of gas welding equipment. Acetylene cylinders shall be kept vertical. The cylinders shall be protected from direct sunlight.

(i) The gas supply shall be turned on only when the person is ready to light it.

(j) When welding or cutting in elevated positions, precautions shall be taken to prevent sparks or hot metal falling on to persons or flammable material.

(k) When electrical welding is undertaken near pipe lines carrying flammables, such pipe lines shall not be used as part of earth conductor, but a separate earth conductor shall be connected to the machine directly from the job.

(l) Personal contact with the electrode or other live parts of electric welding equipment shall be avoided.

(m) Extreme caution shall be exercised to prevent accident contract of electrode with ground.

(n) Suitable goggles shall be worn while chipping slag.

(7) Cleaning of upper reaches.—For carrying out cleaning operations at upper reaches of buildings, both inside and outside, procedure shall be worked out in advance to ensure complete safety of persons.

(8) Maintenance at higher elevations.—For persons attending to maintenance job at elevated places with limited access, safe procedures for work shall be laid down in advance.

(9) Painting.—(a) Persons working at height shall make use of safety belts unless they are safely hung in cages.

(b) Goggles shall be worn for eye protection where scales and rust are to be chipped.

(c) Sufficient warning and danger signs shall be placed when men are working overhead. Proper precautions shall be taken from dropping materials when overhead work is carried out.

(d) Painters engaged in spray painting of large objects, such as tanks shall make use of directional winds to take paint spray away. In case natural ventilation is insufficient, air blowers shall be used; otherwise, respiratory protection of the appropriate type shall be worn by the painters.

(e) Smoking shall be prohibited during painting. Thinners and paints shall be kept in sealed containers.

11. Material storage :

(1) General.—(a) Each item of the hazardous material shall be stored in an environment well suited to its properties. The materials shall be grouped based on the mutual compatibility in such a way that a judicious use is made of the available space keeping in mind the requirement of safety. Other statutory provisions, such as Indian Explosives Act, 1884, The Petroleum Act, 1934 and Inflammable Substances Act, 1952, wherever applicable, shall also be complied with.

(b) Adequate natural ventilation shall be available for storage of hazardous materials in the storage area. R.C.C. louvres with covers of brass/G.I. mesh shall be provided for the purpose so that the louvres will prevent entry of rain water, and the mesh will prevent the entry of rodents.

(c) Flame/explosion proof electrical fittings of the appropriate type shall be provided in areas where large quantities of flammable materials are stored. In areas where corrosive chemicals are sored, the electrical fittings shall be corrosion proof.

(d) Smoking shall be strictly prohibited in the storage area. Naked flames or any spark producing agents shall not be allowed in the storage area.

(2) Flammable liquids.—(a) Storage area for large quantities of flammable liquids shall be isolated by distance so that fire that may originate there does not expose important buildings.

(b) Bulk storage of highly inflammable liquids shall be made only in tanks of approved construction. Enough outage space shall be given while filling the tanks. Suitable vents shall be provided for the vapours to escape.

(c) Suitable devices shall be provided to indicate the level of liquids in bulk storage tanks.

(d) Storage of flammable liquids in open containers shall be prohibited. Barrels and containers for flammable liquids shall be sealed after each use and when empty.

(e) Flammable liquids shall be stored in original containers on steel racks not more than 1.2 m high. A clearance of atleast 30 cm between the bottom tier and the floor shall be maintained. Cupboards shall be used to store not more than a total of 190 litres of flammable liquid, with no container exceeding 20 litres in capacity.

(f) In approved storage areas for small containers, suitable sumps should be provided so that the liquid when spilled does ot spread under storage racks. Dispensing of flammable liquids shall not be allowed inside stores.

(g) Adequate arrangements shall be made for natural ventilation in storage area. Louvres shall be provided both at floor and ceiling level in order to bring about quick clearance of solvent vapours which are normally heavier than air.

(h) Before accepting any consignment it shall be checked whether the containers are in good condition for storage and the defective ones are rejected.

(i) Smoking and carrying of matches, lighters and sparks producing devices shall be prohibited inside the storage area.

(3) Alkali metals.—(a) Storage area for large quantities of alkali metals shall be isolated by distance so that an explosion that may result there does not affect important buildings.

(b) Storage areas shall be of good construction. Chances of flooding shall be eliminated by proper location and by providing raised floors.

(c) Particular care shall be taken during the construction of the buildings meant for storage of these materials against possible ingress of rain water so that the building is always kept dry. Slopped roof shall be provided so that water leakage is avoided.

(d) An explosion venting shall be provided in the ratio 1 m^2/15 m^3 of the storage volume in the room.

(e) Alkali metal containers shall be stored on cement blocks or elevated platforms. Containers of alkali metals shall not be stored in corrosive atmosphere.

(f) Water connection shall not be available in the building.

(g) Apart from a 'No Smoking' board a suitable warning prohibiting the use of water shall be displayed.

(h) Fire extinguishers of the dry chemical powder type shall be available in the storage area.

(i) Adjacent to bulk storage area a dispensing area shall be provided with all the design requirement as applicable to bulk storage areas. The dispensing area should be separated from the storage area by a firm wall.

(j) Original containers of alkali metals shall be checked periodically for any defect/corrosion and the damaged containers shall be immediately replaced.

(4) Corrosive and oxidising chemicals.—(a) Flooring in the acid storage area shall be acid proof.

(b) Arrangements shall be made for exhaust ventilation in order to remove the corrosive vapours.

(c) Acid carboys shall be kept on a layer of sand atleast 7.5 cm thick provided on floor as far as possible or on cement shelves. Separate areas/ shelves be provided for each type of acid.

(d) In case of alkalis, each item shall be stored separately. Drums shall not be stored more than 2 high. Bags shall not be stored more than a metre high.

(e) Before accepting any container it shall be checked whether it is in good condition for storage and defective ones rejected.

(f) Oxidising agents shall be stored in original containers on steel racks not more than 1.9 m high. No combustible materials shall be brought or left near the oxidising agents.

(g) Emergency showers shall be provided wherever corrosive materials are stored/handled. They shall consist of large volume, low velocity discharge from directly overhead so that a person could be drenched completely and continuously. Only quick acting value shall be used in this line.

(h) Containers of corrosive and oxidising chemicals shall be checked periodically for any defect/corrosion and the damaged containers shall be immediately replaced.

(5) Toxic materials

(a) All toxic substances shall be stored only in the original containers on standard racks of 1.9 m height. It shall be ensured that the labels are intact and contain all the relevant information.

(b) Toxic materials shall be stored in isolation and away from other storage area to prevent them from involving in fires which originate elsewhere. There shall be good administrative control over the stock of these materials.

(6) Explosives.—(a) Explosives and detonators shall be stored separately in fireproof and weather-proof magazines of a type approved under the Indian Explosives Act, 1884.

(b) Locations of magazines shall be away from the main roads and other buildings.

12. Fire Protection :

(1) General.—(a) Any building shall be so designed and the type of materials used in its construction so chosen that the building is fire resistant and spread of fire, smoke or fumes will not occur. Provisions of relevant fire safety rules and regulations shall be applied.

(b) The amount of combustibles used in construction of buildings shall be as low as possible. The use of flammable surface finishes on wall and ceilings could contribute to rapid spread of fire. Their use therefore shall be carefully controlled.

(c) Structural components of buildings shall be, as far as possible, fire resistant; their fire rating shall depend on the use to which the structure will be put.

(d) Airconditioning and ventilating systems shall be so installed as to minimise the danger of spread of fire, smoke or fumes from one floor of fire area to another.

(e) In operational areas, the amount of combustibles shall be kept to the minimum consistent with operational requirements, the bulk quantities being kept in separate storage areas.

(f) Carrying of matches, cigarette lighters, or other flame producing articles shall be prohibited in all places where explosive, flammable or highly combustible materials are stored or handled. Smoking shall also be prohibited and 'No Smoking' sign shall be displayed.

(g) Viewing windows shall be provided on all doors of laboratories, plants, etc. in order to aid in early detection of fire or any other untoward incident.

(2) Fire detection and extinguishment :

(a) In all working areas fire alarms shall be provided at convenient locations so that prompt action can be taken in extinguishing fires.

(b) All areas associated with high and moderate fire hazard shall be equipped with early fire detection and alarm systems of sufficient capacity and capability. The signals shall be clearly audible to all persons in the buildings whenever the alarm is sounded in any portion thereof.

(c) The number and type of fire extinguishing equipment required by each work unit shall be finalised in consultation with fire services personnel. Apart from a judicious use of portable (or first-aid) fire extinguishers, water sprinkler system shall be installed wherever indicated.

(d) An adequate water supply with predetermined pressure shall be maintained at all times for extinguishing fires.

(e) Fire hydrants shall be available and so located or protected that they shall not be liable to damage from moving vehicles.

(f) Hydrants and supply pipes shall be flushed at frequent intervals in order to remove sediments that may otherwise accumulate. They shall be checked atleast once in three months.

(g) Fire detection/fire fighting equipment shall be tested before installing and periodically so that they are ready for action all the time.

(h) All portable extinguisher and other appliances shall be conveniently and conspicuously located taking the nature of the combustible materials in the working area into account.

(3) Fire control :

(a) In relation to the size and number of persons employed in each workroom or areas, it shall be provided with adequate number of fire exits. For high risk areas such as workrooms in higher floors where more than twenty persons are working or where flammable materials are stored, atleast two exits shall be provided.

(b) The doors of the fire exits shall open outwards.

(c) No fire exit shall be less than 90 cm in width nor less than 200 cm in height.

(d) The fire escape stair shall be within 22 m along the line of travel from any part of the floor, from which it is meant to provide escape. Escape stair shall be made of sound construction and fire resistant materials.

(e) No fire escape stair shall be constructed at an angle greater than 45° from the horizontal. Every stairway which affords a means of escape in case of fire shall be provided with a substantial hand

rail which if the stairway has an open side shall be on that side and if the stairway has two open sides, such hand rails shall be provided on both sides.

(f) The fire escape staircase shall be provided with emergency illumination. It shall be so constructed that it will not be smoke logged during a fire indent.

(g) Smoke venting facilities, wherever required for safe use of exits in windowless buildings, underground structures and large working areas, shall be automatic in action.

13. Machine guarding and operation :

(1) General :

(a) All moving parts of machinery shall be guarded whenever such motion presents a hazard to personnel. All belts, pulleys, gears, shafts, clutches, drums, flywheels, spindles and all other rotating or reciprocating parts within 2.1m of floor or operating platform shall be construed to present a hazard to personnel.

(b) Guards made of wood or other suitable material shall be used where the presence of a metal guard would introduce a hazard.

(c) An efficient stopping and starting device shall be provided on every machine. The control of this device shall be in such a position as to be readily and conveniently operated by the person in charge of the machine.

(d) Use of close-fitting garments by machine operators and service personnel shall be enforced. Wearing loose clothing, dangling cuffs, ornaments, etc. shall be prohibited. Suitable caps shall be provided for women employees working with revolving machinery.

(e) Machines shall not be permitted to run unattended unless it is specifically designed for automatic operation. Strokes of any machine shall not extend into aisle spaces.

(f) Only the minimum stock of materials shall be stored in a workshop. The space surrounding every machine in motion shall be kept free from obstruction.

(g) The floor surrounding every machine shall be maintained in good and level condition and shall not be allowed to become slippery. The floor in a machine shop shall be kept free from chips or other loose material.

(h) There shall be adequate illumination throughout the workshop. According to the nature of the job and requirements of each machine, the illumination shall be improved upon by providing local illumination.

(i) Scrap materials shall be deposited in designated containers and shall be promptly removed before they overflow.

(j) No person shall be allowed to work on a machine unless he has been sufficiently trained in the working of that class of machine, or he works under adequate supervision of a person who has a thorough knowledge of its working.

(k) Unauthorised persons shall not be allowed to work on machines.

(2) Prime movers and transmission machinery :

(a) The opereation of prime movers and transmission machinery shall be such that they do not present any hazard to personnel.

(b) Fly wheels shall not be operated at speeds exceeding those designated for any reason.

(c) Belts shall be inspected on a periodic schedule and a proper record kept.

(d) The inspection shall include checks for cuts, accumulation of dirt or grease, excessive looseness or tension, misalignment of slipping. Belt lacing and fasteners shall also be inspected and necessary observation shall be made to determine that undue stress is not applied on them.

(e) All gears regardless of size, type or location shall be guarded by a complete enclosure.

(f) All shaft couplings shall be so constructed that there are no projections or else they shall be covered with safety sleeves.

(3) Lathes :

(a) Chuck wrenches shall be spring loaded or otherwise designed to assure their disengagement prior to use.

(b) Circular shields shall be installed around chuck or the lathe dog if it has projections which can hurt.

(c) Proper chip breaker shall be used to eliminate injuries when steel and such other materials are turned on lathes.

(d) Lathes shall not be cleaned while on motion. Proper brush shall be used to remove the turnings.

(4) Milling machines :

(a) Milling machines shall be provided with a metal or transparent guard over the cutter designed to prevent accidental contact with it and to serve also as a chip guard.

(b) The lubricant shall be directed on the part of the tool turning away from the work.

(5) Circular Saws :

(a) Circular saws for cutting cold metal shall have a good guard which automatically adjusts according to the thickness of the stock being cut.

(b) The portion of the saw under the table shall be guarded with a complete enclosure having a provision for the collection of scrap metal.

(c) Bandsaws shall have the upper and lower wheels completely enclosed with sheet metal or sturdy mesh screens.

(d) The portion of the saw blade between the upper wheel and the saw table shall be completely enclosed with a sliding fixture attached to the guide. The length of the blade exposed at any time shall not be more than 9 mm greater than the thickness of the stock being cut.

(6) Grinding machines :

(a) Abrasive disks and wheels shall be stored in a dry area not subject to extreme temperatures. Abrasive discs and wheels require careful handling to prevent dropping or bumping.

(b) Every grinding wheel shall be carefully fitted to the machine shaft. A safety washer shall be placed on each side between the wheel and the flange which shall be of correct size.

(c) Operating speed of the machine shall be checked to make sure that it does not exceed the maximum design speed of the wheel. To ensure this, there shall be a notice, conspicuously displayed on the machine, indicating the maximum safe working peripheral speed of every grind stone or abrasive wheel, the speed of the shaft or spindle upon which the wheel is mounted and the diameter of the pulley upon such shaft or spindle necessary to secure such safe working peripheral speed.

(d) Grinding machine shall not be operated unless it is provided with a guard.

(e) The work-rest shall be suitably constructed and securely clamped at not more than 3 mm from the face of the wheel.

(f) When opereating any grinder, proper eye protective equipment shall be worn.

(7) Wood working machinery :

(a) Every circular table saw shall be provided with a spreader, a self adjusting hood and a non-kick back device hinged on to the hood (crown guard). The part of the same blade beneath the saw table shall be completely enclosed.

(b) A push stick or other suitable appliance shall be provided for use to enable the work to be done without exposure to unnecessary risk.

(c) All portions of the band saw shall be enclosed except the working side of the blade.

(d) Band saw wheels shall be completely enclosed.

(8) Shearing Machine :

(a) Fixed or self-adjusting shall be installed at the front and rear of the blade. The distance of the lower edge of each barrier from the table and blade shall not exceed 11 mm.

(b) Rails shall be installed on the exposed sides and at the rear of the machine.

(9) Power Presses :

(a) Power presses not equipped with fully automatic feed shall be equipped with a non-repeat device.

(b) Where a fully automatic or semi-automatic feed is used the ram shall be completely enclosed or its stroke limited to 11 mm or a gate guard installed.

(c) A manually fed press shall be protected by one or more of the following arrangements :

(i) a complete enclosure of the ram allowing not more than 11 mm between the bottom of the enclosure and the job.

(ii) limitation of the ram stroke is not more than 11 mm.

(iii) gate guards interlocked with control mechanism.

(iv) a two-hand tripping device.

(v) a sweep guard.

(vi) specially designed hand tools and manual feeding guard.

(d) where automatic or complete gravity ejection is not provided, strippers, knock-outs, kick-outs, compressed air jets or special hand tools shall be provided to permit the safe removal of the materials from the Press.

14. Electrical Equipment

(1) General :

(a) Only trained and authorised persons shall be permitted to work on electrical installations.

(b) Operation of electrical equipment shall be avoided when standing on wet floor or when hands are wet.

(c) Whenever possible, only one hand shall be used when working on circuits or control devices.

(d) Wearing rings, metallic watch bands, etc. shall be avoided when working with electrical equipment or in the vicinity of strong induced fields.

(e) When a person is working with energised equipment a second person capable of helping him in an emergency must be present.

(f) Electricity shall not be tagged by inserting bare wires into sockets. Suitable plugs shall be used for the purpose.

(g) Insulation resistance test (megger test) shall be made periodically on electrical installations and the result recorded. Exceptionally low readings or sudden changes shall be carefully investigated. When tests are made, the electrical equipment shall be disconnected from all sources of power and the terminals shall be short-circuited and grounded before and after each test to drain off all residual charges.

(h) All statutory requirements under Indian Electricity Act, 1910 and rules made thereunder shall be followed in respect of installation, operation and maintenance of electrical equipment.

(2) Installations :

(a) All electrical equipment and installations shall be of such construction and so installed and maintained as to prevent danger both from contact with live conductors and from fire.

(b) Material for all electrical equipment shall be selected with due regard to the working tension, load and to any special condition of use.

(c) After installation of new electrical systems or after extensive alterations to existing installations, an inspection shall be made by a person with a supervisor's Licence, other than the person or persons engaged in the work, before the new system or new extension is placed in service.

(d) When it is impossible or impracticable to enclose electrical circuits or current carrying parts of electrical equipment operating with A.C. voltage of 50 volts or more to ground, accidental contact by persons or objects shall be prevented by installing the circuits or equipment:

I. in rooms or enclosures which are effectively grounded and accessible to authorised persons only, or

II. on balconies, galleries or platforms so elevated and arranged as to exclude access to unauthorised persons.

(e) Electrical equipment which requires adjustment or examination during operation shall be so installed that readily accessible and adequate working space sure footing can be provided and maintained at all necessary points.

(f) Where electric transformers, capacitors or other equipment contain oil in excess of 5000 l per tank, compartment or chamber, the oil containing equipment shall be

I. situated outside the industrial buildings, and

II. so erected over pits, drains or sumps that the whole of the contents of anyone of the containers will be collected in it.

(3) Grounding:

(a) Armouring and sheathing of electric cables, metal conduits and their fittings, metallic safeguards and other non current carrying parts of utilisation equipment shall be effectively grounded.

(b) Grounding conductors shall be of low resistance and of sufficient capacity to carry safely the heaviest flow of current which may result from a break down of the insulation of the equipment to be protected.

(c) Where portable electrical equipment with exposed metal parts are used, exposed metal frames of equipment operated on A.C. and D.C. systems of supply shall be effectively grounded.

(d) Isolating switches shall be provided for disconnecting electrical equipment or conductors from the

source of supply when repair or maintenance work has to be done on the equipment or conductors. When equipment or conductors are so isolated, they shall be effectively grounded and where necessary, short-circuited.

(e) All portable electric tools and equipment shall be provided with three core cables, one of which is a ground wire. Electric supply for the tools/equipment shall be tapped using only three-pin plugs of good quality.

(4) Guarding of live parts:

(a) Pliers, screw drivers, fuse pullers and similar hand tools used in connection with electric work shall be adequately insulated.

(b) Handles of oil cans and wipers, brushes and other cleaning devices used around electrical equipment shall be made of non-conducting materials.

(c) Motor generators, rectifiers or transformers in arc welding or cutting machines and all current carrying parts shall be protected against accidental contact with uninsulated live parts.

(5) Fire extinguishment :

(a) Water shall not be used for extinguishing fires involving electrical equipment except where emulsions are formed for purposes of fire extinguishing and where fire is otherwise uncontrollable in the latter case, precautions against electrical contact shall be taken before the use.

(b) CO_2 gas type extinguishers shall be provided for use on electrical installations. In addition, dry sand or other non-conducting materials may be used as extinguishants.

(6) Personal protective clothing:

(a) While working on or close to live electrical circuits or equipment, workers shall—

I. wear tight fitting clothing. They shall be free from metallic buttons or cuffs.

II. not wear unnecessary metal objects such as rings, key or watch chains.

(7) Static electricity:

(a) Where dangerous accumulation of static charges may be caused by belt and pulley drives, both shaft and bearings shall be grounded.

(b) Where sparking may occur between the belt and pulley in such a way as to cause risks to the workers, the accumulation of static charges shall be reduced by means of metallic combs connected to ground and placed, if necessary, on both sides as close as possible, to the belts at the point where they run off the pulleys.

(8) Hazardous locations:
All electrical equipment such as motors, switches and lighting fixtures installed in places where there is danger of explosion from flammable gas or vapour mixtures shall be of an approved explosion-proof type.

15. Hand tools and portable power tools:

(1) Hand tools :

(a) Hand tools shall be of good quality material and appropriate for the work for which they will be used.

(b) Hand tools shall be used only for the specific purposes for which they are meant. Their handles shall be free from grease, oil, etc.

(c) Wooden handles of hand tools shall be of good quality, straight-grained material. They shall be smooth and free from splinters or sharp edges.

(d) Where there is any risk of an explosive atmosphere being ignited by sparks, the hand tools used therein shall be of non-sparking type.

(e) Heads of shock tools shall be dressed or ground to a suitable curvature on the edges as soon as they begin to mushroom or crack.

(f) Handtools shall be tempered, dressed and repaired only by qualified persons.

(g) Handtools shall not be left on floors, passage ways, etc.; while working at elevations, handtools shall be properly secured to belts or other equipment/structures so that they may not fall on persons below.

(h) Workers shall be properly instructed and trained in the safe use of hand tools.

(i) Workers using cold chisels or chisel cutters in operation involving risk of eye injuries shall be provided with suitable eye protection.

(j) Files shall be used with substantial ferruled handles.

(k) Handles of hammers and sledges shall be fitting securely.

(l) Pliers shall not be used as substitutes for wrenches to tighten or loosen nuts.

(m) Edges of screw drivers shall be properly rounded so as to fit the slot of the screws.

(n) Screw drivers shall not be used for prising or as chisels.

(o) Pipes or other extensions shall not be permitted on wrenches or spanners unless th tools are designed for use in this manner .

(p) Wrenches and spanners shall nto be used as hammers.

(q) Hackshaw blades shall be stretched tight in their frames and moved in a straight line with steady strokes, so as to avoid the blades from breaking and possibly injuring the hands.

(2) Portable power tools :

(a) Portable electrical tools shall not be used in the presence of flammable vapours, gases and dusts unless the tool is specially designed for such uses.

(b) In all electrically operated tools, a three core cable shall be used and the ground wire properly connected to the body of the tool (see also Rule 12(3) (e)).

(c) Switches shall be provided on powered tools in such a manner that the possibility of accidental starting is minimised.

(d) Portable power tools and their accessories shall be frequently and thoroughly inspected on a period schedule and record of all such inspections maintained.

(e) Electrically actuated tools shall be operated only by persons who have been trained and instructed in the use of such tools.

(f) In portable grinders the wheel shall be properly mounted with safety washers and flanges large enough for the type of wheel installed.

(g) Goggles/face shield shall be worn when performing grinding work.

(h) While using a portable power drill the material to be drilled shall be kept suitably secured.

(i) When power tools are used in elevated places, the operator shall wear a safely belt to minimise the danger of falling, should the tools break suddenly or he receives an electric shock.

(j) Effective local exhaust ventilation shall be provided for dry operations such as buffiing, grinding and sanding which produce harmful dusts in appreciable concentrations.

(k) In case of pneumatic impact tool, a short chain shall be securely attached to airhose to prevent it from whipping.

16. Pressure vessels and plants

(1) General :

(a) Every pressure vessel/plant other than any vessel which comes in the scope of Indian Boilers Act, 1923 and metal bottles of cylinders used for the storage or transport of compressed gases of liquified or dissolved gases under pressure and operated at a pressure greater than atmospheric pressure shall be—

(i) of good construction, sound material, adequate strength and free from any patent defect ; and

(ii) properly maintained in a safe condition.

(b) No new pressure vessel shall be taken into use in a factory unless it has been hydrostatically tested by a competent person at a pressure alteast 1.3 times the design pressure, and no pressure vessel or plant which has been previously used or has remained isolated or idle for a period exceeding 2 months or which has undergone alterations or repairs shall be taken into use in a factory unless it has been thoroughly examined by a competent person externally and internally if practicable, and has been hydrostatically tested by competent person at a pressure which shall be 1.5 times the maximum permissible working pressure.

(c) No pressure vessel/plant shall be used a factory unless a certificate specifying the design pressure or maximum permissible working presure thereof and stating the nature of tests to which the pressure vessel/plant and its fittings (if any) have been subjected, has been obtained from the manufacturer of the pressure vessel/plant or from the competent person and every pressure vessel/plant so used shall be marked so as to enable it to be identified as to the pressure vessel/plant to which the certificate relates and the certificate shall be kept available for perusal by the inspector.

(d) Competent Authority shall stipulates specific requirements for the reactor vessels as well as associated high pressure piping and competents.

(2) Safety fittings :

Every pressure vessel/plant shall be fitted with

(i) a suitable safety valve or other effective pressure relieving device of adequate capacity to ensure that the maximum permissible working pressure of the pressure vessel/plant shall not be exceeded. It shall be set to operate at a pressure not exceeding the maximum permissible working pressure.

(ii) a suitable pressure gauge with a dial range not less than 1.5 times the maximum permissible working pressure. It shall be clearly visible and designed to show at all times the correct internal pressure and marked with a prominent red mark at the maximum permissible working pressure of the pressure vessel.

(iii) a suitable stop valve of valves by which the pressure vessel may be isolated from other pressure vessel/ plant or source of supply of pressure. Such a stop valve or valves shall be located as close to the pressure vessel as possible and shall be easily accessible ; and

(iv) a suitable drain cock or valve at the lowest part of the pressure vessel for the discharge of the liquid or other substances that may collect in pressure vessel.

(3) Pressure reducing devices :

(a) Every pressure vessel which is designed for a working pressure less than the pressure at the source of supply or less than the pressure which can be obtained in the pipe connecting the pressure vessel with any other source of supply shall be fitted with a suitable pressure reducing valve or other suitable automatic device which prevent the maximum permissible pressure being exceeded.

(b) To further protect the pressure vessel in the event of failure of the reducing valve or device at least one safety valve having a capacity sufficient to release all the steam, vapour or gas without undue pressure rise as determined by the pressure at the source of supply and the size of the pipe connecting the source of supply shall be fitted on the low pressure side of the reducing valve.

(4) In service test and examinations :

(a) No new pressure vessel shall be taken into use in a factory unless it has been hydrostatically tested by a competent person at a pressure of atleast 1.3 times the design pressure and no pressure vessel/plant which has been previously used or has remained isolated or idle for a period exceeding 2 months or which has undergone alterations or repairs shall be taken into use in a factory unless it has been thoroughly examined by a competent person externally and internally if practicable, and has been hydrostatically tested by the competent person at a pressure which shall be 1.5 times the maximum permissible working pressure.

(b) No pressure vessel/plant shall be used in a factory unless there has been obtained from the manufacturer of the pressure vessel/plant or from the competent person a certificate specifying the design pressure or maximum permissible working pressure thereof and stating the nature of tests to which the pressure vessel/plant and its fittings (if any) have been subjected and every pressure vessel/plant so used shall be marked so as to enable it to be identified as to the pressure vessel/plant to which the certificate relates and the certificate shall be kept available for perusal by the inspector.

(c) Every pressure vessel/plant in service shall be thoroughly examined by a competent person :

(i) externally, once in every period of six months ;

(ii) internally, once in every period of twelve months.

Provided that if by reason of the construction of a pressure vessel a thorough internal examination may be replaced by a hydrostatic test which shall be carried out once in every period of two years.

(iii) hydrostatically tested once in every period of four years.

(iv) Provided that if owing to its construction and use a pressure vessel/plant cannot be hydrostatically tested as required in sub-clause (ii) and (iii) above at least once in every period of four years a systematic nondestructive test like ultrasonic test for metal thickness or other defects of all parts the failure of which might lead to eventual rupture of the pressure vessel/plant shall be carried out.

(d) The pressure of the hydrostatic test to be carried out for the purpose of this sub-rule shall be 1.25 times the design pressure or 1.5 times the maximum permissible working pressure, whichever is less.

(5) Report of Test :

(a) if during any examination any doubt arises as to the ability of the pressure vessel/plant to work safely until the next prescribed examination, the competent person shall record his observations, findings and conclusions with other relevant remarks with reasons and may authorise the pressure vessel

to be used and kept in operation/subject to a lowering of maximum permissible working pressure or to more frequent special examination or test or subject to both these conditions.

(b) The competent person making report of any examination under this rule, shall within seven days of the completion of the examination, send to the inspector a copy of the report in every case where the maximum permissible working pressure is reduced or the examination shows that the pressure vessel/plant or any part thereof cannot continue to be used with safety unless certain repairs are carried out or unless any other safety measure is taken

17. Compressed gas cylinders :

(1) Storage :

(a) To avoid mix-up of compressed gas cylinders and to prevent a potentially hazardous situation, cylinders containing different gases shall be stored separately.

(b) If a large number of gas cylinders are to be stored, separate storage facility shall be provided under the following groups :

(i) inert gases (e.g. argon, helium etc.) and oxygen

(ii) toxic but non-flammable gases (e.g. chlorine, sulphur dioxide, etc.)

(iii) flammable gases—both toxic and non-toxic (e.g. acetylene carbon-monoxide, hydrogen sulphide etc.)

(c) if the number of cylinders to be stored centrally is small, a small store only may be provided but arrangements shall be made segregate cylinders into the three groups.

(d) Cylinders shall be stored in a cool, dry and well-ventilated place. Cylinders kept in the open for temporary use shall be protected from rain and sun. Cylinders shall be stored with their protective caps on.

(e) A notice indicating names of the gases stored and maximum quantity permitted to be stored shall be put up at the entrance of the stores.

(f) Round bottomed cylinders shall be laid on the floor and stacked pyramid style not more than 4-high, with substantial wooden wedges retaining the bottom layer at each side Outlet valves shall all face the same way.

(g) Flat or concave bottom cylinders may be stored upright, but then they shall be in such a place that they cannot be accidentally knocked down or they shall be firmly secured with proper chain arrangement.

(h) Cylinders of acetylene and of liquefied gases shall be stored upright to avoid possibility of leakage of the liquid.

(i) Smoking shall be prohibited, particularly where flammable gases are stored ; 'No Somking' signs shall be displayed at prominent place in and outside the stores.

(j) Use of open flames, spark producing agents or hot work such as welding shall be prohibited in the stores where flammable gases are kept.

(k) Combustible materials (e.g. oil, rags, paper, wood, paints, etc.) shall not be kept in the stores.

(l) Full and empty cylinders shall be kept apart and "full" and "empty" notices shall be displayed in appropriate positions.

(m) Gases shall not be tapped from compressed gas cylinders kept in the stores.

(n) Statutory requirements laid down under Gas Cylinder Rules 1981 shall be observed in addition to the above sub-rules.

(2) Handling and use :

(a) While transporting cylinders, whether full or empty, their protective caps shall be in place.

(b) Cylinders shall be stacked when they are transported in trucks so as not to project beyond the sides of the trucks.

(c) Adequate precautions shall be taken to prevent cylinders from falling off the truck and being subjected to rough usage, excessive shocks or stresses.

(d) Drivers of trucks transporting compressed gas cylinders shall exercise necessary care in loading, transporting and unloading.

(e) In the case of transport of toxic and flammable gas cylinders on trucks, drivers of trucks shall have their attention drawn to contents of the cylinders by the persons directing the operations and shall be asked to exercise the necessary care in loading, transporting and unloading.

(f) Trucks that are laden with full cylinders shall not be left unattended in public places.

(g) Lifting magnets shall not be used in loading or unloading cylinders

(h) When loading or unloading cylinders is to be carried out with a crane, a properly designed cradle shall be used.

(i) For transporting cylinders inside a plant/laboratory, suitable hand trolley shall be used. Such a hand trolley shall be provided with a chain for securing the cylinder so that it cannot fall if the hand trolley passes over a bump.

(j) Rolling, dragging and sliding of cylinders shall be avoided.

(k) When the cylinder is brought to its place of use in the plant/laboratory, it shall be preferably oocured to a wall, bench or some other firm support.

(l) Cylinders shall not be kept in the vicinity of sources of heat such as furnaces radiators, steam pipes ovens, etc. This is particularly important in the case of cylinders of liquefied gases.

(m) Cylinders valves shall be closed at all times except when the gas is actually being drawn.

(n) Only the standard key shall be used to operate the valve spindle. Leverage must not be increased by any means nor must excessive force e.g hammering, be used.

(o) Cylinders valves, shall be kept clean Before fitting regulator, any loose dirt lying with'n the valve socket shall be removed by 'cracking' the valve.

(p) Cylinder valve and fittings shall not be lubricated except under specific advice from the gas supplier. On no account shall oil or grease be used on oxygen cylinders, because of the risk of fire or explosion.

(q) Empty cylinders shall be handled with as much care as full ones.

18. Handling of hazardous materials.

(1) General.—(a) All hazardous materials shall be handled in such a way that personal injuries do not result. The planning for this shall include the proper design and maintenance of equipment/systems.

(b) Proper personal protective equipment shall be provided at the time when hazardous materials are handled.

(c) Personnel who are required to handle hazardous materials shall be knowledgeable about their dangerous properties, precautions that are to be taken while handling, first aid and fire fighting methods that may be required in cases of emergencies that may arise.

(d) All spillages shall be disposed of promptly and safely. Proper procedures for the same shall be laid down and conspicuously displayed in the handling areas.

(e) Appropriate fire extinguishers in sufficient numbers shall be provided in the handling areas. Suitable instructions shall be displayed. Fire service personnel shall be aware of the type of material burning and the relative hazards of fumes encountered before attempting to extinguish the fire.

(f) Eating, drinking and smoking shall be strictly prohibited in the areas handling hazardous materials.

(2) Flammable liquids.—(a) Where flammable liquids are handled there shall be no open flames or other sources of ignition including sparking sources.

(b) Transferring of flammable liquids by means of pneumatic pressure applied on the container or tanks shall be prohibited unless the container or tank is designed for the purpose and periodically tested and found sound enough. These shall be drawn from or transferred into vessels, containers or portable tanks within a building only through a closed piping system preferably using gravity and by employing an approved self-closing valve.

(c) Where volatile fluids are transferred from tankers or road vehicles the metal work of the storage system shall be bonded to the metal work of the tanker or road vehicle and also to earth.

(d) Approved safety cans shall be used for transfer and handling flammable liquids upto 20 litres. The safety cans shall have the following essential features :

I. be leak tight,

II. automatically vent vapour at approximately 0.3 kg cm gauge internal pressure to prevent rupture (or explosion in the event of fire),

(iii) have a flamme arrester to prevent flame from reaching the flammable contents.

IV. automatically close after filling or pouring.

(e) To avoid static electricity formation the rate of flow of flammable liquids shall be restricted to a maximum of 1 metre/sec.

(f) Waste flammable liquids shall be collected, transferred and stored in containers with tight fitting lids. When waste or rags are used in connection with dipping operations, metal waste cans with tight fitting lids shall be provided and all impregnated rags or waste deposited therein immediately after use. The contents of the waste can shall be properly disposed of as and when it gets filled.

(g) Under any circumstances, common drain shall not be made use of to dispose of spilled flammable liquids.

(3) Alkali metals.—(a) Handling area for alkali metals shall be completely devoid of water taps and pipes.

(b) The equipment and systems used in handling alkali metals shall be properly designed for ensuring safety. Any system containing molten alkali metals shall have drip trays under all equipment and valves to confine molten metal spills.

(c) All tools used in alkali metal handling areas shall be dry. Non-speaking tools shall always be used in opening metal drums containing alkali metals.

(d) The degree of protective clothing required in handling the alkali metals shall depend on the quantity of metal to which a worker is exposed and on the temperature of the metal. Aprons, leggings, head coverings, gloves and face protection shall be used depending on the situations.

(e) Molten alkali metals shall be transferred under the cover of an inert gas or under vacuum at the lowest possible temperature and pressure to minimise the possibility of fire.

(f) Operations such as welding, gas cutting, heat treatment, etc. shall be avoided where alkali metals are handled.

(g) A fast-acting drainage system shall be incorporated in the liquid metal handling system to allow the liquid metal to drain into a secondary containment system.

(h) The system shall be tested for pressure or vacuum periodically to ensure that safety is not endangered and a record of the tests shall be maintained.

(i) Air and water lines shall never be connected, directly or indirectly, to piping that handles liquid metals.

(j) All machinery and pipe lines on which static electricity is likely to accumulate shall be effective grounded.

(k) Suitable notices indicating the dangers involved and safety measures to be taken shall be displayed on the barrels or tankers used for transport.

(l) Small quantities of alkali metals spilled in the laboratory shall be covered with a layer of soda ash and then scraped up for immediate disposal at a designated place. Suitable methods of disposal shall be planned for larger quantities of alkali metals.

(4) Corrosives.—(a) Containers of corrosive materials shall be of the appropriate type and sound material.

(b) Personal protective equipment such as chemical goggles, aprons and gumboots shall be worn by the workers when they handle corrosive materials.

(c) Transferring of corrosive liquids by means of pneumatic pressure applied on the container or tank shall be prohibited unless the container or tank is designed for the purpose and periodically tested and found sound enough.

(d) Wherever large quantities of corrosive materials are handled water in plenty shall be available nearby. In addition there shall be a safety shower and eye wash fountain.

(e) Flooring in the corrosive material handling area shall be corrosion resistant.

(f) The drainage line from the areas where corrosive materials are handled shall be corrosion resistant.

(5) Toxic materials.—(a) There shall be a close administrative control over the storage and use of toxic materials. They shall be in the charge of responsible persons and shall be issued only when required for specific experiments/operations.

(b) Persons who are engaged in toxic materials handling shall be provided with necessary personal protective equipment.

(c) Persons working in the areas where toxic materials are handled shall maintain strict personal hygiene.

(d) All wastes containing toxic materials shall be disposed of safely.

19. Handling methods :

(1) Manual handling.—(a) Manual handling of heavy articles shall be avoided as far as possible. Instead mechanical appliances shall be provided and used for lifting and carrying them.

(b) Workers assigned to handle materials shall be instructed as to how to lift and carry materials safely.

(c) Where heavy objects are lifted or carried by two or more workers, the raising and lowering of loads shall be governed by well-understood signals in order to ensure unity of action.

(d) Where heavy objects such as loaded drums or tanks are handled on inclines in either direction :

I. ropes and tackle shall be used to control their motion in addition to the use of checks or wedges; and

II. Workers shall be prohibited from standing on the downward side.

(e) Where heavy objects are moved by means of rollers, bars or sledges shall be used instead of hands or feet for changing the direction of the rollers while in motion.

(f) Workers handling objects with sharp edges, fins, slivers, splinters or similar dangerous projecting parts or handling hot, caustic or corrosive materials shall use suitable personal protective equipment.

(g) Materials shall be so piled up that the piles will not interfere with :

I. the adequate distribution of natural or artificial light;

II. the proper operation of machines or other equipment;

III. the unobstructed use of passage ways or traffic lanes; and

IV. the efficient functioning of sprinkler systems or the use of other fire extinguishment equipment.

(h) Materials shall not be piled up against partitions or walls of buildings unless it is known that the partition or wall is of sufficient strength to withstand the force.

(i) The maximum weights that can be permitted to be lifted, carried or moved by hand or on head by a single adult male or female shall be 50 kg and 30 kg respectively.

(j) The passage over which an article is carried or moved shall be cleared of all obstructions or other hazardous situations before hand

(k) Hand trucks and wheel barrows shall be equipped with knouckle guards. Nails, piece of wire and other substitutes shall not be used in place of cotter pins.

(l) When loading a truck, consideration shall be given to the method of unloading. Blocks shall be placed underneath the loads so that slings can be easily fastened if mechanical equipment are to be used at the unloading station

(m) Material handling equipment shall be periodically inspected and kept in good repair. The record of maintenance should be kept in a register.

(n) When they are in use, the trucks shall be parked only in the designated places.

(2) Mechanical handling.—(a) Industrial power trucks :

I equipment shall be operated only by authorised persons who have been given specific training in their safe operation;

II. loads shall be transported in such a manner as to provide maximum clear vision for the operator;

III. safe load capacity and operating speeds shall be indicated on each piece of equipment;

IV persons riding on loads or equipment shall be prohibited;

V. industrial trucks shall be painted with yellow and black stripes so that they are clearly seen by persons.

(b) Lifting machines :

I. persons shall not be allowed to ride on the load or on crane hooks;

II. loads shall not be carried on a crane while persons are working underneath. The gong or horn shall always be in service when the crane is in motion;

III. slings, chains, etc. shall not be dragged. After the load is taken off the crane shall not be moved until the hook is lowered and the sling or chain is detached from the hook;

IV. a load on the crane shall not be moved unless the signals from the floor are clearly understood;

V. the load shall not be allowed to swing;

VI. when raising or lowering a load it shall be checked that it will safely clear adjacent stockpiles or machinery;

VII. the safe load capacity of the crane shall not be crossed at any time.

(c) Conveyors :

i. All power driven conveyors shall be of sound construction and shall be guarded with enclosures or railing to prevent workers from being caught on moving parts or getting injured by falling materials All moving belts, gears, sprockets, pulleys, shafts and chains shall be effectively guarded;

ii. power driven conveyors shall be provided with emergency control device conveniently located. Wherever cross over walks are to be provided they shall be of appropriate design;

iii. portable gravity chutes, rollers and belts, when used in the handling of materials, shall be of sound construction and provided with positive locking devices in each section.

iv. side boards shall be installed along the edges and at corners and turns of all overhead conveyors, and screen guards shall be placed beneath to protect workers from falling materials;

v. persons shall be prohibited from riding on conveyors.

20. Hoisting apparatus :

(1) General.—(a) All slings, chains and other gear used in connection with cranes, hoists, derricks and similar equipment shall be under the supervision of and maintained by authorised persons.

(b) Records of maintenance and inspection shall be kept.

(c) All hoisting apparatus shall be stored on hooks or racks so that they will not be damaged during the storage

(2) Pulley blocks.—(a) The lifting capacity of blocks shall be plainly marked on each block.

(b) The lashing of the upper block shall be of sufficient strength. It shall be able to support five times the maximum load which may be hoisted by the block.

(c) Frayed fibre ropes or rusty wire ropes shall not be used.

(d) Blocks shall be periodically examined and maintained in operating conditions.

(3) Hooks.—(a) The type of hooks shall be selected in accordance with the size and type of materials to be handled. Overstraining of any part of the hook shall not be permitted.

(b) Hooks shall be constructed from forged or laminated steel.

c) Hooks which have become deformed due to overloading shall not be repaired or put back into service.

(d) Hooks shall not be heated or otherwise treated in a manner as to affect its rated capacity.

(e) Hooks shall be equipped as far as possible with Safety latches.

(4) Ropes.—(a) Fibre rope :

i. only manila or synthetic fibre rope of good quality shall be chosen for use. Leads to be applied on such ropes shall not exceed 20% of the minimum breaking strength.

ii. all ropes shall be examined periodically. Visual inspection shall be made for abrasions, broken fibres, cuts, frays or other defects. Fibre ropes found to have defects under such inspection and examination shall be removed from service

iii. ropes shall be stored on hooks or racks provided in well ventilated rooms. They shall not be exposed to moist and corrosive atmospheres and extremes of temperatures.

(b) Wire ropes :

i. every wire rope shall be used and maintained in strict accordance with recommendations of the manufacturer. Load applied on wire ropes shall not exceed 20% of the minimum breaking strength.

ii. ropes shall be inspected at the time of installation and once every week thereafter, when in use.

iii. a wire rope which has not been in use for three months or more and subjected to water, moisture, dampness, etc shall be inspected for corrosion, prior to its subsequent use. If marked corrosion is found, it shall be removed from hoisting or load carrying service. Wire ropes shall be removed from load carrying service when 4% of the total number of wires comprising of such ropes are found to be broken.

iv. wire ropes shall be lubricated with a lubricant as recommended by the manufacturers. Kinking and untwisting of the wire rope shall be avoided. Loads shall not be applied to a kinked rope.

v. in attaching U-type rope clamps, the closed or curved end of the 'U' shall be placed in contact with the short or dead end of the rope and thimbles shall be used in eyes of the loops. The nuts on U-clamps shall be inspected and tightened frequently during operations.

(5) Chains :—

a. every chain shall be used and maintained in strict accordance with recommendations of the manufacturer. Load applied on chain shall not exceed 20 per cent of the minimum breaking strength.

b. when in constant use, hoisting chains shall be thoroughly inspected at least once each month by an authorised person.

c. chains shall not be shortened or spliced by placing nails or bolts between two links nor shall a chain be knotted. Defective links or portions of the chain shall be replaced only by links or sections furnished by the manufacturer of the chains

(6) Slings :

a. the ends of the slings shall be properly tied to form loops.

b. fibre (manila or synthetic) ropes showing evidence of cuts, excessive wear or other damage shall be discarded. After being placed in service, ropes shall be inspected every 30 days under normal conditions and every 7 days if they are used to support scaffolding on which men work. If exposed to acids or caustics they shall be inspected daily. Fibre rope slings shall not be used to lift molten metals or hot articles.

c. wire rope and chain slings shall be frequently inspected and lubricated.

d. blocks or heavy padding shall be used at edges of load to protect the sling from sharp bending. When single or multiple slings are used, the load shall be so arranged that the stress will be equal between ropes.

e. spreader shall be used in connection with slings handling long materials.

21. Industrial hygiene :

(1) General :

(a) The agents such as physical, chemical and biological present in the working environment shall be recognised, evaluated and controlled so that the health of workers is not adversey affected

(b) when workers are allowed to expose themselves to levels above the permissible values during a planned operation, a physician shall be in attendance.

(2) Physical agents :

(a) Heat stress :

I. vessels, pipes or flues storing or containing fluids at high temperatures shall be covered with sufficient insulated material.

II. every effort shall be made to reduce th heat stress in the working area, by providing insulating materials, thermal shields, supply of cool air and/or means for air circulation. Where the heat stress cannot be reduced to below permissible values by these methods, the exposure shall be controlled by providing rest breaks (in cool areas) between spells of work in hot environment and/or by personal control measures like protective suits.

(b) Non-Ionising radiations :

I. all electric arc operations shall be adequately screened to prevent eye injury to workers in the vicinity. Welders shall wear suitable hoods which protect the eyes and skin of neck and face and are equipped with suitable filter glass.

II Welder's helpers or others working in the vicinity of operations giving rise to high intensities of radiation and are not screened, shall wear suitable goggles with side shields.

III exposure of persons to infrared/ultraviolet radiations shall be maintained within limits by using suitable shields or working at safe distances. Similarly, exposures to microwave radiation shall be controlled to within permissible levels.

IV exposures to coherent energy (lasers) shall be kept to the minimum chiefly by engineering control measures and supplemented by personal and medical control methods. In particular, direct viewing of laser beams shall be prohibited

(c) Noise.—exposure to noise in working environment shall be kept below the permissible values by suitable engineering control measures. Where enough reduction in the levels is not achievable these, duration of exposures shall be restricted or suitable ear muffs shall be provided for the workers.

(3) Chemical agents :

(a) In any work place where the air is likely to be contaminated by dusts, mists, fumes, vapours or gases generated processes or operations their concentrations shall be kept well within the appropriate Threshold Limit Values (TLVs).

(b) Sampling and analysis of air shall be done and results interpreted only by authorised persons.

(c) Respiratory protection is to be considered only as a temporary protection against exposure to toxic materials. Adquate ventilation or other environmental engineering control measures shall be provided to control health hazards associated with any permanent operation.

(d) Some toxic gases and vapours can enter the body through the skin as well as by inhalation. Sufficient precautions shall be taken to prevent the ingress of the materials through skin in such cases.

(e) Every precaution shall be taken to avoid direct contact with any corrosive chemicals such as acids, alkalies, etc., and defatting agents such as organic solvents.

(f) Laboratories/plants shall have only the minimum quantities of hazardous chemicals consisent with operational requirements.

(g) It shall be possible to identify a hazardous material inside a pipe line, vessel or container by means of a label/symbol placed conspicuously.

(h) Chemicals shall be stored and handled in containers which are not incompatible.

(i) Special care shall be taken when working with chemicals such as unstable compounds, corrosives, solvents and highly toxic materials.

(4) Biological agents :

(a) All micro-organisms shall be handled as if they were pathogenic. The principle of asepsis shall be understood and applied during the handling of all cultures and equipment containing micro-organisms.

(b) Animal caretakers and research personnel shall be continuously alert to and make use of techniques and environmental control measures which will limit the spread of infection in animal quarters, from animal to animal or from animal to men.

(c) In maintaining hygenic environmental candidates, such aspects as vermin control, removal of animal wastes, maintaining clean cages and facilities and satisfactory air quality shall be taken into consideration.

22. Personal protective equipment :

(1) General :

(a) When selcting work clothes, consideration shall be given to the hazards to which the wearer may be exposed and those types shall be selected which will reduce the potential hazards to the minimum.

(b) Work clothes shall fit well; there shall be no loose flaps or strings. Pockets shall not be provided unnecessarily. They shall not be larger than what is required.

(c) Loose, torn or ragged garments, full sleeved shirts, neck ties and key or watch chains shall not be worn while working on machines.

(d) Personal protective equipment shall be of quality material and conform to specificaations of Indian Standards Institution, where available.

(e) The factory shall provide personal protective equipment, wherever necessary, and employees shall use them, as and when required.

(2) Respiratory protection :

(a) In selecting respiratory protective equipment consideration shall be given to the following points :

i. the process and conditions that create the exposure;

ii. the chemicals & physical properties and toxicity of the substance from which protection is required.

iii. the nature of the duties to be performed by the persons who wear the equipment and the encumbrance or restriction of movement in the working area that it may create; and

iv. the facilities for maintenance, upkeep and supervision of use.

(b) Respiratory protective equipment shall be suitable for fitting various types of facial contours without allowing for leaks.

(c) Mechanical filter respirators shall not be used for protection against solvent vapours, toxic gases or in atmospheres deficient in oxygen, under any circumstances whatever.

(d) Filters shall be changed when breathing resistance exceeds a preset value.

(e) Cartridge type respirators and canister masks shall not be worn in any confined space or in any other place that is poorly ventilated or in atmospheres deficient in oxygen. Instead, a self-contained breathing apparatus shall be worn.

(f) Canister masks shall be replaced as per manufacturer's recommendations.

(g) Supplied air respirators or hose masks :

I. shall be used for work in dangerous atmosphere in all cases where the work is of such a nature and carried out in such places that the fresh air supply can be safely maintained, and

II. shall be used for non-emergency operations in atmospheres in which the concentration of the dangerous gas of vapour is too high for the safe use of canister masks or cartridge respirators.

(h) The supply of air to a mask or respirator shall not be at a pressure exceeding 1.75 kg/cm^2 (25 psi).

(i) Self-contained breathing apparatus shall be worn only by persons specially trained for this in advance.

(j) At intervals not exceeding one month, every breathing apparatus shall be :

I. carefully examined by authorised person with respect to its general condition and with particular attention to any delicate parts, and

II. tested for leakage.

(k) Gauges on self-contained breathing apparatus shall be tested at least once in every six months. Record of such examination and test shall be kept.

(3) Head protection :

(a) Workers exposed to falling or flying objects and potential hits on the head shall wear well-fitted hard hats.

(b) Hard hats shall be made of non-combustible materials which are non-conductors of electricity.

(c) Hard hats shall have a brim all round to provide protection for the head, face and back of the neck. For working in confined spaces, hard hats without brims may, however, be used.

(d) Persons riding on powered two-wheelers shall wear crash helmets of good quality. This applies both to the principal and the pillion riders. Followers of 'Sikh' religion who wear turbans are however exempted.

(4) Ear protection :

Persons who are working in areas of high levels of noise shall wear suitable ear muffs (Ear plugs are not preferred as they present problems of poor fitting).

(5)Eye protection :

(a) Suitable eye protection shall be used by all workers performing any operation which may endanger their eyes.

(b) Goggles for workers engaged in chipping, rivetting, scaling dry grinding and similar operations shall conform to standards of strength accepted by the competent authority.

(c) Goggles for working exposed to fumes which would cause injury or discomfort to the eyes of the wearer shall have eye cups which fit the face closely and have no ventilation openings.

(d) Wherever there is a chance of splashing chemicals, chemical goggles shall be used to protect eyes from their injurious effects.

(e) When not in use, goggles and face masks shall be kept in special closed containers protecting them from mechanical damage and contamination by oil, grease and other materials.

(f) Goggles shall be provided for workers exposed to infrared and ultraviolet radiations (furnace workers, glass blowers, in laboratories where ultraviolet lamps are used, etc).

(6) Body protection :

(a) Persons working with large quantities of corrosive chemicals shall wear suitable protective aprons.

(b) Persons engaged in shot-blasting operations shall wear suitable protective hoods, aprons, etc.

(c) Aprons shall not be worn near revolving or reciprocating machine parts.

(7) Hand protection :

(a) Gloves shall be worn for protection of hands and forearms.

(b) The type of gloves selected shall afford effective protection and be suitable for the job. The material of the gloves shall be compatible with the chemicals/materials handled.

(8) Foot protection :

(a) Safety shoes shall be worn in operations where heavy materials are being handled.

(b) Footwear for workers handling corrosive liquids such as acids and caustic shall be made of rubber, neoprene or other suitable corrosion resisting material.

(c) Footwear for electrical workers shall be free from metal fittings.

(d) On jobs which require persons to work near flames and furnaces asbetos footwear shall be used.

(9) Safety belts :

(a) Safety belts shall be provided for and used by all workers exposed to the risk of falling from height such as by window cleaners, stack climbers and riggers, painters working at heights more than 4.5 m above ground or above a temporary or permanent floor or platform.

(b) Safety belts and hamesses shall be made of substantial chrome tanned leather, nylon or cotton webbing or other suitable material.

(c) All belts and their fittings shall be examined at frequent intervals and defective parts replaced.

(d) All fittings and fastenings of a safety belt shall be capable of supporting a load at least equal to the ultimate breaking strength specified for the belt.

(10) Protective equipment for electrical work :

(a) Gloves and gumboots for electrical workers shall be made of rubber or other suitable materials and shall conform to standards of dielectric strength accepted by competent authority.

(b) Footwear for electrical workers shall be free from metal fittings.

(11) Care and maintenance :

(a) Personal protective equipment shall be maintained in clean condition; particularly parts coming in direct contact with the body shall be kept in a perfect sanitary condition.

(b) Those protective equipment such as respirators, helmets and ear muffs which are not issued individually to workers, shall not be interchanged among employees until they have been cleaned and sterilised.

(c) Respiratory protective equipment shall be periodically checked for proper functioning of its parts such as valves and diaphragm and inspected for serviceability.

(d) All respirators and masks shall be inspected to ensure that they are in working order. Any broken, badly worn or damaged parts shall be replaced promptly. Goggles and face shields which have become scratched, opaque or otherwise cannot be used effectively shall be discarded. Gloves shall shall be tested periodically and the defective ones discarded. Proper records shall be maintained of all inspections carried out on personal protective equipment and repairs made.

23. Medical control :

(1) General :

(a) Emergency first-aid treatment shall be available for all prsons in a factory or installation. To achieve this, there shall be training in first-aid imparted to a large number of employees.

(b) In the event of accidental exposure to toxic or corrosive materials, poisonous substances, or in case of traumatic injuries, the services of a physician shall be available without delay. He shall be fully informed regarding the nature of the accident, the hazardous condition or substance involved and the extend of exposure.

(c) Size and location of the medical unit shall be determined by the number of employees to be served, distance from the location of hazardous operations and anticipated load due to accidents.

(2) Preventive medical services :

(a) Preplacement medical examinations shall be made of all entrants for employment to evaluate their physical and physiological capability in relation to the job requirements to ensure his continued good health at work and to provide maximum safety to himself and his fellow employees.

(b) Periodical examination of employees exposed to health hazards shall be made at such periodicity and in such manner as may be prescribed by the competent authority and/or as by exigencies.

(c) Complete medical examination shall be made of persons before they are relieved of work in hazardous areas/operations.

24. Training :

(1) Safety education :

(a) An educational programme covering all aspects of health and safety shall be established and conducted on a regular basis. The overal objective of the training programme shall be the elimination of unsafe acts and conditions by providing well informed and trained employees.

(b) Education and training shall include such items as the following :—

i. safe practices in different operations ;

ii. location and use of first-aid fire extinguishers ;

iii. rendering first-aid treatment in different situation;

iv. initiating alarms and reporting emergencies;

v. emergency evacuation procedures;

vi. investigation of accidents and reporting unsafe conditions;

vii. use of personal protective equipment;

viii. conspicuous display of safety posters and signs.

(2) Rescue and First-aid :

(a) When persons are involved in situations dangerous to life such as overcome by poisonous gases/vapours, in contact with electrical circuits and trapped in locations under fire, steps shall be taken into rescue them, without the rescuer himself getting endangered.

(b) An emergenecy cupboard shall be provided in a safe location near to a hazardous area for use during a possible emergency to facilitate prompt rescue work. It shall be clearly marked and contain equipment that are required to tackle an expected emergency. Lifebuoys/water jackets shall be provided near large water bodies. These equipment shall be familiar with procedures of artificial respiration. ness.

(c) Enough persons shall be trained in first-aid in each plant or laboratory. In factories in which the conditions of work involve a risk of suffocation, asphyxiation or electrocution, there shall be rescue equipment which shall include resuscitation apparatus. Personnel shall be trained in its operation and shall be familiar with procedures of artificial respiration.

(d) Persons shall be designated as in-charge of first-aid and their locations shall be made known.

(3) Fire squad :

In each work area, there shall be persons designated to form fire squads, who shall be given training in fire extinguishment and emergency requirements. The fire squad shall thus be equipped to render first-aid fire fighting and help in emergency evacuation of persons affected.

25. Special work permits :

In every factory in order to regulate the performance of hazardous jobs and to ensure that special considerations are given to the safety of personnel doing them, special work permits shall be issued by the Head or Manager of the Factory or by an officer authorised by him in this respect.

26. Entry into confined spaces :

(a) Before entering any confined space such as a vessel, tank, tunnel, etc., it shall be ensured that the atmosphere inside will not be dangerous to personnel.

(b) The space concerned shall be isolated from the rest of the system. The flanges shall be blanketed and the isolating valves shall be closed and suitably tagged.

(c) The equipment/spaces which are originally charged with toxic, corrosive and flamable materials or asphyxiants, shall be purged to remove their contents from inside. The purging shall be done with water, steam or air, as found suitable provided that if sludge is present inside the vessel, tank, etc. purging with air shall not be considered sufficient.

(d) All man-holes and inspection doors shall be kept open and care shall be taken that toxic gases or vapours cannot leak from adjacent equipment. Advantage of prevailing wind direction shall be taken in diluting the gases that may leak, if the location is outdoors.

(e) After the purging has been completed and equipment/space has been well ventilated, the atmosphere inside the space shall be tested to ensure that the concentration of toxic gas or the asphyxiant is less than the respective TLV. Oxygen concentration shall be tested to be above 16 per cent (by volume) before personnel entry is permitted. Purging with fresh air shall be continued during the course of the work.

(f) In case a person has to enter the space for testing, he shall be provided with a self-contained breating apparatus and a safety belt or harness attached to a rope, the free end of which is held by a person standing outside the confined space.

27. Work at height :

(a) Persons who are required to work at height shall be medically fit for the job.

(b) All persons who climb up a stack shall be provided with safety belts.

(c) Persons shall be adequately instructed in the proper use of safety belts. Safety/belts shall be kept clean, frequently inspected and maintained in good condition.

(d) Persons engaged in cleaning the windows from outside where there is no proper arrangement for their standing and working shall be provided with safety belts. In places where the use of safety belts is impractical, suitable net of adequate strength fastened to substantial supports shall be employed.

(e) Shoes worn by person engaged in work at height shall be of the non-slippery type.

(f) At least one person shall be stationed on the ground to be of assistance to those who climb up.

(g) Maintenance work at height shall be performed in good day light preferably at a time when strong winds and rains are not prevailing.

28. Electrical Isolation :

(a) When it is necessary to cut out the source of electricity to a machine or a circuitry, such isolations shall be done in a positive manner.

(b) Whereas in low-voltage circuits the fuses shall be removed, in high-voltage systems the circuit breakers shall be drawn out.

(c) As far as possible, the switches shall be locked in the open position and the workers shall take the keys with them. Otherwise, the switches shall be tagged with caution notices.

(d) Only authorised persons shall turn on the switches, on completion of the maintenance work, and then only remove the caution notices.

29. Special operations :

(1) General :

(a) As specific hazards are involved in some special operations, these shall be attended to with appropriate precautions. In typical operations listed below, precautions shall be taken as indicated.

(b) The competent Authority may specify any other jobs and indicate the special precautions that are required to be taken.

(2) Foundry :

(a) The foundry floor shall be arranged for efficient operating economy and to prevent accidents, especially those caused by spills and runouts of molten metal.

(b) Floors shall be cleaned frequently and kept in good condition, firm and level. Worn out spots, holes, and other defects shall be reported and got repaired immediately.

(c) Local and general exhaust ventilation shall be carefully planned taking into consideration the different operations that are to be carried out.

(d) A comfortable ambient temperature shall be maintained in all part of the foundry where workers are required to work.

(e) Careful planning and safe practices shall be adopted while handling large objects in foundries.

(f) Compressed air shall not be used for any type of cleaning except as a last resort and then only when the pressure is reduced to less than 2 kg/cm² (30 psi) and proper personal protective equipment are used.

(g) A fire prevention programme shall be organised. Periodic fire inspections shall be carried out.

(3) Electroplating operations :

(a) All the plating facilities shall be carefully planned and designed as health hazards are generally associated with these.

(b) Electroplating tanks shall be provided with a local exhaust system preferably of the slot type along the length of the tanks. The exhaust system shall be made of corrosion resistant materials.

(c) The floor areas of all electroplating facility shall be made acid proof. The floor shall be cleaned frequently and kept in good condition.

(d) As plating operations involve risk of contact with strong chemicals which could give rise to serious burns, the use of personal protective equipment such as rubber boots, gloves and aprons shall be made compulsory.

(e) In view of the high possibility of dermatitis due to electrolytes especially with chromium and nickel salts, skin contact with the electrolytes shall be avoided.

(f) Cyanide salts shall be kept away from contact with all acids. A close control shall be kept on the stock of cyanide salts and electrolytes. It shall be in the charge of a responsible person and shall be issued only when required for specific operations and then only in quantities immediately required.

(g) Cyanide wastes shall not be allowed to run into drainage lines which might receive acidic solutions. Waste quantities of cyanides shall be disposed of in a safe manner.

(h) Workers shall be made to understand the need for a high degree of personal hygiene. Food articles shall never be stored, prepared or eaten where these operations are conducted.

(i) Workers attending to plating work, especially with chromium and nickel, shall be under regular medical supervision.

(j) An emergency shower and eye wash fountain shall be provided in the area.

(4) Beryllium operations :

(a) Work on beryllium and its compounds involving risk of any air contamination shall be carried out in a specially designed facility. Use of the beryllium rooms shall be restricted solely for beryllium work. A suitable notice shall be displayed at the entrance prohibiting the entry of unathorised personnel.

(b) All stocks of beryllium and toxic compounds shall be kept in a fire proof store.

(c) Physical contact with beryllium and its compounds shall be avoided. Gloves shall be worn while working on these. A laboratory coat and overshoes shall be worn while working in the beryllium area.

(d) Air sampling shall be carried out at frequent intervals both inside and outside the plant/laboratory. Surface/equipment contamination shall be determined by way of taking swipe samples and if found necessary the area or equipment shall be properly decontaminated under competent supervision.

(e) A thorough housekeeping routine shall be maintained in the working area. Walls, floors and other surfaces shall be decontaminated using 'teepol' and water.

(f) Smoking and eating in the area shall be prohibited. A change room facility with showers shall be provided near the beryllium area.

(g) Strict medical supervision shall be kept on all beryllium workers. A pre-employment examination and periodical medical examinations, preferably every six months, shall be performed on all the workers.

(5) Zirconium operations :

(a) Work on zirconium and its compounds involving risk of fire shall be carried out in a specially designed facility. Use of such facilities shall be restricted only for zirconium work. A suitable notice shall be displayed at the entrance prohibiting the entry of unauthorised personnel.

(b) Surface of plant/laboratories and store shall be designed to prevent accumulation of zirconium powder.

(c) Source of ignition shall be excluded from zirconium handling areas. The design for these areas shall include lightning protection and means to prevent accumulation of static electric charge.

(d) Electrical equipment installed in these areas shall be of approved explosion proof type.

(e) Wherever zirconium powder may be formed, a local exhaust system shall be provided. The duct shall be as short as possible, shall be free from sharp bends and dead space and shall have proper means of access for inspection and cleaning.

(f) A high standard of cleanliness shall be maintained throughout the zirconium handling areas. Wet mopping shall be adopted for cleaning. Mops used for cleaning shall be stored always under water.

(g) The design of plant/laboratories shall make adequate provision for the safe storage of zirconium powder, sludges sponges or scrap.

(h) Containers for product or waste shall be metallic and labelled. They shall not be exposed to extremes of temperature.

(i) Zirconium wastes containing sludges, sponge or scrap shall be stored separately from any other waste material. They shall be stored under water (minimum 15 cm). Safe procedures shall be formulated for the collection, transportation, storage and disposal taking into account the pyrophoricity of the material.

(j) Disposal of powder waste shall be done by incineration under controlled conditions by trained personnel at a suitable place designated for the purpose.

(k) Before discharge, waste liquid containing zirconium in suspension shall be treated by a process which removes the suspended zirconium.

(l) Fire fighting appliances shall be provided in all the areas. Operations involving zirconium shall never remain unattended.

CHAPTER IV : WELFARE

30. Change room and Wash room :

(1) Adequate facilities for washing shall be provided for employees. When these are engaged in operation/process involving toxic, dirty or wet materials, adequate change room and shower facilities also shall be provided.

(2) When women are employed, separate washing and shower facilities shall be provided for them. These shall be duly indicated.

(3) Soap and other cleansing agents shall be provided at the washing rooms.

(4) Locker rooms shall be provided at convenient locations for all employees whose work requires a change of clothing.

(5) Suitable arrangements shall be made in change rooms to enable workers to take rest during a designated period/time.

(6) Change room and wash room shall be well ventilated and lighted.

31. First-aid appliance :

(1) First-aid boxes shall be provided at convenient locations in the work area and these shall be distinctly marked.

(2) Fire-aid boxes shall contain such equipment and medicines as may be determined by the factory Medical Officer.

(3) Persons who shall be designated as in-charge of first-aid shall arrange to replenish the contents of these boxes as and when they are depleted.

32. Notice regarding first-aid : A notice containing the names of the persons within the precincts of the factory who are trained in first-aid treatment and who are in charge of first-aid boxes shall be posted in every factory at a conspicuous place near each such box. The notice shall also indicate work room where the said person shall be available. The name of the nearest hospital and its telephone number shall also be mentioned prominently in the said notice.

33. Ambulance Room/Dispensary :

(1) The ambulance room or dispensary shall be in charge of a qualified medical officer assisted by atleast one qualified nurse and suitable subordinate staff.

(2) There shall be displayed in the ambulance room or dispensary a notice giving the name, address and telephone number of the Medical Officer-in-charge. The name of the nearest hospital and its telephone number shall also be mentioned prominently in the said notice.

(3) The ambulance room or dispensary shall be separate from the rest of the factory and shall be used only for the purpose of first-aid treatment and rest. The size of the ambulance room or dispensary and the minimum facilities that are required in it shall be as decided by the Medical Officer.

34. Canteens :

(1) Adequate canteen facility shall be provided in the factory premises.

(2) The precincts of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition. Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.

(3) The canteen shall be managed preferably by a Co-operative Society formed by the employees, such that wholesome food is made available to the workers at a reasonable rate.

(4) Every member of the canteen staff who handles food stuff shall be medically examined at the time of appointment and periodically thereafter by the factory Medical Officer.

35. Creche :

(1) The creche shall be adequately furnished and equipped with toys, cot or cradle, bedding for the children and seating accommodation for the mother while she is feeding or attending to her child.

(2) Suitably fenced and shady open air playground shall be provided for the older children.

(3) A wash room shall be provided adjacent to the creche for washing of the children themselves and their clothing.

(4) An adequate supply of clean clothes, towels and soap shall be made available for each child while it is in the creche.

(5) Atleast 300ml pure milk shall be available for each of the older children for every day it is accommodated in the creche. In addition, an adequate supply of wholesome refreshments shall be provided.

(6) The mother of young child shall be allowed in the course of her daily work intervals of 15 mts. to feed the child

(7) Creche staff shall be provided with suitable clean clothes for use while on duty in the creche.

[No. AEA/23/1/83-ER]

N. JAYARAMAN, Jt. Secy.

SCHEDULE 'A'

[See Rule 2(C)]

Competent person : (1) for the purposes of Sub-Rule 8(4)(f) shall be graduate in mechanical engineering or equivalent, with 5 years in responsible position, designated by the Head/Manager of the Factory.

(2) for the purposes of Rule 14, shall be a graduate in chemical engineering/mechanical engineering or equivalent, with 5 years in responsible position, designated by the Head/Manager of the Factory.

SCHEDULE 'B'

[See Rule 9(12)]

Water	:	Grass green (218)
Ice Water	:	Grass green (218) with occasional single white bands.
Sea Water	:	Oriental blue (174)
Demineralised Water	:	French blue (174)
Single distilled Water	:	French blue (166) with occasional single white bands.
Double distilled Water	:	French blue (166) with occasional double white bands.
Condensate	:	Sky blue
Steam	:	Aluminium with occasional single red (538) bands.

Compressed Air	:	White
Drainage	:	Black
Electrical conduits and cables—single phase	:	Terra cotta (444) with occasional single white bands.
Electrical conduits and cables 3-phase	:	Terra cotta (444) only.
Electrical panels, electrical switches & transformers	:	Aircraft grey (693)
H_2	:	White with red (537) bands
N_2	:	White with lemon yellow (355) bands
H_2 and N_2	:	White with red (537) and yellow (355) bands
CO_2	:	White with golden brown (414) bands
HF	:	White with light orange (557) bands
Argon	:	White with oriental blue (174) bands
Helium	:	White with Apple green (281) bands
Vacuum	:	White with black bands
High speed diesel oil	:	Light brown (410)
Furnace Oil	:	Middle brown (411)
Crude Oil	:	Dark brown (412)
Vent lines	:	Salmon pink (443)
Heavy Water	:	Violet (796)
Fire lines	:	Signal red (537)
Steel structures	:	Eau de nil (216)
Railings	:	Top black, rest—Eaude nil (216)

A — Stainless steel and aluminium pipes shall be painted with bands of colour only

B — A breakable pipe shall also have a band painted lengthwise along it in one of the prominent colours prescribed for it in the code.

C — All pipes shall be marked in white or black (to give maximum contrast with the code numbers shown on the corresponding flow sheets).

D — The direction of flow shall be shown by arrows in white or black.

E — All equipment (tanks, heat exchangers, etc.) shall be painted with aircraft grey (693). Colour coding of piping shall start from the flanges or connection to equipment.

F — Primary cooling water, sea water, compressed air, drains, vents and the main supply of service water shall follow the colour codes of the respective systems. All other water piping shall be painted in the colour of service water—grass green (218) with the following additions:

Bands to be painted at convenient intervals on the pipes in the same colour as those on the air conditioning graphic panels. code numbers and direction of flow shall be shown as in all other systems.

All outgoing air lines in air conditioning shall have the same colour as vent lines– viz., salmon pink (443). For all incoming air lines or filtered air supply lines, the colour shall be determined by the Architect depending upon the colour scheme adopted in the room in question.

G — When coding a system with bands of different colour the bands shall be painted on the pipe where it enters or leaves a wall, floor or ceiling, connects to equipment, valves or other branches of pipes. The bands shall be 5 cm wide of even appearance and will be spaced where practicable approximately 15 cm from the wall floor, or ceiling and equipment or valves, etc.

H — Valve bodies shall be painted with the same colour as the coded line to which they are connected, but the spindle wheel shall be painted with the same colour as the identifying band for that line.

I — Prior to the final colour being painted, identification labels shall be checked against the relevant flow sheet and this colour code.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984